राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारह्वीं विधान सभा के तीसरे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार

22 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत एनीकट

111. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004-05 में कितना बजट प्रावधान रखा गया है और विभिन्न योजनाओं में अब तक कुल कित्तनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत राज्य के किस-किस जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत से कितने कितने और कौन-कौन से एनीकट स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सांवर लाल जाट (सिंचाई मंत्री) : (1) राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित बजट प्रावधान 62.31 करोड़ रुपये रखा गया है जिसके विरुद्ध जनवरी, 2005 तक 22.76 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत राज्य के 28 जिलों में

(श्री सांवर लाल जाट)

जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में जितनी-जितनी लागत के कार्य स्वीकृत किये गये है का विवरण प्रपत्र 'ब' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्य की लघु सिंचाई परियोजना के लिए आपने बताया है कि 62.31 करोड़ रुपये का आपका बजट प्रावधान है लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट है उसने बताया है कि माइनर इर्रिगेशन में टोटल प्रोवीजन है वह 83 करोड़ 69 लाख 83 हजार, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने माइनर इर्रिगेशन का बजट प्रोवीजन 83 करोड़ 69 लाख 83 हजार बताया है। आपके बताने में और प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो आंकड़े जारी किये गये हैं उनमें एक तो यह अन्तर है।

दूसरा, अभी जनवरी तक आपने टोटल बजट प्रोवीजन में माइनर इर्रिगेशन हैड में 22 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च करना बताया है जो लगभग पूरे टोटल बजट का 1/3 है।

तीसरा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम में आपने जहां-जहां भी एनीकट स्वीकृत किये, जिस-जिस भी विधान सभा क्षेत्र में, उसके क्या मापदण्ड हैं ?

चौथा, यह है कि अब तक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के माइनर जो एनीकट थे उसमें कितनी राशि खर्च की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बहुत गलत बात है। बार-बार की हिदायतों के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं खेद व्यक्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मोबाइल जब्त करिये (व्यवधान) जब्त कराइये, अध्यक्ष महोदय, हमारा होता तो आप जब्त कर लेते।

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, जब तक विधान सभा चलेगी, आपका मोबाइल यहां रहेगा। यहां रख दीजिए। (व्यवधान) जब सभी माननीय सदस्यों से यह निवदेन....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : राठौड़ साहब की जेब में फोटो वाला है (व्यवधान) आपकी जेब में फोटो वाला है।

श्री अध्यक्ष : निवेदन किया गया है कि आते समय बन्द कर दें, फिर इसे खुला क्यों रखते हैं

श्री हरिमोहन शर्मा : गलती हो गई, जब ही तो क्षमा याचना करनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, खेद व्यक्त करने के बाद फिर तो इनको आब्जेक्शन नहीं करना चाहिए था। खेद व्यक्त करने के बाद फिर क्या बच जाता है।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिए।

श्री सांवर लाल जाट : बार-बार घंटियां बजाकर खेद व्यक्त करते रहोगे ऐसे थोड़े ही चलेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं 62.31 करोड़ और प्लानिंग विभाग ने दिये हैं उनमें अन्तर का क्या कारण है, है या नहीं है? मैं आपको यही कह सकता हूं कि लेटेस्ट, समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है उसके हिसाब से हमको जो टारगेट दिया 62.31 करोड़ का दिया।

दूसरा सवाल आपका था कि आपने वन थर्ड खर्च किया है, तो पैसा खर्च तो आपको भी पता है कि यह मार्च तक होता है, फरवरी और मार्च तक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा बजट का उपयोग करेंगे। कई कारण होते हैं कहीं काम रूक जाते हैं, कहीं ठेकेदार टाइम से शुरू नहीं करते हैं, कई जगह कोर्ट का स्टे आ जाता है, कई जगह वर्क आर्डर टाइम पर नहीं देते हैं, अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से किसी अधिकारी ने जान बूझकर इसमें खर्च करने में दिक्कत पैदा की है तो उसे खिलाफ तो हम कार्यवाही करते हैं।

इसके अलावा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में आपने पूछा कि खर्च कितना हुआ, मैं आपको बताऊं कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तो अभी हमने सैंक्शन किया है इसके अन्दर एनीकट भी लियें हैं, टूट-फूटे, वर्षों से, हमारे जमाने में

(श्री सांवर लाल)

जब हमारे राज में बाढ़ आई उस समय टूट गये, आपने पांच साल तक ठीक नहीं कराये वह भी हमने इसमें लिये हैं और यह सैंक्शन अभी हुये हैं। हमने एक आदेश यह भी जारी किया है कि अकाल राहत से इसको डवटेल किया जाए इसलिए मैं अभी यह आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि फैमिन से डवटेलिंग हो चाहे हमारा विभाग कराए पर हम यह एनीकट 30 जून तक पूरे करवा देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम में अब तक 22 करोड़ रुपये में से एक पैसा भी इस सरकार, इस विभाग के द्वारा खर्च नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : 22 करोड़ यह तो लिखा है ना किये जा चुके हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक पैसा खर्च नहीं किया गया। यह माइनर इर्रिगेशन हेड अलग है, वाटर हार्वेस्टिंग अलग है। अध्यक्षजी, दोनों अलग-अलग हैड है। (व्यवधान) वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में 22 करोड़ इनका बजट प्रावधान था जिसमें जनवरी तक यह एक पैसा भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम में खर्च नहीं कर पाए। माइनर इर्रिगेशन हैड में जो इनके पास 83 करोड़ 69 लाख था, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि समय-समय पर आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, यह तो बजट प्रोविजन है आपका 83 करोड़ का तो बजट प्रोवीजन है और मुझे जो यहां आकड़े दिये हैं आपके विभाग ने वह 31 दिसम्बर के बाद दिये हैं, तो यह क्या सारा बजट प्रोवजीन 20-22 करोड़ रुपये के अन्तर का यह आपने जनवरी माह में कर दिया क्या ?

तीसरा, मेरा माननीय अध्यक्ष महोदया यह पूछना था कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के तहत आपने जो एनकीट स्वीकृत किये, किसी विधान सभा क्षेत्र में तो आपने 25 कर दिये, किसी में 22 कर दिये, किसी में 15 कर दिये और हमारे जैसे शोरगुल करने वाले थे उनके यहां दो कर दिये, तो यह अन्तर का और स्वीकृत करने का आपका मापदण्ड क्या है ?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया, अब आप कह रहे हैं कि एक पैसा खर्च नहीं किया, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बाकी काम शुरू कर दिये, सारे काम शुरू नहीं है, मैं कह सकता हूं और 30 जून से पहले ऐसी बरसात

(श्री सांवर लाल)

भी नहीं आनी जिस पानी को रोकना है। 30 जून तक मैं जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है सब बनवा दूंगा, आपको भरोसा दिलवाता हूं।

दूसरा, आपने कहा कि मापदण्ड क्या है ? अब आप जानते हो कि पानी रोकने का मापदण्ड तो, जहां पानी निकलता होगा, नाला होगा कुछ होगा वहीं तो बनायेंगे एनीकट। अगर चूरू जिले में एनीकट के लिये राजेन्द्रजी राठौड़ कह दे कि मेरे यहां एक नहीं है, तो कहां से बनवा दूंगा, गंगानगर में कहां से बना देंगे, हनुमानगढ़ में एनीकट कहां से बन जाएगा, आप बताइये मुझे ? आपके अगर कोई ऐसा सोर्स है जहां पर एनीकट बन सकता है किसी भी माननीय सदस्य के, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पानी रोकने में कोई राजनीति नहीं है, किसान के खेत के लिए पानी चाहिए वाटर लेवल ऊपर आये चाहे सरप्लस के पानी से उसका इर्रिगेशन हो, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं अगर आपके किसी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के बीच में नहीं बोलें।

श्री सांवर लाल : किसी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में कितना ही बड़ा एनीकट बनाने की सम्भावना होगी तो उसको बन वाएंगे, जितने माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आए उनको भी हमने सम्मिलित किया, विभाग के प्रस्ताव आए उनको भी सम्मिलित किया। पी.एच.ई.डी. के भी कुछ प्रस्ताव आए, हमारा सोर्स है, यहां पर अगर वाटर टैप हो जाता है तो हमारा सोर्स ऊपर आ जाएगा पानी, तो वह भी हमने सम्मिलित किया है, इसलिए इसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश नही है। माननीय सदस्य, आपकी केवल यही चिन्ता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके 30 जून तक यह सारा काम होना चाहिए तो मं करवा दूंगा।

40 इर्रिगेशन प्रोजेक्ट तो हमने इस साल पूरे कर दिये, 4 और कर देंगे। अब इसमें क्या गुंजाइश है, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष : क्या बाकी रह गया, सब कुछ तो कह दिया उन्होंने। (व्यवधान) क्या बाकी रह गया ?

श्री हरिमोहन शर्मा : जैसा आपका हुकम साहब, बैठ जाते हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या : 112

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार नवलखा। एबसेंट।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखें)

श्री भरत सिंह। श्री भरत सिंह। हरिमोहन शर्माजी, आपके लिये लिखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न संख्या 113 ।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनको कल भी अनुमति दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष : अनुमति है, इनको अनुमति है। (व्यवधान) तैयारी नहीं है आपकी। आप प्रश्न तो पूछें। (व्यवधान) कहां बुलाया, सुना ही नहीं।

सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

113. हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) श्री भरतसिंह (दीगोद) के स्थान पर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2004-05 में कुल कितने क्रमोन्नत किये गये ? क्रमोन्न्त किये गये सीनियर सैकण्डरी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूचीं सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मामोर तथा इस ग्राम पंचायत में आने वाले ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी शाला को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जाते हैं यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सभी स्तर के विद्यालयों के क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव जो शिक्षा विभाग, कोटा से प्राप्त हुए हैं, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) प्रदेश में वर्ष 2004-05 में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत 2441 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं माध्यमिक शिक्षान्तर्गत 401 राजकीय उ.प्रा. विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर तथा 206 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण प्रारम्भिक शिक्षा का परिशिष्ट 'क' पर तथा माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट 'ब' पर सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत मामोर के ग्राम केशोली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) कोटा से प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत जिला शिक्षाधिकारी (मा.) कोटा से प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट 'घ' पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान परिशिष्ट 'क' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें विधान सभा क्षेत्रवार माननीय सदस्य ने पूछा है और शिक्षा मंत्रीजी ने राजस्थान में 202 विधान सभा क्षेत्र बना दिये हैं। जालौर जिले के अन्दर 5 विधान सभा क्षेत्र हैं, इन्होंने 6 बना दिये हैं। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें निश्चित रूप से त्रुटि हुई है। मैंने भी देखा था। इसका कारण यह था कि जब पंचायत समिति के हिसाब से उन्होंने विद्यालय खोले हैं और कुछ विद्यालयों मे पंचायत समिति टेलीफोन कर-करके भी पंचायत समिति और विधान सभा क्षेत्र का फर्क नहीं कर सके इस कारण से जालौर में 5 के बजाय 6 और 202 विधान सभा क्षेत्र आये और मैंने उनका एक्सप्लेनेशन काल भी कर लिया है। यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : और मेरे विधान सभा क्षेत्र का तो आपने इसमें नाम ही नहीं लिखा है, 202 में भी। (व्यवधान) इतना अनर्थ मत करें। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय। 202 में भी मेरी कांस्टीट्यूएंसी गायब है, नाम ही नहीं है उसका। (व्यवधान) तो आप लिखते उसमें शून्य। आपने एक भी सैकण्डरी नहीं खोली, मेरे यहां, सीनियर नहीं खोली, लिखते तो सही।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने कितने खोले थे कांगेस के राज में बी.जे.पी. वालों के।

श्री संयम लोढ़ा : हमने तो करम फोड़े इसलिए इधर आ गये। आप इधर आएंगे क्या ?

श्री धर्मपाल चौधरी : करम काहे को फोड़े। आप तो खोलेंगे आपका राज आऐ तो और हमारा राज आएं तो भी आपके ही खोलें और हमारे खोलें ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : एनी मोर क्वेश्चन ? शान्त रहें।

श्री हरिमोहन शर्मा : पूछूंगा तो मैं, मैंने तो शुरू ही नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माइक में करण्ट आता है। कल भी आया और आज भी। इसको जरा दिखवा लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर सच नहीं बोलेंगे तो करण्ट ही आएगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह मजाक वाली बात नहीं है। इसको दिखवाएं। इसमें नाथूसिंहजी वाले में भी करण्ट आया और इसमें भी आया।

श्री अध्यक्ष : आपको सप्लीमेन्ट्री पूछनी है तो पूछिऐ।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि 2 प्राइमरी स्कूलों के...

डा. एन.एस. गुर्जर : हरिमोहनजी, इधर करण्ट है इसलिये आता है, उधर करण्ट गायब है हो गया, कहां से आएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : ज्यादा करण्ट आना खराब होता है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : दोनों सदस्यों के करण्ट आ रहा है, करण्ट में ही रहेंगे, मंत्रिमण्डल में नहीं आएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे और राजस्थान में सभी जिलों में ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा जहां पर 2 प्राथमिक विद्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। क्या आपने बजट भाषण में जो घोषणा की थी...

एक माननीय सदस्य : वह कर दिया इन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या कर दिया ?

श्री वासुदेव देवनानी : आपके कोटा जिले में कुल 585 प्राथमिक स्कूल हैं और यू.पी.एस. 294 हैं। यह 1:2 ऐसी लगभग बराबर है। दीगोद के लिए, जो आपका विधान सभा क्षेत्र है, उसमें 185 प्राइमरी स्कूल हैं उसमें से 82 यू.पी.एस. हैं, थोड़ा-सा ही अन्तर है, जो पूरा करने वाले हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय, एक तो मैं यूं कह दूं कि मैं कोटा जिले का नही हूं। मेरा जिला ही बूंदी है।

श्री वासुदेव देवनानी : आप जिनकी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं वे कोटा जिले से हैं। दीगोद कोटा जिले की ओर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। (व्यवधान) आप बूंदी का पूछें, बूंदी का बता दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बात साफ है कि आप विधायक तो बूंदी के हैं लेकिन कोटा के आप धराशायी सांसद भी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : बूंदी जिले में जो आपने घोषणा की थी, पूरे मेरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, क्या आप अपनी घोषणा के अनुरूप.... क्योंकि शिक्षा सत्र खतम होने जा रहा है उन घोषणाओं के अनुरूप 2 प्राइमरी स्कूलों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे राजस्थान में खोल दिये। नम्बर-दो, कितने ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां पर एक भी सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में परिवर्तित नहीं किया और उसके कारण क्या हैं? नम्बर-3, आपने कितने ही स्थानों पर 3-3 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये और किसी विधान सभा क्षेत्र में एक किया तो उसका कारण क्या है और क्या आप इन कमियों को दूर करने का या जहां जो कमियां हैं उनको विधिवत रूप से आप क्रमोन्नत करने का इरादा रखते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 29500 प्राथमिक विद्यालय सरकारी हैं और 13788 उच्च प्राथमिक विद्यालय इस समय हैं, हजार का करीब फर्क आ रहा है। इस साल हजार के अन्तर को पूरा कर देंगे। इस प्रकार से सरकार ने जो बताया था कि 2 प्राथमिक विद्यालयों में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा उसको पूर्ण कर दिया जाएगा और करीब-करीब इसको पूर्ण कर भी दिया है-एक। नम्बर दो, इस समय जो स्थिति है वह ऐसी है कि करीब 8 ऐसे विधान सभा क्षेत्र भूल से मेरे से छूट गये हैं जिनमें सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले हैं। (व्यवधान) भूल से ही छूट गये हैं ना।

श्री कालीचरण सर्राफ : जो बैक-लाग पूरा करना था इन्होंने जो नहीं किया, बी.जे.पी. के जो एम.एल.ए. थे उनमें इन्होने किया नहीं, तो उनको खोलना, बैक-लॉग पूरा करना जरूरी था, यह बैक-लॉग पूरा किया आपने, यह तो कहिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : नहीं, आप क्षेत्र को भूल गये क्या... (व्यवधान) मानता हूं क्षेत्र को भूल जाओ, उस एम.एल.ए. को भूल जाओ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा की मांग पर कटौती प्रस्ताव में हमने नाम दिये, फिर भी कैसे छूट गये। कैसे छूट गये, यह भी कोई बात हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं ना, भूल से छूट गये, बताया ना आपको-एक।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वह मूल प्रश्न इनका यह था कि इनका पंचायत हैडक्वार्टर मामोर है। वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। यह आपका प्रश्न था और यह पूछा था कि क्या उस विद्यालय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखा था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की पंचायतों में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें किसी न किसी जगह एक उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो। लेकिन राजस्थान में 52 पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। इसी सत्र में जो शुरू हो रहा है उन 52 में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये जाएंगे। इसके बाद, राजस्थान में एक भी ऐसा पंचायत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैडक्वार्टर नहीं बचेगा, उसमें आपके प्रश्न का भी है। (व्यवधान) सुन लीजिए, आप पहले मेरा जवाब तो सुन लीजिए, जल्दी मत रखो, पण्डितजी, बैठें।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि विधान सभा क्षेत्र जो छूटे हैं उनमें कोई कांग्रेस के छूटे हैं, ऐसा नहीं है। किशनपोल छूट गया, हवामहल छूट गया, जौहरी बाजार छूट गया। इस प्रकार छूटे हैं तो जो छूटे हैं, इनकी कमी....

श्री बृजकिशोर शर्मा : जयपुर ग्रामीण भी छूट गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयपुर ग्रामीण में एक तो खोल ही दिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : सीनियर सैकण्डरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां तो, सैकण्डरी खोल दिया।

श्री बृजकिशोर शर्मा : नहीं, सीनियर सैकण्डरी की बात कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी खोल देंगे, मैंने कहा, जिन-जिन में बच गये, पहले भी मैंने कह दिया था, आप तब धरने पर आकर बैठे थे।

श्री सुरेश मीणा . हमारे करौली में एक भी नहीं खोला, साहब, करौली में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात सुन लीजिए ना, पहले मुझे जवाब दे देने दें।

श्री संयम लोढ़ा : एक बता दें, मंत्रीजी, कि हमारे कहने से खोलेंगे या अपनी मर्जी से खोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके कहने से खोल देंगे। मापदण्ड बना लेंगे। (व्यवधान) मुझसे पूछा था कि मापदण्ड का जवाब तो सांवरमलजी ने ठीक दे दिया कि दण्ड तो इनके पास था और माप आपके पास था लेकिन मैं आपके मापदण्ड मानूंगा। मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो चिन्ता की बात है वह यह है कि अभी माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ है कहते हुए कि 3800 पंचायत ऐसी हैं इस समय जिनमें सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलें नहीं हैं राजस्थान में और एक हमारे लिए बहुत दु:ख की बात है इसलिए इसका एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बना रहे हैं कि कम से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम आने वाले दो-तीन सालों में राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बने कि सभी पंचायतों में एक-एक सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुलें, सरकारी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, यह बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने है।

मैं माननीय सदस्यों को एक और आखिरी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। 237 पंचायत समितियों में एक भी पंचायत समिति ऐसी नहीं है, जहां पर कि इस सरकार के आने के बाद में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले हैं तो इसलिए भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कोई बैक-लॉग की बात नहीं करता, न मैं आरोप लगाता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : संख्या बताइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : न मैं आरोप लगाता हूं कि पांच साल में, नहीं लगा रहा हूं कि पांच साल तक बी.जे.पी. के विधायकों के खुले नहीं, नहीं खुले होंगे। मैं लोढ़ाजी की बात मान रहा हूं कि हमने गलती कर दी, आप मत करो इसलिए मैं उस गलती को नहीं दोहरा रहा हूं। हमने खोले हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हमने नवीन प्राथमिक विद्यालय 2825 खोले हैं। इस सरकार के आने के बाद में, 3926 राजीव गांधी पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में बदला है। 1000 का अभी क्रमोन्यन बाकी है। इसी प्रकार से 3700 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बदला है। 405 सैकण्डरी स्कूल खोले हैं और 205 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। आचार्य तक के दो विद्यालय खोले हैं। उपाध्याय के लिए दो खोले हैं। प्रवेशिका से उपाध्याय 5 किये हैं और प्रवेशिका तक 5 किये हैं। कुल मिलाकर 12000 से ऊपर यह विद्यालय खोले गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नही होगा और 200 के 200 विधान सभा क्षेत्र राजस्थान की सरकार 200 विधान सभा क्षेत्रों की है इसलिए निश्चित रूप से जो भेद-भाव रहा हो या कहीं कोई कमी रह गयी है, भेदभाव तो रहा नहीं है, जहां पर कमी रह गयी है उसको पूरा कर देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक रह गया छोटा-सा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो कुछ घोषणा आप यहां पर करते हैं, क्या उनका पूरा पालन भी कर लेते हैं ? मैं यही आपसे कहना चाह रही थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करीब-करीब हुआ है। एक का नहीं हुआ जो हमने बालिका शिक्षा के लिए, भारत सरकार से प्रावधान था, हमारा प्रपोजल गया हुआ है कि जहां-जहां बालिकाओं की संख्या 40 परसेंट से अधिक है वहां वह सूची भेज दो, अभी तक स्वीकृति आयी नहीं है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि उसका कारण है कि कैप की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भारत सरकार ने एक कमेटी बनायी है यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकण्डरी एजुकेशन की और उसका अध्यक्ष भी कृपा करके उन्होंने मुझे बनाया है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर भी जो प्राइमरी एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में सैकण्डरी एजुकेशन का भी जब होगा तो लड़कियों के जो विद्यालय हैं आठवीं से दसवीं और दसवीं से बारहवीं होने वाले हैं, उनके बारे में भी होगा। और इस बार के बजट में भी कुछ प्रावधान करने का माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमने आग्रह किया है तो निश्चित रूप से इस पवित्र सदन में कम से कम आपके सामने और आप अध्यक्ष और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद लड़कियों के बारे में हम नहीं करें, जरूर करेंगे, निश्चित रूप से, वह कह दिया हमने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं आपने पिछले सदन में घोषणा की थी, इसी सत्र में कि बच्चियों के तमाम स्कूल चाहे वह प्राइमरी से मिडिल का हो, चाहे मिडिल से सैकण्डरी हो, चाहे सैकण्डरी से हाई सैकेण्डरी हो, तमाम क्रमोन्नत किये जाएगे। इस घोषणा का पालन आपने नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह विचाराधीन है, अध्यक्ष महोदय, उसको कराने की कोशिश करेंगे।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ है। करौली में एक भी स्कूल नहीं खुली है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हू कि करौली में खोलिए। कब खोलेंगे, मेरा निवेदन है आपसे कि स्कूल खोलिए हमारे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक नई परम्परा चालू की है कि जिसका भी विधायक का जन्म दिन, जिस दिन होगा उस दिन वह बधाई आगे आकर देते है। और बधाई देने के साथ ही वे पूछते हैं कि बोलिए क्या चाहते हैं तो हमने पत्र लिखा था कि आपके जन्म दिन की बधाई को स्थाई रूप करने के लिए यह दो स्कूलें क्रमोन्नत चाहिए। (व्यवधान) सुनिए आप। चीफ मिनिस्टर सैक्रेटेरिएट से मेरे पास टेलीफोन गया कि आपकी यह दो स्कूलें क्रमोन्नत करना है न? हां। हमने अखबार में धन्यवाद दे दिया और अभी तक आदेश नहीं आया। वह जो धन्यवाद दिया, वह मेरा सच साबित हो, मेहरबानी करके वह कार्यवाही तो करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको देख लेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : गलत बताया होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यहां पर आपने हर तीन प्राथमिक विद्यालयों पर...

श्री अध्यक्ष : दो पर।

श्री अमराराम (धोद) : दो पर एक। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जहां रेवेन्यू विलेज, जहां पर एक हजार की आबादी है, वहां पर दो-दो आपने कर दी हैं और बहुत से रेवेन्यू विलेज ऐसे हैं जिनकी दो हजार से ज्यादा आबादी है और उनमें कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आपने अभी बताया कि 25 ऐसे पी.एच.क्यू., हैडक्वार्टर हैं, जिनमें मिडिल स्कूल की सुविधा नहीं है तो यह भेद, जो रेवेन्यू विलेज 2000 और 1500 की आबादी के हैं और उनमें आज तक भी हम अपनी नेशनलाइजेशन करने के बाद भी, उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, क्या इस असमानता को पूरे राजस्थान के हिसाब से कि यहां पर आबादी के हिसाब से जो रेवेन्यू विलेज है, कम से कम हर रेवेन्यू विलेज में जिसमें पांच सौ से ज्यादा की आबादी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, आप प्रश्न।

श्री अमराराम (धोद) : हां, प्रश्न यह है कि क्या आबादी के हिसाब से जो रेवेन्यू विलेज उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम है. उनमें भी आप प्राथमिक विद्यालय खोलिए। इस असमानता को मिटाने का विचार सरकार रखती है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन का, सार्वजनीकरण का काम सरकार कर रही है। माननीय सदस्य के सुझाव भी उसी ओर हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं, आगे आने वाले सत्र में खुलेंगे। इन दो-तीन साल के बाद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बारे में जितनी अधिक बात कर सकते हैं और आपने कहा है उसको भी ध्यान में रखेंगे। इस बार भी अगर आप...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जिस गांव में दो-दो हजार की आबादी है और उसमें एक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है और एक 1500 की आबादी है जिसमें तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो कहने का मतलब जिस तरह का भेद किसी गांव में अगर कोई पालिटिकली रखने वाला नहीं है उसके साथ जो भेद हो रहा है इसमें आप किसी भी पक्ष और विपक्ष के, शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के लिए... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसीके साथ हम भेद-भाव नहीं करेंगे। कोई पक्ष-विपक्ष नहीं रखेंगे और ऐसे गांवों की आप सूची देंगे कि इतने बड़े-बड़े गांव हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशालाएं जो भवनहीन हैं, बहुत सारी राजस्थान में हैं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उनके भवनों के निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक पाठशालाओं में बदला गया है उन सबके लिए भवन निर्माण का पैसा दे दिया गया है, एक और जितनी नयी प्राथमिक शालाएं खोली गयी हैं उनका भी पैसा भवन निर्माण का दे दिया गया है और जितने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं उनका भी भवन निर्माण का पैसा दे दिया गया है। अब जो भवनहीन बचे हुए हैं राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में यह पिछली सरकार ने तय कर लिया था। सरकार इस पर है कि इनको जल्दी से जल्दी सभी को प्राथमिक विद्यालयों में बदल देंगे तो उनके भवन भी बन जाएंगे और इनके जो दो-दो नये अध्यापक हैं, वह अध्यापक भी लगेंगे और यह जो ई.जी.एस. के जो सेंटर थे वह शिक्षा के अच्छे केन्द्र बन जाएं, इसकी निश्चित रूप से उनमें देने की प्रक्रिया करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इनको कब तक किये जाने का है, इनके भवन कब तक बन जाएंगे इसके लिए माननीय मंत्रीजी बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जल्दी से जल्दी बन जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन श्री हीरालाल।

टौंक जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को रियायती ऋण

114. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक ऋण पर ब्याज व प्रक्रिया शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) टौंक जिले मे गत तीन वर्षों में उक्त श्रेणी के किन-किन उद्यमियों को कितनी-कितनी राशि के ऋण रियायती दर पर दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) जी, हां। राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट/रियायत प्रदान की जाती है तथा ऋण आवेदन फीस में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

(2) जी, हां। टौंक जिले में गत तीन वर्षों में उक्त श्रेणी के निम्न उद्यमियों को उनके सामने अंकित राशि के ऋण स्वीकृत किये गये हैं:-

(श्री नरपत सिंह राजवी)

क्र.सं.	इकाई का नाम	ऋण स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	मै. सोयल एंटरप्राइजेज, देवली	5.00
2	मै. सांवरिया उद्योग, टोंक	1.00
3	मै. हेमन्त इण्डस्ट्रीज, देवली	3.30
4	मै. डोलकारी इण्डस्ट्रीज, टोंक	3.50
5	मै. मां. गायत्री एंटरप्राइजेज, देवली	2.75
6	मै. एवन हार्डवेयर, निवाई	5.00
7	मै. वन्द्र गुरू स्टोन, देवली	3.50

चालू वित्तीय वर्ष, 2004-05 में जनवरी, 2005 तक ऐसी दो इकाइयों को 8.74 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति की उपलब्ध उद्यमियों को वर्तमान में किस दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में क्या यह ब्याज दर ज्यादा है ? यदि हां, तो कितनी ?

क्या माननीय मंत्री महोदय, इस ब्याज दर को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष करने का विचार रखते हैं, आप द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों को आवेदन फीस में 50 परसेंट की रियायत दी जाती है, क्या आप उन्हें आवेदन फीस में शत-प्रतिशत रियायत देने का विचार रखते हैं।

पूरक प्रश्न संख्या-तीन, मैं यह जानना चाहूंगा कि टोंक जिले में पिछले तीन वर्षों में कितने उद्यमियों ने ऋण के लिए आवेदन किया और उनमें से कितने उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किया गया ?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तब ब्याज दर का प्रश्न है हमारी वित्तीय संस्थाएं इस सरकार के गठन के तुरन्त पश्चात सिडवी से लोन के लिए एम.ओ.यू. साइन किया और आज तारीख में 7

(श्री नरपत सिंह राजवी)

प्रतिशत से लेकर 11-12 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध हो रहा है। कामर्शियल बैंक में भी लगभग इसी अनुपात में इस इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। गुड बोरोअर्स और एस.सी., एस.टी. केन्डीडेट्स को, जो 2 प्रतिशत की छूट दी है वह इसके अतिरिक्त है। इसके लिये जो ब्याज दर है वह बिलकुल कोम्पीटेटिव है। जहां तक 50 प्रतिशत एप्लीकेशन फीस में रियायत का प्रश्न है, अभी आर.एफ.सी. और रीको, दोनों इस स्थिति में नहीं है कि वित्तीय भार उसका सम्भाल ले। जिस दिन इसकी थोड़ी-सी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री हीरालाल रैगर : कितने आवेदक हैं, उसका जवाब नहीं मिला मंत्री महोदय।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा है, संख्या पूछी है एप्लीकेशन की ? हालांकि यह मूल प्रश्न का अंग नहीं है। इसलिए मैने सूची नही मंगाई है। मैं सूची मंगाकर सदन के पटल पर उपस्थित कर दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माफी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, गलती से मैंने गलत आंकड़ा दे दिया सदन में। यह कुल 35,913 प्राथमिक विद्यालय हैं। मैंने 29 हजार बोल दिया था। 35,913 प्राथमिक विद्यालय हैं और 17,488 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इस प्रकार से 2-1 का जो एवरेज था, वह पूरा हो गया है राजस्थान में। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र सराधना ।

जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

115. **श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 21 जनवरी, 2005 तक जहरीली शराब पीने की घटनाएं कहां-कहां हुईं और इनमें कितने लोग मारे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) जहरीली शराब पीने से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार द्वारा कितनी सहायता किस-किस व्यक्ति को प्रदान की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त घटनाओं में आबकारी व पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के सबूत भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में जहरीली शराब की घटनाओं पर रोक लगाने के लिये कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक जहरीली शराब पीने की घटनाएं जिला भीलवाड़ा के ग्राम कंवलियास, बलवंतपुरा, बड़ला, पुलिस थाना गुलाबपुरा, रायला, पुलिस थाना बनेड़ा में जिला अलवर के ग्राम रामपुरा पुलिस थाना भिवाड़ी में, जिला जयपुर शहर (दक्षिण) के रैगरों का बड़ा मौहल्ला सांगानेर पुलिस थाना सांगानेर में हुई है। इनमें कुल 28 लागे मारे गये। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर वर्णित है।

(2) जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष सें दी गई सहायता की राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त घटनाओं में जिला भीलवाड़ा एवं जिला अलवर में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के सबूत प्राप्त हुए हैं। जिला जयपुर शहर (दक्षिण) में इस सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) जयपुर शहर द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच पूर्ण होने तक कस्बा सांगानेर की मालपुरा गेट पुलिस चौकी के समस्त स्टाफ का स्थानान्तरण पुलिस लाइन में किया जा चुका है।

(4) आबकारी विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण/प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने खण्ड दो में जवाब दिया है जहरीली शराब से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता दी गयी है। इस सहायता में बड़ा अन्तर है। भीलवाड़ा में करने वालों को 50 हजार, अलवर में मरने वालों को 10 हजार। अलवर में मरने वालों को 10 हजार, कम क्यों दिये जा रहे हैं ? या तो इनके पीने वालों के स्तर में अन्तर था या कम-ज्यादा पीने का अन्तर था? क्या कारण था कि मरने वालों में भी अन्तर करके एक को 50 हजार दिया गया भीलवाड़ा वालों को और अलवर वालों को 10 हजार दिया गया ? पहला प्रश्न यह है। दूसरा है आपके तीसरे खण्ड में जवाब दिया गया है कि यह सही नहीं है कि भीलवाड़ा और अलवर में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत के सबूत प्राप्त हुए हैं। आपने कार्य योजना में एक बात बहुत जोरदार लिखी है कि स्थानीय पुलिस थाने के कर्मचारियों से सम्पर्क कर मदिरा का अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की जानकारी करना और उनके विरूद्ध कार्यवाही करना। पुलिस थाने के कर्मचारियों से सम्पर्क करने के बाद में मदिरा बनाने वालों और अवैध निर्माण करने वालों को मालूम पड़ जाएगा, फिर जांच कौन करेगा ? जब पुलिस विभाग के कर्मचारी इस बात में शामिल हैं उनको यह मालूम है कि कहां-कहां पर अवैध निर्माण होता है शराब का, तभी तो आपने कार्य योजना में शामिल किया है कि पुलिस वालों को पूछकर हम इसकी तलाश करेंगे। तीसरा, मेरा प्रश्न है आपने खण्ड-4 में दिया है आबकारी विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। मेरा इसमें यह सवाल है कि कार्य योजना कब से लागू हुई है और लागू होने के बाद कहां क्रियान्विति की गई है। किस-किस रूट पर क्या जांच की गयी और उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं ? इसका जवाब बताएं, माननीय मंत्रीजी।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या यह सही है कि जिला आबकारी अधिकारी, अलवर की मिलीभगत से अवैध शराब का निर्माण होता है और यही कारण है कि अलवर के अन्दर जो लोग मारे गये हैं उनमें जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत की वजह से यह हादसा हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी में पूछ लूं, अलवर जिले का है। माननीय मंत्री महोदय, आपने अलवर जिले में गांव जालोता विधान सभा क्षेत्र खैरथल का जिक्र नहीं किया। जहां तीन मौत

(श्री जुबेर खान)

हरिजनों की हुई थीं। यह जहरीली शराब पीने से वहां प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी जाकर आए थे। उनके घरों में बैठकर आए थे। एक तो आप यह बताइये कि जालोता में भी मृत्यु हुई है और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट है और वहां सब अखबारों में छपा है, उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ? और दूसरा जो रामपुरा, भिवाड़ी (अलवर) में जिनकी मौत हुई है 17 की, आपने मानी है। 17 की आपनें इसलिये मानी है कि पोस्टमार्टम आपको अधिकृत 17 का ही बताया। वरना आदमी तो ज्यादा मरे थे। इन 17 में से आपने 13 आदमियों को 10 हजार रुपये की सहायता दी है। जैसा जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहां कि आपने 10 हजार दिये हैं। जब कि गरीब मरे हैं और भीलवाड़ा मे 50 हजार दिये। यह विसंगतियां क्यों हैं ? क्या सरकार इनको भी 40-40 हजार रुपये जिस तरह से वहां 50 हजार किया है, यहां 50 हजार रुपये करने के लिए 40 हजार रुपये देने का विचार रखती है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह किया कि दोनों के मुआवजे में भिन्नता क्यों है? सामान्यतः इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं सबसे पहले कलक्टर को इसके लिए आथोराइज कर रखा है कि ऐसे जो भी एक्सीडेंटल या इस प्रकार की डैथ होती है, वह तुरन्त अपने फण्ड से 10 हजार रुपये देने का उसको अधिकार है और उसके तहत यह तीनों ही स्थानों पर 10-10 हजार रुपया कलक्टर ने जैसे ही घटना घटी, चाहे भीलवाड़ा की हुई, वह 7 मई के दिन ही दे दिया था। बाद में भीलवाड़ा द्वारा बार-बार इसका रिप्रजेन्टेशन आता रहा कि इनको अतिरिक्त सहायता दी जाए और इसके कारण उनके पत्र के ऊपर जो पत्रावली चली, उस पत्रावली के आधार पर बाद में कुछ दिन बाद यह 40 हजार की सहायता अतिरिक्त उसमें और दी। यही कारण इन दोनों के बीच में रहा। आपने कहा कि हमारे यहां 17 लोगों की अलवर मे मृत्यु हुई और आपने 13 को ही केवल सहायता दी है, उसका क्या कारण रहा? सामान्यतः इसमें 4 लोग ऐसे रहे थे, 4 लोगों का विशेषकर, जैसे आपने सांगानेर का भी है, 4 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन हमने सहायता दो को दी, दो को सहायता नहीं दी। और उसका एक कारण है कि हरिनारायण उस अवैध शराब बनाने का अभियुक्त था और इसके कारण इसको सहायता नहीं दी। दूसरा, जो पूरणमल की डैथ हुई सांगानेर में, यह पूरणमल जो है वह मौके पर इसकी मृत्यु शराब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से होना नहीं पाया गया और इसके कारण से, फिर भी उसके परिवारजनों ने बाद में इसके बारे में कहा कि नहीं, इसकी शराब से ही मृत्यु हुई थी, इसकी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अगर उसके अन्दर यह आएगा कि वास्तव में यह शराब के कारण इसकी मृत्यु हुई है तो उसको भी निश्चित रूप से मिलेगा। रहा सवाल इसमें 4 लोग अलवर का, इसमें फूली देवी, दाखी बाई, विजय सिंह, गम्भीर रूप से बीमार हो गये। उनके परिजनों... (व्यवधान) नहीं, वह भीलवाड़ा का है। अन्तिम संस्कार इनका भिवाड़ी में हुआ और उसके कारण से वह हमारे उस क्षेत्र से जो जिला कलक्टर का अधिकार क्षेत्र था, जहां उसकी मृत्यु होती है वहीं वहां का जिला कलक्टर सहायता राशि दे सकता है और इसको अन्य स्थान पर ले जाने के कारण से उन्होंने उसको सहायता नहीं दी।

इसी तरह, एक की हमको फिर एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसकी मृत्यु दिल्ली मे हुई है और इसलिए यह जो एक मुख्य मंत्री की तरफ से एक आदेश निकला हुआ है उस आदेश के कारण से, दिनांक 27.5.2000 का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति की जिस जिले में मृत्यु हो जाती है उस जिला कलक्टर द्वारा ही सहायता राशि दी जाती है, इस अड़चन के कारण से, इन लोगों की मृत्यु अन्य जिले में होने के कारण से वहां के जिला कलक्टर ने उन चार लोगों को सहायता उपलब्ध नहीं कराई।

फिर आपका एक प्रश्न है कि आपके कार्य योजना में जो कुछ भी गाइड लाइन...

श्री जुबेर खान : चालीस हजार रुपये का यह जो गैप है, इसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे ? इनको भी चालीस हजार रुपये देंगे ?

एक माननीय सदस्य : चालीस हजार रुपये और देना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो अन्तर है इसको रिप्रजेन्ट करें, वहां के लोग सहायता राशि बढाने के लिए फिर से अपनी तरफ से एप्लाई करें, जिस प्रकार से भीलवाड़ा के बारे में निर्णय किया गया उसी प्रकार से उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करके और उसके बाद ही उसको हम रिलीज कर पाएंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल रह गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जालोता में जो व्यक्ति मारे गये, उनको आपने कितनी आर्थिक सहायता दी और इस क्वेश्चन में जब एक निश्चित अवधि का प्रश्न पूछा गया तो जालोता का जिक्र क्यों नहीं किया गया ?

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि सहायता राशि में चालीस हजार का अन्तर क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एक स्थान पर आप अलग प्रकार की सहायता देते हैं इसलिए कि लोक सभा का चुनाव था। आपको यह सहायता हजार दी है तो सब जगह देनी चाहिए।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि भीलवाड़ा में नामजद व्यक्ति, जिनका एफ.आई.आर. में नाम था उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने ? वह चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में भाग ले रहे थे तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। कुल मिलाकर रामपुर में 27 व्यक्ति मारे गये थे, उसमें आपने बहुत कम लोगों को सहायता दी और ऐसे भी लोग हैं जो अलवर के अलावा भीलवाड़ा या मारवाड़ के लोग थे, उनको सहायता नहीं मिली है। इसके क्या कारण रहे ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से सम्बन्धित बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दीजिए।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इम्पोर्टेंट सब के हैं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह रोजगार और अवैध शराब से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, पहले जवाब आने दें प्रतिपक्ष के नेता महोदय का, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। दूंगी समय, हाथ नीचे करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास रिकार्ड है, क्योंकि यहां प्रश्न इन्होंने जनवरी, 2004 से और 2005 तक का मांगा है, घटना या तो उसके पहले की, दिसम्बर की होने के कारण से मेरे इसमें समाहित नहीं हो पायी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जालोता इसी बीच में है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर है यह तो निश्चित रूप से मेरे विभाग की गलती है तो जिसने भी अगर यह सूचना देने में गलती की है उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री जुबेर खान : कलक्टर साहब ने जालोता के लोगों को दस-दस हजार रुपये भी दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर मेरा यह है कि शायद यह प्रश्न की जो तारीख होगी, या तो उस तारीख के..

श्री जुबेर खान : नहीं, रामपुरा के बाद की है, मंत्री महोदय, इसी पीरियड की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने पहले कह दिया अगर प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं आया तो जो भी इसके लिये जिम्मेदार है उसके विरुद्ध जो भी कार्यवाही संभव होगी वह निश्चित रूप से करूंगा। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह जो भीलवाड़ा मे दिये गये हैं यह सब केवल उनकी आश्रित पत्नियां हैं, और हैं नहीं घर में इसलिए पचास-पचास हजार रुपये दिये हैं बाकी परिजनों को दिये हैं रुपये, पत्नी को नहीं दिये हैं। यहां पति के अलावा कोई कमाने वाला था नहीं इसलिए पचास हजार रुपये दिये हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो चालीस हजार रुपये बाद में मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं वह पत्नियों को दिये हैं इसलिए पत्नियों का नाम है वरना भिवाड़ी, रामपुरा में भी जो दिये गये हैं उनकी पत्नियों को ही दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई कमाने वाला होगा घर में।

श्री जुबेर खान : और कलक्टर की सैट लैंग्वेज है कि परिजनों को दिया गया, परिजनों में पत्नी भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है और रामपुरा के तो इतने गरीब आदमी हैं कि मजदूरी करते हैं फैक्ट्रियों में दूर-दूर से आकर।

श्री अध्यक्ष : और कोई कमाने वाला होगा, वहां पत्नी के अलावा कोई होगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : परिवारजनों में मृतक की पत्नी का प्रथम स्थान है।

श्री अध्यक्ष : तो नयी क्या बात कह रहे हैं आप ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि उनके परिवारजन अतिरिक्त सहायता के लिए अगर अपना कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

रहा सवाल आपने भीलवाड़ा के बारे में कहा कि जितने लोग इसमें अभियुक्त थे, सारे लोग गिरफ्तार नही हुए। यह बात सच है कि पहले ही दिन, जिस दिन यह घटना हुई थी उसके ठीक दूसरे दिन सात लोगों को पकड़ा था और उनको जे.सी. भी किया। एक लम्बे समय बाद में उसी केस में दस अभियुक्त ओर जो थे वह गिरफ्तार नहीं हुए, वह बिलकुल सच है। उसका कारण यह है कि केस, तुरन्त, इस घटना के कुछ समय बाद ही यह तफ्तीश में चैंज होकर के गया और फिर एफ.एस.एल. की रिपोर्ट तक जो इन्तजारी की, उस एफ.एस.एल. रिपोर्ट में एक केस में तो नेगेटिव था एक में पाजिटिव था, उसके कारण से, उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही रूकी हुई थी। अब उसकी रिपोर्ट अभी 15-20 रोज पहले ही आयी है उसको देख कर के फिर उसके आधार पर इसमें से जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट है उसको छोड़कर पाजिटिव रिपोर्ट जिसकी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री समर्थ लाल : मंत्रीजी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अलवर में कौनसा अधिकारी दोषी था इसके अन्दर ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा मे जो दोषी व्यक्ति था वह भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा सुभाष शर्मा।

श्री कैलाश त्रिवेदी : और पुलिस उसको देख रही थी, उसकी चौकीदारी कर रही थी। उस अभियुक्त ने, भीलवाड़ा के जहरीली शराब काण्ड के मुख्य अभियुक्त ने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद उसको कैसे गिरफ्तार करते यह लोग। इस चीज का अंदाजा करिये कि वहां पर प्रशासन क्या काम रहा है, पुलिस विभाग क्या कर रहा है। गृह मंत्रीजी, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, वहां आपके अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया न किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आपने कार्यवाही की। अवैध शराब पुलिस वालों की मिलीभगत से बांटी गयी है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दें रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं? श्री सुभाष चन्द्र शर्मा

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि काफी लम्बे समय से अवैध शराब की बात चल रही है और अवैध शराब के खिलाफ सरकार कार्यवाही भी करती है और उनको बार-बार गिरफ्तार भी किया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अवैध शराब के अड्डे परमानेन्ट समाप्त करने के लिए उन लोगों को क्या राजगार के साथ जोड़ कर सरकार पूरे राजस्थान में ऐसी योजना लाना चाहती है जिससे अवैध शराब बन्द की जा सके और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा सके ?

सूचना

उड़ीसा विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री प्रहलादजी डोरा का राज्यपाल दीर्घा से कार्यवाही का अवलोकन

श्री अध्यक्ष : मैं एक सूचना दे दूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष है कि उड़ीसा विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष, श्री प्रहलादजी डोरा राज्यपाल दीर्घा से विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा ही प्रश्न है। इसके साथ ही आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देने दें न मंत्रीजी को।

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरा रह गया, मूल प्रश्न मेरा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह शराब की दुखांतिका हमेशा घट रही है। इसके लिए कोई न कोई कारगर उपाय किये जाने चाहिए। अवैध शराब जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ किस धारा में मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं। जब मर जाते हैं तो 304 (ए) ऐसे नेग्लिजेंट एक्ट के तहत ही शायद यह मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं जबकि यह 304 पार्ट वन में दर्ज किये जाने चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न नहीं पुकारा है। माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया है कि दो जगह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अवैध शराब निकालने में वह शामिल थे।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति प्रदान करें प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : जो सहायता दी जाती है परिजनों को दी जाती है, उसकी पत्नी को दी जाती है। उसकी पत्नी तो शराब निकालने में नहीं थी, उसके बच्चे निकालने में नहीं थे, उनके क्या कुसूर था जो आपने उनको नहीं दी ? यानि उनके परिजनों को जो सहायता मिलती है वह मृतक को थोड़ी मिलती है, उनको मिलती है तो आपने भेदभाव कैसे किया ?

श्री अध्यक्ष : भेदभाव का कारण बता तो दिया था पहले। उन्होंने कारण बता दिया भेदभाव का।

श्री रामनारायण चौधरी : वह कारण उचित नहीं है न। परिवारजन, उसकी पत्नी और बच्चे शराब निकालने में नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : अब उचित और अनुचित के लिए तो कह दिया वह करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको कहता हूं अधिकारपूर्वक वह शराब निकालने में नहीं थे, वह लत उनको पड़ी हुई थी और वह मर गये, अब उनको पीछे दंड किस बात का मिल रहा है ?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से इन्तजार कर रहा हूं कि आपकी आई कैच कर लूं, पर कैच करते-करते छोड़ देते हैं आप

(श्री अशोक बैरवा)

मुझे। (व्यवधान) आई कैच करने का मैने बहुत प्रयास किया, पर आप छोड़ देते हैं। (व्यवधान) आपकी नजरे-इनायत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पता, सहायता करते होंगे वो भी।

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी पत्नी को अगर पैसे मिल जाएं तो आपको तो उसकी मदद करनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, जो प्रथम हकदार है, उसको आपने वंचित कैसे कर दिया ? इसलिए कि वह शराब निकालता था।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने दें अब आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा सवाल है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : खड़े हैं ना. मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो हरिनारायण को हमने पैसा नहीं दिया क्योंकि उसका परिवार स्वयं यह अवैध शराब बनाता है और यह जो घटना हुई उसमें वह अभियुक्त था जिसके यहां से यह शराब इन लोगों को मिली थी जिनके कारण से यह दुखान्तिका हुई थी तो वह इसमें सम्मिलित था, उसका परिवार अवैध शराब बनाने में सम्मिलित था और इसके कारण से हमारा यह बना था कि इस प्रकार का धंधा करना जिसके कारण से और निर्दोष लोग मौत के शिकार हुए उस व्यक्ति को या उसके परिवार को सहायता देकर के जिसके परिवार वाले सब जानते थ कि मेरे घर में यह अवैध शराब बनती है, लोग यहां से ले जाकर पीते हैं (व्यवधान) उसकी जानकारी में थी और इसके बाद भी अगर आप पुरस्कार देना चाहते हैं तो जैसा सदन का...

श्री रामनारायण चौधरी : आपने उनका चालान किया था क्या कि शराब बन रही है वहां। उसके परिवार में किसी दूसरे का भी अदर मैम्बर का और माइनर का आपने उस अपराध के अन्दर चालान किया था क्या ? आपने कैसे मान लिया कि वह सब निकाल रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एफ.आई.आर. दर्ज उसी के खिलाफ है। एफ.आई.आर. उसी के नाम पर दर्ज हुई है और यह सारा जो केस है उसका ही वह अभियुक्त था जिसके कारण से यह सांगानेर वाली जो घटना घटी है वह उसी के नाम से उसी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी पत्नी के खिलाफ है क्या एफ.आई.आर. ? उसके बच्चों के खिलाफ है क्या एफ.आई.आर. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि जिस परिवार में शराब बन रही है अवैध और घर के लोग अनजान हों, इसके बाद में अगर आप सब सदन के लोग यह समझते हैं कि नहीं अवैध शराब बनाने वाले तो वह स्वयं मर गया लेकिन परिवार को उसका फायदा दिया जाए, मैं समझता हूं इस प्रकार से तो हम बढ़ावा देंगे यह ठीक नहीं होगा।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री रामचन्द्र सराधना : एक छोटा सा सवाल रह गया। मूल प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : मैं आपसे बहुत देर से निवेदन कर रहा हूं। आपने कहा था कि मैं आपको अनुमति दूंगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आप पुकारें। आपका ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। मैं बहुत देर से आपसे अनुरोध करा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : यह सरकार (व्यवधान) मिलीभगत से काम करे (व्यवधान) एक एस.सी. की महिला सांगानेर में मर जाती है।

श्री अध्यक्ष : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक : एक बैरवा समाज की मीरा बैरवा...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री अशोक : xxx

मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु अभिकरण की स्थापना

116. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या मत्स्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु पूर्व में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत थे? यदि हां, तो कहां तथा उन्हें समाप्त किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की पुनःस्थापना कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : (1) जी हां, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हनुमानगढ़ जिलों में कार्यरत थे। मई, 1998 में मितव्ययता की दृष्टि से राज्य सरकार ने इन अभिकरणों को समाप्त कर दिया।

(2) जी हां, सरकार निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु कृत, संकल्प है। राज्य में इस सम्बन्ध में ग्रामीण युवकों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ-साथ केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत मत्स्य पालन से सम्बन्धित निम्न गतिविधियों पर तकनीकी ज्ञान एवं आर्थिक अनुदान उपलब्ध करावाया जा रहा है:-

1. निजी भूमि पर मछली पालन के तालाब का निर्माण

2. पुराने तालाबों को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु जीर्णोद्धार।

3. मछली पालन में काम आने वाले प्रथम वर्ष के उपादानों (इनपुट्स) के लिए सहायता।

(3) राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही समाप्त किए गए 15 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को परिवर्तित रूप में मार्च, 2001 से पुनः स्थापित कर दिया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मेरे प्रश्न के खण्ड-1 का जो उत्तर दिया है, जी हां, मत्स्य पालन विकास अभिकरण जो सोलह जिलों में कार्यरत थे और जिनके माध्यम से हजारों एस.टी., एस.सी. और माइनोरिटीज के नौजवान अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे, आपने जवाब दिया है कि हमने मितव्ययंता के कारण इनको समाप्त कर दिया था। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने इनको मई, 1998 मे समाप्त किया तो इन पर राज्य सरकार का कितना पैसा व्यय हो रहा था क्योंकि इन मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का जो भी आप नौजवानों को मत्स्य पालन के लिए ऋण देते हैं, राज्य सरकार का उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है।

क्या यह सही है कि पूरा अनुदान और ऋण नाबार्ड से मिलता है। फिर राज्य सरकार का क्या व्यय हो रहा था जिसके कारण आप कह रहे हो कि हमने मितव्ययता के कारण इन सोलह मत्स्य पालन विकास अभिकरणों को समाप्त कर दिया और प्रश्न के खण्ड-2 में आपने उत्तर दिया है कि हम आज

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी नौजवानों को प्रशिक्षण देकर और आर्थिक सहयोग करके इस चीज में सहयोग दे रहे हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि विगत तीन वर्षों में कितने नौजवानों को आपने प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को आपने मत्स्य पालन के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान मुहैया कराया। कृपया आप संख्या बताएं।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा सवाल आ रहा है।

श्री प्रभूलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने पूछा है कि इन योजनाओं में राज्य सरकार ने 1998 तक कितना खर्च किया। इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब यह योजना प्रारम्भ हुई 1975-76 में तब इसमें पचास प्रतिशत राज्यांश और पचास प्रतिशत केन्द्र सहायता मिलती थी। इसमें 1991-92 में केन्द्रीय अंश से 5.62 लाख रुपये और राज्यांश से 5.62 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 11.34 लाख रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार 1992-93 में 5.12 लाख और उतनी ही राशि राज्य सरकार के अंश के रूप में व्यय की गयी। 1993-94 में 8.18 लाख 1994-95 में 13.48 लाख, 1995-96 में 10.38 लाख...

श्री अध्यक्ष : वह जो प्रश्न पूछा है 1998 में, 1998 में जब बन्द किया वह बता दीजिए। काहे को इतना डिटेल में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डिटेल में बता रहे हैं तैयारी करके आये हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, 1988 में 5.07 केन्द्र सरकार से और 5.07 राज्यांश से खर्च किया गया। इस प्रकार दस लाख चौदह हजार रुपये खर्च किये गये।

मोहम्मद माहिद आजाद : यह तो एक ही जवाब दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलह मत्स्य पालन विकास अभिकरणों को सोलह जिलों में जो हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे थे सिर्फ सात लाख रुपये के कारण आपने बन्द कर दिया। आपने स्वयं ने जवाब दिया है कि सात लाख रुपये व्यय हो रहा था। सात लाख के लिए सोलह जिलों को बन्द कर दिया और मेरे प्रश्न के खण्ड-2 का जो उत्तर मैंने आपसे मांगा है कि आप यह भी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बताएं कि अब आप कह रहे हो कि हम अभी भी दे रहे हैं तो आपने कितने नौजवानों को, आप तो एक वर्ष का बता दें। एक वर्ष में कितने नौजवानों को प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को आपने आर्थिक सहायता और अनुदान कितनी राशि दी है। यह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण 1997-98 में 9405 लोगों को...

मोहम्मद माहिर आजाद : 1997-98 नहीं, मैं तो आपसे आपकी सरकार में आने के बाद कितने लोगों को दिया, यह बता दें ?

श्री प्रभुलाल सैनी : 2004-05 में दिसम्बर तक 562 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरा बताओ ना। उनको आर्थिक अनुदान कितना दिया है और सहायता कितनी दी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल अन्तिम और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पचास प्रतिशत अगर आप नये एफ.एफ.डी.ओ. के लिए वाहन खरीदें, पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है पचास प्रतिशत अगर अपनी निजी आय से खर्च करके वाहन खरीदना चाहते हैं क्योंकि पोंडों पर जाना पड़ेगा तो आप इसकी अनुमति देने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं ? यह भी बता दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी को देने दीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, 1981-82 में संस्थापन पर व्यय होने वाला सारा 50 प्रतिशत पैसा जो केन्द्र सरकार देती थी उसको बन्द कर दिया गया है। संस्थापन के अलावा जैसा आपने वाहन के बारे में कहा है यह अभी सारा कार्य मत्स्य पालन अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। उनके पास सारे जिला स्तर पर वाहन उपलब्ध हैं। फिर भी यदि इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : प्रश्न संख्य 117

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे यह पूछा, आपके पास प्रस्ताव आया हुआ है कि 50 प्रतिशत तो केन्द्र सरकार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अनुदान दे रही है और 50 प्रतिशत यह अपनी निजी आय से व्यय करना चाहते हैं वाहन खरीदने के लिए। आपसे परमीशन मांगी है, आप उसकी परमीशन क्यों नहीं दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। पुकार लिया नैक्स्ट क्वेश्चन। नन्दलाल मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : एफ.एफ.डी.ओ. आप वापस शुरू करने का इरादा रखते हो क्या? यह तो बताओ आप। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस सम्बन्ध में आप गम्भीर नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाह रहा हूं क्या आप यह एफ.एफ.डी.ओ. वापस शुरू करके बेरोजगार नौजवानों के लिये रोजगार मुहैया कराने का इरादा रखते हो क्या? या जो आप बता रहे हो..

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रतापगढ़ उपखण्ड की अभावग्रस्त पंचायतों में राहत कार्य

117. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में उपखण्ड प्रतापगढ़ में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से फसलें नष्ट हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो उपखण्ड में किन-किन पंचायतों के गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड में किस-किस पंचायत में कितने श्रमिक कब से राहत कार्यों पर लगाये गये? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) जी हां, उपखण्ड प्रतापगढ़ की समस्त 79 पंचायतों के 537 गांवों को अनावृष्टि से फसल नष्ट हो जाने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उपखण्ड की पंचायतवार को घोषित किये गये गांवों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(किरोड़ी लाल मीणा)

(2) उपखण्ड में राहत कार्य 1.12.2004 से आरम्भ कर दिये गये हैं। श्रमिक जब से राहत कार्यों पर लगाये गये उनका पंचायतवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत का मामला है। प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान एरिये में आता है और इसमें जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कुल 537 गांवों में से अगर अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो एक-एक पंचायत में 11 मजदूर लगाये हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं फरवरी खतम हो गयी है, 1 मार्च से आप कितने मजदूर एक-एक पंचायत में बढ़ाने वाले हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सदस्य 11 को जगह 22 लगा देना।

श्री नन्दलाल मीणा : यह भी कम हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उधर देखकर बात नहीं करें। आप उधर देखकर जवाब नहीं, इधर देखकर दीजिये जवाब।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक-एक पंचायत में 15-20 गांव, ढाणी और मजरे हैं.. (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आदिवासी इलाके में एक पंचायत में 11 मजदूर कर दिये गये और सरकार कह रही है कि 22 लगा देंगे। एक पंचायत में 22 मजदूर अगर सरकार लगाना चाहती है तो इसकी नीयत देखी जाए कि ट्राइबल सब प्लान इलाके में जहां आदिवासियों के पास मजदूरी के अलावा उनके पास काम नहीं है और सरकार 22 लगाना चाहती है मजदूर एक पंचायत में, यह सरकार का हाल है। सरकार.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अरनोद पंचायत में एक पंचायत में 15 गांव हैं और 11 मजदूर हैं एक-एक पंचायत में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। मंत्रीजी दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना यह गलत है कि एक ग्राम पंचायत में 11 मजदूर हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में केवल अरनोद

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

और प्रतापगढ़, दो तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है जिसमें माह दिसम्बर, 2004 में 5100, माह जनवरी, 2005 में 8800 और माह फरवरी में 12,300 मजदूर नियोजित कर रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब मुझे मिला है, अरनोद पंचायत समिति में 30 पंचायतें हैं और 179 गांव है तथा 2045 श्रमिक आज की तारीख में कार्यरत हैं। मैने भाग लगाकर देखा है एक पंचायत में 11 मजदूर आ रहे हैं। मंत्री महोदय, यह किस तरह गलत है, आप स्पष्टीकरण दे दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आज की तारीख में 12,300 मजदूर कार्यरत हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) मोहम्मद माहिर आजाद एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने की घटना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री माहिर आजाद को इस घटना पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्मिकों की कमी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री लालचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से नगरपालिका रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से उदयपुर डिवीजन के बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) डा. नाथूसिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरीश चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय, नावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बहाल करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में खुली बजरी परिवहन से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पीने के पानी की विकट समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई होगी कि अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिये 100 शैय्याओं का एक छात्रावास बांसवाड़ा में 4 जनवरी, 2005 को तो उसकी छत डाली गयी और 21 जनवरी को उसकी शटरिंग खोली गयी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 11 फरवरी को पूरा भवन मय छत के, मय पिलर के गिर गया। मेरी समझ में नहीं आता 72 लाख रुपये लगाकर आदिवासी बालिकाओं के लिये यह छात्रावास भवन बन रहा था और सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी कार्यकारी संस्था थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में ही बन रहा था और 20 दिन के अन्दर पूरा भवन गिर जाए, जिला हैड क्वार्टर जहां पर आपका अधिशासी अभियन्ता बैठता है, जहां आपका अधीक्षण अभियन्ता बैठता है, जहां आपका क्वालिटी कण्ट्रोल का कार्यालय है जो उसका समय-समय पर सैम्पल कि सीमेन्ट कितना है, सरिए कितने हैं, मैटेरियल कितना है उसका सैम्पल लेता है, उसके बावजूद बीस दिन के अन्दर यह भवन पूरा का पूरा गिर गया इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी कमजोरी मैं समझता हूं दूसरी कोई हो नहीं सकती। लेकिन किया क्या ? सार्वजनिक निर्माण विभाग और राज्य सरकार ने किया क्या कि बड़े अधिकारी कौन दोषी हैं उनको बचाने की कार्यवाही की और केवल एक जे.ई.एन. और एक उस ए.ई.एन. को जो 24 दिसम्बर को ही वहां से कार्यमुक्त हो गया था। इन दो को सस्पैण्ड करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ यह सरकार इस तरह का मजाक क्यों करना चाहती है। हमने यह तो सुना था कि कोई भवन बना, बरसात ज्यादा हो गई उससे क्षतिग्रस्त हो गया या कोई

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भूकंप आ गया होगा। ना कोई भूकंप ना कोई वर्षा, कुछ भी नहीं होने के बाद बीस दिन के अन्दर वह भवन गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया और दोषी लोगों को सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, राज्य सरकार बचाने का काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदिवासियों के साथ इस तरीके का मजाक मत कीजिए। यह तो गनीमत हुई कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग रही थी इसलिए उस छात्रावास का उदघाटन नहीं हो पाया। उसके लिए तारीख मांगी जा रही थी। अगर छात्रावास का उद्घाटन हो जाता और गलती के उसमें अगर बालिकाएं होतीं तो क्या स्थिति बनती। दस तारीख को पेमेंट उठा लिया जाता है और ग्यारह तारीख को पूरा भवन गिर जाता है। बीस दिन के अन्दर राजस्थान में कोई बिल्डिंग आज तक कभी गिरी हो तो मुझे बता दें। यहां माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि मेरे विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं किसी तरीके की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो ए.ई.एन. है सतीश गुप्ता जिसने उसकी ड्राइंग बनायी, जिसने उसकी पेंटिंग बनायी, जिसने उसका फाउंडेशन किया। जिसके समय में यह सारा कार्य हुआ। आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की? आपके अधीक्षण अभियन्ता हैं श्री डी.के. थानवी उनके खिलाफ कार्यवाही आज तक की, आपके एस.ई. ने जिसने चैक पास किया है, एक्स ई.एन. और ए.ई.एन. ने जो बिल मंगाते थे। उन्होंने एक बार भी जाकर के उस छात्रावास का निरीक्षण किया? उसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है? आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेन्ट पी.डब्ल्यू.डी. का बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर बैठा है। क्या क्वालिटी कंट्रोल के लोगों द्वारा उसका सैम्पल लिया गया ? अगर लिया तो किस तारीख को लिया और उसने क्या रिपोर्ट दी ?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ यह खिलवाड़ करने का काम जिन भी लोगों ने किया है, चाहे वह कोई भी हों, उनको बचाने का काम मत कीजिये। निश्चित रूप से कार्यवाही कीजिए। आप इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएं और जो भी दोषी हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो और कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो। उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी बात सुन लें क्योंकि बांसवाड़ा जिले का मसला है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। और किसी को नहीं दूंगी इजाजत। आप अपनी बात कह दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह मात्र पी.डब्ल्यू.डी. विभाग अकेले का कोई दोष होने का मामला नहीं है। इसके साथ-साथ में हमारा यह जो टी.ए.डी. का छात्रावास है, राजकीय कन्या महाविद्यालय का जो छात्राओं का सौ बैड का जो निर्माणाधीन छात्रावास था उसमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र के माध्यम से 72 लाख रुपये सेक्शन हुए थे। अगर इस छात्रावास की छत डल जाती, कुछ समय के लिए यह छत रह भी जाती लेकिन अगर साल भर निकलने के बाद में यह गिरी होती तो उसमें बच्चियां अगर रूकतीं तो उनके साथ में क्या हादसा होता। कतनी बच्चियों की जान के साथ में खिलवाड़ होता। जिस निर्माणाधीन छात्रावास का कार्य प्रारम्भ हुआ था जनवरी, 2004 को और जिस जे.ईएन. और ई.ए.एन. जब वहां पर कार्य शुरू हुआ था, उस समय वह थे और छत जिस समय डली है उस समय ए.ईएन. जो जाता है उस ए.ईएन. को सस्पैंड कर दिया जाता है जबकि छत डालने की तारीख जैसा आपने बताया 4.1.2005 को, छत खुलने की तारीख 21.2.2005 और छत गिरने की 11.2.2005 को, वहां पर सतीशचन्द्र गुप्ता को सस्पैंड नहीं किया जाता है। वहां पर कार्यरत लाड मोहम्मद को किया जाता है वह मौके पर कार्यरत नहीं था। उस समय काम नहीं चल रहा था फिर भी उसको सस्पैंड कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे जनजाति मंत्री भी यहां विराजे हुए हैं मैं उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐसी क्या देखरेख की, 72 लाख रुपया, इतना ही नहीं, बांसवाड़ा जिले के अन्दर पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्दर जितना भ्रष्टाचार हुआ है। राजस्थान के अन्दर कहीं भी नहीं हुआ होगा और मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्रीजी, आप

(श्री जीतमल खांट)

बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बड़े जागरूक व्यक्ति हैं। यह 20 दिन के अन्दर छत गिर गयी। कितना बड़ा हादसा हो सकता था बांसवाड़ा जिले की बालिकाओं के साथ। यह तो एक छत गिरी है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अगर आपकी हिम्मत हो, आपकी मंशा हो तो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए... (व्यवधान) एस.टी. के जे.ईएन. को और माइनोरिटी के ए.ईएन. को सस्पैंड कर दिया परन्तु जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों की तरफ आपने नजर उठाकर नहीं देखा है। आपकी हिम्मत हो तो उनको सस्पैंड करके दिखाएं... (व्यवधान)

श्री जीमतल खांट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह डी.के. थानवी, सतीश गुप्ता जो लम्बे समय से वहां बैठे हुए हैं, इतना ही नहीं, अगर पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की वहां जांच करा ली जाए तो जिले के अन्दर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहीं निकलेगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है, यह बहुत गम्भीर विषय है... (व्यवधान) अगर कल को इन सौ बालिकाओं के रहने की वहां पर पुख्ता व्यवस्था हो जाए तो इनमें से कितनी बच्चियों को जान गंवानी पड़ सकती है। यह स्थिति है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर नहीं है। माननीय मंत्रीजी, आप काफी गम्भीर व्यक्ति हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच मात्र इस आश्रम छात्रावास की ही नहीं, इस पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अन्दर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तसल्ली से बोलने दें, फिर खड़े हों... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जितने निर्माण हुए हैं, आप उनकी जांच कराइये। यह चाहे कांग्रेस के शासन के हों, चाहे आपके शासन काल का हो, लेकिन जिस तरीके से बड़े अधिकारी गम्भीरता से काम नहीं कर रहे हैं। आपके सरकारी नियमों और नियम-कायदों को ताक में रखकर के काम कर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि... (व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : मानगढ़ का भी कह दें।

श्री जीतमल खांट : मानगढ़ का भी हो, चाहे कोई भी हो.... (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस हो, चाहे बी.जे.पी. हो, मैं किसी सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं। लेकिन अधिकारी वर्ग जिस तरह से इतने बड़े घोटाले में फंसा हुआ है और बेरहमी के साथ इन बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इसकी जांच बैठाई जाए। ऐसे क्या कारण हैं कि सतीश गुप्ता और डी.के. थानवी को बचाया जा रहा है। इस पर भी सदन में इस बात को रखना चाहिए, धन्यवाद।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में चाहे यह कन्या छात्रावास हो या बांसवाड़ा जिले में जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए जलिया वाला बाग से भी भयंकर जो नरसंहार हुआ था, मानगढ़ धाम पर उसके लिए कांग्रेस राज में वहां पर एक शहीद स्मारक बनाया गया तुरत-फुरत में उसका उदघाटन किया गया और आज हालत यह है कि वह शहीद स्मारक जिस तरह से किसी कच्ची दीवार के टुकड़े गिरते हैं, उस तरह से गिर रहा है। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वह छात्रावास जो ध्वस्त हुआ है और मानगढ़ धाम की जो स्थिति बनी है, जो निर्माण विभाग के माध्यम से हुए हैं इसमें कितने ही घोटाले हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजें, माननीय सदस्य। मंत्रीजी।

श्री नवनीत नीनामा : मान्यवर, मेरा आग्रह है कि पीपलखूंट आदिवासी कन्या छात्रावास की बारियां बिलकुल टूट गयी हैं। वहां बालिकाओं को रात-दिन पत्थर डालने पड़ रहे हैं। यह उस छात्रावास की हालत है।

श्री अध्यक्ष : नीनामाजी, आप स्थान ग्रहण कर लें... (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : इस पर भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बांसवाड़ा महिला छात्रावास निर्माण की स्वीकृति 10.9.2003 को जारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुई थी, मेसर्स सूरज पोरवाल, बड़ी सादड़ी को इसकी निविदा के अन्तर्गत यह काम आबंटित हुआ था और कार्य योजना 20.12.2003 को दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि 11.2.2005 को यह छत गिरी और उसके तुरंत पश्चात ही एडीशनल चीफ इंजीनियर, उदयपुर को हमने इस बात के आदेश दिये कि वह इसकी तुरंत जांच करे और जांच रिपोर्ट प्रेषित करें। जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट 14 फरवरी को विभाग को प्राप्त हुई है। उसमें जो बात आयी है उसमें यह लिखा है कि जो आर.सी.सी. थी वह तो संतोषजनक थी लेकिन नीचे के खंभे ध्वस्त होने के कारण यह छत गिरी है और उसके जो कारण बताये गये उसमें एक तो बताया कि पिलर की खराब चिनाई थी। पिलर की चिनाई का कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हुआ था। बैक प्लेट्स आवश्यकतानुसार नहीं लगायी गयी थी और तराई बिलकुल नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे कार्य की गम्भीरता और लापरवाही को देखते हुए हमने तत्काल ही मुकेश बाडेल और लाड मोहम्मद जो जे.ईएन. और ए.ईएन. थे को निलंबित किया और इसके अलावा जो अधिशासी अभियन्ता थे मि. थानवी और उनके साथ ही मि. सतीश गुप्ता जिनका दिसम्बर में स्थानान्तरण हो गया था, चूंकि लाड मोहम्मद की जगह दिसम्बर में पदस्थापित हुए थे। इन दोनों को भी शो-काज नोटिस दिया है और उनको सात दिन का समय दिया है। सात दिन के पश्चात अगर इनके खिलाफ जो भी बात निकलेगी उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और इसके अलावा जो अन्य बातें उठायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, जितने भी काम इस टी.ए.डी. एरिये में पिछले दो वर्षों में हुए हैं उन सारे कामों का पूरा मूल्यांकन करने के लिए जो सड़कें पी.एम.जी.एस.वाई. में बनी हों, चाहें कोई भवन निर्माण हो उसकी एक एडीशनल चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय तकनीकी दल बनाया है। दल मौके पर जाएगा, टी.ए.डी. क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं उनका मूल्यांकन करेगा। उसमें अगर कोई काम मानक स्तर पर का नहीं रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री नन्दलाल मीणा : मानगढ़ में क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो अभी आपने यह बात कही कि मानगढ में जो ऐतिहासिक स्मारक है। उसमें भी जो अनियमितताएं रहीं, उसमें एक एक्स.ईएन. देवीलाल और ए.ईएन. लाड मोहम्मद यही महानुभाव वहां थे। दोनों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को 16 सी.सी.ए. में चार्जशीट कर दिया गया है, इनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह सारी जांच रिपोर्ट, हमने उच्चस्थ अधिकारी जिनके सुपरवीजन में यह काम हो रहा था, उनको शो काज नोटिस दिए हैं। इसके लिए हमने उनको सात दिन का समय दिया है, सात दिन के समय के अन्दर यदि इनकी भी नेग्लीजेन्सी पाई जाएगी तो इनको भी निलम्बित करेंगे।

माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं है। इस टी.ए.डी. क्षेत्र के अन्दर जनता के पैसे का दुरूपयोग हो और मानक स्तर के काम हो इसलिए पिछले दो सालों में काम जितने भी हुए हैं उन सबकी जांच करवाने और निश्चित समय के अन्दर, मैने दो महीने का समय दिया है, दो महीने में पूरी, एक-एक काम की जांच होकर आ जाए और उसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार करेगी। सरकार की किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने ठेकेदार के बारे में कुछ नहीं बताया कि ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान) उनको शो काज नोटिस दिया है, आप इनको आज ही निलम्बित करने की घोषणा कीजिए, जांच में यदि निर्दोष हो तो आप बहाल कर देना। यह पक्षपात क्यों किया? केवल शो काज नोटिस क्यों दिया ? अगर हिम्मत है और आप ईमानदार हैं तो आपको इस पवित्र सदन में, हाउस के फ्लोर पर ही घोषणा करनी चाहिए। क्वालिटी कण्ट्रोल वालों की क्या जिम्मेदारी है ? (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मानगढ़ के मामले में हमने सदन में विचार रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। (व्यवस्था सूचक घण्टी) त्रिवेदीजी, स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी ने जांच कराने के लिए कह दिया। जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया और क्या चाहते हैं आप ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा अभी बताया गया जांच के बारे में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : एक पार्टी ने यह कहा है कि मैं मंत्री का आदमी हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक माइनोरिटी के छोटे से कर्मचारी के साथ आपने इतना भेदभाव किया है। मंत्री महोदय, उसने कहा कि मेरी सीधी सैटिंग है आपके मंत्री से, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तरीका हुआ? (व्यवधान) उसकी ऊपर तक सैटिंग है, एस.ई. का कोई दोष नहीं, आप छोटे कर्मचारियों को सस्पैण्ड करते हैं, माइनोरिटी का है, उसकी सैटिंग नहीं बैठ पाई, नहीं तो वह भी नहीं होता। (व्यवधान)

(अध्यक्ष पीठ द्वारा हाथ के संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट में पूरी बात कर लूं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : xxx

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान गहण करें, माननीय मंत्रीजी ने कह तो दिया न, खुद ने माना है इस बात को। (व्यवधान) आप विराजो बात आ गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि जिस ठेकेदार ने इस काम को किया, उस ठेकेदार का नाम है सूरज पोरवाल, इसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। इसका कोई पेमेन्ट होगा, छत का और दूसरे पेमेन्ट, उनको रोकेंगे वह सारा पेमेन्ट। इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। यही नहीं, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि टी.ए.डी. क्षेत्र मे जितने भी काम हुए हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर इसको...

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री अध्यक्ष : आप सुने तो सही वह क्या कह रहे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा, मुझे आप 15 मिनट का समय दे दें, मैं इसी सदन के अन्दर, अभी प्रारम्भिक जांच मेरे पास आई है, इसकी पूरी जांच करवाकर इसमे जो सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी हुई है, मैं एक को भी नहीं बख्शने वाला, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, चाहे उसके अन्दर एक्स.ईएन. हो या चाहे एस.ई. हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच की अंतिम रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, कार्यवाही की जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री कैलाश त्रिवेदी : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 72 लाख का पेमेन्ट हो गया? पेमेंट में केवल एस.ई. तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी आपके विभाग ने निश्चित कर रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में क्यों बोल रहे हो? आप उनको बालने दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : तो आपसे निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, आप दो काम करें, एक तो जिस लेवल पर सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी है, चाहे एस.ई. लेवी पर हो या किसी और लेवल पर, क्योंकि इतना बड़ा पेमेन्ट हुआ है। दूसरा, मानगढ़ के बारे में कहा है। मेरा निवेदन है कि आप जो अधिकारी ट्राइबल सब प्लान एरिया में नहीं रहा, उनकी कमेटी बनाइए और उसमें जन प्रतिनिधियों को जोड़कर आप काम करेंगे तब तो ट्राइबल सब प्लान एरिया में क्वालिटी

(डा. सी.पी. जोशी)

इम्प्रूव होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे एक मैसेज जाएगा। आप आज यह घोषणा कीजिए, इतना बड़ा काम, इतने कम समय में गिर गया, आप एक मैसेज दीजिए कि हम एस.ई. लेवल के आदमी को, सबको सस्पैण्ड करते हैं। उसके बाद आप एक इण्डिपिडेंट कमेटी बनाकर काम कीजिए, वह ठीक रहेगा। अन्यथा आप एक जे.ईएन. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड करें, उससे तो मैसेज जाएगा नहीं।

72 लाख का काम इतने कम समय में नीचे गिर जाए, यह हम सबके लिए एक शर्म की बात है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जे.ईएन., ए.ईएन. कुछ नहीं, आप एस.ई. लेवल के आदमी को जिसमें मानगढ़ भी सम्मिलित कर लीजिए, सस्पैण्ड कीजिए, इससे एक मैसेज दीजिए कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस विषय में हम सभी को चिन्ता करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में न केवल पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य विभागों द्वारा जो निर्माण के काम हो रहे हैं वह मानक के अनुसार नहीं हो रहे हैं। वहां पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कहीं आई.टी.आई की बिल्डिंग बन रही है तो कहीं जापान-जर्मनी द्वारा दिए धन से बिल्डिंगें बन रही हैं। सारे पैसे जो हम बिल्डिंग बनाने पर खर्च कर रहे हैं उनमें क्वालिटी कण्ट्रोल सही नहीं हो रहा है, इस तरह से गिर रही है बिल्डिंगें। यहां क्वालिटी पर सबसे ज्यादा कम्प्रोमाइज हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम कहना चाहते हैं कि एक मैसेज देने के लिए आप घोषणा कीजिए कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में पी.डब्ल्यू.डी. एजेन्सी थी तो आप एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड कीजिए। ट्राइबल सब प्लान एरिया के अलावा जो आदमी आपके एडीशनल चीफ इन्जीनियर लेवल का है उससे आप इन सब कामों की जांच करवाने का कीजिए। इससे एक मैसेज जाएगा, बाकी जे.ईएन., ए.ईएन. को सस्पैण्ड करने से मैसेज नहीं जाएगा। आप यह घोषणा कम से कम जरूर कीजिए किससे हम कह सकें कि हमने एक मैसेज दिया। डेमोक्रेसी में हमारा यही काम होता है कि हम मैसेज दे, किस ढंग से बाकी आज जे.ईएन. को करो या लाल मोहम्मद को करो या मोहन मोहम्मद को करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें सीधी कार्यवाही कीजिए। इसके लिए, माननीय मंत्री महोदय, आपको कोई मना नहीं करेगा।

(डा. सी.पी. जोशी)

एस.ई. इसमें इन्वाल्व होने के बावजूद, यदि हैडक्वाटर पर जाकर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हो रहा है तो इससे बड़ी घटिया चीज कोई हो नहीं सकती। इसलिए आप मेहरबानी करके एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड कीजिए और फिर कार्यवाही कीजिए। आपके डिपार्टमेन्ट में बहुत अच्छे, काम्पीटेन्ट और इंटीग्रिटी के आदमी हैं, उनसे जांच करवाइए और कार्यवाही कीजिए जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो, यह आपको सदन को आश्वस्त करना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है जिसके अनुसार 20 दिन में छत गिर जाए और उसका पेमेन्ट हो जाए, मैं समझता हूं इसकी जांच इंजीनियर से नहीं कराकर ए.सी.डी. से करायी जाए। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इसकी जांच करवायी जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साबित होकर आ जाएगा। नहीं तो, फिर लीपापोती होगी, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश होगी। इसलिए पूरा का पूरा मैटर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपकर इसकी जांच करायी जाए। ताकि टी.ए.डी. के कार्य क्वालिटीवाइज अच्छे हो सके। (व्यवधान)

(समय : 12.30 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवदेन कर रहा था, एक तो यह भ्रान्ति फैलायी जा रही है पूरा भवन जो बना था सारा धराशायी हो गया। पूरा भवन नहीं, भवन का एक हिस्सा बरामदा टूटा। निश्चित तौर पर उसकी छत गिरी और मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं एडिशल चीफ इंजीनियर को मैंने उसी दिन जांच दे दी, प्रारम्भिक रिपोर्ट में जिनको उसने उत्तरदायी माना उन दो अधिकारियों को मैंने निलम्बित कर दिया, बाकी को 7 दिन का शो काज नोटिस दिया है। निश्चित तौर पर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप सही कह रहे हैं इसमें सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस किसी न किसी स्तर पर है। उनको किसी को बख्शने का कोई इरादा नहीं है।

टी.ए.डी विभाग के अन्दर चिन्ता व्यक्त की है, काम मानक स्तर के नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां हैडक्वार्टर से एक एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक सुपरिन्टेंडेन्ट इंजीनियर (एस एण्ड एस) पी.डब्ल्यू.डी., जयपुर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (क्वालिटी कन्ट्रोलि डिवीजन) पी.डब्ल्यू.डी., इन तीन आदमियों की एक कमेटी बनायी है जो पिछले दो वर्षों में जितने भी काम हुए हैं सारे कामों की सूचना एकत्रित करके देंगे उसमें जो भी दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं कि यहां मानगढ़ को लेकर कई तरह की चर्चा हुई। मानगढ़ के अन्दर हमने जो जांच करवायी थी और जांच के अन्दर एक एक्स.ईएन. और एक ए.ईएन. मि. देवीलाल और इ.एन. लाल मोहम्मद ये दो दोषी पाये गये थे। इनको 16 सी.सी.ए. के अन्दर चार्जशीट दे दी गई है।

तीसरा, यह कहा कि यहां भुगतान कर दिया गया। भुगतान बिलकुल नहीं किया गया और भुगतान जो शेष है, जिस ठेकेदार ने नेग्लीजेन्स की उसको भी ब्लैक लिस्टेड करने की घोषणा मैंने सदन में की है। इसके अलावा ए.ईएन. और जे.ईएन. जिनके सीधे जार्च में यह था उनको निलम्बित कर दिया और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं 15 दिन का समय मैंने मांगा है, 15 दिन के अन्दर-अन्दर जो कमेटी मैने बनायी है वो कमेटी जांच कर लेगी और उसमें जो कोई भी दोषी होगा, किसी भी स्तर का दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत गलत बात है। आज ही सस्पैंड होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पहले भी निवेदन कर चुका, किसी भी तरह का कोई भुगतान भविष्य में नहीं किया जाएगा। ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप ए.सी.डी. को क्यों नही देते इस मामले को? ए.सी.डी. से जांच कराने में आपको क्या प्रोब्लम है? ए.सी.डी. को दीजिए, नहीं तो यह लगेगा कि आप उनको बचाना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बिलकुल नहीं बचाना चाहता। मुझे माफ करना, यह मानगढ़ का पूरा का पूरा काम आपके समय का है। हालांकि जिम्मेदारी मेरी है, आज मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मैं जांच भी करवाऊंगा और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। इसमें एक को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह थानवी हो, चाहे उससे बड़ा अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, खेतड़ी में (व्यवधान) बरामदा गिरा, चाहे वह कांग्रेस के समय में गिरा (व्यवधान) उसमें आज भी कोई सस्पैंड नहीं हुआ है।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा का बालिका छात्रावास बना है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह बांसवाड़ा का छात्रावास स्वीकृत हुआ है वह किसके राज में हुआ था और नींव किस राज में भरी हुई थी वह बता दीजिए ताकि इन सबको मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस के राज में यह स्वीकृत हुआ था और कांग्रेस के राज में यह नींव भरी गयी थी। उसमें कांग्रेस दोषी है न कि हमारी सरकार दोषी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को याद होगा चूरू में पानी की टंकी टूटी तो हमने एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैंड किया। हम आपकी इंटेंशन के लिए नहीं कह रहे, चाहे मानगढ़ का मामला हो, किसी भी चीज में कम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक मैसेज दीजिए, नाम देवीलाल, लाल मोहम्मद, नाम तो वही आ रहे हैं। आप एक बहुत सिम्पल मैसेज दीजिए कि वहां पर सबसे पहले हम एस.ई. को सस्पैंड कर रहे हैं इससे डिपार्टमेन्ट में मैसेज जाए कि क्वालिटी कंट्रोल का लोअर लेवल के लिए बड़े आदमी को भी हम जिम्मेदार समझते हैं और आज निश्चित तौर पर जैसा कल्ला साहब ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि वहां पर ट्राइबल सब प्लान के इलाके में यदि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ए.सी.डी. की जांच कराने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के राज में गलत काम हुआ है सजा मिली चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। यह मानगढ़ का मामला भी निश्चित तौर पर हम सबके लिए शर्म का मामला है। इतना बड़ा स्मारक बन जाए, उसकी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज किया जाए इससे घटिया बात किसी के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे राज में भी गलत काम हुआ है। उसके खिलाफ एक कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन यदि आप मैसेज लोअर आदमी को देना चाहते हैं, उससे मैसेज नहीं जाएगा। आप सदन में घोषणा करिए की एस.ई. लेवल के आदमी को हम सस्पैंड कर रहे हैं फिर आप क्वालिटी कंन्ट्रोल का काम करने के लिए जो कमेटी बनायी है उसकी रिपोर्ट लेकर 15 दिन में आप काम कराएं और

(डा. सी.पी. जोशी)

इसमें निश्चित तौर पर जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी आप इन्वोल्व करिए, लेकिन आपको एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिससे एक्जेम्पलरी मैसेज जाए। (व्यवधान) बिना एक्जेम्पलरी मैसेज के कोई काम नहीं होगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं सरकार की जो मंशा है वह मैसेज नीचे परकोलेट होना चाहिए। (व्यवधान) सरकार के मन में काम करने की इच्छा है, इसको रोकने में क्या तकलीफ है? मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी घोषणा करेंगे वहां एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैंड करेंगे जिससे एक मैसेज जाए। ए.सी.डी. की जांच की घोषणा करेंगे। इसमें तकलीफ क्या है आपको ?

श्री सुरेश मीणा : दोनों सरकारों में नकली काम क्यों हो रहा है ? चाहे बी.जे.पी. की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों में नकली काम हुए। इनकी जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, खेतड़ी में कालेज का बरामदा तीन साल पहले गिरा था उसकी भी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इससे आपकी और आपकी सरकार की स्वच्छ छवि होगी। आपको हिम्मत करके जो भी दोषी हैं, जिनको आपने सस्पैंड कर दिया, बहुत सही किया, कोई बात नहीं, लेकिन जो दोषी बच गये उनको आपको इस हाउस की फ्लोर पर ही सस्पेंड करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) निर्माण गिरा था, उसको वहां बी.ई.ओ. लगा रखा है। आप कह रहे हैं गलती की। (व्यवधान) गलती की तो उसको कहां लगा दिया? आपकी सरकार ने पिलानी में बी.ई.ओ. लगा रखा है।

श्री सभापति महोदय : माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, यह वास्तव में काफी गम्भीर विषय है। छत गिरी है उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा जब 14 तारीख को एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, आज उसका सातवां दिन पूरा हो रहा है। (व्यवधान) पूरे हो नहीं गये, हो रहे हैं। जब एक बार टाइम दे दिया, किसी भी अधिकारी को दे दिया, किसी ने गड़बड़ की है पनिशमेन्ट मिलना चाहिए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लेकिन वह पनिशमेन्ट ऐसा हो कि आगे जाकर वह जुडिशियल डेस्क में सक्सेसफुल हो। ए.सी.डी. को दें, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज की तारीख से पहले यदि किसी पर एक्शन लेते हैं तो जुडिशियल टाइम (व्यवधान) आप सुन लीजिए। उसमें आज-आज का टाइम है, सेवन डेज कम्पलीट हो, उसके बाद में उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा तो कहीं भी जाकर वह निगेट कर सकेगा, न उसको दूसरा कोई किसी प्रकार का जुडिशियल लाभ मिलेगा। इसलिए इसमें एक दिन आज शाम तक अगर वेट कर लें तो मेरे ख्याल से आपकी भी जो मंशा है वह पूरी होगी और मंत्रीजी भी करेंगे तो सही बात होगी। अदरवाइज कर दिया तो वास्तव में कल की कल स्टे मिल जाएगा, इसलिए जल्दी न करें।

डा. सी.पी. जोशी : हम आपकी भावना से सहमत हैं। मंत्रीजी, आज सातवां दिन है, कल हाउस है उस समय घोषण कर देना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी की बात से सहमत हैं, लेकिन हम तो निवेदन यह करना चाह रहे थे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आपने एस.ई. से रिपोर्ट मांगी, एस.ई. ने ए.ईएन. और जे.ईएन. पर जिम्मेदारी सौंप दी और खुद बच गये। यह गलत काम हुआ है। (व्यवधान) आपको शॉ काज नोटिस देने की बजाय आपको चारों को सस्पैंड करना चाहिए। (व्यवधान) वे दो दिन जयपुर घूमकर गये हैं आपके यहां पर। इससे यह फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मानगढ़ के सम्बन्ध में बताया है, मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया, 16 सीसीए की चार्जशीट दे दी, चार्जशीट देने के बाद उसको जवाब देने का समय मिलता है उतना समय (व्यवधान) कितना समय मिला, मुझे अनुमान नहीं है।

श्री सभापति : मान गये सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी : समय मिलने के बाद निश्चित तौर पर एक्शन होगा। यह सरकार किसी को बख्शेगी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा एडिशनल चीफ इंजीनियर ने पूरे प्रकरण की जांच की.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपके आश्वासन से सदन संतुष्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दो मिनट निवेदन कर दूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : उलझ जाएगा यह। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : जो मंत्रीजी ने बात कही है कि सात दिन आज हो रहे हैं, कल आप सदन में घोषणा करें। बहुत सीधी बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक जांच प्रारम्भ हुई है एडिशनल चीफ इंजीनियर की। मुझे अंतिम जांच की रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अन्दर जिन दोषियों को दंडित किया जाएगा, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे टी.ए.डी. क्षेत्र के अन्दर जो काम दो वर्षों में हुए हैं उन सारे कामों की जांच एक कमेटी से करा रहा हूं। (व्यवधान) पेमेन्ट किसी का मैंने किया नहीं है, पेमेन्ट विभाग करेगा नहीं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मंत्रीजी, पी.ई. काफी होती है सस्पैंड करने के लिए। पी.ई. काफी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया और क्या चाहते हैं आप ?

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, सस्पैंड करने के लिए पी.ई. काफी होती है, डी.ई. की जरूरत नहीं है। आप काहे को कर रहे हैं ? (व्यवधान) आपने नोटिस दिया है 7 दिन का, मंत्रीजी कह रहे हैं, सहमत हैं सात दिन आज शाम को खतम हो जाएंगे, आप कम से कम इतना तो कमिट करिए कि पी.ई. के बाद इस तरह की कर सकते हैं। कल हाउस चलेगा, आप कम से कम इतना कमिट करिए कि प्रिलिमनरी इंक्वायरी में यह बात सामने आ रही है तो कल हम कार्यवाही करेंगे, यह बात आपको कहनी है। हमने रिपोर्ट देखी नहीं है। इसमें कौनसी तकलीफ आ रही है ? सरकार की मंशा साफ है कि हम पी.ई. करने के बाद यदि वह दोषी पाया जाता है तो कार्यवाही करेंगे, कल घोषणा करेंगे इसमें क्या तकलीफ है? अब आज घोषणा की तो बात कर नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था यह हुई है कि दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। उसके बाद यह संवेदनशील सरकार ने पूरा जवाब दे दिया, अब यह बहस का विषय नहीं हो सकता है, कौन, क्या, कितना क्या करना है।

श्री सभापति : समाप्त करवा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो मैं समझता हूं इसको समाप्त करके आगे कार्यवाही ली जाए।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, इस सदन की गौरवशाली परम्परा रही है, सदन की गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखने की जिम्मेदारी आपकी और हम दोनों की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गौरवशाली परम्पराओं की बात करते रहे हैं, एक कार्यवाही किसी के ऊपर नहीं की और मतलब लिप्त रहे हैं, उनको संरक्षण दिया है आपने।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बाकी सब बैठें, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, इस सदन की गौरवशाली परम्परा रही है। हम सहमत हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं हुआ, तब ही तो बोल रहे हैं खड़े होकर, आपका एक साल हो गया, आप क्या बातें कर रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई कार्यवाही नहीं हुई और पारदर्शी सरकार है जिसमें ये तत्काल जवाब भी देते हैं, कार्यवाही भी करते हैं। सभापति महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय सभापतिजी, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री सी.डी. देवल।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति महोदय : तो आपके सदस्य नहीं बोलने दे रहे हैं, आसन क्या करे।

डा. सी.पी. जोशी : कोई नहीं, सब बैठ जाएं। सभापति महोदय, हम विनम्र शब्दों मे निवेदन करना चाहते हैं जो उद्योग मंत्रीजी ने बात कही है, आज सातवां दिन हो जाएगा आपने जो नोटिस दिया उसको और नोटिस देने के बाद कल का दिन आपके पास है, हम यह कह रहे हैं..(व्यवधान) सभापति महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, यह तो तत्काल इसका पोस्टमार्टम अभी हो सकता है क्या? (व्यवधान) प्रक्रियाओं में बहुत सारे नियम हैं, आप प्रक्रिया में और चर्चा मांग सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य; आसन क्या कर सकता है?

डा. सी.पी. जोशी : इनको जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, तत्काल कार्यवाही पूरी सतर्कता....

डा. सी.पी. जोशी : आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हो, हम हल्ला करके बैठेंगे, हल्ला करेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी यह सरकार है।

श्री सी.पी. जोशी : हाउस तो ऐसे नहीं चलेगा, आप चला लीजिए हाउस को, हम यहां आकर हल्ला करेंगे, फिर बात ठीक होगी? यह तो कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन प्रकिया और नियमों से चलेगा। सभापति महोदय, यह धमकाने से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : अब आप चलाइये हाउस, चलाइये।

श्री महीपाल सिंह यादव : भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दबाने से काम नहीं चलेगा, ये दबाकर सदन चलाना चाहेंगे, नहीं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह कोई तरीका है क्या? आपने इनको, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता क्या कहना चाहते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यही कहना चाहता हूं कि आसन के द्वारा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को पुकार लिया।

श्री सभापति : इससे पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप कुछ कहें, आप अपने सदस्यों से अनुरोध करें कि वह अपनी सीटों पर जाएं।

श्री जीतमल खांट : मानगढ़ जैसे प्रकरण में आपने किसी को सजा नहीं दी, मानगढ़ हमारा पूरा का पूरा आदिवासी सम्भाग की आस्था का प्रतीक है। (व्यवधान) जहां पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आदिवासियो के साथ जलियावाला काण्ड जैसा, उस पर हमारा राष्ट्रीय स्मारक, इस पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आदिवासियों के इतिहास के साथ शोषण किया गया, खिलवाड़ किया गया, मानगढ़ धाम जलियावाला बाग से भी बड़ा था, जहां पर डेढ़ हजार आदिवासी अंग्रेजों की गोलियों के सामने भून दिये गये। उस पर बनने वाला स्मारक इस कांग्रेस के राज में कुछ लोग उसकी चौथ वसूली की वजह से पैसे खा गये चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उसका खंडन किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये विषयांतर हो रहे हैं। सभापति महोदय, आपने नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को पुकार लिया और पुकारने के बाद वह अपनी बात कहे रहे थे, इस बीच में मुख्य सचेतकजी जो हैं, वह खड़े होकर व्यवधान करने लगे। एक तो आप उनको कृपया पाबंद करें कि (व्यवधान) एक मिनट बिराजें आप। फिर आप आदत से लाचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे है, खड़े हो गये, बैठाइये इनको आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनका काम ही व्यवधान करना है, व्यवधान मंत्रालय दे दो इनको।

श्री सभापति : मैंने प्रतिपक्ष के नेता को पुकारा है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कृपा करके आप अपनी बात कहिये और मुख्य सचेतक से, जो सत्ता पक्ष के हैं उनसे आप उलझाये नहीं आपसी वार्तालाप में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे किया है कि आज नोटिस का अंतिम दिन है, क्या आप कल सदन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी पाये जाएंगे उनको सस्पैंड करेंगे ? नम्बर एक, और नम्बर दो, जो मैंने प्रश्न उठाया था कि इस पूरे प्रकरण को आप ए.सी.डी. में देने का विचार रखते हैं और नहीं तो क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : राष्ट्रीय स्मारक है यहां पर बहुत बडा घोटाला हुआ है। इसका भी आज सदन में माननीय मंत्रीजी आप कहें कि इसकी भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराई जाएगी। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : एक करोड़ 12 लाख रुपये का सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो लेकिन इतना बडा घोटाला करने वालों को अगर सजा नहीं मिलेगी, 16 सी.सी.ए. का आपने नोटिस दिया है, क्या हो गया, साल भर हो गया, 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिये, मैं चाहूंगा कि सभापति महोदय, अब आज इस पर घोषणा नहीं की गई तो मैं इस हाउस में धरने पर बैठूंगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : सभापति महोदय, यह अकेले बांसवाड़ा का ही मामला नहीं है, जयपुर शहर के अन्दर मौहल्ला डाकोतान और मौहल्ला नाहरवाला स्कूल में भी इस तरीके से छत गिरने का मामला हुआ है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सब मामलों की कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री दाताराम गुर्जर : कोई घोटाले वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, एक-एक जी जांच होगी, आप निश्चिन्त रहें। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है। अपने आप खड़े हो रहे हैं। नो-नो प्लीज कोई अंकित नहीं होगा। सिर्फ पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ही बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमने जो दोषी था प्राप्त रिपोर्ट के अन्दर जिसका दोष सामने आया, उनको निलम्बित कर दिया, बाकी अधिकारियों को सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी के लिए हमने शो कॉज नोटिस दे रखा है, उनका उत्तर प्राप्त होते ही मैंने एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बनाई है, पूरे प्रकरण को देखने के लिए व गुणावगुण के दोष के आधार पर निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे और उस कार्यवाही के लिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस सदन में अवगत करा दूंगा और आज आनन-फानन के अन्दर मैं किसी को निलम्बित करने की घोषणा कर दूं, कल कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में मामला जाकर स्थगित हो जाए, मैं समझता हूं उसमें अच्छा संदेश नहीं जाएगा और इसके अलावा जो यहां दो तीन बातें आपने और उठाई, आपने कहा कि इसको ए.सी.डी. में क्यों नहीं दे देते, अध्यक्ष महोदय, यह तकनीकी रूप से सबसे पहले हम इस चीज को चिन्हित कर लें कि इसमें दोष किस-किस का है, किस किस स्तर का है। अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर ए.सी.डी. में इस पूरे प्रकरण को देने में कोई संकोच नहीं होगा परन्तु चूंकि यह तकनीकी खामियां रही हैं, तकनीकी खामियों में हम उनको चिन्हित कर लें जिनके कारण से यह सारा काम हुआ। दूसरा, मैंने निवेदन कर दिया जो संवेदक इसमें था, जो ठेकेदार था उसको भविष्य में विभाग में कोई काम नहीं मिलेगा, इसके लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया व जो इसमें पेमेन्ट होने वाला था उन सारे पेमेन्ट को भी हमने स्टाप कर दिया और यहां मानगढ़ स्मारक की जो बात चली, इसकी पहले जांच हुई थी, इसमें दो अधिकारियों को दोषी करके 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया है और भी इसमें किसी तरह की बात होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। पूरे टी.ए.डी. क्षेत्र में भी जो सड़कें बन रही हैं उनके लिए भी चूंकि यह चिन्ता मुझे भी है, आज जनता का पैसा है और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में काम अच्छा हो, मानक स्तर का हो, इसके लिए पूरे मामले की जांच के लिए दो वर्षों में जितनी सड़कें बनीं, एक, दो वर्षों में जितने भवन बने हैं, उन सब की जांच के लिए मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक समिति बना दी। आप मुझे थोड़ा समय दे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दें, मैं आपको इसी सदन में अवगत करा दूंगा। जांच रिपोर्ट में आज ही निर्देश दे रहा हूं कि जो शो कॉज नोटिस दिया है उस नोटिस के आधार पर उनका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो उत्तर तुरन्त प्राप्त करके या उत्तर उनका प्राप्त नहीं भी होगा तो मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी किस-किस की किस-किस स्तर पर हुई, व सारा आपको मैं सदन में अवगत करा दूंगा, मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : यह हाउस है क्या, आप चलाइये हाउस को। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सी.पी. जोशी साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : तो हम किससे कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मेरे से बात करना चाहते हैं।

डा. सी.पी.जोशी : नहीं हम क्या कर रहे हैं, चलाइये सदन को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप ऐसे डाइरेक्ट कैसे बोल रहे हैं, माननीय सदस्य। सभापति महोदय, कैसे बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) क्या धमका रहे हैं क्या ? (व्यवधान) आप आसन के माध्यम से बोल रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है कि मैं तो आसन से ही बोल रहा हूं, वह सीधे बोल रहे हैं और आपका व्यवहार प्रतिपक्ष के नेता के काबिल है ही नहीं, आप लगते ही नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबार में आया है कि आपके बारे में विचार किया कि इनको.... (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, इससे बड़ी और क्या खराब चीज होगी, (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी परफारमेंस पर विचार हुआ। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि बीच के आदमी की तरफ देखकर के आचरण करें विधान सभा में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : .....नाकारा साबित कर दिया आपको और आप बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इस सदन का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि आप जैसे अज्ञानी आदमी.... (व्यवधान) हमारे सदन के विपक्ष के नेता को यह इस तरह से कह रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भ्रष्टाचारियों को मत बचाओ। (व्यवधान) लीपापोती मत करो। आपसे यह उम्मीद नहीं है, राठौड़ साहब, आप आज ही घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, नियमों की जानकारी तो बीच वालों को ही है, यह प्रतिपक्ष हुल्लड़ ही करता रहता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नियम 295 के प्रस्ताव। श्री सी.डी. देवल।

श्री जीतमल खांट : ...मानगढ़ के लिए अलग से कमेटी बननो चाहिए जांच के लिए। मानगढ़ जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है वहां के लिए स्पेशल कमेटी हो, इसकी जांच करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी घोषणा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.डी. देवल।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आप बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो, आप लाइबिलिटी छोटों पर लाद रहे हो।

श्री जीतमल खांट : जांच की घोषणा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां के एस.ई. और एडिशनल चीफ ने रिपोर्ट दे दी। बडे अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो आप। 36 लाख का तो भुगतान हो गया, 10 तारीख तक ही हो गया, पता कर लें आप। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ...अलग से कमेटी बननी चाहिए। यह 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया है, मंत्रीजी इस मामले को कमजोर करना चाहते हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : ठेकेदार ने तो पेमेन्ट उठा लिया जितना काम किया था उससे ज्यादा बिल उठा लिया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक्स.ईएन और एस.ई. के दस्तखत हैं। माननीय सभापति महोदय, भुगतान तो हो गया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जो सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बारे में असंसदीय टिप्पणी की है उसको आप एक्सपंज करें।

श्री सभापति : विराजिये आप। नो-नो, आप नहीं बोलेंगे। आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : उसे आप एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, फिर हम हाथ जोड़कर के आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए हम यह कह रहे हैं कि मानगढ़ का मामला हो, मानगढ़ में जिन आदमियों के नाम लिये, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना नहीं चाहता आपको, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके नाम आपने मानगढ़ में लिये, पी.ई. में जो आदमी रेस्पोन्सिबल थे उनको 16 सी.सी.ए. से कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप मानगढ़ में भी सस्पैण्ड नहीं करना चाहते और आप कहते हैं राष्ट्र की, राष्ट्रभक्त की हम बात करना चाहते हैं, कोई भी मामला हो, हम किसी से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड करेंगे। क्या चीज है जो आप सस्पैण्ड नहीं करना चाहते। हमारे राज में भ्रष्टाचार हुआ, हमारे खिलाफ आप कार्यवाही कर लीजिये लेकिन आपको तो कमिटमेन्ट होना चाहिए, सदन आज चल रहा है, एक मैसेज देना चाहिए कि हमने एक एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड किया जिससे क्वालिटी अपने आप इम्प्रुव होती है। एग्जम्पलरी पनिशमेंट क्या होता है, सभापति महोदय, इससे बड़ा एग्जम्पलरी पनिशमेंन्ट कुछ नहीं होता । 16 सी.सी.ए. के नोटिस दे दिये, 17 सी.सी.ए. के नोटिस दे दिये। आज दिन तक 16 और 17 सी.सी.ए. के नोटिस में कोई क्वालिटी इम्प्रूव हुई है? यदि क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो बंद कर

(डा. सी.पी. जोशी)

दीजिये क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल का कोई सम्बन्ध 16 और 17 सी.सी.ए. से नहीं है। यह सभी सदस्य जानते हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं कि वहां पर ट्राइबल सब-प्लान में चाहे राष्ट्रीय स्मारक की बात हो चाहे सड़क की बात हो चाहे कोई चीज की बात हो...

श्री सभापति : आपका कथन समाप्त हुआ, बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : उसमें क्वालिटी में कम्प्रोमाइज हो रहा है इसलिए आपको मैसेज देना चाहिए और खड़े होकर कहना चाहिए कि मानगढ़ का मामला हो चाहे कोई मामला हो, हम आज यहां एस.ई. लेवल के आदमी को सस्पैण्ड करेंगे तब तो सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलेगी। बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, हाउस चलता रहे इससे क्या मैसेज जाएगा? आज पांच करोड़ आदमी इस सरकार की तरफ देख रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ देख रहे हैं, आप मुख्य मंत्रीजी के सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, संसदीय मंत्री के रूप में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पर्ची पर यह इतना नहीं कह सकते। पर्ची पर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और पर्ची पर इस प्रकार से तर्क-वितर्क नहीं द सकते। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह क्या है? अकाल पर चर्चा नहीं करें, पानी पर चर्चा नहीं करें, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करें... (व्यवधान) इससे काम नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपा करके विराजिये। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय ने एक इम्पोर्टेंट बात सदन को बताई है कि जब तक कि जांच नहीं हो जाए, यहां पर चर्चा का आधार पर अगर आप एक्शन लने के लिए विवश करेंगे और सदन के दबाव में आकर के कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अदालतें व्यू नहीं लेती हैं कि राजनैतिक दबाव के आधार पर विधान सभा में सदन ने दबाव में अमुक कर्मचारी को सस्पैण्ड करवाया उनको दंडित करवाया तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। ऐसी नजीरें पहले से हैं, एक बार हमने पिछली बार, पिछली विधान सभा में भी करवा दिया था और दूसरे,

(श्री सभापति)

तीसरे दिन ही हाईकोर्ट से उसको स्थगन मिल गया था तो ऐसे जो उन्होंने फरमाये हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए और इस चर्चा को यहीं समाप्त करें।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, गौर करने से क्या करेंगे? मानगढ़ का तो एक साल पहले का मामला है। सभापति महोदय, मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर छत गिरी है यह तो कोई इश्यू नहीं है, दबाव से आज एक्शन ले रहे हैं। 11 तारीख को छत गिर गई, 20 दिन में ही बनने के बाद में। इसमे तो कोई इफ एण्ड बट नहीं है। इस सदन में चर्चा करके किसी को सस्पैण्ड करवा रहे हैं इसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं। हम पर आरोप है कि कांग्रेस के राज में मानगढ़ का काम ठीक ढंग से नहीं हुआ। यहां सदन का आरोप है, इसमें जांच करने में क्या तकलीफ है? इसमें आपने 16 सी.सी.ए. के नोटिस क्यों दे रखे हैं, 17 सी सी ए के नोटिस क्यों दे रखे हैं? 16 सी.सी. ए. के नोटिस आज एक-एक साल तक उनका जवाब नहीं दे आदमी, दो साल जवाब नहीं दे तो क्या काम होगा। उसमें एक आपको एग्जम्पलरी पनिशमेंट देने के लिए यह घोषणा करनी चाहिए कि चाहे कितने लेवल का अधिकारी हो...

श्री भवानी जोशी : मैंने आपको ज्ञापन दिया था और यह मांग की थी कि मानगढ़ की जांच कराओ और आपने जांच नहीं कराई।

डा. सी.पी. जोशी : एक साल तक क्या कर रहे हो आप? एक साल तक क्या हो गया ? (व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : नहीं, आपने जांच नहीं कराई, मैंने आपको ज्ञापन दिया था बांसवाड़ा में ज्ञापन दिया था तो आपने क्या किया? मुझे तो यह बताओ कि आपके राज में क्या हुआ ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक साल से मंत्री हो आप। (व्यवधान) मुझे तो बहुत खुशी है कि आपने ज्ञापन दिये, एक साल हो गया, आप घोषणा करवाइये। अब आपको कौन रोक रहा है ? अब तो मंत्री हो आप? अब कौन रोक रहा है आपको ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मानगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देखते हुए पहले भी जांच हुई और मैं पुनः पूरे प्रकरण की जांच फिर चीफ इंजीनियर से करवाने की घोषणा कर रहा हूं। एक महीने के अन्दर-अन्दर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी सरकार के मंत्री जब यह कह रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है, आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, फिर आप क्या चीफ इंजीनियर से जांच करवा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जीमतल खांट : साल भर हो गया, माननीय सभापतिजी, फिर क्या जांच करायेंगे? जनप्रतिनिधियों को भी साथ में जोड़ने का काम करें। आप खड़े होकर कहें कि जनप्रतिनिधि भी इसमें होगा। (व्यवधान) विभाग के लोगों को साथ में जोड़ते तो विभाग के लोग लीपापोती करते हैं, सारा काम उनको बचाने का काम करेंगे। (व्यवधान) जनप्रतिनिधि को भी लेने का काम करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये मुख्य अभियन्ता जो जांच करेंगे वो पूरी जांच करने जाएंगे तो आपके साथ भी चर्चा करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर आपको मौके पर ले जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपने कह दिया है । श्री सी.डी. देवल।

श्री संयम लोढ़ा : आप राठौड़ साहब, लीपापोती मत कीजिये। आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो आपको क्या दिक्कत है ए.सी.डी. से जांच करवाने में ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, हम इसलिए कह रहे हैं, आज यह 31 दिसम्बर तक टोटल बजट का केवल मात्र 50 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। मंत्रीजी यह बतायें कि हम अगले तीन महीने में पैसे पूरे खर्च कर देंगे। यदि आप एक्शन नहीं लेगे तो (व्यवधान) क्वालिटी कन्ट्रोल तो खतम हो जाएगा। बात कर रहे हो भ्रष्टाचार पर। (व्यवधान) आपका अधिकार है, क्यों रोक रहे हैं? सारा सदन देख रहा है कि हम एक घंटे से बोल रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते । मत करिये, हमें कोई तकलीफ थोड़े ही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पर्ची के माध्यम से आप बजट की बात कर रहे हैं। हमने मुद्दे उठाये थे और यह जवाब आया था कि हम जांच कर रहे हैं। (व्यवधान) पर्ची के माध्यम से बजट पर कर रहे हैं, इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमारी सरकार तो बेईमान सरकार थी, बेईमानी की है हमारी सरकार ने। आपको एक साल हो गया, क्या कर रहे हो? आप भी वो ही काम करना चाहते हो, हम लोगों ने जो काम किया वो काम करना चाहते हो क्या? (व्यवधान) सस्पैण्ड करने में क्या तकलीफ है? एस ई को सस्पैण्ड करने में क्या तकलीफ है ? (व्यवधान) मैं एक बार मंत्रीजी, बात कर लें, आपने नाम लिखा मानगढ़ में किस? देवीलाल का, आपने मानगढ़ में नाम लिया लाल मोहम्मद का। आपने इसमें सस्पैण्ड किसको किया? लाल मोहम्मद को। मैं भी मेवाड़ का रहने वाला आदमी हूं। ट्राइबल सब-प्लान मे कानै आदमी काम करते हैं, कितने अधिकारी कहां लगे हैं, मुझे जानकारी है। आपको अपने आप खड़े होकर के बोलना चाहिए और मुझसे कहलाओ कि क्यों नहीं बोलना चाहते, वो भी मैं नहीं कहना चाहता, यह मुझे जानकारी है, आप नहीं कह सकते।

एक माननीय सदस्य : माननीय जोशीजी, कल कर लेंगे आज क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे मुंह में कोई शब्द डालना चाहते हैं तो मैं कहने वाला नहीं हूं। मैं आपके निर्देश पर काम करने वाला नहीं हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप घोषणा करिये। मेरे निर्देश पर मत करिये, आप अपने आप अपनी सरकार की इमेज के लिए कहिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिड़ला : न सरकार किसी भ्रष्टाचारी को बचाना चाहती है।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं बचाना चाहती है तो क्या करना चाहते हैं? सामने हैं न, सजा दे दीजिये। क्या तकलीफ है? देवीलाल कौन है? लाल मोहम्मद कौन है, इनको मालूम नहीं है ? किसको मालूम नहीं है ? नन्दलाल जी बैठे हुए हैं, कौन नहीं जानता ? (व्यवधान) जीतमलजी बैठे हुए हैं, इनको मालूम नहीं है कि लाल मोहम्मद कौन है? देवीलाल कौन है ? यह मंत्रीजी को मालूम है। 5-5, 10-10 साल तक वो अधिकारी काम कर रहे हैं। मुझसे क्यों

(डा. सी.पी. जोशी)

करा रहे हो आप ? इसलिए मैं तो आपको कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि सरकार की इमेज बढ़ाओ, हमारी कोई इमेज नहीं बढ़ती है। आप तो खाली यह कहना कि कल ज़ांच का मौका है, कल फैसला कर देंगे, हम थोड़े ही कहते हैं कि आज घोषणा करिये। हम तो यह कह रहे हैं कि कल आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी तो आप घोषणा कर दीजिये। पर कल का आधार तो मानिये आप कि 7 दिन आज हो जाएंगे, कल जो आपके पास रिपोर्ट आ जाए उस पर फैसला कर दीजिये, यह भी नहीं कहना चाहते तो फिर क्या है? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी ने जब कह ही दिया कि जांच करवा रहे हैं, तो फिर क्यों उतावले हो रहे हो कि आज ही सस्पैण्ड होने चाहिये ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : सभापति महोदय, यह तो मामला काफी रिपीट हो रहा है। यह सदन का समय खराब हो रहा है। ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह रिपीट हो रहा है, सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। जो निर्णय हो गया आसन ने निर्णय दे दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, ये सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, आज ये उद्योग मंत्रीजी, ये नहीं कहते तो आज ये घोषणा कर देते। ये उद्योग मंत्रीजी ने कह दिया। अगर उद्योग मंत्रीजी नहीं कहते तो कर देते घोषणा। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है।

एक माननीय सदस्य : ये आप पर जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उद्योग मंत्रीजी ने कह दिया तो आप उस बात को पकड़कर बैठ गये, यह क्या बात हुई।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.डी. देवल।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, केवल एक बात कहूंगा, केवल एक वाक्य। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई है,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मंत्री महोदय के लिए, उसको विलोपित करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं-नहीं। श्री सी.डी. देवल।

श्री जोगेश्वर गर्ग : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने असंसदीय टिप्पणी की है माननीय मंत्री महोदय के लिए, उसको विलोपित करवाई जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन पक्ष और विपक्ष की तरफ से यह आग्रह किया गया कि आपके पास में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आई हुई है, उसके आधार पर आप कार्यवाही करें। आज आप नहीं कर सकते हैं तो कल बता दें लेकिन इसके बावजूद माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी इसके बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न ए.सी.डी. से जांच करवाई, जो हमने मांग उठाई, न उस बात को मान रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार के खिलाफ हम बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : यह भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोई बात नहीं है। आप फिजूल की बात कर रहे हैं। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिएं। ये एक बहाना बना रहे हैं आप, यह आपका बहाना है। जवाब आ गया तो फिर क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डुबे हुए हैं। पिछले पांच साल के अन्दर वहां से जो हमने कितने ही मामले उठाये हैं। एक ही मामले में जांच नहीं बैठाई। मैंने तुरन्त जांच की घोषणा कर दी और आप मुझे संदेश दे रहे हैं। जिनके दामन में काले काले दाग हों, आज हमें उपदेश दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है और एक तरह से सदन का बहुमूल्य समय इन्होंने जाया किया। मैंने पहले भी कह दिया कि एक भी आदमी जो दोषी होगा, उसको सरकार बचाएगी नहीं। पूरी जांच करने पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.डी. देवल। (व्यवधान) आप बिराजिये। आप बैठिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय सभापति महोदय, ये तो एक सैकण्ड में वापस आ गये। यह मजाक है। यह बहिर्गमन कम से कम दो घंटे का तो होना चाहिए। एक मिनट में वापस आ गये। फिर सदन का समय बरबाद करने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देखिये आप, ये व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : मुझे मंत्री बनना भी नहीं है। मैं अनपढ़ हूं इसलिए काम वैसे ही चला लूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.डी. देवल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्मिकों की कमी

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की दुर्दशा के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं

राजस्थान में कुपोषण की एवं महिलाओं की खराब स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजनाएं 1975 में प्रारम्भ कीं। आज प्रदेश में 237 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इन परियोजनाओं में 0 से 7 साल तक के बच्चों को पोषाहार दिया जाता है और गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर इन बच्चो एवं गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है।

एक ओर राज्य में कुपोषण के कारण मौतें हो रही हैं जिससे स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकारा है। दूसरी ओर गरीब बच्चों को पूरक पोषाहार देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बाल विकास परियोजनाओं की प्रशासनिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। राज्य में 237 बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों में से लगभग 110 पद खाली हैं। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों

(श्री सी.डी. देवल)

के 143 पद सृजित हैं जिनमं 140 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार लगभग 350 महिला सुपरवाइजरों के पद भी रिक्त हैं।

ऐसी स्थिति में, यह विभाग कैसे काम कर रहा है और किस प्रकार कुपोषित बच्चो को राहत मिल रही है। जब स्टाफ ही नहीं है, विभाग अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहा है। विभाग में कार्यरत महिला सुपरवाइजरों में कुंठा उत्पन्न हो गई है और निराश भाव से ये कैसी सेवा कर रही हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। एक तरफ 110 सी.डी.पी.ओ. तथा 140 ए.सी.डी.पी.ओ. के पद रिक्त हैं। दूसरी तरफ 20-25 साल बाद भी इन महिला सुपरवाइजरों को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति यह है कि अधिकारी दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। अब इन कर्मचारियों की पदोन्नति में रोड़ा अटकाने के लिए सीनियर सुपरवाइजर का एक पद सृजित किया गया है जो सर्वथा गैर कानूनी है।

समेकित बाल विकास परियोजना का कार्यक्रम केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत सारा पैसा भारत सरकार दे रही है। उनकी योजना में सीनियर सुपरवाइजर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। केवल अधिकारियों की हठधर्मी के कारण एवं कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। राज्य सरकार इस बात को गम्भीरता से लें और ए.सी.डी.पी.ओ. के रिक्त पद पर तथा सी.डी.पी.ओ. के पद पर महिला सुपरवाइजरों को पदोन्नति दें जो उनका जायज हक है तथा प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तुरन्त हटाया जाए ताकि इन परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन हो सके और राज्य के लाखों गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषाहार मिल सके और समेकित बाल परियोजनाओं के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय मंख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में महामहिम राज्यपाल महिला हैं, विधान सभा अध्यक्ष महिला हैं एवं मुख्य मंत्रीजी स्वयं महिला हैं। फिर भी महिला एवं बच्चों के लिए संचालित इस कार्यक्रम में लगी हुई महिला सुपरवाइजरों की स्थिति दयनीय हैं। सैकड़ों पढी-लिखी लड़कियां हैं जिन्हें सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

(श्री सी.डी. देवल)

माननीय सभापित जी...

श्री सभापति : नहीं, आगे नहीं। नहीं, आगे नहीं।

श्री सी.डी. देवल : नहीं, मुझे दूसरी बात कहनी है...

श्री सभापति : नहीं, वह नहीं कहेंगे, नैस्ट, श्री लालचन्द मेघवाल ।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री सभापति : बिराजिये बिराजिये। अंकित नहीं होगा। जो कुछ भी कहा है, इनका अंकित नहीं होगा।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री सभापति : आपको कोई अनुमति नहीं है बोलने की, अंकित नहीं होगा। माननीय श्री लालचन्द मेघवाल।

मुझे आपसे अनुरोध करना है, सदन को अनुरोध करना है कि 295 के अन्तर्गत जो आप सूचना पढ़ते हैं, वह 250 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्यों को अभ्यास करना चाहिए, अपना स्टेटमेंट तैयार करने के बाद में टाइम देखना चाहिए कि आप उसको पांच मिनट में पढ़ सकते हैं कि नहीं। आप 250 शब्द कितनी देर में पढ़ेंगे उतना ही आपको बोलने की अनुमति है, यह नियमों में दिया हुआ है और मुझे स्पीकर महोदया की तरफ से आदेश हुआ है कि इसकी पालना करवाई जानी चाहिए तो 295 के अन्दर जो जितने शब्द हैं, वह आप लिखकर, वक्तव्य तैयार करके, घड़ी के सामने बैठ जाइये, टाइम देखिये, उसके बाद में आप उसको पढ़ना शुरू करें। यह नहीं कि आप गाथा पढ़े जा रहे हैं। यह गाथा नहीं है, यह सूचना है 295 के अन्दर 250 शब्दों की सीमा होनी चाहिए। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप इसकी पालना करेंगे।

श्री लालचन्द मेघवाल

रायसिंहनगर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के

(श्री लालचन्द मेघवाल)

नियम 295 में नगरपालिका रायसिंहनगर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जो कि लगभग 50,000 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है लेकिन सफाई के नाम पर नगरपालिका, रायसिंहनगर में 60 कर्मचारी हैं। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए समय-समय पर ठेके पर देकर सफाई की जाती है लेकिन फिर भी शहर में सफाई बिलकुल ही कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं हो पा रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार के स्वायत्त शासन मंत्रीजी से आग्रह है कि शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखकर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखते हुए करीब 100 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश नगरपालिका रायसिंहनगर को दें ताकि शहर को सुन्दर व स्वच्छ बनाया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। श्री हरज्ञानसिंह गुर्जर, 193

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि करने के बाबत

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा कार्यवाही संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव की सूचना देना चाहता हूं।

मैं उन भूतपूर्व सैनिकों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों के साथ विदेशों में जाकर लड़ाई में भाग लिया तथा अंग्रेजों को विजय दिलाई परन्तु युद्ध समाप्त होते ही उनको सरप्लस कर बिना पेंशन लाभ दिये सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद उनको कहीं भी नियोजन का अवसर भी नहीं दिया गया तथा उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। हमारे सैनिक संगठनों ने उनकी बिगड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पेंशन दिलाने का प्रस्ताव रखा जैसा कि अन्य प्रदेशों में इस तरह के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है। परन्तु इस प्रदेश में किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तथा पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी के सामने यह समस्या रखी तो इसे

(श्री हरजान सिंह गुर्जर)

जायज मानते हुए 300/- माहवार पेंशन देना स्वीकार किया गया था। चूंकि रुपये का अवमूल्यन हो चुका है इसलिए रुपये 300/- बहुत कम है। इस राशि को बढ़ाकर रुपये 500/- कर दिया जाता है तो भूतपूर्व सैनिकों को राहत मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : आप अपने वक्तव्य को अलग नहीं पढ़ें। आप 295 देख लीजिये। उसमें क्या है, उसका पालन करना है। नैक्स्ट, माननीय श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

इंदिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने विषयक

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : सभापति महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करना चाहता हूं परंतु यह काश्तकारों की गम्भीर समस्या है, वक्तव्य थोड़ा मोटा है, इसकी मैं इजाजत आपसे पहले ही लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान बाबत मेरा प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि इंदिरा गांधी केनाल का निर्माण होने से पूर्व इस नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की भूमि जो पूर्व में रियासत के समय के लोगों की खातेदारी भूमि थी और उन लोगों ने जरिये बेयनामा वर्तमान में काबिज लोगों को विक्रय कर दी। विक्रय होने के उपरान्त ऐसे लोगों के बेयनामों का इंतकाल किसी कारणवश नहीं हो पाया, उपनिवेशन अधिनियम लागू होने के उपरांत समस्त भूमि जो पूर्व में खातेदारी थी, गैर खातेदारी घोषित कर दी गई। गैर खातेदारी होने के कारण एवं मूल खातेदारान के नाम से रहने के कारण जिन लोगों ने मूल खातेदारान से भूमि खरीद की थी उसका इंतकाल दर्ज नहीं पाया, उस भूमि पर आज भी ऐसे खातेदारान लाखों की संख्या में टीबी से लेकर इंदिरा गांधी केनाल के अंतिम क्षेत्र जैसलमेर तक प्रभावित हैं। उन्हें इस भूमि का ना तो खातेदार घोषित किया जा रहा है व ना ही उन्हें भूमि पर विधिक रूप से काबिज होते हुए भी मिलने वाली सरकारी सुविधा ही मिल पाती है। राज्य सरकार ने एएए का निर्माण कर काश्तकारों को कुछ राहत देने की कोशिश की लेकिन यह धारा भी इन भूमि खातेदारों को कोई राहत नहीं दे पाई क्योंकि धारा 15 एएए में उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान है

कि सम्वत् 2012 से लेकर आज तक भूमि पर निरन्तर कब्जे के आधार पर ही खातेदारी देने का प्रावधान है। उपनिवेशन लागू होने से पूर्व के खातेदारों ने अपनी भूमि वर्तमान काबिज लोगों को विक्रय कर दी। इस कारण इन खरीददारान का भूमि पर निरन्तर कब्जा धारा 15 एएए के अन्तर्गत नहीं माना गया। इस कारण यह काश्तकार आज तक खातेदारी अधिकारों से वंचित हैं। सीलिंग सीमा तक इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की सूरत में राज्य सरकार को लाखों रुपये की आमदनी होगी तथा भारी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, इन खरीददारान में से कुछ लोगों ने उपनिवेशन अधिनियम लागू होने से पूर्व अपने बेयनामा के आधार पर सरकार के नियम के मुताबिक दस गुणा राशि बतौर शास्ति जमा करवाई थी लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने उपनिवेशन अधिनिमय लागू होने के बाद में दस गुणा राशि लेकर खातेदारी देने का नियम समाप्त होने के कारण उन्हें भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये। ऐसे लोगों की तादाद इन्दिरा गांधी केनाल क्षेत्र में हजारों की संख्या में है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उपनिवेशन अधिनियम की धारा 15 एएए में संशोधन कर उपरोक्त दोनों प्रकार के लोगों को राहत प्रदान की जा सकती है कि खरीददार व खरीददार के वारिसान के नाम से खातेदारी अधिकार देकर राहत प्रदान की जाये ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र व समस्त इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ मिल सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पाटीदार।

पिड़ावा की पेयजल समस्या का समाधान करने विषयक

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में जल स्तर गिर जाने की वजह से पेयजल समस्या काफी गम्भीर हो चुकी है। कुछ गांवों मे तो अभी माह फरवरी से ही लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और गर्मी के मौसम में तो लगभग सभी गांव पेयजल समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। मैं कुछ गांवों के नामों का वर्णन यहां करना आवश्यक समझता हूं जो प्रतिवर्ष पेयजल समस्या से बुरी तरह प्रभावित होते हैं जो निम्न हैं :- सालरी, गुणदी, बोलीचाबुजुर्ग, करमाखेड़ी, खटकड़,

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

ढाबला, नोलाई, अलताफनगर, गौशाला सिरपोई, भिलवाड़ी, गौशाला धरोनियां, सांगरिया आदि। उक्त गांवों में गांव की सीमा में या तो पानी नहीं निकलता है या निकलता है तो खारा निकलता है। अतः उक्त गांवों में गांव के बाहर ट्यूब वैल खुदवाया जाकर पाइप लाइन व टंकी बनाकर इनको पेयजल उपलब्ध कराया जावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बली बांध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस बांध से मुख्य मंत्री महोदया ने 14 करोड़ रुपये की योजना मंजूर कर लगभग 27 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का रास्ता प्रशस्त किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त चम्बली बांध में सिंचाई के अलावा भी काफी पानी उपलब्ध है। कुछ अन्य गांव जो पेयजल समस्या से बहुत अधिक प्रभावित हैं, इस बांध से जोड़ने का कष्ट करें ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, एक माह बाद गर्मी प्रारम्भ हो जाएगी, पेयजल समस्या से मुकाबले हेतु जो हमारे चालू हैण्ड पम्प हैं उनका संधारण, रिपेयरिंग आदि का कार्य अभी से प्रारम्भ कराया जावे तथा लगभग सौ नये हैण्ड पम्प विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में स्वीकृत किये जावें जिनकी खुदाई का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो ताकि आने वाली गर्मी में इनका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री नाथूराम अहारी।

उदयपुर डिवीजन के बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवारों को हो रही परेशानी बाबत

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उदयपुर डिवीजन में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. (चयनित) परिवारों के बारे में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर निम्न प्रकार हैं:-

उदयपुर डिवीजन में चयनित परिवारों के बारे में जो परेशानी हो रही है वह यह है कि गत पांच वर्षों में उदयपुर डिवजीन में बहुत परेशानी हो रही है,

(श्री नाथूराम अहारी)

आजकल अधिकांश अर्थात करीब-करीब सब लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को बिलकुल अनाज नहीं है तथा मजदूरी भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं-कहीं लोग दो-तीन रोज तक खाना नहीं खाते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि उदयपुर डिवीजन में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. का भेदभाव नहीं किया जावे। एस.सी., एस.टी. या जनरल कास्ट का कोई भेदभाव नहीं रखा जावे। उचित मूल्य की दुकान मे सबको समान दृष्टि से खाद्यान्न मिलना चाहिए, नहीं तो लोग भूखों मर जाएंगे। सबको समान रूप से अनाज मिलना अत्यन्त आवश्यक है तथा हर परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाना आवश्यक है। गत पांच वर्षों में सबकी हालत दयनीय हो गई है। मेरी मांग है कि सरकार को हर परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाना आवश्यक है और अनाज भी हर परिवार को दिया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. नाथूसिंहजी गुर्जर।

राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने विषयक

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं यह प्रारम्भ करने से पूर्व आपको यह ज़ानकारी देना चाहूंगा कि मैं किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूं लेकिन जब तक हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश की मूल धारा में नहीं जुड़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभापति महोदय, जो मैं विषय उठा रहा हूं उस वर्ग के लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलित हैं।

श्री सभापति : अन्य बात नहीं, जो कुछ आपने इसमें लिखा है...

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, वही पढ़ रहा हूं मैं। केन्द्र सरकार ने...

श्री सभापति : आप सभापति तालिका के सदस्य हैं, सभापति भी हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनें तो सही, मैं बोल रहा हूं न।

श्री सभापति : बोलेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : पढ़ ही रहा हूं, साहब। पढ़ ही रहा हूं मैं। आप सुन लेते तो आपको इतना बोलना ही नहीं पड़ता। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सन् 2000 में पत्र लिखकर राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की टिप्पणी चाही थी लेकिन बड़े खेद का विषय है कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के बार-बार पूछे जाने पर भी वह टिप्पणी नहीं भेजी गई। मेरे द्वारा पिछले सत्र में दिनांक 30.7.2004 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2753 के उत्तर में सरकार ने कहा था कि जिला कलक्टरों से सूचना प्राप्त होने के बाद यह टिप्पणी भिजवा दी जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की टिप्पणी का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है। मेरे एक पत्र के जवाब में दिनांक 23 जून, 2003 को केन्द्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री द्वारा पत्र भेजकर मुझे जानकारी दी गई थी कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 15.8.1999 में एक निर्णय लेकर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भिजवाना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह की जानकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग से मेरे द्वारा 8.7.2003 को भेजे गये एक पत्र के उत्तर में दी। किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया है। उसके आर्टिकल 46 और कई आर्टिकल्स है जिनमें यह प्रोवीजन है..

श्री सभापति : इसमें जिक्र नहीं किया गया है, आप अक्षरशः पढ़ेंगे। आप अलग पढ़ रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अक्षरशः ही पढ़ रहा हूं। केन्द्र द्वारा किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव एक अनिवार्य प्रथम शर्त है। संविधान में ही यह भी कहा गया है कि कोई भी जाति यदि सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है तो उस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है एवं राज्य सरकारें ऐसी जातियों के बारे में केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश या प्रस्ताव भेज सकती हैं।

यह इसलिए भी आवश्यक है कि गुर्जर जाति के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इस

(डा. एन.एस. गुर्जर)

जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने का एक प्रमाण यह है कि इस जाति में से राजस्थान में एक भी आई.ए.एस./आई.पी.एस. नहीं है एवं राज्य में आर.ए.एस./आर.पी.एस./न्यायिक सेवाएं/शासकीय एवं अन्य अर्द्धशासकीय सेवाओं में भी इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। इस जाति के अधिकतर लोग मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं। अधिकतर लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। चरागाह एवं सिवाय-चक समाप्त होने के कारण उनका यह कार्य भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के आने के बाद तो पशुपालन का कार्य प्रायः समाप्त हो गया है। इसमें इनमें अशिक्षा, भुखमरी, आदि फैल रही है एवं समाज कुरीतियों में जकड़ कर और भी पिछडा होता जा रहा है। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि राजस्थान की गुर्जर जाति को बिना किसी अन्य जातियों को नुकसान पहुंचाये अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसा/सिफारिश/प्रस्ताव या टिप्पणी अविलम्ब केन्द्र सरकार को भेजने का कष्ट करें, ताकि आगे की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके। इस मामले को लेकर पिछले कई वर्षों से राजस्थान का गुर्जर समाज आन्दोलन कर रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिये जा चुके हैं। गुर्जर समाज द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन भी दिये गये हैं। धरने एवं प्रदर्शन भी किये गये है, रैलियों के आयोजन भी किये गये हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार सभी सरकारों ने सिफारिश भेजने के कई बार आश्वासन भी दिये हैं लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कई बार राज्य सरकार को अनुस्मरण पत्र भेजने के...

श्री सभापति : विघ्न नहीं डालें।

डा. एन.एस. गुर्जर : बाद में किसी भी तरह का प्रस्ताव/संकल्प/सिफारिश या टिप्पणी केन्द्र सरकार को नहीं भिजवायी गयी है जिसके कारण यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष केन्द्र ने 142 जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था उससे पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा यदि समय पर सिफारिश भेज दी जाती तो अभी तक गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया होता। राज्य सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि वह तत्काल केन्द्र सरकार को सिफारिश बनाकर प्रस्ताव भिजवायें ताकि इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सके।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नैक्स्ट माननीय श्री हरीश चन्द्र कुमावत।

राजकीय चिकित्सालय, नावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने विषयक

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय सभापति महोदय, मै राजकीय चिकित्सालय, नावां (नागौर) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने हेतु विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, उपखण्ड मुख्यालय, नावां (नागौर) 115 वर्ष पुराना है, 20 हजार से अधिक आबादी का कस्बा जो नमक औद्योगिक नगर है। यहां की आबादी के अतिरिक्त 10 हजार मजूदर कार्य करते हैं तथा इस नगर के साथ ग्रामीण बस्ती व अन्य औद्योगिक क्षेत्र जैसे राजात, गोविन्दी, जाबदीनगर, मोहनपुरा, खाखड़की जो 8-10 किलोमीटर की परिधि में हैं। यहां क़ी जनसंख्या व कार्यरत मजदूर आदि सहित पूरी जनसंख्या जोड़ी जाए तो एक लाख की जनसंख्या के लिए यहां का एकमात्र चिकित्सालय है जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : योजना/विकास/2000/782 दिनांक 29.6.2004 से प्राप्त सूचना के अनुसार मुझे बताया गया है कि उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप-2 पत्र क्रमांक : प-16(04)चिकित्सा/2/2004 दिनांक 4.6.2004 के माध्यम से उन्हें निर्देश प्राप्त हुये कि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान अनुमोदित किया गया है, प्रस्ताव प्रेषित करते समय डिस्पेन्सरी, नावां को शामिल कर लिया जाएगा, इस आवश्वासन से प्रसन्नता हुई कि नावां का चिकित्सालय अब शीघ्र क्रमोन्नत हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एकवर्षीय कार्य योजना पुस्तक जो 15 अगस्त, 2004 को जारी की गई, के पृष्ठ 55 के क्रमांक : 33 पर भी 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने का प्रस्तावित कार्य अंकित है परन्तु अब वर्ष 2004-05 पूरा हो रहा है, स्मरण हेतु माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को तथा गत माह

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

दिनांक 6.1.2005 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी निवेदन किया, उन्होंने मुझे पत्र दिनांक 29.1.2005 से जानकारी दी है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि अब तक अनुपालना हुई होगी जिसकी जानकारी देवें।

मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि नावां शहर (नागौर) के चिकित्सालय को शीघ्र क्रमोन्नत करने के आदेश स्वीकृत बजट में प्रावधान एवं मुझे निदेशालय द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार जारी कराकर नावां शहर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार शीघ्र करावें। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर के काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बहाल करने विषयक

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा बहाली और माइनरों में सुधार हेतु विशेष उल्लेख।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेक स्थानों पर काश्तकारों को सिंचाई हेतु नहरी पानी की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 को इंदिरा गांधी मुख्य नहर बुर्जी संख्या 496 के पास टूटी तथा आस-पास का इलाका जलमग्न हो गया था। इसी कारण चक 1 जी.एस.एम. के काश्तकार जिन्हें पूर्व में सिंचाई सुविधा मिल रही थी नहर टूटने के दिन से आज सवा साल बीत रहा है, आज तक सुविधा बहाल न हो पाने के कारण बदहाल हैं। इन्हें तुरन्त सिंचाई सुविधा बहाल कराई जाए। साथ ही, नहर कटाव के साथ बह कर आई मिट्टी से बर्बाद हुए सिंचित रकबे को सुधारने हेतु काश्तकारों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ, के.जे.डी. नहर के बैड लेवल ठीक नहीं होने के कारण नहर के अंतिम छोर की ओर सिंचाई का पानी तो दूर पेयजल भी नहीं पहुंच पाता है। अतः के.जे.डी. नहर की आर.डी. 137.500 पर पूगल ब्रांच की आर.डी. 210.150 से एक लिंक चैनल बनाकर जोड़ा जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। इस हेतु प्रस्ताव

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सरकार के पास लम्बित है। भागू माइनर का भी बैड लेवल ठीक नहीं होने के कारण काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने की शिकायत है। मथानिया माइनर कन्टूर लाइन पर बना है। इस कारण हर समय मिट्टी से भरा रहता है तथा काश्तकारों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है इसे सुधारा जाए। साथ ही इस माइनर में सिंचाई विभाग द्वारा जो कट लगाया गया था उसे भी पक्का नहीं किया गया है, जिसे तुरन्त प्रभाव से पक्का करवाया जाए। मुस्लिम वाला माइनर पर अवैध रूप से लगी कड़ी के कारण सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाता है। इस हेतु ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे उन्हें भी पूरा पानी मिले तथा अन्य स्थानों के काश्तकारों पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। अनेक नहरों पर ए.पी.एम. लगाने का कार्य बकाया है उसे शीघ्र पूरा कराया जाए तथा नहरों की डिसिल्टिंग का समयबद्ध कार्यक्रम तय करके ठेके के माध्यम से न करवाकर सम्बन्धित काश्तकारों के माध्यम से करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल गुप्ता।

किशनपोल (जयपुर) की कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित करने विषयक

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बनी आवासीय कालोनियों का नियमन नहीं होने एवं नियमन की राशि समान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में कृषि भूमि पर बसी हुई बहुत-सी कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत आने वाली अनेक कालोनियां यथा हरिनगर, तुलसीनगर, विवेकानन्द कालोनी, राधागोविन्द कालोनी, कृष्णा नगर, मदनबाड़ी, राजीव नगर, एस.एस. नगर, जे.पी. कालोनी सेक्टर-4, शंकर कालोनी, जैम्स कालोनी, पृथ्वी नगर, मल्होत्रा नगर, गुर्जर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बस्ती ऐसी कालोनियां हैं, जिनका अभी तक भी जे.डी.ए. द्वारा नियमन नहीं किया गया है। जगदम्बा कालोनी तथा अन्य कालोनियां जो कि ढहर के बालाजी मन्दिर के आस-पास स्थित हैं, उनके नियमन की दर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य आस-पास में बसी हुई कालोनियों से दुगुनी निर्धारित की गई हैं। जो कि उचित नहीं है, यहां भी इन कालोनियों के समीप स्थित अन्य कालोनियों के समान ही नियमन शुल्क निर्धारित करना चाहिए। चौमूं पुलिया से विश्वकर्मा तक सड़क के दोनों ओर अधिकांश क्षेत्र में दुकानें निर्मित हैं और उनके पीछे मकानात का निर्माण हो चुका है। प्राधिकरण द्वारा इस व्यावसायिक क्षेत्र का नियमन करने हेतु कैम्प लगाने की तिथि कुछ स्थानों की तय की गई है अथवा उनके कैम्प लग चुके हैं लेकिन सड़क के दाहिनी ओर अर्थात् सड़क के पूर्व बनी दुकानों के नियमन करने हेतु प्राधिकरण द्वारा कैम्प नहीं लगाये गये हैं और न ही भविष्य में नियमन करने बाबत कैम्प की कोई तिथि निर्धारित की है। इसलिए इस व्यावसायिक क्षेत्र की दुकानों एवं भूमि के नियमन सम्बन्धी कैम्प लगाने की तिथि प्राधिकरण को अवलिम्ब घोषित करनी चाहिए।

मान्यवर, अम्बाबाड़ी के उत्तर की ओर स्थित अनेक आवासीय कालोनियों के नियमन हेतु प्राधिकरण ने तो कोई कैम्प लगाए हैं और न ही भविष्य में कैम्प लगाने की कोई तिथि घोषित की है। इस स्थिति में वहां की जनता में भय का वातावरण व्याप्त है।

अन्त में, मेरा माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में बसी हुई समस्त आवासीय कालोनियों को नियमित करने की त्वरित कार्यवाही की जाए एवं प्राधिकरण द्वारा नई कालोनियों के नियमन हेतु निर्धारित दर को कम कराने सम्बन्धी कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो जे.डी.ए. के मैम्बर भी हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं हैं, अभी नहीं हैं।

श्री सभापति : पहले तो थे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी कोई भी विधायक जे.डी.ए. का मैम्बर नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालालजी।

निवाई क्षेत्र में खुली बजरी परिवहन से जनता को परेशानी

श्री हीरालाल (निवाई) : सभापति महोदय, मैं नियम प्रक्रिया 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र निवाई में बजरी के ट्रकों द्वारा की जा रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, निवेदन है कि निवाई विधान सभा क्षेत्र में सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र से बजरी के ट्रकों द्वारा बजरी परिवहन कर जयपुर लाई जाती है। बजरी के हाफ बाडी ट्रक बजरी को ढके बिना लाते हैं। बजरी खुली परिवहन करने से छोटे वाहन, दुपहिया वाहनों को शीशे एवं दुपहिया वाहन चालकों के आंखों में चली जाती है। जिससे आये दिन टौंक एवं जयपुर के मध्य अकुशल वाहन चालकों द्वारा दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जबकि इस रोड पर 10-15 दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। इससे मानव की अमूल्य जाने जाती हैं तथा स्थायी एवं अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हाफ बाडी ट्रक द्वारा ले जायी जाने वाली बजरी को ढक कर ले जाया करें क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इलाज हेतु जयपुर रेफर किया जाता है तथा वहां से जयपुर की दूरी 70 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में निवाई कस्बे में तुरन्त ट्रोमा अस्पताल स्वीकृत किया जावे ताकि मानव जीवन को दुर्घटना घटने पर बचाया जा सके एवं गम्भीर दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को तुरन्त चिकित्सालय व्यवस्था प्रारम्भ की जाकर मानव जीवन को बचाया जा सके। साथ ही, ट्रक ड्राइवर वाहन चलाते हैं उनके लाइसेन्स की जांच व गाडियों में रही खामियों की परिवहन विभाग द्वारा जांच कराई जावे तथा एन.एच. 12 पर चल रही ऐसी गाड़ियों के ड्राइवरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री दाताराम गुर्जर ।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295

के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, आपके माध्यम से प्रक्रिया एवं नियम 295 के विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पीने के पानी की विकट समस्या है। गत फरवरी एवं मार्च माह में स्वीकृत ट्यूबवैल एवं हैण्ड पम्प अभी तक चालू नहीं हुए है। पानी का जल स्तर 450 फीट तक चला गया है। विभाग के पास 100 मीटर हैड की मोटर वर्तमान में उपलब्ध है और ये मोटर 300 फीट से अधिक गहराई का पानी निकालने में सक्षम नहीं है और 150 मीटर हैड की मोटर सरकार ने खरीदने की व्यवस्था अभी तक नहीं की जिसके कारण जो ट्यूबवैल खोदे जा चुके उनको भी अभी तक चालू नहीं किया गया है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है ऐसा लगता है सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो पीने के पानी की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का और माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अब हैण्ड पम्प से पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती जिन गांवों में हैण्ड पम्प स्कीम हैं उनको तुरन्त पेयजल या टी.एस.एस. स्कीम में कन्वर्ट करके गर्मी से पहले उन सभी गांवों में ट्यूबवैल स्वीकृत कर चालू करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जनता को पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और ट्यूबवैल स्वीकृत करने के पश्चात् समय सीमा तय कर शीघ्र पेयजल व्यवस्था का समाधान किया जावे, धन्यवाद।

श्री सभापति : पर्ची सिस्टम में माननीय श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मकराना में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि चाहे किसी की भी सरकार हो वह नहीं चाहती कि वहां क्राइम हो लेकिन क्राइम करने वाला किसी भी सरकार में क्राइम करते नहीं चूकता। इसी सदंभ मे मेरे मकराना क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके मार्फत माननीय गृह मंत्रीजी को यह

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कहना चाहता हूं कि मकराना बहुत सेंसेटिव शहर है जहां पर वारदात होना बहुत ही वकत रखती है। अभी इसी छह महीने में कई ऐसी वारदातें हो गयी है जिन को हमारे वहां की स्थानीय पुलिस कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है, न मुल्जिमों को पकड़ पा रही है जिससे हमारी संवेदनशील सरकार पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति के घर पर डकैती हुई और उस डकैती को आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया। कम से कम 50-60 लाख रुपये की डकैती हुई, गोलियों से उसको मारा गया लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि बार-बार निवेदन करने पर भी और अब तो यहां तक हमें पता लग गया कि मुल्जिम कौन हैं, इसके बावजूद भी उनको पकड़ा नहीं जा रहा है इस बात का मुझे दुख है। अभी 20 दिन पहले एक हनीफ टाक नाम के व्यक्ति का दिन दहाड़े कत्ल हुआ और वहां पर मकराना थाना बंद हो गया। चुनाव का टाइम था, मैं वहां पहुंचा मैंने लोगों को पूछा कि आखिर किन कारणों से बंद कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि एक तो मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए यहां जांच में गड़बड़ हो जाएगी और दूसरा यह है कि मुलजिम प्रभावशाली हैं, माफिया है, पकड़े नहीं जाएंगे, मैंने उनको आश्वासन दिया, एस.पी. को मैने कहा और मेरे आश्वासन पर ही वह हजारों लोग रात को 12 बजे उठकर चले गये। मान्यवर, आज 20 दिन हो गये हैं वह गरीब परिवार है और मैंने परसों ही यह पता लगाया है कि उनको यह प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपको 20 लाख रुपये दे देंगे, इस मुकदमे को उठा लो और पुलिस उनको पकड़ना नहीं चाहती है। यह गम्भीर मामला है माननीय गृह मंत्रीजी इस पर ध्यान दें।

इसी तरह, दो बहुत बड़ी-बड़ी चोरियां हो गई, 6-6 लाख की और वही पुलिस है। हमारे आचार्य श्री वहां पधारे थे उनका प्रवचन सुनने गये थे पीछे से बोले कि एक आदमी ने चोरी कर ली और उन्होंने उसका नामजद कर दिया, उसके बावजूद आज तक उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है आप शीघ्र आदेश दें और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को वहां से हटायें। मैं वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। अभी 3 रोज पहले एक बी.ई.आ. को मैने ही पकड़वाया है जो 10 हजार रुपये रिश्वत खा गया। इसलिए या तो आप उनको हटार्ये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटायें और यह जो डकैती और कत्ल

हुआ है इनके मुल्जिमों को हरगिज नहीं बचाया जाना चाहिए। आप आदेश दें और इसकी जांच आप आई.जी. आफिस के किसी अधिकारी से कराएं, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा। पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के सम्बन्ध में।

पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, अपने यहां एक लोकोक्ति है कि एक चिड़िया बहुत स्वतंत्र होकर विचरण कर रही थी तो लोगों ने उसको समझाया कि है, चिड़िया बहेलिया आएगा, गीत सुनाएगा, उसकी बातों में आकर फंसना मत। सभापति महोदय, ऐसा ही हुआ हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ। बहेलिया आया, गीत सुनाया और दाना-दाना हमारी शिक्षा व्यवस्था उसके चक्कर में फंस गई। क्या आहवान था शिक्षा के माध्यम से, समानता को स्थापित करेंगे, गरीबी हटायेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, विगत 55 वर्षों में शिक्षा के माध्यम से इस बात की भरसक कोशिश की गई कि उन महान स्थापना, उन महान आदर्शों की प्राप्ति की जा सके। हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति-जनजाति, गरीब वर्ग के लोगों को शासन ने लगातार इस बात की कोशिश की कि उन्हें सहूलियत मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उनको समाज में बराबरी से जीने का हक मिले लेकिन, सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जिनसे यह उम्मीद थी कि एक महिला मुख्य मंत्री हैं और गरींब की बेटी को सहारा मिलेगा, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार ने 2 दिसम्बर, 2004 को जो मैट्रिक विशेषपूर्ण मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए विज्ञप्ति जारी की है अनुसूचित जाति-जनजाति की बच्चियों के लिए, जो अंग्रेजी के बेहतरीन स्कूल हैं, सारे राजस्थान के मां-बाप का यह सपना रहता है कि उसकी बच्ची उन प्रतिष्ठित विद्यालयों में तालीम प्राप्त करें। लेकिन राजस्थान की इस जनविरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार ने अपनी सरकारी

(श्री संयम लोढ़ा)

विज्ञप्ति के अन्दर एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल जयपुर, लाला कमलापंथ सिंघानिया शिक्षा संस्थान गोटन, बिड़ला सीनियर माध्यमिक विद्यालय पिलानी, बिड़ला पब्लिक स्कूल पिलानी, बिड़ला बालिका विद्यापीठ पिलानी, बीआरजेडी पब्लिक स्कूल बहरू ग्राम चूरू, जो अंग्रेजी माध्यम के बेहतरीन स्कूल हैं उन सबके लिए एक नोट लगाया है कि इन सभी स्कूलों में राज्य सरकार के निर्णयानुसार नूतन छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी दृष्टिकोण का यह पहला उदाहरण नहीं है। जब वर्षा की कामना के लिए मन्दिरों मे पूजा अर्चना करवाई गई तब भी किसी आदिवासी समुदाय के मंत्री को मन्दिरों मे पूजा अर्चना के लिए नहीं चुना गया। बहुत अच्छा होता जब यह सरकार ब्रह्माजी के मन्दिर में, नाथद्वारा के मन्दिर में किसी दलित आदिवासी से पूजा करवाती। दिलावरजी को मौका दिया तो हमारे लोक देवता बाबा रामदेवजी के मन्दिर में इनको भेजा। (व्यवधान) इस सरकार का सोच दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यह सरकार यही आकर नहीं रूकी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 29.5.2004 एवं बाद में 2005-06 के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें मात्र 350 अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए जारी की गई। इससे पहले यह योजना 32 जिलों में समाज के दलित, आदिवासी समुदाय के बच्चों को लाभान्वित कर रही थी, जिसको घटाकर 26 जिलों तक इन्होंने सीमित कर दिया। यह विज्ञापन 2.12.2004 को दिया है उसमें साफ यह 26 जिलों की सूची दी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में 1450 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा था, जिसकी संख्या घटाकर 350 कर दी गई है और वह भी मात्र जनजाति तक उनको इन्होंने सीमित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कक्षा 2 से कक्षा 12 तक की प्रवेश की व्यवस्था थी जिसको भी घटाकर 6 से 12 कर दिया गया है और 38 विद्यालय कम करके 32 विद्यालय कर दिये गये हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े

(श्री संयम लोढ़ा)

भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सदन में कहते हैं, महिला मुख्य मंत्री, महिला अध्यक्ष, महिला राज्यपाल, इन तीन-तीन सर्वोच्च पद पर महिलाओं के बैठने के बाद उस गरीब आदिवासी बेटी के साथ किस तरह का अन्याय यह सरकार कर रही है।

मैं यह कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अन्दर आज 60 विधायक, दलित आदिवासी समुदाय के 50 विधायक जीतकर आये हैं, मैं उनकी आत्मा को जगाना चाहता हूं कि गरीब समाज के लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया है कि उनके बच्चों के हक के लिए राजस्थान के सर्वोच्च सदन में पैरवी कर सके, इसलिए नहीं दिया कि वसुन्धरा राजे सिंधिया को कोई बड़ा उद्योगपति और महाराजा या महारानी फोन कर दें और यह आदिवासी समुदाय की बच्चियों के हकों का, उनकी सुविधाओं का वह गला घोट दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवदेन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस बात के निर्देश प्रदान करें कि जिन 6 विद्यालयों के अन्दर जनजाति की बच्चियों को प्रवेश से रोका गया है, उस प्रावधान को फिर से लागू करें और जनजाति बच्चियों को इन अच्छे विद्यालयों में जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चियां हैं, उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करें, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर मैंने भी इस चीज को उठाया था और आज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से प्रकाश डाला है। यह बात सही है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त में 500 अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश मिलता था और वह निरन्तर आगे बढ़ते रहते थे। उन्हीं में से आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आर.ए.एस. व आर.पी.एस. अफसर बनते थे। इस सरकार ने पिछली बार इन बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई। पिछली बार भी जब विधान सभा का बजट अधिवेशन हुआ था जुलाई में, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी और उसमें इन्होंने जनजाति क्षेत्र में कुछ व्यवस्था की है लेकिन उन चुने हुए स्कूलों को छोड़कर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी प्रवेश न देना और आज की तारीख में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आप नये सिरे से भर्ती नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कर रहे हैं इसलिए सरकार स्पष्ट जवाब दे कि आपकी नीति क्या है ? आपने किस कारण से 500 विद्यार्थियों को जो नियमित रूप से भर्ती होते थे उनको क्यों बंद कर दिया? पिछले दिनों में आपने जो नुकसान किया है, मान लीजिए 250 विद्यार्थी भर्ती नहीं हुए, तो क्या इस साल आप 500 बच्चों को वापस, अनुसूचित जाति-जनजाति के, विद्यार्थियों को भर्ती करेंगे ? जिन स्कूलों से आपने उनको वंचित किया है उन स्कूलों में आप पुनः उन विद्यार्थियों को भर्ती करने के लिए क्या कोई आदेश निकालेंगे? नहीं तो, निश्चित रूप से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, यह सरकार की नीति दलित विरोधी, अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी होगी और आपको आने वाली पीढ़ियां कभी भी माफ नहीं करेंगी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं रखी है। अनुसूचित जाति के तो सारे ही निरस्त कर दिये। (व्यवधान) एक भी सीट अनुसूचित जाति की नहीं रखी है, सभापति महोदय।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कांग्रेस सरकार ने 1450 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित की थी (व्यवधान) और जब से यह सरकार आई है अनुसूचित जाति की पूरी तरह... (व्यवधान)

श्री सभापति : आडर प्लीज, आपकी कोई पर्ची नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह अनुशासित नहीं है।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : यह विज्ञप्ति हमारे पास है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर है, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने रखा है। मैं समझता हूं कि इस तरह की गलत सूचनाएं, गलत समाचार विधान सभा में नहीं रखने चाहिए। मैं निवेदन यह कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि इतने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से, उसके माध्यम से जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उच्च प्रतिष्ठित, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक-बालिकाओं को भर्ती करवाते थे।

(श्री मदन दिलावर)

उसका सारा खर्चा समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग वहन करता था इसलिए निवेदन यह है कि जब हमारे पास इस प्रकार के संस्थान नहीं थे इसको करवाते थे, वैसे तो अभी भी करवा रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एडिशनल क्या किया है। हमने बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और जनजाति विकास विभाग के माध्यम से... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपके पास जानकारी है तो आप यह बताइये 8 पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : इनके पास समाज कल्याण के छात्रावासों का ब्यौरा नहीं है, समाज कल्याण के छात्रावासों में बच्चों की क्या दुर्गति हो रही है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, आपके खिलाफ तो स्वतंत्रता सैनानी भूख हड़ताल पर बैठे हैं आज। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : समाज कल्याण के छात्रावासों का पता नहीं है। (व्यवधान) समाज कल्याण मंत्री बनने के बाद में शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों का भट्टा बैठ गया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : 2002-03 से पहले क्या कोई छात्रावास नहीं था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये इतने अनुशासनहीन हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के बाद हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान) इन पर कंट्रोल कीजिए। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल लिये, आपके बाद बोल रहे हैं... (व्यवधान) कंट्रोल करिये।

श्री सभापति : बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री सांगसिंह भाटी : जवाब तो सुन लो आप, बैठो तो सही। 3-3, 4-4 आदमी खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इनसे क्या जवाब सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : ये देंगे जवाब, जवाब देने में आप सक्षम नहीं हो, जवाब ये ही देंगे। (व्यवधान) जवाब सुनिये आप, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों की शिक्षा के लिए... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी कह रहे हैं, यह सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : गुमराह करने का काम कर रहे रहे हैं, दलितों को। आपका यह डिपार्टमेन्ट ही नहीं है। (व्यवधान) शिक्षा मंत्री का विभाग है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने समाज कल्याण विभाग में घोटाले करवाये हैं उसके खिलाफ आज स्वतंत्रता सेनानी मोहन लाल जैन... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : आप जवाब तो सुनो।

एक माननीय सदस्य : समाज कल्याण का तो भट्ठा बैठ गया, शिक्षा मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वह भी आप सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान) तो ये जवाब देंगे क्या.. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और इसके अलावा भी 20 आवासीय विद्यालय खोलने के लिए हमने प्रपोजल मूव किये, उस पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति हो चुकी है। (व्यवधान) हम निरन्तर रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक-बालिकाओं की शिक्षा के प्रति गम्भीर हैं। (व्यवधान) जब हमारे पास इस प्रकार के संस्थान नहीं थे तो इस प्रकार के संस्थानों में भेजते थे। फिर भी वह प्रक्रिया चालू है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बातों का क्या महत्व होगा फिर...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, कृपा करके एक सैकिण्ड... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी के खिलाफ आज स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल जैन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। (व्यवधान) इन्होंने समाज कल्याण के छात्रावासों की जो दुर्गति की है यह क्या जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिएं, बैठिएं, बैठिएं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सरकार ने 2.12.2004 को विज्ञप्ति निकाली है अनुसूचित जाति के लिये एक भी छात्र के लिये छात्रवृत्ति का प्रोविजन नहीं रखा है। (व्यवधान) कितनी शर्म की बात है सभापति महोदय...(व्यवधान) एक भी छात्र के लिएं...

श्री मदन दिलावर : 5 हजार बालक-बालिकाओं को इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं हम।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : यह सरकार दलित विरोधी है। इस सरकार में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं है, यह मान लें हम ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : 2004 मे जो विज्ञप्ति जारी की है इसमें एक...

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या मंशा है? आप अपनी बात उठाते हो, सरकार की बात ही नहीं सुनना चाहते हो तो यह तो कोई बात नहीं हुई। आपके नेता बोल चुके... (व्यवधान) आपके नेता बोल चुके, आप सुनिए। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, आप इसको गम्भीरता से लीजिए। प्रतिपक्ष के नेता बोले हैं। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठायी है 8 स्कूलों के बारे में और प्रतिपक्ष के नेता ने उस पर वजन दिया है। (व्यवधान) सरकार ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर उत्तर देना शुरू किया है। आप कृपा करके सुन तो लें। उसके बाद में कुछ कहना चाहो तो कह देना। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने 8 स्कूलों की बात की है और मैं 37 स्कूलों की बात कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब ये कुछ भी बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह निकाल देंगे अगर कोई गलत बात हो तो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : 37 स्कूलों में एक में भी एक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति को नहीं रखा है। 37 स्कूल जो समाज कल्याण द्वारा चयनित हैं उनमें से एक भी स्कूल में प्रोविजन नहीं रखा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आप व्यवस्था करिए कुछ।

श्री सभापति : कोई बात आपत्तिजनक हो गयी है तो अध्यक्ष महोदय के नोटिस में ला दें, उसको एक्सपंज कर देंगे वे, उचित समझेंगे तो। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन से आग्रह है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जो बात हो रही है वह सही लेकिन उसके साथ में, चाहे किसी भी जाति का हो, चयनित परिवार का हो उसकी स्थिति खराब हो, ऐसे छात्रों को भी उस ढंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए, यह मेरा सदन से निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, जो मामला उठाया है और जिस प्रकार से उठाया है, उस प्रकार का मामला नहीं है। लेकिन मैं 2 बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन स्कूलों का नाम लिया गया है उन स्कूलों में अनुसूचित जाति-के बच्चों को भेजने का जो सरकार का काम था या समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देते थे, समाज कल्याण विभाग से मैं आग्रह करूंगा कि वह नाम भेजें। इस सत्र से हम उनको वापस भेजेंगे। किसी प्रकार से उसकी कटौती का सवाल नहीं है। (व्यवधान) सुन तो लें, दूसरी बात जो उठायी वह महत्वपूर्ण यह थी कि इसका दूसरा तरीका भी हमने अपनाया है। एक तरीका हमने अपनाया है कि जो भी बच्चे और बच्चियां अनुसूचित जाति और जनजाति की रह गयी थीं, उनके लिए हमने 55 तो शिविर लगाये हैं, 9-9 महीने के। वह 9-9 महीने के शिविर इसलिए लगाये हैं कि उनको 9 महीने में 3 वर्ष की पढ़ाई करवा कर उनको तीसरी और पांचवीं क्लास में भर्ती करवा जाए। यह कुछ चुने हुए स्कूल हैं, जैसे प्रतिपक्ष के नता ने कहा, उनमें अगर भर्ती करवा देते हैं तो स्टेण्डर्ड के स्कूल माने जाते हैं। इसके लिए इन्होंने भी स्टेण्डर्ड के स्कूल प्रारम्भ किये हैं लेकिन अगर इसी पर जोर है तो पिछले साल का कोटा रहा है वह भी और इस साल का, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है सरकार को कि अनुसूचित और जनजाति के बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय किया जाए। लेकिन एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं आपने एक मुद्दा और उठाया, इनकी आत्मा को जगाया आपने कि यहां पर 60 अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक हैं। मैं उनकी आत्मा को जगा रहा

हूं। इनकी आत्मा जागी तब तो आपका यह हाल ही हुआ। मैं एक और कहना चाहता हूं 5 साल तक आपने कोटा नहीं किया। एक को नौकरी नहीं लगने दिया। यह पहली बार है कि 9 हजार आदमियों को नौकरी लगाकर हमने अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा भी पूरा कर दिया। (व्यवधान) यह बात है, सभापति महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : अपने आप को छिपाओ मत, शिक्षा मंत्रीजी। आपके पाप छिपाओ मत। आप कहो कि हम इसको... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : शिक्षा मंत्रीजी आपने इस हाउस में... (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एस.सी., एस.टी. के बैकलाग की बात इस सदन में कही है।

श्री बंशीलाल खटीक : पाप तो आपके राज में किये हुए हैं, (व्यवधान) पाप इनके राज के किये हुए हैं, वह पाप अब धोने में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, नागर साहब, बाबूलालजी नागर, आप बोलेंगे। (व्यवधान) बाबूलालजी नागर बोलेंगे अपनी व्यथा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने एस.सी., एस.टी. के बैकलाग पूरा करने की बात कही है.. (व्यवधान) मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने एस.सी., एस.टी. के लिए जो...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी पर्ची पर ही बोलेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने एस.सी., एस.टी. के बैकलाग पर खाली गुमराह किया गया है जो 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत जो हमारा हक बनता है उसकी भी पूर्ति नही की गयी है, बैकलाग पूरा नहीं किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैकलाग पूरा कर दिया गया है। एक भी संख्या बाकी नहीं है, जो रखी गयी है। (व्यवधान) कर दिया।

श्री बाबूलाल नागर : तो आप बता दो, शिक्षा मंत्रीजी, आपने कितने लोगों को किया है....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल आप सदन में नहीं थे, कल मैंने सारा बता दिया था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपका सवाल यह है कि बैकलाग पूरा नहीं

(श्री सभापति)

किया। मंत्रीजी कह रहे हैं, बैकलाग पूरा कर दिया, अब कौनसी बात रह गयी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह इस तरह धूल में लट्ठ चलाते हैं मंत्रीजी। इससे काम नहीं चलेगा। क्या यह जो आपने विज्ञप्ति जारी की है आप उसको निरस्त करेंगे? (व्यवधान) आप उन बच्चों को अलाउ करेंगे इन स्कूलों में आप यह फालतू की लफ्फाजी कर रहे हैं यहां पर हाउस के अन्दर। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह धूल में लट्ठ तो आपने चलाये हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह लफ्फाजी से सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आपके रहते हुए यह सदन इस तरह से चलेगा... (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन नियमों से चलेगा।

श्री बाबूलाल नागर : 1.12.2004 को आपने जो विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें अनुसूचित जाति की... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अनुसूचित जाति का ढिंढोरा पीटने वालों जरा अपनी गिरहबान मे झांक कर देखों, 5 साल के राज में आपने अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ क्या खिलवाड़ किया। अपनी गिरहबान में झांककर देखों। 45 साल राज करके उन एस.सी., एस.टी. वोटों को लेने वालों अपनी गिरहबान में झांककर देखो... (व्यवधान) अगर आपने सही तरीके से काम किया होता तो आपकी स्थिति यह नहीं होती। (व्यवधान) अब कौनसे तरीके से बोलने का हक रखते हो। (व्यवधान) इस गरिमामय सदन में अपनी गिरहबान में झांककर देखो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजियें, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजियें।

श्री गौतम लाल मीणा : सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, फिर नहीं बोलूंगा। मैं पहली बार बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अपने अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ खिलवाड़ किया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है, शिक्षा मंत्रीजी ने जानकारी दी है कि एस.सी., एस.टी. का पूरा बैकलाग कर दिया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, कुल कितने पद आपने किये हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कैसे खड़े हो गये, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बार-बार एस.सी., एस.टी. के वोटों पर राजनीति करने वालों एस.सी., एस.टी. को खाली जहां का तहां रखा आपने। वोटों तक ही सीमित रखा। एस.सी., एस.टी. के वोट लो और राज करो राज का मजा चखों, यही आपने किया। एस.सी., एस.टी. का आपने कभी भला नहीं किया। यदि एस.सी., एस.टी. का भला किया होता तो आज कोई एस.सी., एस.टी. वंचित नहीं रहता। आज अपनी गिरहबान में झांककर देखों। अब गयी सरकार में आपने क्या किया। अभी रोना रो रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और यह बाबूलालजी नागर ने अपनी पार्टी पर ही यह आरोप लगाया था कि 25-25 हजार रुपये लेकर कांग्रेस के टिकट बांटे हैं, उसका क्या हुआ।....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप गरीबों के वोटों से जीतकर आये हों, उनकी बात करो यहां पर (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री हीरालाल (निवाई) : मंत्रीजी का जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं और वे जवाब दे रहे हैं और जबरदस्ती एस.सी., एस.टी. की बात कर रहे हैं। एस.सी., एस.टी. के लोगों का शोषण कांग्रेस के राज में हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, दो पर्चियों में सदन का समय निकल जाएगा और भी तो बहुत से माननीय सदस्य हैं बोलने वाले। सभापति महोदय, हमारी भी पर्चियां हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस शोषण करती आ रही है और आप... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस शोषण करती आ रही है और आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और 45 साल तक उनके वोट लिये। कांग्रेस ने एस.सी. और एस.टी. के वोट लिये हैं और उनका शोषण किया है।

श्री बंशीलाल खटीक : आज एस.सी., एस.टी. के विधायक कितने हैं। एस.सी., एस.टी. के वोटों पर राज करने वालों अपने गिरहबान में झांककर देखो और थोड़ा सा एस.सी., एस.टी. का भला करते तो आपकी यह हालत नहीं होती। (व्यवधान)

श्री गौतम लाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, जब समाज कल्याण मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, समाज कल्याण मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो सुनने की क्षमता इनमें होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। लिखने वाले कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। क्या लिखा जाए, किसका लिखा जाए, क्या बोल रहे हैं आप, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गौतम लाल मीणा : यह अनुसूचित जनजाति की जो बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इनके राज में उदयपुर जिले में (व्यवधान) जनजाति का एक भी छात्रावास भवन बनाया हो तो बता दें ? जितने भी यह जनजाति के छात्रावास के भवन बनाये हैं यह भारतीय जनता पार्टी ने बनाये हैं। इनके कांग्रेस के शासन में एक भी भवन नहीं बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सूची में नाम है इनका।

श्री संयम लोढ़ा : तिवाड़ी साहब की बेटी तो एम.जी.डी. में पढ़ेगी और गरीब आदिवासी की बेटी सरकारी स्कूलों में पढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, इस सीट से आप आदेश देंगे उसकी परम पालना होगी। आप यदि नाम से भी पुकारें तो, आदेश देंगे तो जाना भी पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गौतम लाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी के शासन में सीनियर सैकण्डरी स्कूल भी खुली है और कांग्रेस के राज में नहीं खुले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इनको नाम से पुकारें।

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप आधे घंटे से खड़े हैं। कौनसा नियम है? आप तो प्रबुद्ध माननीय सदस्य हैं। नहीं, कौनसे नियम में खड़े हैं ? आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : मेरी बात कहने दीजिए।

श्री सभापति : आप बैठिये। आपकी बात का जवाब दे दिया। किसी चीज का अन्त भी तो होता है। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आपकी बात का जवाब दे दिया। सरकार ने जवाब दे दिया, अब कोई चीज बाकी नहीं है। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। वह चर्चा समाप्त हुई। श्री बाबूलालजी नागर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, यह ऐसा गम्भीर विषय है इसमें एस.सी. और एस.टी. के बच्चों के प्रवेश पर सरकार ने रोक लगा दी और, सभापति महोदय, यह (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है और प्रतिपक्ष के नेता आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके आदेश से ही बोल रहा हूं। मैं आपके आदेश से बोल रहा हूं।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आदेश से बोल रहा हूं आपके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी व्यवस्था के बाद आप प्रश्न उठा रहे हैं, यह प्रतिपक्ष के नेता को.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चर्चा खतम करने का कह दिया उसके बावजूद भी बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों पर सरकार आवास की, निवास की, रहने की, फीस की सब व्यवस्था करती थी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, आप बीच में, यह सब संयम लोढ़ा ने उठाया था, आप बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह पचास साल में पहला मौका है जब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने जान-बूझकर प्रवेश नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब इनको विधान सभा की प्रक्रियाओं और नियमों में .... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए अनुसूचित जाति के बालकों के लिए (व्यवधान) यह सोशल जस्टिस के खिलाफ है इसलिए मैं सभापति महोदय,... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं वाक आउट करता हूं, मैं वाक आउट करता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं वाक आउट करता हूं क्या पहले आपको मैं इसका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप प्रतिपक्ष के नेता बाद में है। आर्डर प्लीज। आप प्रतिपक्ष के नेता बाद में हैं, आप मेरी पार्टी के, जिस पार्टी का मैं हूं उसके भी आप नेता हैं और प्रतिपक्ष के भी नेता हैं। आपका हम सम्मान करते हैं। यह आसन सम्मान करता है। आपकी बात के ऊपर सत्ता पक्ष ने विस्तृत जवाब दिया है। अच्छा जवाब दिया है। उसके बाद में कोई चीज रहती नहीं है। आप ऐसा नहीं करें। श्री बाबूलाल नागर, दूदू में अकाल राहत के बारे में बोलेंगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : इस विज्ञप्ति के बारे में क्या करेंगे, सरकार यह बताये।

श्री सभापति : अकाल राहत के बारे में, दूदू क्षेत्र के अन्दर अकाल राहत की स्वीकृति के बाद भेद-भाव बरतने पर हो रही स्थिति के सम्बन्ध में विचार।

श्री संयम लोढ़ा : सभापित महोदय, यह जो विज्ञप्ति सरकार ने जारी की है इसके बारे में क्या करेगी? यह जवाब दिलवाइये, प्रश्न तो यह है। इनकी लफ्फाजी से उन बच्चियों का भला होने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप बात

(श्री सभापति)

नहीं करें। आप जैसा उत्तर चाहते हैं वैस उत्तर दिलाने के लिए मैं सत्ता पक्ष को मजबूर नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष ने जवाब दे दिया, काफी जवाब है। अच्छा जवाब है और आप ज्यादा जिद नहीं करें, बैठियें आप। श्री बाबूलाल नागर। आप अवहेलना नहीं करें बार-बार।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, इस सरकार के दलित विरोधी वक्तव्य और उन बच्चियों को न्याय नहीं देने की बात कहने पर वाक-आउट करता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह सरकार दलित विरोधी है और इन्होंने अभी तक विज्ञप्ति वापस लेने का नहीं कहा है इसलिए अनुसूचित जाति विरोधी रवैये पर हम बहिर्गमन करते हैं, पूरा।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, यह कोइं बात नहीं हुई। सभापति महोदय, सदन में इस प्रकार का मजाक का सा और मखौल उड़ाकर वाक-आउट कोई बच्चों का खिलौने के जैसा वाक-आउट किया, वैसा आज विपक्ष के नेता ने किया। भगवान उनको पार्लियामैण्ट्री सिस्टम में इस प्रकार करने के नाम से माफ करे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज; माननीय रामप्रताप कासनिया।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मैं यहां पर मौजूद हूं, यहां पर।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आप नहीं बोल सकते।

श्री बाबूलाल नागर : मैं मौजूद हूं यहां पर।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मेरा नम्बर है अब।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मैं मौजूद हूं यहां पर।

श्री सभापति : इनके बाद बोलना आप।

श्री बाबूलाल नागर : अच्छा, इनके बाद बोल देंगे।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया। आर्डर प्लीज ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : वाक-आउट तो बहुत देखे पर इस तरह ऊपर और देख रहे थे माननीय कल्लाजी, पता नहीं क्या है ऊपर।

श्री सभापति : आप अपनी बात बोलिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : रामप्रतापजी कासनिया, आपको वहम हो रहा है कि आप इसके नजदीक मुंह करके बोलेंगे जब ही आवाज आएगी और दूर करके बोलिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं-नहीं, दूर है साहब।

श्री सभापति : दूर रखो और सीधे बोलो, अच्छी आवाज आएगी।

श्री रामप्रताप कासनिया : आजकल बहुत सुधार कर लिया।

आराजी घोषित भूमि पर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की मांग

श्री सभापति : सीधे हो जाओ आप झुको मत इसके ऊपर (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर 55 से पूर्व के जो काश्तकार हैं, राजाओं के समय की जो भूमि थी उसको खरीद लिया। सभापति महोदय, उपनिवेशन विभाग लागू होने के बाद में राजस्थान केनाल, नहर आने के बाद में उपनिवेशन नियमों के कारण से वह भूमि आराजीं राज घोषित कर दी गयी। सभापति महोदय, बहुत पुरानी जमीन थी, उसके बाद में राज्य सरकार ने इस तरह के काश्तकारों को लाभ देने के लिए धारा 15 (एएए) में संशोधन करके काश्तकारों को खातेदारी राइट्स देने के लिए नियमों में प्रावधान किया और साथ में यह परन्तुक लगा दिया, सभापति महोदय, कि 2012 से लेकर लगातार जिन काश्तकारों के पास कब्जा होगा, उनको खातेदारी अधिकार मिलेगा और सभापति महोदय, इसके साथ जिन लोगों ने बिना परमीशन के 55 से पूर्व की जो जमीन खरीदी उन लोगों पर धारा 13 बनाकर 10 परसेन्ट पैनल्टी लगाकर उनको रेगुलराइज करने

का प्रोविजन नियमों में किया परन्तु कुछ काश्तकार ऐसे थे जिन्होंने अपनी माली हालत कमजोर होने के कारण से पैसा जमा नहीं कराया और इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, लगातार जो 12 से लेकर लगातार कब्जे वाला जो नियम था, उसके मुताबिक खरीददार जो है, वह सम्वत् 2012 में लगातार काबिज नहीं दर्शा पाये क्योंकि 2012 के बाद जिन लोगों ने भूमि खरीदी वह लगातार काबिज नहीं होने के कारण से खातेदारी अधिकारों से वंचित रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार के घर से कुछ जाने वाला नहीं है। जब नियमों में शिथिलता प्रदान कर दी और पैनल्टी लगाकर कुछ लोगों को आपने खातेदारी अधिकार दे दिये तो इस तरह के लोग उनका क्या गुनाह है जिन्होंने राजाओं के टाइम की खातेदारी भूमि खरीदी और उस भूमि को आज दिन तक आप लोगों ने खातेदारी नहीं दी। सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि नियमों में संशोधन करके इस तरह के जितने भी हजारों की संख्या में काश्तकार हैं, टीबी से लेकर जैसलमेर तक के काश्तकार हजारों संख्या में हैं, उनको भी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाएं और नियमों में संशोधन करने से सरकार के खजाने में पैसा आएगा। नहीं तो सरकार इन काश्तकारों को बेदखल भी नहीं कर सकती। जब सरकार इस तरह के काश्तकारों को बेदखल भी नहीं कर सकती तो फिर खातेदारी अधिकार भी देने चाहिये। 15 एएए के अन्दर संशोधन करके कोई न कोई नियमों में प्रोविजन बनाकर और काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाएं ताकि राज्य का खजाना बढ़ेगा और हजारों काश्तकारों को लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, करंट आ रहा है। यह माइक मे करंट की शिकायत सुबह से आ रही है। (व्यवधान) अब उधर से, इधर से नहीं... (व्यवधान)

श्री सभापति : करंट तो आप बोल रहे हो इसलिये आ रहा है। आप बंद हो जाएंगे तो नहीं आएंगा। देखिये, अब नहीं आ रहा है। अब बिराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। यह दिन भर ऊपर देखते हैं, वाक आउट करते हैं। इनको समय ज्यादा मिलता है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं ? मंत्री महोदय, कुछ नहीं कहना चाहते। श्री बाबूलाल नागर।

जयपुर के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की मांग

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, जहां भी अकाल पड़ता है तो वहां के लोगों के लिए एक अभिशाप की तरह है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। राजस्थान में, सभापति महोदय, एक दिसम्बर से अकाल राहत कार्य खोलने की बात कही और जयपुर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें एक मौजमाबाद तहसील, जिसमें 130 गांव 50 से 100 प्रतिशत खराबा इस श्रेणी में आया और 127 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। सभापति महोदय, एक दिसम्बर, 2004 से 16 फरवरी 2005 तक, इस तरह ढाई महीने, सभापति महोदय, मेरे 130 राजस्व गांवों में मात्र 16 कार्य 20-20 श्रमिकों के स्वीकृत किये गये। 130 राजस्व गांवों में 320 श्रमिक टोटल अकाल के लिये स्वीकृत किये गये। सभापति महोदय, लगभग 3,789 बी.पी.एल. के सदस्य हैं और 320 श्रमिक स्वीकृत करना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र इन पिछले 10 सालों में साल-साल तक लगातार अकाल से पीडित रहा है। सभापति महोदय, एक समय यह था जब कांग्रेस की सरकार थी। 50-50 हजार श्रमिक अकाल पर लोग काम करते थे। अनुसूचित जाति का बहुल क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं। मेरे क्षेत्र में खारा पानी है। सभापति महोदय, फसल खाली बरसात पर निर्भर करती है और बरसात नहीं हुई इसलिए अकाल में मेरा क्षेत्र आया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आप लगातार श्रमिक सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कभी सात लाख, पिछले दिनों आपने 10 लाख की बात कही और ढाई महीने तक 320 श्रमिक 130 राजस्व गांवों में, सभापति महोदय, दो व्यक्तियों, तीन व्यक्तियों को एक गांव में रोजगार देने की बात इस सरकार ने की। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा अन्याय किया है। बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सभापति महोदय, लोगों ने घर-बार छोड़कर, गांव छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया। लोगों के लिये पीने के पानी की मुसीबत है। एक भी चारा डिपो हमारे यहां शुरू नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री बाबूलाल नागर)

हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, इसी तरह फुलेरा तहसील में मेरे दूदू विधान सभा से 51 राजस्व गांव आते हैं। मंत्रीजी, आपको याद होगा, मैं खुद मंत्रीजी से उनके सचिवालय के कार्यालय में उनसे मिला हूं। उनसे मैंने प्रार्थना की है कि यह 57 गांव ऐसे हैं जो भयंकर अकाल से पीडित हैं। आप इनकी दुबारा गिरदारनी कराएं। मैं सम्बन्धित जिला कलक्टर से भी मिला। उनसे भी मैंने प्रार्थना की कि आप इनकी दुबारा गिरदावरी कराएं। सभापति महोदय, खराबे की रिपोर्ट में उन गांवों में 49 से 25 प्रतिशत तक का खराबा बताया है सरकार ने निर्णय लिया कि जहां 50 प्रतिशत से कम खराबा है वहां अकाल के काम नहीं कराएंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, वह ऐसा क्षेत्र है जो पिछले 10 साल से पूरे क्षेत्र में सात साल शत-प्रतिशत खराबा रहा। और यहां 10 के 10 साल शत प्रतिशत खराबा रहा। लोग भयंकर परेशान हैं। कैसे इन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और रोजगार की क्या व्यवस्था है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, जहां पानी कुओं में नहीं हैं। पीने के लिये मीठा पानी नहीं है। खारा पानी भी वहां उपलब्ध नहीं है तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप गांव से जुड़े हुए आदमी हो, गांव की पीड़ा समझते हो, गरीब की पीड़ा समझते हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे लोग गांव छोड़-छोड़कर अकाल से पीडित होकर पलायन कर रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस पलायन को रूकवाएं और भारी तादाद में अभी सरकार ने फैसला किया है कि जहां खारा पानी है वहां विशेष पैकेज देने की बात आपने की है।

श्री सभापति · आप विराजिये। आप रिपीट कर रहे हैं आर्गुमेंट को।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : सभापति महोदय, यह स्थिति राजस्थान के सभी क्षेत्रों की है। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति बताना चाहता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 90 प्रतिशत गांव खराबे के हैं। उसके बाद भी वहां लेबर सीलिंग इतनी कम है कि वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। गायें बिना चारे के मर रही हैं। गांव में पीने का पानी नहीं है तो सरकार इस बात को बिलकुल गम्भीरता से नहीं ले रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

राजस्थान के सभी गांवों का ध्यान रखते हैं तो आप अजमेर जिले का जो पुष्कर क्षेत्र है, जो पूरा का पूरा अकालग्रस्त क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अन्दर अकाल राहत में श्रमिक संख्या बढ़ाई जाए। धन्यवाद ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (अकाल राहत मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने फुलेरा के 51 गांवों में अकाल, अभावग्रस्त घोषित कर काम चालू कराने की बात कही है। माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. की जो गाइड लाइन्स हैं, उनके अनुसार 50 प्रतिशत से ऊपर का जो खराबा होता है उसी गांव को अभावग्रस्त घोषित किया जाता है और उन्हीं गांवों में अकाल के काम चालू किये जाते हैं। इनके जो 51 गांव हैं वह 50 प्रतिशत से नीचे के खराबे के हैं। इसलिए सी.आर.एफ. की गाइड लाइन्स के हिसाब से वहां काम चालू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह निराधार है। इनके दूदू में प्रभावित गांव है 127, इन 127 में 54 काम चल रहे हैं। और श्रमिकों की संख्या है... (व्यवधान) आप सुन लो।

श्री बाबूलाल नागर : आप गांव से जुड़े हुए, गरीब से जुड़े हुए नेता हैं। आप तो 16 फरवरी तक, एक दिसम्बर से 16 फरवरी तक कितने काम आपने स्वीकृत किये, यह बता दें। 16 फरवरी तक बता दें आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, वर्तमान में तो स्थिति है 54 काम दूदू में, 36 काम चाकसू में और 24 काम फागी में, अब सबसे ज्यादा काम माननीय सदस्य के इलाके में है।

श्री बाबूलाल नागर : ढाई महीने तक मंत्री महोदय, आप घुमाओ मत। सीधे शब्दों में आप जवाब दो कि एक दिसम्बर से 16 फरवरी तक आपने दूदू मौजमाबाद तहसील में जो 127 गांव अकाल में हैं, उनमें आपने टोटल कितने काम मंजूर किये और कितनी श्रमिक सीमा आपने तय की ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री बाबूलाल नागर : उन्होंने कहां दे दिया ? मंत्रीजी तो गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : ठीक है, जो दिया ठीक है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैं आपके चैम्बर में भी मिला हूं कि मेरा क्षेत्र भयंकर परेशान है। लोग पलायन कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एक बार सुन लो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, विराजें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री नरपतसिंह राजवी

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, जवाब तो आने दें।

श्री सभापति : दे दिया जवाब मंत्रीजी ने।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखें

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का 43वां प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005

श्री सभापति : विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाले विधेयक।

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005। श्री यूनुस खान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री यूनुस खान (खेल मंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय मेरा जवाब देना चाह रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, कहां दिया? मंत्री महोदय, एक मिनट आपसे प्रार्थना है। सभापतिं महोदय, अलाउ करें, मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराज जाएं।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, लोग घर छोड़-छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने अपने मवेशियों को छोड़ दिया है और इस तरह से अन्याय कर रही है सरकार और मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं। सभापति महोदय, मेरी आपसे यह गुजारिश है, अनुरोध है मेरा, मंत्री महोदय, मुझे बता दें जो मैं लोगों को आश्वस्त कर दूं कि अकाल के लिए घर नहीं छोड़े, मैं उन लोगों को यह विश्वास दूं कि यह सरकार जल्दी युद्ध स्तर पर अकाल का काम चलायेगी। मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। उन्होंन बता दिया 50 परसेंट से कम खराबा हुआ है और उनको अकाल में नहीं लिया जा सकता।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं। दलित समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़ रहे हैं, गांव छोड़कर जयपुर में भटक रहे हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी, सरकार यह आश्वासन तो देगी कि पर्याप्त अकाल राहत के काम चलायेगी... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : जब बिजनेस दूसरा शुरू हो गया, देना चाहते हैं या नहीं, जब आपके द्वारा व्यवस्था दे दी गयी, बिजनस शुरू हो गया।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, 127 गांव 90 परसेंट तक... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजें। माननीय प्रहलाद गुंजल।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह हठधर्मिता नहीं चलेगी।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगा अभी।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, मैं इस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर धरना दे रहा हूं। मेरे लोग अकाल से बहुत परेशान हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, गांव-गांव छोड़ रहे हैं और मवेशियो को खुला छोड़ रहे हैं, पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सभापति महोदय, मैं धरना दे रहा हूं।

(श्री बाबूलाल नागर, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

(श्री बाबूलाल नागर, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : सभापति महोदय, राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 चर्चा के लिए सदन में पेश हुआ है।

सभापति महोदय, यह जो विधेयक का स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है मैंने इसको पूरा पढ़ा है। यह बात तो सभापति महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के इस लोकतांत्रिक इतिहास में इस अधिनियम को लाकर जो उदारहण राजस्थान सरकार पेश करना चाहती है यह न केवल राजस्थान में हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों के लिए एक माडल होगा, एक अनुकरणीय उदाहरण होगा।

यहां यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, पुरानी जो व्यवस्था हमारी क्रीड़ा संगमों की रही, आज मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा है कि राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर किसी व्यक्ति का 40 साल का कब्जा हट गया, यह केवल राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर 40 साल के कब्जे का प्रश्न नहीं है ना जाने कितने, इतने राजस्थान के खेल संघ जिनके चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर एक औपचारिकता ना जाने कितने सालों से चली आ रही है और इन हालातों में जहां राजस्थान की सरकार पुरानी व्यवस्था में उनको मान्यता देते हुए मात्र राजस्थान ओलंपिक संघ से संबद्धता के कारण राजस्थान क्रीड़ा परिषद उनकी हर गतिविधि को जायज ठहराती रही और उनके सामान्य आवेदन पर राजस्थान सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।

(श्री प्रह्लाद गुंजल)

सभापति महोदय, मुझे ध्यान है कि शायद राजस्थान सरकार इस देश की पहली सरकार होगी, प्रश्न वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है राजस्थान राज्य की सरकार का है, जिसने राजस्थान खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के तमाम खर्चे का वहन वर्षों से किये जाने का कार्यक्रम बना रखा है। यह व्यवस्था देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है जहां खेलों का कार्यक्रम, खिलाड़ियों का पूरा भत्ता, वेतन, ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था और आयोजन हो, खेल संघों के माध्यम से खर्चे की जिम्मेदारी सरकार की। यह अनूठी व्यवस्था राजस्थान में पहले से चली आ रही है और इसलिए, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि शायद राजस्थान सरकार को यह दृष्टिगत हुआ है कि खेलों के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिये राजस्थान सरकार जहां स्वाभाविक रूप से बिना विधिक प्रक्रिया के बने खेल संघों को भी प्रोत्साहन दे रही है, इसको विधिक स्वरूप दिया जाना चाहिए।

कई प्रकार की खामियां, सभापति महोदय, मैं समझता हूं पिछले उसमें हुआ करती थी कि कभी राजस्थान का जो खेल संघ है सामान्य प्रक्रिया में उसका स्वरूप यह होगा कि जिले के संघ मिल कर उसको चुनेंगे, जिले के संघ में कौन होंगे, कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था। एक व्यक्तियों का समूह जो एक विचारधारा से, एक परम्परा से, एक साथ ले और एक सहयोग से खड़े हो गये और खेल समूहों पर कब्जा करने की एक प्रक्रिया चल रही थी और कहीं विचारों में मतभेद हो गया तो, सभापति महोदय, यह भी उदाहरण देखने को आया कि राज्य में जो खेल संघ हैं उन्होंने कई बार जिले के खेल संघों को संबद्धता से हटा दिया और अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने विचार काम करने वाले लोगों को एक नया खेल संघ स्थापित कर दिया।

आज खेल सामान्य बात नहीं रही। खेल आज इन्टरनेशनल स्तर पर राष्ट्रीय, प्रादेशिक सम्मान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गये। आज खेलों का मापदंड दुनिया में राष्ट्रीय सम्मान का सूचक बन गया है। आज खेल व्यावसायिक आधार बन गये और उन परिस्थितियों में खेल संघों का इस प्रकार का ढांचा बना रहे जो मजाक का दृष्टिकोण बना रहे। जिले में कौन लोग होंगे जो प्रदेश से संबद्धता प्राप्त करेंगे और प्रदेश में अगर वैचारिक मतभेद हो गया. कहीं कोई अन्दरूनी बातचीत बिगड़ गयी तो उसकी संबद्धता खतम कर दें। कोई कानूनी प्रावधान नहीं, यह सुओमोटो शक्तियों के आधार पर जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान का खेल जगत चल रहा था, मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के खेल मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को कि वह जो सुआमोटो पद्धति के नियम खेल संघों के चल रहे थें उनमें एक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिए कानून बनाने का सिलसिला प्रारम्भ किया कि उनका एक उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए। सरकार प्रोत्साहन के रूप में एड देती है। सरकार पूरे खेल जगत को प्रोत्साहन देने का योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाती है। जिला स्तर पर खेलों के अधिकारियों की नियुक्ति एक, पूरा नेटवर्क चल रहा है और इन हालातों में इन खेल संघों में एक उत्तरदायित्व की भावना निहत की जाए और केवल उत्तरदायित्व की भावना निहित नहीं की जाए। माननीय सभापति महोदय, उनके क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कमियों को भी सुधार करने की एक विधिक प्रक्रिया स्थापित की जाए और इसलिए इस विधयेक को लाया गया है। सभापति महोदय, हम समाज में रहते हैं और इस सदन में बैठकर नियम और कानून बनाते हैं तो जो इस प्रकार के प्रश्न समाज में व्यवहारिक दृष्टि से खड़े होते हैं, जिस प्रकार की बातें समाज में सामान्य दृष्टि से चर्चा में आती हैं, वह सदन किसी भी बात को कानून का स्वरूप देते समय उन व्यावहारिक बातों को नजरन्दाज नहीं कर सकता, व्यावहारिक पक्ष को कभी दर-किनार नहीं किया जा सकता। आज किस प्रकार की चर्चा करोड़ों रुपए की अचल सम्पत्ति खेल संघों के पास है। उनका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं. उनका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। यह सब कुछ होते हुए भी खेल संघों की राजस्थान की धरती पर सारा का सारा खर्च राजस्थान सरकार का, उसकी कोई भागीदारी नहीं खर्चे की और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हालात क्या हैं? देश में अभी इस प्रकार का कोई कानून नहीं, अभी जो पाकिस्तान की टीम हिन्दुस्तान के दौरे पर जाने वाली है उसका जो टी.वी. कवरेज क्रिकेट राइट कंट्रोल बोर्ड आफ इंडिया ने जिसको दिया है 1400 करोड़ का हुआ है। क्या इस 1400 करोड़ के मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? क्या इस 1400 करोड़ के खातों के संधारण की एक सरकारी रीति नीति निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह सवाल कभी नहीं उठा। आज यह सवाल अहम सवाल है और इस अहम सवाल का समाधान ढूंढने के लिए राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान के माननीय खेल मंत्रीजी ने इस विधयेक को राजस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया है और अपने आप

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में यह विधेयक इस राजस्थान के खेलों को बढ़ावा देने वाला होगा। राजस्थान के इतिहास में इससे नये कीर्तिमान स्थापित होंगे और खेल संघों के बीच में एक परम्परा होगी। इसको मैने पूरा ठीक से पढ़ा है।

सभापति महोदय, एक सुधार का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। मैं जानता हूं कि केवल प्रतिपक्ष के सदस्य इसको पढ़ने के बाद विरोध के लिए विरोध करने की मंशा से कोई खामियां निकाल सकते हैं। उनके जवाब में तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो यह सुधार का सिलसिला माननीय मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी की पहल से प्रारम्भ हुआ है, सुधार की प्रक्रिया जब तक जारी रहती है तो समय के साथ अनवरत उसमें कई अध्याय जुड़ते चले जाते हैं, कई सुझाव जुड़ते जाते हैं, कई कमियां खतम होती जाती हैं। उनके अच्छे सुझाव भी इसमें जोड़ने का प्रयास आगे हो सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन आज के इस अध्यादेश में कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही है।

कोई छोटी सी बात बरीकी के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं जिसे माननीय मंत्री महोदय नोट करेंगे। मैंने इसको पढ़ा है। इसके प्रथम अध्याय की, द्वितीय अध्याय की धारा-3 जो अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की बाध्यता तय करती है और इसको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक क्रीड़ा निकाय को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन परिभाषित क्रीड़ा, प्रत्येक क्रीड़ा संगम को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है जिसमें जिले के क्रीडा संघ आ गये, जिसमें प्रदेश के क्रीड़ा संघ आ गये और जो अधिकार रजिस्ट्रार को दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके आगे धारा-10 का उल्लेख करना चाहता हूं। धारा-10 में लिखा है कि क्रीड़ा संगम के गठन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं राज्य क्रीड़ा संगम न्यूनतम छह जिलों के जिला स्तरीय क्रीडा संगमों द्वारा गठित किया जाएगा। कोई जिला क्रीड़ा स्तरीय संगम न्यूनतम तीन प्राथमिक क्रीड़ा संगमों के द्वारा गठित किया जाएगा और कोई प्राथमिक क्रीडा निकाय न्यूनतम सात व्यक्तियों द्वारा गठित किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। दूसरे और तीसरे बिन्दु पर कि जहां जिला संघो पर न्यूनतम तीन प्राथमिक निकायों की अनिवार्य शर्त जोड़ी गयी है। माननीय सभापति महोदय, इस अनुसूची 'ख'

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में कई ऐसे खेल नियम हैं, ऐसे खेल हैं बिलियर्डस का गेम ले लीजिए, पोलो संघ है, गोल्फ है, तैराकी है, नौकायन है, इस प्रदेश के इतने कितने जिले हैं जहां पर इनके एक-एक क्लब की भी सुविधा उपलब्ध हो? इस राजस्थान के आधे से ज्यादा जिले में इन खेलों को खेले जाने का एक-एक क्लब की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्लाज मे कुछ खेलों के लिए इस बात की रियायत दें तो राजस्थान सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ध्यान देंगे, इस बारे मे निश्चित रूप से कोई न कोई संशोधन होगा कि जिला संघ का गठन तीन प्राथमिक संघों से होगा, निश्चित रूप से होना चाहिए लेकिन इसमें प्राथमिक संघ उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, सात आदमी कइट्ठे होंगे, प्राथमिक संघ बना लेंगे, उसकी सम्बद्धता के बारे में इसके खाते बही का उल्लेख तो दिया है इस अधिनियम में आगे जाकर के सभी संघों को सयमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार अपने लेखों का हिसाब किताब क्रमशः देना होगा। उसमे तो प्राथमिक संघ का उल्लेख है लेकिन प्राथमिक संघ की जिला संघ से सम्बद्धता का आधार क्या होगा? क्या जिला संघ का अध्यक्ष अपने अनुकूल सात-सात लोगों की टोलियां बनाकर कोई पचास रजिस्ट्रेशन आने वाले चार साल में निर्धारित प्रक्रिया में दुबारा अध्यक्ष बनाने के लिए तो नहीं कर देगा। या अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन की सम्बद्धता के अधिकार से रोक तो नहीं देगा। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और यह सवाल इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करता है कि अगर हमने इस प्राथमिक संघ के स्वरूप को भी कहीं न कहीं विधिक प्रक्रिया में डालने का प्रयास नहीं किया तो इस अधिनियम में व्याप्त इस खामी का फायदा उठाकर वह लोग जो वर्षों से खेल संघों पर काबिज हैं और उन्हें ही सम्बद्धता देनी है।

प्राथमिक संघ कौन होंगे सात लोग, वह अपनी इच्छा के लोगों को प्राथमिक संघ बनाएंगे। अपनी इच्छा के लोगों की टीमें खड़ी करके सात-सात लागों के नाम पंजीयन रजिस्टर में लिखेंगे। एक सोसायटी के गठन की सामान्य प्रक्रिया एक दो पन्ने के रजिस्टर में पूरी करेंगे और पूरी करके उनको सम्बद्धता देकर उनकी संख्या इतनी स्थापित कर लेंगे कि जब चार साल सामान्य प्रक्रिया के तहत जिस अधिनियम में सरकार लोकतांत्रिक मंशा से चार साल में चुनाव कराने का अनिवार्य कार्यक्रम तय किया है, जब भी होगा कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां हमने जिले के प्रदेश के खेल संघों के रजिस्ट्रेशन का मामला रखा, प्राथमिक स्तर पर भी डिप्टी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की सारी शक्तियां हैं और यह शक्तियां राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट के तहत नीचे तक बढ़ती चली जाती हैं। रजिस्ट्रार जिस सोसायटी को को-आपरेटिव अधिनियम के तहत पंजीकृत करने का अधिकार रखता है, जिला स्तर पर वह सारी शक्तियां को-आपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार में निहित हो जाती हैं। यह सारी व्यवस्था प्रत्येक जिले तक हैं और अगर हम ईमानदारी से हमें लोकतांत्रितक प्रक्रिया स्थापित करके खेल को एक सही दिशा देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खेलों में न्यायप्रिय लोग हों, हम चाहते हैं कि खेलों में वास्तविक रूप से राजस्थान के खेल मापदण्डों को तय करने वाले लोग हों। हम चाहते हैं कि खेलों में वास्तव में ऐसे लोग खेल संघों में स्थापित हों जो राजस्थान के खेल को नया आयाम देना चाहते हैं। तो प्राइमाफेसी जो सबसे निचले स्तर की सोसायटी है उसके गठन की, उसके चयन की पारदर्शिता स्पष्ट रूप से कानून में उसका प्रावधन किया जाना चाहिए वरना उसका वायलेशन जो होगा उसकी सीमा नहीं होगी।

को-आपरेटिव में वैसे भी जिस प्रकार की व्यवस्था गणित के हिसाब से चलती है, मैंने को-आपरेटिव के चुनाव लड़े हैं, मैं मार्केटिंग का चेयरमैन रहा हूं भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रहा हूं, सहकारी संस्थान का मैं सदस्य रहा हूं। को-आपरेटिव के चुनाव सारे गणित के आधार पर लड़े जाते हैं। अपने हिसाब से सदस्य बनाओ, सोसायटियों पर कब्जा करो फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हो गये आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुमत सिद्ध आदमी। इस खामी को एकदम पाटने के लिए एलीमेंट्री स्टेज पर भी एक कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन सुझावों के बाद भी मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भावना को लेकर जिस पारदर्शी दृष्टिकोण से इस विधेयक को राजस्थान की सरकार लेकर आयी है और जिस प्रकार के क्लाज प्रत्येक अध्याय में धारा उपधारा के माध्यम से इसमें स्थापित किये हैं जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि मैने पहले भी कहा है कि इसके अध्ययन के बाद कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि अपने आपमें राजस्थान का खेल विधेयक है, यह देश के अन्य राज्यों के लिये माडल का काम करेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दूसरी बात, मैने साथ में कही सुझावों के साथ कि एक सिलसिला प्रारम्भ हुआ। इससे पहले कोई खेल अध्यादेश इस राजस्थान में नहीं था जैसी मैने जानकारी की है। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में नहीं है तो यह जो सुधार की प्रक्रिया का जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ उसमें कई कमियां और खामियां हैं तो समय के साथ इसमें बहुत गुंजाइश रखी। समय-समय पर सुधार होते चले जाएंगे और आज इस सदन को इस सिलसिले को प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान की सरकार, माननीय मंख्य मंत्रीजी और खेल मंत्रीजी को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उम्मीद करता हूं कुछ सुझाव हैं जिस पर सरकार अमल करेगी और अंत में मेरे जनहित में परिचालित किये जाने के प्रस्ताव को वापस करने का आपसे अनुरोध करते हुए इस विधयेक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.पी. जोशी ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो खेल अध्यादेश आप पारित कराने जा रहे हैं उसकी वेलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है। तो क्या सबजुडिस मसले को हम यहां पर बहस करें।

डा. भवंर सिंह राजपुरोहित : नहीं कर सकते। करते ही नहीं हैं...

श्री विष्णु मोदी : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसकी वेलेडिटी सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : It is better to produce the relevant paprers. Merely saying is not sufficient. If you have some informations that the metter is sub-judice please put forward the relevant papers that the matter is sub-judice, Merely by saying is net survived.

श्री विष्णु मोदी : Yes, I am saying. It has been published.

डा. सी.पी. जोशी : असेम्बली सैक्रेटेरिएट ने कोई चीज लिस्ट की है, आपकी जानकारी में कोई चीज नहीं है कि सबजुडिस है तो बैटर है कि वह जो कोर्ट का जजमेन्ट है उसकी कापी रख दें जिससे....

श्री विष्णु मोदी : सरकार पूछ लेगी अपने अधिकारियों से कि यह बात सही है कि गलत है...

डा. सी.पी. जोशी : It is not like this.

सरकार तो खुद ही जानकारी है। यह तो रिकार्ड है, इससे कोई गलत मतलब ही नहीं है। रिकार्ड में है यह सब चीजें।

श्री विष्णु मोदी : रिकार्ड पर है माननीय सभापति महोदय, कि This is sub-judice in the Supreme Court.

श्री सभापति : ऐसा है कि सरकार इस बिल को लेकर आयी है और मैटर सब-जुडिस है या नहीं इसके बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं है। जो भी स्थिति होगी बाद में.... (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं बैठ रहा हूं। To keep the record straight, I am again repeating it that this Ordinance, It was an Ordinance, now it is Bill, has been sub-judice in the Supreme Court.

डा. सी.पी. जोशी : They have already been held the elections with this purpose. It's not sub-judice. Vishnuji correct yourself. It is not sub-judice. Within that constitution elections were held.

आर्डिनेंस में होता तो इलेक्शन नहीं होते It is not sub-judice.

श्री विष्णु मोदी : No. Election is a separate issue. In Rajasthan Cricket Association the Supreme Court has given a direction. और डायरेक्शन यह कि यह खेल संघों को तो अलग से वोट ले लें। दूसरे वोट अलग से ले लें और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। वह जो पर्सनल मैम्बर्स हैं उनका डिब्बा सील करके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया है और उसके साथ में अनिल देव सिंह को...

डा. सी.पी. जोशी : Vishnuji it is only for Cricket Association. यह क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है। मान्यवर, क्रिकेट एसोसिएशन का सब-जुडिस है, यह नहीं हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह जो खेल आर्डिनेंस लेकर आयी गवर्नमेंट वह आर्डिनेन्स ही सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, दी कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के आर्टिकल

(डा. सी.पी. जोशी)

का इसमे रेफरेंस दिया है आब्जेक्टिव में 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन की है उसका इसमें रेफरेंस दिया है जो इसमें स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एंड रीजंस दिये हैं। उसमें आर्टिकल 51 (जे) इसमें मेंशन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि राजस्थान सरकार कांस्टीट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन की, उसके एक भाग (जे) के सम्बन्ध में बहुत चिंतित है। बहुत अच्छे आब्जेक्टिव के बारे में यह काम किया। पर मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक बुराई को खतम करने के लिए दूसरी बुराई को पैदा करने का काम इस एक्ट के माध्यम से किया गया है।

अभी रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसमें प्राइमरी बॉडीज के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की हैं, वह प्राइमरी बॉडीज के सम्बन्ध में न तो आपने रजिस्ट्रेशन में कम्पलसरी किया है कि प्राइमरी बॉडीज को रजिस्ट्रेशन करना कम्पलसरी है। न आपने प्राइमरी बॉडीज के आडिट के सम्बन्ध में कोई प्रोविजन किया है। न ओब्लीगेशन में आपने कोई Every Sports Association defined under this Act, other than a Primary Sports Body, is required to be registered under the provisions of this Act.

मेंशन किया है कि प्राइमरी बॉडीज का ओब्लीगेशन होगा क्या। आपने ओब्लीगेशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट के बारे में लिखे हैं। आपने ओब्लीगेशन स्टेट एसोसियेशन के बारे में लिखे हैं। आपने आडिट डिस्ट्रिक्ट के एसोसियेशन के बारे में लिखा है। स्टेट के बारे में लिखा है और आपने रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में भी लिखा है।

Every Sports Association defind under this Act, other than a Primary Sports Body, is required to be registered under the provisions of this Act.

यह जो आपने इसमें खामियां रखी हैं, माननीय सभापति महोदय, यह पचास साल बाद हो सकता है कि क्रिकेट एसोसिएशन में आपने एक इसकी मोनोपाली खतम की हो। पर एक्ट की इस धारा को उपयोग लेकर अगले पचास साल तक अलग-अलग एसोसिएशन में कब्जा करने का आपने एक रास्ता खोल दिया है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि प्राइमरी बॉडी जो है उस बॉडी को आपने डिफाइन किया कि कोइे भी सात आदमी मिलकर प्राइमरी बॉडी बना सकते हैं। उसके सम्बन्ध में जब तक आप चीजें डिफाइन

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं करेंगे तब तक यह एक व्यक्ति सदस्य बनाकर किसी एसोसियेशन पर कब्जा करें, अब व्यक्ति एसोसियेशन बनाकर कब्जा करेंगे, यह नयी धारा आपने प्रारम्भ की है। एक बुराई को खतम करने के लिये एक नयी बुराई का रास्ता आपने जो ईजाद किया है उसमें मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक बुराई को खत्म करने के लिये हमें बहुत लम्बे सोचकर काम करना चाहिए। एक बुराई को खत्म करने के लिये और काम भी किया। सभापति महोदय, सरकार का इंटरफियरेंस आज दिन तक स्पोर्टस में नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया क्रिकेट एसोसियेशन के चुनाव के सम्बन्ध में तब सरकार ने प्ली लिया कि क्रिकेट एक स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टेट नहीं है। बड़े अलग ढंग से फैसला दे दिया कि गवर्नमेंट का इसमें जो इंटरफियरेंस दिया है, वह नहीं है। आपने यहां पर यह व्यवस्था करके स्टेट में इंटरवेंशन के स्कोप को दिया है और आपने कापरेटिव के रजिस्ट्रार को पावर दी है। कापरेटिव का रजिस्ट्रार क्या करेगा ? रजिस्ट्रेशन भी करेगा, इंक्वायरी भी करेगा। डिस-एबिलेशन भी करेगा, सुओमोटो भी कर सकता है, एसोसियेशन की रिक्वेस्ट पर भी कर सकता है। इतनी बड़ी पावर रजिस्ट्रार को देने की जो आपने कल्पना की है वह सीधा का सीधा डायरेक्ट सरकार का इंटरफियरेंस है। जो हो सकता है आपको आज अच्छा लगे, सरकार आज आपकी है, पर वह भूल जाएं कि सरकार बरसों तक आपकी रहेगी। वह आपके जो दिमाग में बैठ गया है कि सरकार हमारी, हम ही राज करेंगे इसलिए सरकार जो चाहे जो करती रहेगी इसलिए हम ऐसा नियम बनायें। इसमें इंक्वायरी के प्रोविजन में लिखा है कि

The Registrar may :-

(a) on the request of a State Level Sports Association.

(b) on the request of not less than one tenth of the total members of a Sports Association, or

(c) on his own motion, "on his own motion,"

रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है। रिकार्ड मांग सकता है। डिस-एबिलेशन कर सकता है। सभापति महोदय, यह जो आपने रजिस्ट्रार को ब्लेंकेट अधिकार दिये हैं, वह ब्लेंकेट अधिकार इनडायरेक्ट में किसी एक परिवार की मोनोपोली का खतम करने के लिए सरकार की मोनोपाली को करने की आपने व्यवस्था

(डा. सी.पी. जोशी)

की है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में भी निश्चित तौर पर करना चाहियें कि हम यह व्यवस्था क्या करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुने हुए प्रतिनिधि Peoples Representative Act. एक्ट का प्रोविजन किया है। अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए। वार्ड का चुनाव कौन लड़ सकता है...

श्री शांतिलाल चपलोत : Representative of Peoples Act

डा. सी.पी. जोशी : Representative of Peoples Act. में करेक्ट कर लेता हूं अपने आपको। अब इसलिए आपको बैठाया है यहां पर। सभापति महोदय, अभी चुनाव हुए पंचायत के। पंचायत के चुनाव में हम सबने देखा है कि वार्ड का चुनाव कौन लड़ सकता है। वार्ड का चुनाव वह लड़ सकता है उस पंचायत का सदस्य हो। पंचायत समिति का चुनाव वह लड़ सकता है जो पंचायत समिति का सदस्य है। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कौन लड़ सकता है जो डिस्ट्रिक्ट का सदस्य हो। सभापति महोदय, इस सारे एक्ट में हमने प्राइमरी बॉडी की कल्पना की है। हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडी की कल्पना की है। हमने स्टेट बॉडी की कल्पना की है और हमने यहां पर राइडर नहीं डाला है कि वह प्राइमरी मैम्बर उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, पंचायत का होना चाहियें या स्टेट का होना चाहिये। सभापति महोदय, हमने यहां पर क्या प्रोविजन किया? बहुत अच्छा प्रोविजन किया है। मोदीजी कह रहे हैं इसलियें मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होने इस बात को पढ़ा है। शिड्यूल 'सी' में लिखा है। शिड्यूल सी में क्या लिखा है माननीय सभापति महोदय, देखिये आप- Qualifications for contesting elections and holding a position in the Executive Body of a Sports Association. He/She shall be a citizen of India. Very good. He/She shall possess any one of the qualifications. Once again I am repeating it "He/She should possess any one of the qualifications listed below within the area of operation of the concerned Sports Association (a) has been born there, पैदा होना चाहिये। विष्णुजी मोदी सीकर में पैदा हुए हैं, अजमेर के एम.एल.ए. है। बोर्न होना चाहिऐ। वह सीकर में बोर्न हुए। अजमेर में बोर्न होना चाहिए लिखा है इसमें। आगे लिखा है (b) is ordinarily resident there. N.R.I. आता रहे, जाता रहे। कहीं राजस्थान में आया, घूमकर गया, बिजनेस करके गया, कभी फार्म भरकर गया, टेण्डर भरकर गया, रेजिडेंट होना चाहिए। वह भी अब इसमें (c) is working there. वर्किंग परमिट का आजकल आपने कौनसा नया सिस्टम किया है कि कोई भी

(डा. सी.पी. जोशी)

आदमी कहीं पर भी आकर किसी स्टेट में वर्क कर सकता है। टेण्डर भरने का काम है वह भी वर्क है। नेता से मिलने आए वह भी वर्क है। रोज मिलने आए वह ज्यादा वर्क है। पार्टी का काम है वह भी वर्क है। इसलिये लिखा है कि और फोर्थ लिखा है कि (d) possesses property there. कितना अच्छा काम है, सभापति महोदय। स्पोर्टस एसोसियेशन का चुनाव करना है हमें और उसकी प्रोपर्टी होनी चाहिये, सभापति महोदय, यहां पर। आप बताएं कि यह डेमोक्रेटिक, हमने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें यह क्वालिफिकेशन कहां लिखी है कि वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का किसी टूर्नामेंट में भाग लिया हो, रिप्रजेंट किया हो। स्टेट का रिप्रजेंट किया हो। वह खिलाड़ी हो। यह हमने क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है। हमने क्वालिफिकेशन लिखी है उसके पास प्रोपर्टी होनी चाहिये। वह वर्क करे तो वर्किंग स्थिति होनी चाहिए। यहां का आर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए। वह यहां का आर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए और यहां पर बोर्न होना चाहिए। अब प्राइमरी बाडी का मैम्बर भी बन सकता है, कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट बाडी का भी मैम्बर बन सकता है, स्टेट बाडी का भी मैम्बर बन सकता है और हमने यह क्वालिफिकेशन कर दी है कि प्राइमरी बॉडी का मैम्बर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव लड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का मम्बर स्टेट का चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब कोई भी आदमी राजस्थान के किसी भी भाग में आ जाए और यहां पर चुनाव लड़ना चाहे तो सात आदमी मिलकर के प्राइमरी बाडी बना लें और वह फिर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव लड़े और फिर स्टेट का चुनाव लड़ ले, उसके बाद राजस्थान का रेजिडेंट होने की कोई आवश्कयता नहीं है। हम कैसा अच्छा नियम और कानून बना रहे हैं। एक तरफ हमने इसमें प्रोविजन किया है कि जो आदमी राजस्थान का नाम यूज करेगा, जो आदमी डिस्ट्रिक्ट का नाम यूज करेगा उसको हम सजा देंगे। हमने क्लाज रखा है। स्पोर्टस को हमने कितना एम्पावरमेंट करने का काम किया है। हमने क्लाज रखा है कि जो-जो इन चीजों का वायलेशन करेगा उनको सजा देने का प्रोविजन किया है। मैं समझता हूं कि 25 आर्टिकल में 25. Prohibition to represent or to use the name of the State and Districts:- 1. No person or group of persons either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State of Rajasthan in any games of sports without being authorised by a State Level Sports Association.

2. No Sports Association shall be entitled to use the description Rajast-

(डा. सी.पी. जोशी)

han or use the name of a District as part of its name or undertake any Sports activity which results in representing the State of Rajasthan or a District, as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever unless such Sports Association is registered as a State Level Sports Association or a District Level Sports Association under this Act.

3. Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) and (2) above, shall on conviction, be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine or with both.

अब आप राजस्थान का नाम लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट के नाम को रिप्रजेंट करेगा तो उसको सजा मिलेगी। राजस्थान में पैदा होना जरूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में पैदा होना जरूरी नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी का चुनाव लड़ सकते हैं। वहां पैदा होना जरूरी नहीं है। वैसे तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वैसे उसकी प्रोपर्टी होनी चाहिए। राजस्थान में तो आजकल नया काम और कर रखा है, मोदीजी, वहां नौकरी करने वाला व्यक्ति कोई 25 साल पहले नौकरी करे, तब भी उस डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी बन सकता है। कोई आई.ए.एस. आफिसर कलक्टर बन जाए किसी डिस्ट्रिक्ट में वह पदाधिकारी बन जाए एक बार तो जिंदगी भर तक वह पदाधिकारी रह सकता है। कलक्टर की पोस्टिंग से वहां का रेजिडेंट हो सकता है, उसकी प्रोपर्टी हो सकती है। कलक्टर की पोस्टिंग से वहां का अंग भी हो सकता है। लेकिन हमने इसमें छूट दे रखी है। हिन्दुस्तान का नागरिक है वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है वोट डालने का अधिकार हो सकता है।

सभापति महोदय, यह सारे क्लाजेज, यह सारे काम किये गये हैं वह मैलाफाइड इंटेशन से किये गये हैं, मन में एक विचार था कि एक बुराई को दूर करने के लिए एक नयी बुराई को जोड़ दिया गया है। कमेटी में इसमें क्लाज लिखा हुआ है कि इतने महीने में एफिलेशन कर लेगा, नौ महीने में एफिलेशन की छूट ली, उस आदमी को भी डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था कर देंगे। अच्छा होता सारे स्टेट लेवल के जितने गेम्स थे उन सबके चुनाव कराते व्हाई वी कम ओनली क्रिकेट हमने राजस्थान में डेमोक्रेटेशन कर दिया है, Why we have concentrated only on Cricket?

श्री विष्णु मोदी : आई एम सॉरी, राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया

(श्री विष्णु मोदी)

है। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया है। यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसियेशन की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं अनिल देव सिंह उनको रिटर्निंग आफिसर बनाया और उन्होंने यह सारा प्रोग्राम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो मोदीजी जानता था कि आप बहुत विद्वान हैं, आपको ही मालूम है कि कैसे एक्ट में.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं विद्वान हूं या नहीं हूं। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है।

डा. सी.पी. जोशी : आप इसको करेक्ट कर लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : इसमें कोई मैलाफाइड नहीं है, It is for the purpose of sports.

डा. सी.पी.जोशी : विराजिये। कोई मेलाफाइड बताता हूं। यह एक्ट के कारण वहां पर एडहाक बॉडी बनी इसलिए चुनाव हुए हैं इसलिए डोंट से दिस थिंग कि एक्ट का नहीं होता तो नहीं होता। इसके कारण रजिस्ट्रार ने वहां पर एडहाक कमेटी बनाई है। इसके करने से सब लागू हुआ है। यह एक्ट ही ओरिजनल सोर्स आफ ट्रबल-शूटर है ना, वह यह एक्ट है। डायरेक्शन फ्रोम दी राजस्थान गवर्नमेंट आप एक्ट लेकर आये हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : 20 साल का कब्जा हटा है।

डा. सी.पी. जोशी : हटा है, बहुत अच्छी बात है। 20 साल का कब्जा हटाकर के नया 50 साल का पैदा करेगा आप चिंता नहीं करना। वह काम हम कर लेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हूं मोदीजी का बोलना जरूरी है। इनके इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। इन्होंने भी कोशिश की थी ओलंपिक एसोसिएशन की, मुझे जितना बुलाओगे में उतना ज्यादा बोलूंगा। इसमें यह भयंकर व्यवस्था की है। एक बार मंत्रीजी आप स्पोर्टस एसोसिएशन को स्टेट लेवल के डेमोक्रेट से करना चाहते हैं, Who Stops you not to do Olympic Association ? जवाब है आपके पास,

(डा. सी.पी. जोशी)

ओलंपिक एसोसिएशन में मनमानी हो, ओलंपिक एसोसिएशन के सम्बन्ध में हम कोई चर्चा नहीं करें। ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में कोलेब्रेट करके हम किसी आदमी को डिसपोजेज करें इसलिए यह व्यवस्था कर रखी है। क्या जवाब है आपके पास, कि जिस तरह आपने इस एसोसिएशन को एफिलेट करके कम्पलसरी किया चुनाव में वैसे ही ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव के सम्बन्ध में भी प्रोविजन करना चाहिए था। जब मालूम पड़ता कि ओलंपिक एसोसिएशन को रीप्रेजेंट कौन करेगा। ओलंपिक एसोसिएशन को रिप्रजेंट करने के सम्बन्ध में आपके यहां एशिया गेम्स में रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे गेम में रिप्रेजेंट करेगा। दा ओलंपिक एसोसिएशन के सम्बन्ध में एक शब्द नहीं बोला। क्यों विष्णु मोदीजी ओलंपिक एसोसिएशन का तो चुनाव लड़ा था अपन ने बहुत कोशिश की थी, हिलाने की कोशिश की थी। हिल गयी थी आपसे। वह तो आपसे हिली नहीं। इस सरकार के करने के लिए ओलंपिक एसोसिएशन में बुराई को सहन कर गये। ओलंपिक एसोसिएशन के काम के सम्बन्ध में कोई शब्द हम नहीं बोलें। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हम कैसे एक एसोसिएशन के सम्बन्ध में यह काम करें तो मोदीजी करें, मितलजीज करें और कोई दूसरा आदमी करेगा। कांग्रेस या बी.जे.पी. नहीं करेगी। यह बरसों से जो काम हम करना चाह रहे हैं इस तरह सरकार नहीं लग रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप के डेमोक्रेटेशन करने का यह जो आइडियल है जिसमें इस संविध की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको मेंशन किया है। इतना बड़ा आदर्श क्यों बना रहे हैं छोटे काम करने के लिए। गोल तो बहुत छोटा था कि रूंगटाज को हटाना है। यह तो बहुत छोटा गोल था। उस गोल को हटाने के लिए बड़े-बड़े आदर्श आये हैं, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में व्यक्ति को यह करना है। इसके लिए हम यह काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह बड़े आइडियल को रखकर के छोटी सी बेइमानी करने के काम को करना चाहते हैं। वह ठीक परम्परा नही है। मुझे बतायें आप एक आदमी जो स्पोर्टस को जानता ही नहीं है। वह स्पोर्टस का अध्यक्ष बन सकता है। इंस्टीट्यूशन बना सकता है। आपने डी-बार कहा किया।

श्री सभापति : माननीय जोशीजी, आप उनको बोलने के लिए मजबूर नहीं करें। आप इधर सम्बोधित करें।

डा. सी.पी. जोशी : हां मान्यवर, मैं इधर मुंह कर लेता हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जिस पवित्र उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं वह पवित्र उद्देश्य की पूर्ति इस एक्ट को लाने से नहीं होगी। आप इसमें मैलाफाइड इंटेशन क्या रखेंगे। आपको आर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी ? आपकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, चर्चा करके आप काम करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं तो आप आर्डिनेंस क्यों लाये हैं। आर्डिनेंस लाने के पीछे जो कारण है जिसके कारण जो हमारे माननीय सदस्य मसूदा से आये हैं उन्होंने बता दिया है कि आर्डिनेंस लाने के पीछे मंशा क्या थी। रामगंजमण्डी वाले सदस्य ने भी कह दिया, आर्डिनेंस लाने के पीछे मंशा यह थी कि रूंगटाजी ने वोट कास्ट किया सरकार की इच्छा के खिलाफ। एक वोट का फैसला हुआ डालमियाजी के पक्ष में, एक वोट का फैसला हुआ महिन्द्रा के पक्ष में, जो इतना बड़ा एम्पायर हिन्दुस्तान में खड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए कैसे सरकार भी पार्टी बने, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आप आर्डिनेंस लाये हैं। आप अच्छा होता कि क्रिकेट के पहले जितने दूसरे गेम्स हैं जो आपके शिड्यूल में लिस्ट कर रखे हैं उनके स्टेट लेवल के चुनाव कराते। डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनके ऑडिट कराते। आप फिर उनको अपडेट करते। उसके बाद उसमें में काम करते। वह काम तो हमने किया नहीं। आपने इसमें लिस्ट दी है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पर शिड्यूल बी में 40 एसोसिएशन के नाम दिये हैं। आप मुझे कृपया करके बतायें कि 40 एसोसिएशन में से कितने में आपने एडहाक कमेटी बना दी है। सारी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सारी एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट की आडिट आपके पास है। सारी आडिट के सम्बन्ध में सी.ए. ने जो प्रोविजन कर रखे हैं वह फुलफिल हो गये हैं। उसके बाद आपने यह काम कर दिया है। क्या आपने प्रोविजन रख रखा है, कितने एसोसिएशन को आपने डिसएफिलेट किया है। स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कोई सूचना आपके पास है मात्र क्रिकेट की कोई सूचना है, अपडेट है। उसमें हम कहना चाहते हैं कि हमने काम पूरा किया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार इंटरफियरेंस आज दिन तक कंट्री में भी क्रिकेट एसोसिएशन को इतना बडा झगड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान में शरद पंवार जैसे नेता और दूसरे नेताओं ने भाग लिया। लेकिन स्टेट का और जो गेम्स हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कर

रखा है। दोनों के बीच में कभी यह नहीं था कि गर्वनमेंट उसमें इंटरविन करें। लेकिन राजस्थान में शुरूआत की गयी है। एक ऐसी शुरूआत की गयी है जिससे आने वाले कई वर्षों में, अभी तो इनडायरेक्ट में पालिटिकल इंटरफियरेंस होता था अब नये सिरे से पालिटिकल इंटरफियरेंस करने के लिए हम यह एक्ट लायें हैं। जिस एक्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से हम मनचाहे प्राइमरी यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन का कोई स्कोप नहीं होगा। उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में मनमाने प्राइमरी यूनिट बनाकर डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लें। डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट पर कब्जा कर लें। यह एक नयी व्यवस्था जो हमने की है यह हिन्दुस्तान में आने वाले समय में रोल मॉडल एक्ट नहीं होगा यह एक रेफरेंस होगा कि जब कभी भी किसी भी सरकार को यह काम करना हो, बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वर्षों से सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की लेकिन वह सरकार भी ऐसा आर्डिनेंस नहीं लायी है। ऐसा एक्ट नहीं लायी है। जैसा एक्ट लाकर के हम एक नयी परम्परा को राजस्थान में स्थापित कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में जरूर बताना चाहिए कि 40 एसोसिएशन जब बनाई हैं जब से आप एक्ट लेकर आये हैं उन 40 एसोसिएशन के सम्बन्ध में कितनों के आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गये। कितनों के पास आडिट आ गयी है। आपके पास कितनी जानकारी है और कितनों को डिसएफिलेट किया है, कितनी फेक और फिक्टिसियस एसोसिएशन बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वह ओबलिगेशन पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मुझे बतायें, आपका एक्ट बन गया। एक्ट आपरेट होने के बाद इसमें जो ओबलिगेशन लिख रखा है, वह भी देख लें, आपने लिख रखा है, स्टेट लेवल का एसोसिएशन का करके आपने लिखा है। अब आप मुझे यह बताएं कि जिस स्टेट लेवल की एसोसिएशन ने यह ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया उसको आपने डिसक्वालीफाई कर दिया। क्या आपको सूचना है कि 40 एसोसिएशन में से कितनी एसोसिएशनों ने स्टेट लेवल के टूर्नामेंट करवाए, कितने इण्टर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाए? करवाए तो उनका पार्टिशियेशन क्या है? उनके सम्बन्ध में आपने इसको बाहर निकाल दिया, नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए लिखा है,

"Every District Level Sports Association other than a District Level

(डा. सी.पी. जोशी)

Olympic Association..."

ओलम्पिक एसोसिएशन के लिए प्रिविलेज कहां रख रखा है, ओलम्पिक एसोसिएशन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई ओब्लिगेशन की जरुरत नहीं है, वह तो मन चाहेगा उसको रिकोग्नाइज करेगा, मन चाहे उसको भेजेगा। हम तो स्पोर्टस में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन में ओलम्पिक एसोसिएशन को कोई रोल नहीं है, खाली स्पोर्टस कौंसिल के चुनाव ठीक हो जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, यह हमारी मंशा थी। "....conduct at least one District Level Championship each for the Seniors and Juniors every year..."

आप मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने शिड्यूल में 40 एसोसिएशनों को बताया है, कितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशनों ने सीनियर और जूनियर लेवल के टूर्नामेन्ट कराए हैं? कराए हैं तो कहां कराए हैं? आपके पास रिकार्ड है ? केवल मात्र एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि जो व्यवस्था की है वह ठीक नहीं है।

एक और डिसक्वालीफिकेशन का क्लाज है, बडा सीरियस है, 24 में, "After holding an inquiry the Registrar, after giving an opportunity of being heard to the affected sports association." राजगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम है कि को-आपरेटिव में रजिस्ट्रार हियरिंग कैसे करते हैं, कैसे फैसला करते हैं। को-आपरेटिव के फैसलों के आधार पर क्या निर्णय होता है वह रजिसट्रार को-आपरेटिव सब जानते हैं और किस तरह के फैसले होते हैं और उसी तरह का यहां पर काम होगा। रजिस्ट्रार आपको सुनने के बाद क्या करेगा ?

"...(a) appoint an Adhoc Executive Committee and cause to hold fresh election of the Executive Body within three months..."

यह आपने कर दिया क्रिकेट में, बाकी में तो करने की जरूरत है नहीं।

" ...(b) in the case of misappropritation of funds, take action in accordance with law."

यह कौनसे रिप्रजेंटेटिव आफ पीपुल्स एक्ट के प्रोविजन्स से आगे बढ़

(डा. सी.पी. जोशी)

गया? चपलोत साहब मेरा भी ज्ञानवर्द्धन करें, 6 साल तक उसको डिबार कर देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था कर रहे हैं हम इन चुनावों में, चुनावों के अन्दर इतनी भयंकर लोकतांत्रिक व्यवस्था कर रहे हैं कि 6 साल तक आप डिबार कर दिए जाओगे। जिस एसोसिएशन का अध्यक्ष आपकी लाइन को फोलो नहीं करें, रजिस्ट्रार से मिलकर उसको 6 महीने तक डिसक्वालीफाई कर देना, जिसको चाहे उसको नया चुनाव कराकर बैठा देना।

यह दुर्भाग्य है और सौभाग्य है कि यहां पर केवल क्रिकेट ऐसोसिएशन नहीं है बाकी एसोसिएशन की तो कोई झगड़ा ही नहीं है। किसी के पास आफिस भी नहीं जिसको ताला लगाने का काम हो, कोई चाबी हो और आफिस ही अपने साथ लेकर चल रहा हो। उस एसोसिएशन की कोई तकलीफ़ नहीं है आपको जो एसोसिएशन जहां पर है वही हमको काम करना है, दूसरी जगह हमें काम नहीं करना है लेकिन सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांस्टीट्यूशन जिसको हमने मेंशन किया है कम से कम वे महान् स्पोर्टस लवर्स ब्यूरोक्रेट्स जो आपके हैं, the word I am using is 'sports lover' bureaucrats, they are very competent. कोई भी सरकार आओ, उनके स्पोर्टस में इतनी काम्पीटेंस है कि वह कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में रहकर कहीं के भी रिक्रूटी बन सकते हैं। उनकी काम्पीटेंसी का उपयोग आपने लिया है, लेना चाहिए, यह सरकार का काम ही है कि जो होशियार आदमी है उससे काम ले, आपने काम लिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप यह खोटे काम करके, यह खोटे नियम बनाकर किस तरह स्पोर्टस एनरिच करेंगे यह मुझे आप समझाएं। अच्छा होता आप इसकी क्वालिफिकेशन शिड्यूल 'सी' में लिखते कि स्पोर्टस की जो प्राइमरी यूनिट है उसका वही आदमी चेयरमैन बन सकता है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेशन किया है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैसला करते।

श्री विष्ण मोदी (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, दुनिया भर में स्पोर्टस खेलने वाले कभी स्पोर्टस एसोसिशन में नहीं होते। एसोसिएशन में तो वही लोग होते हैं जो स्पोर्टस को आगे बढ़ाने वाले होते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आगे बढ़ाया था रूंगटा ने इसीलिए पीछे लाए हैं हम। रूंगटा बहुत आगे बढ़ा रहा था इसलिए राजस्थान में कोई रूंगटा नहीं मिला तो

(डा. सी.पी. जोशी)

बाहर से लेकर आए हैं हम और कहीं से लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं वह अनिल अम्बानी से कहलवाना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। वह बात मैं नहीं कहना चाहता। मैं जितना कम बालूं उतना ही अच्छा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार को जनता ने पांच साल के लिए मेंडेट दिया है, जनता के सुख-दुःख में सरकार को भागीदार बनकर राजस्थान को डवलप करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी के मन में एक कल्पना है पर मुख्य मंत्रीजी के इर्द-गिर्द जो आदमी हैं वह छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आप बार-बार पांच साल का क्यों कहते हो ?

डा. सी.पी. जोशी : पांच साल बाद आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा इसलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : नहीं, नहीं, डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिन्दादिल कौमें पांच साल तक इन्तजार नहीं किया करतीं।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं किया, घड़साना में, रावला में और गंगानगर में, अभी चुनाव हुए पंचायतों के और जिन्दादिल कौमों ने इन्तजार नहीं किया पांच साल तक, पंचायत समितियों का फैसला आ गया अभी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आप ठेकेदार बन जाते हैं पांच साल तक।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, नहीं, मैं तो आपकी भावना से, मैं आपको राममनोहर लोहिया का आदमी बी.जे.पी. में बैठा हुआ मानता हूं, इससे बड़ी चीज और क्या होगी ? मैं तो आपकी भावना से संतुष्ट हूं, रोज बोलते रहो कि जिन्दादिल कौमें पांच साल का इन्तजार नहीं करतीं। यह बी.जे.पी. के लोगों को समझाने की जरूरत है। आप जैसा आदमी वहां बैठा हुआ है, यह मुझे बहुत खुशी है। आप बार-बार क्यों याद दिला रह हो ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : मैं तो पूरे सदन को अवगत करा रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अबकी विधायक दल की बैठक हो तो सुलटा देना।

डा. सी.पी. जोशी : सुरेन्द्रजी, यह चीज आप राजेन्द्रजी को समझाते तो

(श्री सी.पी. जोशी)

ज्यादा बढ़िया रहता। हमारी बनिस्बत वह जिन्दादिल कौम वाले हैं। माननीय सदस्य, आपकी भावना के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, आप बहुत ठीक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी भावना अच्छी है कि जिन्दादिल कौमें पांच साल तक इन्तजार नहीं करती, नहीं करना चाहिए और यह काम आपने गंगानगर में किया उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद कि आपने पांच साल तक इन्तजार भी नहीं किया और फैसला करवा दिया, इसलिए आपको उसके लिए साधुवाद।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए, उसके अनुरूप कानून और नियम बनने चाहिए। हमार उद्देश्य अच्छा है, हम इसके प्रिएम्बल में इसका मेंशन कर रहे हैं। फण्डामेंटल राइट आफ सिटीजन की बात करें तो सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस तरह के नियम और कानून बनाए जो नियम और कानून आने वाले समय में स्पोर्ट्स की ग्रोथ करे और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन यह स्पोर्ट्स को संरक्षण नहीं दे पाएगा और केवल मात्र हम पालिटिकल इन्टरफियरेंस करवाकर, जिस तरह से को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में प्रोब्लम हो रही है, वैसी की वैसी प्रोब्लम हम रजिस्ट्रार के थ्रू हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कर देंगे। वह हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था होगी। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी है, आर्डिनेंस आ गया, तीन महीने में एक्जूक्यूटिव कमेटी बना दी, बिल आने के पहले चुनाव हो गए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? इस बिल की तो कोई रेलेवेन्सी ही नहीं रही कि बिल आने के पहले स्पोर्टस के आर्डिनेंस के चुनाव हो गए और जो रिजल्ट चाहिए थे वह रिजल्ट भी आ गए। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने किया, उसको आपने प्राप्त कर लिया तो आर्डिनेंस लैप्स होने दें, अब आपका काम पूरा हो गया, अब आप दुबारा जैसे व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को जारी रखें तो ज्यादा स्पोर्टस का भला होगा। मेहरबानी करके यह नियम बनाने के प्रस्ताव भेजने के पीछे मंशा यही है, बिल लाने की आवश्यकता नहीं है, आर्डिनेंस से आपका उद्देश्य पूरा हो गया। क्रिकेट एसोसिएशन में आपने 50 साल से थे उनको हटा दिया, आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। अब जैसी पुरानी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जारी रखिए और अच्छा काम करिए, जिससे आपका नाम हो सके।

(डा. सी.पी. जोशी)

यह भी सही है कि हम भी उसी इलाके से आते हैं उदयपुर से। उदयपुर में क्रिकेट का बहुत अच्छा गेम होता था। इसको पेट्रोनाइज किया हमारे मेवाड़ के महाराणाओं ने, क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया हमारे राजा-महाराजाओं ने। यहां पर आज हनुमन्तसिंहजी नहीं हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने भाग लिया, डूंगरपुर के राजसिंहजी ने भाग लिया, हमारे सलीम दुर्रानी ने भाग लिया, यहां पर वीनू मांकड़ जैसे आदमियों को लाकर खिलवाया, कितनों का ही नाम लें? उस जमाने में राजस्थान का क्रिकेट का एक बहुत बड़ा दबदबा हिन्दुस्तान में था। आप प्रयास करके उसी उद्देश्य से लाए हैं तो आपको धन्यवाद। आपने किसी की मोनोपोली को हटाया तो धन्यवाद पर एक मोनोपोली को हटाकर दूसरी मोनोपोली को आप लाना चाहते हैं, हम मोनोपोली, राजस्थान की कल्चर जिसे मालूम नहीं, राजस्थान के किसी फील्ड में कभी खेला नहीं, इण्टरनेशनल आडिटोरियम की बात करना सरल है पर राजस्थान में कैसे गांव के गरीब के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे वह रणजी ट्राफी में खेले और प्लेयर बने, उसका ज्ञान नहीं है, केवल मात्र विष्णुजी मोदी कह रहे हैं कि हम सिखा देंगे, सिखा देंगे, पैसा बहुत चीजें सिखा देता है, वहां सीखने की जरूरत थोड़े है, अच्छा है, आपने उनको अध्यक्ष बनाने का मौका देने के लिए एक्ट लेकर आए, आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, चाहे इन्टरनेशनल स्पोर्टस काम्पलेक्स बना सके, आपके मन मे जो भावना थी या मुख्य मंत्रीजी के मन में जो भावना थी कि हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मोनोपोली को खतम करके राजस्थान में एक नए अध्यक्ष का प्रारम्भ करें, उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इसमें आपको कोई गलत बात नहीं कहता लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आप सारे स्पोर्टस में पालिटिकल इन्टरफियरेंस रजिस्ट्रार के थ्रू करना चाहते हैं, यह परिपाटी बिलकुल ठीक नहीं है, यह राजस्थान में खेल की भावना को आगे नहीं बढ़ाएगी, खेल के संरक्षण को आगे नहीं बढ़ाएगी और खेल की व्यवस्था में सुधार करने का काम नहीं करेगी। इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करे और फिर भी आप ठीक समझते हैं तो आप बिल लाए, नहीं तो पुरानी व्यवस्था जैसी चल रही है, वही चलने दी जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4 अगस्त को राजस्थान विधान सभा के पिछले सत्र का अंतिम दिन था और 18 अगस्त को, यानि 14 दिन बाद ही आप यह अध्यादेश ले आए, ऐसी क्या अर्जेन्सी थी कि आपको यह आर्डिनेंस लाना पड़ा? अगर अर्जेन्सी थी तो विधान सभा का सत्र भी था, उसमें आप यह बिल ला सकते थे। इसका मतलब जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपका उद्देश्य न तो खेलों को बढ़ावा देने का था और न खेल संघों को बढ़ावा देना आपका उद्देश्य था। आपका एक ही उद्देश्य था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता था, उसकी प्राप्ति तो हो गई। माननीय सभापति महोदय, आपने अपने जिन उद्देश्यों और कारणों का कथन इसमें किया है, मैं इस बात के लिए तो आपकी तारीफ करता हूं कि आपने बड़ी साफगोई में इसमें लिखा है-राजस्थान राज्य में क्रीड़ा के विकास के लिए विद्यमान क्रीड़ा संगमों और क्रीड़ा निकायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है तथापि, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। क्रीड़ा निकाय या तो रजिस्ट्रीकृत नही हैं या वे राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं जिसमें प्रभावी विनियामक तंत्र का उपबंध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में दो खिलाड़ियों श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ और श्री देवेन्द्र कुमार झाझड़िया जो विकलांग है, जयपुरिया तहसील राजगढ़ चुरू के हैं, इन दोनों ने ही राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर राजस्थान का नाम रोशन किया और राजस्थान को सम्मान और गौरव भी दिलाया है। लेकिन यह भी सही है कि इन दोनों ही खिलाडियों को उस स्थान तक पहुंचने में राजस्थान की क्रीड़ा परिषद का या राजस्थान के खेल मंत्रालय का कोई योगदान नहीं था। आप अब जिस भावना से यह राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 लाये हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिन 40 खेलों का आपने इसमें उल्लेख किया है, क्या वे 40 के 40 की जिला स्तर पर आपकी यूनिट बनी हुई हैं ? इनमें से कितनी बनी हुई हैं ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपने रजिस्ट्रार को इस कदर पावर दे दिये कि रजिस्ट्रार सब कुछ काम करेगा। ढाई सौ रुपये फींस लेकर के रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर आपस में कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा भी करेगा। जिला संघों के चुनाव होंगे तो आपने लिखा है कि स्टेट की क्रीड़ा परिषद का एक आब्जर्वर जाएगा। यह पर्यवेक्षकों की कहानी हम राजनीतिक दल बहुत भुगत रहे हैं। बी जे पी के पर्यवेक्षकों के साथ क्या स्थिति हुई और क्या कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं उनकी क्या स्थिति हुई? इन खेल संघों में भी आप इस तरीके के पर्यवेक्षक, आब्जर्वर लगाकर के इन खेल संघों में भी यह गंदी राजनीति घुसाना चाहते हो, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब जिला स्तर पर आपकी यूनिट बनी हुई नहीं है और आपने इसमें शर्त यह रख दी कि जो भी यूनिट आप जिला रजिस्टर्ड करेंगे उसकी शर्त में एक यह भी है कि वो जिला स्तर पर एफिलियेड होना चाहिए। जब जिला स्तर पर आपका संघ है ही नहीं तो वह सम्बद्धता किससे करेगा, एफिलियेशन किससे करेगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अध्याय 2 की धारा 3 में जो रजिस्ट्रेशन लिखा है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो शर्तें रखी हैं- सदस्यों की मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित सूची। किसकी सूची होगी? जैसा अभी रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने प्राथमिक इकाई के लिए कोई नियम कायदे-कानून बनाये ही नहीं है केवल आपने यह कह दिया कि कोई भी सात लोग मिलें और उसका गठन कर लें। उसके गठन को किसको आपका जिला संघ वैधानिक मानेगा? अब आप इसमें कह रहे हो कि सदस्यों की मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित सूची होगी, कार्यकारी निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची होगी, संबद्धता का प्रमाण पत्र होगा। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका 40 संघ है ही नहीं, कोई 2-4 होंगे, फुटबाल, कबड्डी, क्रिकेट एसोसिएशन है और हैं, 40 के 40 नहीं है जैसी मेरे को जानकारी है। जब वहां है ही नहीं तो वो आपके पास संबद्धता प्रमाण पत्र कहां से लाकर के देगा। फिर आप कह रहे हैं- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप-विधियां (दो प्रतियों में), अंतिम साधारण बैठक का कार्यवृत्त, अध्याय 7 के अन्तर्गत आने वाले संगम के मामले में उपविधियों इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने का वचन यदि वे आवेदन करने की तारीख तक नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की गई हैं। फिर आप इसमें जो अंतिम शर्त लिख रहे हैं वो यह रख रहे हैं कि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अद्यतन संपरीक्षित लेखा। इसका मतलब नये लोगों को जो आप बढ़ावा देना चाहते हैं कि वो आगे क्रीड़ा के क्षेत्र में तो वह एक साल की बैलेंस शीट कहां से लाएगा? आडिट रिपोर्ट कहां से लाएगा, कोई नया आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएगा तो? इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन यह है कि यह कहीं की नकल करके इस तरीके से अव्यवहारिक कानून जो अधिकारियों ने आपको बनाकर दे दिया, आपने उसका इसमें समावेश कर दिया, यह व्यावहारिक नहीं है। आप कह रहे हैं अध्याय 2 की धारा 3 में- रजिस्ट्रेशन और सब रजिस्ट्रार को सारी शक्तियां उसमें निहित कर दी कि सब रजिस्ट्रार ढाई सौ रुपये फीस लेकर के आवेदन लेगा और आवेदन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देगा और वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि रजिस्ट्रेशन उचित नहीं है तो 30 दिन में या तो वह रजिस्ट्रेशन कर देगा या 15 दिन का नोटिस जारी कर देगा। 15 दिन का नोटिस जारी करके उसका क्या समाधान चाहेगा? क्या स्थिति होगी? इसी तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अध्याय 3 में आपका जो सब क्लाज 13 हैं उसमे निर्वाचन लिख दिया कि निर्वाचन होगा। फिर अध्याय 4 में आप कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई डिसपुट हो जाएगा तो सुलह और मध्यस्थता भी वो रजिस्ट्रार करवाएगा। यानि यह सारा काम आप एक व्यक्ति पर छोड़कर उसको इतनी असीमित शक्तियां दे रहे हैं। इस पेज 11 का आप जरा अवलोकन करें, पेज 11 के अन्दर आपने इसमें लिखा है- सुलह और मध्यस्थता- (1) यदि किसी क्रीड़ा संगम के गठन, प्रबंध यानि मेनेजमेंट, क्रियाकलाप फंक्शनिंग, निर्वाचन इलेक्शन या एफिलिकेशन संबद्धता के दावे से सम्बन्धित कोई विवाद उदभूत हो तो उसका निपटारा सुलह और माध्यस्थत् के माध्यम से किया जायेगा। दो में कह रहे हैं। (2) समय-समय पर यथा-संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26) उप धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थतम् कार्यवाहियों पर लागू होगा। यह 1996 का अधिनियम संख्या 26 क्या है? यह कैसे करेगा ? फिर उसके बाद में आप इसी में कह रहे हैं अध्याय 6 में पेज 18 पर कि क्रीड़ा संगमों के अधिकार और दायित्व-भाग लेने का अधिकार- प्रत्येक क्रीड़ा संगम को संबद्धक क्रीड़ा संगम की उप-विधियों के अधीन रहते

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हुए ऐसे क्रीड़ा संगम द्वारा संचालित ऐसे क्रीड़ा क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा जिससे यह सम्बद्ध है। और उसकी बाध्यता है। यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इन खेलों को इस तरीके से बना दिया कि रजिस्ट्रेशन के लिए इतने सारे आवश्यक दस्तावेज रख दिये। प्राइमरी यूनिट के बारे में आपने कुछ कहा नहीं, जिला स्तर पर आपका खेल संघ है वो अभी तक पूरी तरीके से गठन नहीं हुए और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 4 अगस्त को विधान सभा के सत्र का अंतिम दिन था उस दिन तक सत्र चला और उसके बाद आप 18 तारीख को यह अध्यादेश ले आये। 18 तारीख से लेकर के आज़ तक 7 महीने में आपको यह भी सदन को बताना चाहिए कि आपने क्या-क्या काम किये। कितने काम आपने इस सम्बन्ध में जो आप आज बिल लेकर आए हैं इस सम्बन्ध में कर लिये। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इसमें बहुत खामियां हैं इसलिए इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये और जल्दबाजी मत कीजिये। इसमें जो खेल संघ हैं, जो खिलाड़ी हैं, दूसरे इस क्षेत्र के जो जाने-माने लोग हैं उन सब की सलाह मशविरा लेकर के उसके बाद एक प्रभावी कानून अगर आप लायें तो मैं समझता हूं कि यह उचित रहेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चहता हूं कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कष्ट करें और इसकी जो खामियां हैं इन खामियों को दूर करके अच्छा बिल लाएं। आपका मतलब केवल यही है कि आपके जो लोग हैं, कोई सरकार का इसमें दखलंदाजी हो जाए खेल संघों के अन्दर और सरकार की उस पर पकड़ हो जाए तो मैं समझता नहीं कि यह उचित है। इसलिए मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर के अन्दर जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उन प्रतिभाओं को अगर आगे लाना चाहते हो और निश्चित रूप से आपका उद्देश्य और भावना यह है कि राजस्थान में खेलों का विकास हो, खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, खेल संघ नये तरीके से गठन हो तो यह इतनी सारी बाध्यताएं इसके अन्दर रखी हैं, यह जो आपने राइडर लगा दिये हैं इन राइडरों को हटाकर सही तरीके से जनमत के आधार पर दुबारा यह बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रदेश के भी हित में रहेगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री डा. चन्द्रशेखर बैद-अनुपस्थित।

माननीय श्री हरिमोहन शर्मा-अनुपस्थित।

डा. श्री एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, अभी पक्ष विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस पर विचार प्रकट किये हैं और मुझे ताज्जुब यह है कि जिनको खेलों का ज्यादा अनुभव नहीं है, वे लोग भी यहां पर ऐसे बोले रहे थे जैसे बहुत अथोरिटी रखते हैं। (व्यवधान) नहीं, मेरा किसकी तरफ इशारा है, अभी आप समझ जाओगे, और हम इनका दुःख समझ सकते हैं कि ये क्यों बोल रहे थे।

सभापति महोदय, मैं स्वयं संबद्ध रहा हूं इन एसोसिएशन और खेलों से, हमने दो बार राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को हटाने की कोशिश की, आज तक कई वर्षों से जिस एसोसिएशन में जो लोग बैठे हुए हैं या ओलम्पिक एसोसिएशन, राजस्थान की ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन कर बैठे हुए हैं, उनका चुनाव किस तरह से होता है, किस तरह से वह खिलाड़ियों के साथ मजाक करते हैं, किस तरह से वह नेशनल गेम्स में एसोसिएशन को जाने से डिबार करवाने की कोशिश करते हैं, यह शायद सदन के बहुत कम सदस्यों को पता होगा। सभापति महोदय, वर्षों से एक व्यक्ति हो सकता है इनसे उनका एफिलिएशन हो, व्यक्तिगत पार्टी के लेवल पर, खेलों में लेकिन राजनीति नहीं चलती। माननीय विष्णुजी का जो इन्होंने नाम लिया, सी.पी. जोशीजी चले गये हैं यहां से, वह उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, दिनेशजी जोशी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे जो वर्षों तक स्वर्गीय श्रीहरिदेव जोशी उनके पुत्र, वह खेलों से सम्बन्धित थे, उस समय वह कांग्रेस पार्टी में थे, मैं बी.जे.पी. का, यह सब मिलकर उस घेरे को तोड़ने की कोशिश की, किस तरह से घेरा बनाकर करीब 20-25 साल से एक व्यक्ति राजस्थान ओलम्पिक संघ में बैठा हुआ है, उसने किस तरह से एसोसिएशन बना रखी हैं, एसोसिएशन के कोई चुनाव नहीं, ओलम्पिक संघ के फेक चुनाव, पता कहां का दिया जाता है, वहां कोई आता नहीं, कागजों में चुनाव होते हैं और दिल्ली में जाकर ओलम्पिक संघ से एक चिट्ठी ले ली जाती है कि ये चुनाव ठीक हो गये और इनको मान्यता दी गई। हमने पूरे

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मीडिया को बुलाकर, पूरे इलेक्ट्रोनिक मीडिया को बुलाकर पूरी एसोसिएशन को बुलाकर, स्टेट लेवल एसोसिएशन को बुलाकर पदाधिकारियों को बुलाकर और हमने यहां पर चुनाव कराये यूथ होस्टल में, हमने इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी बुलाया पर्यवेक्षक के रूप में, राजस्थान स्पोर्टस कौंसिल के लोगों को भी बुलाया पर्यवेक्षक के रूप में, सब हमको चिट्ठी दे गये, उस समय ये सब मौजूद थे विष्णुजी भी सारे मौजूद थे, हमने यह बहुमत हमारा जो एक्जिस्ट कर कर रहे हैं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिरजी आजाद बोल रहे थे कि इसमें एक्जिस्टेंस में कितने हैं, यह सब जानते है जो खेलों से सम्बन्धित हैं वह सब जानते हैं, जो एक्जिस्टेंस में हैं उनको हमने सब को बुलाकर, सब ने यूनानीमस उस समय, मैं खुद मेरे को अध्यक्ष बनाया और हमने आल इण्डिया ओलम्पिक संघ का जो सैक्रेटरी उस समय था शायद उनको पर्यवेक्षक भेजा था उसने कहा कि पहली बार मैंने राजस्थान में इस तरह का इलेक्शन देखा है, स्पोर्टस कौंसिल से हमको चिट्ठी दे दी और उसके बाद वही आदमी जो कई सालों से बनकर बैठा है, ओलम्पिक संघ का अध्यक्ष, वह दिल्ली गया और वहां से चिट्ठी ले आया, हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में किस तरह से फैसले होते हैं, आप जानते हैं, एक लम्बी प्रक्रिया है, जब तक वह फैसला नहीं आया तब तक दूसरी बार चुनाव आ गये और वह बैठा रहा अध्यक्ष बनकर। अब दो अध्यक्ष हो गये राजस्थान में, एक अध्यक्ष मैं हो गया, एक अध्यक्ष वह हो गया और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जब नेशनल गेम्स हुए उन्होंने हमसे सम्बन्धित जितने भी जो एक्जिस्ट करती है जो मायने रखती है राजस्थान का जिन्होंने गौरव ऊंचा किया। आज राजस्थान की पहचान, माननीय सदस्य जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे मुझे मालूम नहीं है लेकिन बच्चा-बच्चा जानता है, जो खेलों के बारे मे जानता है, आज बास्केट बाल ने राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है, हैंडबाल ने राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है, तीरंदाजी ने राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है। मैं राजस्थान क्रीड़ा परिषद में भी रहा हूं। उस समय हमने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासियों को पकड़कर हम लाये उनको हमने तैयार किया, उसके बाद राजस्थान का नाम रोशन हुआ तीरंदाजी में और जो प्रकिया सतत् चाहे कोई भी रहा हो, वह प्रक्रिया सतत् जारी रही और एक के बाद एक, एक के बाद हमारे उसी आदिवासी एरिया से

(डा. एन.एस. गुर्जर)

नये-नये लड़के और तीरंदाजी में राजस्थान का नाम रोशन किया। (व्यवधान) अब मैं बता रहा हूं, कई गायब हो गये। आज तो हमारा बास्केटबाल और एथलेटक्स में भी कोई नहीं है। हमने गोपाल सैनी पैदा किया था उसके बाद कहां है?

(समय : 15.26 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारे कुछ खेल हैं, बालीबाल का नाम है, बालीबाल के अन्दर हमने राजस्थान का नाम रोशन किया, हमारे ही खिलाडी राजस्थान के इंडियन टीम में हुआ करते थे और बास्केटबाल में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बगल का जिला सीकर वहां एक गांव है, उस गांव में आज भी कम से कम 8-10 लड़के इन्टरनेशनल लेवल के बास्केटबाल के खिलाड़ी हैं, एक ही गांव के जिन खेलों के अन्दर हमने नाम रोशन किया, जिन खेलों में हमने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया उन खेलों की दुर्गति राजस्थान ओलम्पिक संघ ने भी कर दी कि जब उन खेलों का नेशनल गेम्स में जाने की बारी आई, पाबंदी लगा दी गई कि आप खेलों में भाग नहीं ले सकते, हमने उस समय तत्कालीन राज्य सरकार से सम्पर्क किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय जो सरकार थी उन्होंने स्पेशल प्रोविजन कराकर राजस्थान क्रीडा परिषद के व्यक्ति को वहां भेजा तो कुछ तो हमने जो इंडियन एसोसिएशन है उनके थ्रू पार्टिसिपेट करवाया और कुछ को हमने क्रीड़ा परिषद के थ्रू पार्टिसिपेट करवाया लेकिन राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन ने उसमें रोड़ा डालने की भरपूर कोशिश की कि हम नेशनल गेम्स में राजस्थान के लड़के लड़कियों को भाग नहीं लेने देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और पूरी तरह से जागीर बना लें कि यह खेल जागीर हो गई मेरी, जैसे मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज मैं पूछना चाहता हूं, माहिर आजाद जी ठीक कह रहे थे, आज एक गेम है, स्कीइंग, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करने वाला, उसकी एसोसिएशन बनाई हुई है और उसमें राजस्थान ओलम्पिक संघ ने मान्यता दे रखी है। अब राजस्थान में बर्फ कहां है, मुझे यह बता दे कोई ? (व्यवधान) हां, डीडवाना में, यह सही है, हो सकता है। नहीं, इनका

(डा. एन.एस. गुर्जर)

दोष नहीं, इनको तो मालूम ही नहीं है, अभी नये-नये मंत्री आए हैं, इनको तो ज्यादा पता नहीं है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की फर्जी संस्थाएं बनाकर एसोसिएशन उनको मान्यता दे रखी है और कहा कि एसोसिएशन के जब चुनाव हुए हैं ओलम्पिक संघ के तो ये-ये मौजूद थे, हम यह चिट्ठी लेकर जब इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के सामने गये कि यह तो एक्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उन्होंने कहा हमने तो दे दिया लैटर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जब इस तरह की चीज हो जाए और उनको क्यों चिट्ठी मिली क्योंकि वह एक कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष और थे राजस्थान के और एक एसोसिएशन के वोट होते हैं तीन वोट और ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष होने के नाते दो या तीन वोट ऐसे कुछ, ये दो या तीन वोट थे, सब्जेक्ट टू करेक्शन, तो उनके पास अकेले के पास चार वोट या 6 वोट, 5 वोट हों, 5 वोट हो सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट टू करेक्शन कह दिया इसलिए उनको वहां एक-एक वोट कीमती है, मुझे कहने में आपत्ति नहीं है सदन में कि जब इंडियन ओलिम्पक एसोसिएशन के चुनाव होते हैं या क्रिकेट के चुनाव होते होंगे उनमें कितना पैसा चलता है, यह सब माननीय सदस्य जानते हैं, फाइव स्टार होटल में उनको ठहराया जाता है वह वहां पर किस तरह से वोट की खरीद फरोख्त होती है, हमारे जो प्रधानों के चुनाव आपने देखे या प्रमुखों के चुनाव देखे हैं ये तो कहीं नहीं टिकते वहां तो जिस तरह से बाडाबंदी और जिस तरह से लेन देन होता है मामला तो एक पेशा बना लिया इन लोगों ने। यही कारण था कि पूरे देश में 105 करोड़ के देश में ओलम्पिक में एक भी स्वर्ण पदक हमारे देश को नहीं मिला क्योकि एक ऐसे जागीरदार बनकर हर स्टेट में बैठ गये जिन्होंने एसोसिएशन को, इन खिलाड़ियों को तो तरजीह नहीं दी, उनको तो पीछे धकेल दिया और खुद जागीर बनाकर बैठ गये। राजस्थान का एक खिलाड़ी जिसको रजत पदक मिला है और पूरा देश आंखों पर बिठाये घूर रहा है, वाह कम से कम एक तो पैदा हुआ जो रजत पदक लाया 105 करोड़ के देश में और अभी माननीय सी. पी. जोशी यहां से चले गये, बैठे हैं अभी, मुझे खुशी है, ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, उन्होंने टेक्नीकल आधार पर निर्णय दिया है जब भी ओलम्पिक में कोई भी देश के खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो उस देश को रिप्रजेंट करते हैं चाहे वे सरकारी नहीं होते होंगे, लेकिन देश की आन-बान और शान को वे रिप्रजेंट करते हैं और यही कारण था जब वर्ल्ड

(डा. एन.एस. गुर्जर)

के अन्दर दो ध्रुव थे। एक तरफ यू.एस.ए. और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस समय दोनों देशों के बीच में यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मैडल लेकर कौन जाता है। वे खेलों को राष्ट्रीय प्रेस्टिज के साथ जोड़ते थे और आपको मालूम होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होते हैं तो गलियां सूनी हो जाती हैं, कार्यालयों में काम ठप्प हो जाता है और हर आप भी की नजर उधर होती है हमारे खिलाड़ी जीतते है या पाकिस्तान के खिलाड़ी जीतते हैं। देश की प्रतिष्ठा के साथ खेल जुड़ जाते हैं। इसलिए यह कहना कि खेलों से सरकार का सम्बन्ध नहीं है, खेलों का स्टेट से सम्बन्ध नहीं है, खेलों का देश से सम्बन्ध नहीं है मैं इसको नहीं मानता। खेलों का बिलकुल सम्बन्ध है। देश की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध है, प्रदेश की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध है। जब बास्केटबाल के अन्दर राजस्थान जीतकर आता था उस समय हमारी राजस्थान सरकार की ओर से उनका स्वागत होता था, खिलाडियों का प्रदेश की जितनी भी संस्थाएं हैं वे उनका अभिनन्दन करती थीं। हमारी इंडियन टीम जब कहीं से दौरा करके जीतकर आती है, आपको ध्यान होगा जब कपिलदेव कप्तान थे और वे क्रिकेट में जब जीतकर मैडल लेकर आये तो पूरे देश ने पूरी टीम को सर आंखों पर बिठा लिया और उनके लिए जगह-जगह घोषणा की गई कि फलां स्टेट यह देता है, पूरा देश यह देता है। इनको यह इनाम देते हैं, इनामों की बौछार हो गई। यह क्यों हुआ? अगर प्राइवेट मामला होता तो स्टेट क्यों बीच में आयी? प्राइवेट मामला था तो देश बीच में क्यों आया ? इसलिए यह कहना कि देश का कोई सम्बन्ध नहीं, स्टेट का कोई सम्बन्ध नहीं, यह बिलकुल तथ्यों से परे है। इन खेलों का सम्बन्ध स्टेट से भी है देश से भी है और राज्यों से भी है। इसलिए जो 25-25, 30-30 साल से एसोसिएशन पर कब्जा कर बैठे हैं, ओलम्पिक संघ के ऊपर राजस्थान के अन्दर मैं आपको कहना चाहता हूं यह खेलो का हित नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी कि एक भी खेल के अन्दर राजस्थान ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे हो। जहां 8-8, 10-10 खेलों के अन्दर राजस्थान जीतकर आता था, राजस्थान की शान बनी होती थी, जब बास्केटबाल का मैच होता था तो पूरे देश को पता होता था कि इसमें कौन जीतेगा और पहले ही राजस्थान-राजस्थान चिल्लाने लगते थे। हमारे खिलाड़ी मैदान में उतरते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी और मुझे हनुमान सिंहजी का खेल याद है, उनकी

हाइट भी नहीं थी, लेकिन जब-जब वे बास्केटबाल के मैदान पर उतरते थे तो चुम्बक की तरह उनके हाथ में बाल चिपक जाती थी और अगले खिलाड़ी की टांगों में घुसकर बास्केट के अन्दर वे बाल डाल देते थे। यह मैंने देखा है। यह कई लोगों ने अगर उनका खेल देखा है तो वे जानते हैं, बहुत जबर्दस्त क्लैपिंग होती थी। उन खिलाड़ियों को याद करो। बालीबाल के अन्दर जब स्मैश करते थे इसी सदन के सदस्य हुआ करते थे प्रो. केदार। जब रशियन टीम के खिलाफ वे खेले, जब वे स्मैश करते थे तो स्मैश करके सामने मैदान के अन्दर एक कलदार रुपया रखकर उसके उपर निशाना साधकर वे बाल को मारते थे। ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हमारे राजस्थान के अन्दर हुए। आज बालीबाल में हम कहां है? आज बास्केटबॉल में हम कहां है? तीरंदाजी में कहां हैं? एथेलेटिक्स के अन्दर हम कहां है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो नये राजा-महाराजा हैं, सी.पी. जोशी साहब, आप कह रहे थे कि क्रिकेट में..

डा. सी.पी. जोशी : आप हमको क्यों कह रहे हो? हम तो राजाओं के पक्ष में हैं। राजाओं के तो आप खिलाफ हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : जो खेलों पर आधिपत्य नये राजा-महाराजाओं के रूप में जिन लोगों ने जमा लिया 20-20, 25-25 साल से मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप घुमा-फिराकर उसको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं उसका प्रयास आप मत करो।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो आपको सही जगह ले जाना चाहता हूं। आप सही जगह आना नहीं चाहते हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मेरी चिन्ता मत करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी चिन्ता तो करेंगे। आपकी चिन्ता तो पूरा सदन कर रहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन इस मामले में जो आपने तर्क दिया है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया. विपक्ष में होने के नाते आपको तर्क देने चाहिए, लाने चाहिए। (व्यवधान) आप पढ़कर आये हो, आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं और प्रतिपक्ष में होने के नाते आपको इस तरह तर्क रखने चाहिये, यहां पढ़-लिखकर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बोलना चाहिए, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि राजस्थान की खेलों की दुर्दशा जिन्होने वर्षों से जमावड़ा जमा लिया उन्होने कर दी। इसलिए इस तरह का विधेयक आना बहुत आवश्यक हो गया। मैं तो कहता हूं कि इस विधेयक को आप एक काम्प्रीहेंसिव रूप मे आगे लाएं, अभी तो ले आये ठीक है, आगे और विचार करिए इस पर। मैं तो चाहूंगा आप इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से बात करिए और बात करके इस तरह से लाएं कि आज इसमें एक शर्त लगा रखी है कि आपकी स्टेट एसोसिएशन बनेगी, उसके इलेक्शन होंगे। that will be duly certified by the Indian Olympic Association. अब क्रीडा परिषद भी उसमें सर्टिफाई करेगी, ओलम्पिक एसोसिएशन भी सर्टिफाई करेगी तो घूम-फिरकर वह मामला वहीं आ गया तो ओलम्पिक एसोसिएशन तो चाहेगी नहीं। पहले की तरह ही उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाकर दे रखें हैं उनको ही वे करते जाएंगे कि इसको हमने मान्यता दी है बाकी को नहीं दी। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप इसको दिखवाएं और जो भी हो सकता है, आप करें। आपकी मंशा अच्छी है, आप लेकर आये हैं और उसका परिणाम भी मिला। अभी जोशी साहब कुछ भी कह रहे होंगे लेकिन एक परिणाम मिला क्रिकेट एसोसिएशन। अब आज इसका बुरा मान रहे हैं यह लाकर आपने क्रिकेट एसोसिएशन पर रूंगटाओं का कब्जा हटा दिया। रूंगटाजी व्यक्तिगत तौर पर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन चाहे मेरा ही कब्जा हो, 20-25 साल तक एक एसोसिएशन पर या ओलम्पिक एसोसिएशन पर मेरा ही कब्जा हो तो मैं क्या करूंगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो मेरे नुमाइंदे हैं उनको बिठाउंगा। तो दो बार हमने हटाने की कोशिश की और सफल इसलिए हो गए कि इस तरह का जो कानून नहीं था और वे इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से चिट्ठी ले आते थे और बनकर बैठ जाते थे। केवल दो-तीन बार विदेश जा आते इसके अलावा खेलो में उनका कोई योगदान नहीं है। इसलिए मैं नाम लेऊंगा तो आप चमकेंगे, कई लोग तो जानते भी हैं आपकी सरकार में मंत्री भी रहे हैं आपके ही लोग विरोध भी करते हैं, मैं उनका बहुत खुले दिल से स्वागत करता हूं आपके ही दल में ऐसे लोगे हैं जिन्होंने इस प्रवृत्ति का विरोध किया है और उस समय हम मिलकर आपस में विष्णुजी कांग्रेस में थे, दिनेशजी जोशी कांग्रेस में थे। मैं इधर भारतीय जनता पार्टी में था, हमने मिलकर चुनाव किया, पूनियाजी उस समय

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कांग्रेस पार्टी में थे, हम सबने मिलकर, एकजुट होकर हनुमान सिंहजी जो अभी कर्मचारी नेता भी हैं, खेलो में उनका बहुत योगदान है।

डा. सी.पी. जोशी : गुर्जर समाज में 25 साल से आपकी मोनोपोली थी वह तोड़ी तो कैसा लग रहा है आपको ?

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको शायद पता होगा कि मैं 20-25 साल से कभी गुर्जर महासभा के किसी पद पर ही नहीं रहा।

डा. सी.पी. जोशी : गुर्जर महासभा नहीं, गुर्जर समाज के एकमात्र प्रतिनिधि बी.जे.पी. में आप थे। उस मोनोपोली को खतम किया तो कैसा लग रहा है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कोई जातियों के आधार पर नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो आज गुर्जरों को एस.टी. में शामिल करने की वकालत कर रहे थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बात तो कर रहे थे फिर यों कह रहे हो कि जातिवादी में नहीं हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं हूं। अगर मैं...

श्री कालूलाल गुर्जर : आज भी हमारे गुर्जर प्रतिनिधि ये ही हैं।

डा. सी.पी. जोशी : वह तो मालूम है गुर्जर प्रतिनिधि कौन है कैबिनेट में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाथूसिंहजी के व्यक्तित्व को आप केवल मंत्रिमण्डल के लिए गुर्जरों तक बना देना चाहें, यह नहीं है। ये सर्वव्यापी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनको यही कहकर राजी रखना चाहते हो। यह इंटेलेक्चुअल (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये ऐसे सदस्य हैं जो नेता भी है, अभिनेता भी है, जो पायलट भी हैं, घुड़सवार भी हैं, जो कवि भी हैं, विद्वान भी हैं। नेता, अभिनेता, पायलट, घुड़सवार, कवि, साहित्यकार और क्या-क्या उसमें आप चाहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : वे मंत्री नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से माइक में करंट आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, करंट आ रहा है माइक में। सच्चाई है यह, अभी झटका लगा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को अभी बहुत बड़ा झटका लगा है करंट का।

श्री हरिमोहन शर्मा : अफसोस इस बात का है कि इतनी प्रतिभा के धनी का राज्य सरकार उपयोग नहीं कर रही है, अफसोस इस बात का भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे एम.एल.ए. भी हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : ये चैक करवाइये माइक, नहीं तो किसी की जान ले लेंगे ये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जोर से माइक में करंट आ रहा है।

श्री संयम लोढा: तिवाड़ी साहब, आपको 'ख' से 'क' में जाना है तो इनको साथ रखना जरूरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है, ठीक है। मैं तो यहीं ठीक हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय. मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं जो मेरे ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह जो खेल अध्यादेश आया है, यह जो बिल आया है इस बिल के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। इसलिए मैंने जो वास्तविकता सदन के सामने रखी हैं, मैं चाहूंगा प्रतिपक्ष से या इधर से कोई भी सदस्य जब बोले, अगर मैंने कोई बात ऐसी कही है जो राजस्थान के हितों के खिलाफ खेलो में हो या मैंने कोई असत्य बात कही है जो वस्तुस्थिति से परे हो तो मैं निमंत्रण दूंगा कि आप मुझे करेक्ट करें, मैं अपने आपको करेक्ट करूंगा, आपस क्षमा याचना करूंगा कोई ऐसी बात कही है तो लेकिन चूंकि मैं खेलों से सम्बन्धित रहा हूं और वर्षों तक हम इस कोशिश में लग रहे हैं कि यह मोनोपोली तोडें लेकिन हम असफल रहे. यह बात भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम असफल रहे। विष्णुजी असफल रहे, मैं भी असफल रहा। और भी हमारे कई साथी इधर के उधर के, सबने कोशिश की, वे भी असफल रहे क्योंकि कोई कानून इस तरह का नहीं है जो इन खेलों को रेगुलेट कर सके।

श्री रामप्रताप कासनिया : हरदोड़ा जानते हो ? हरदोड़ा क्या खेल होता है, यह जानते हो क्या? आप कह रहे हैं कि सब खेलों की जानकारी है तो हरदोड़ा बताओ।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बिराजें। आप जो खेल जानते हैं, वह मैं नहीं जानता हूं (व्यवधान) इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। इसलिए मैने माफी मांग ली और क्या करूं हाथ जोड़ लिये।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे सदन से कि इस बिल के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें आप कि आप आखिर इन लोगों की मोनोपोली खेलों में इस तरह ही चलने देना चाहेंगे? राजस्थान खेलों की दृष्टि से पिछड़ते ले जाते चले जाओगे या आज से 10-15 साल पहले जो राजस्थान खेलों मे बहुत आगे रहा करता था, उस स्थिति में वापस लाना चाहोगे ? इस पर आपको विचार करना है इसलिए मैं तो यह जो बिल लाये हैं, मैं तो इसका स्वागत करता हूं कि सरकार जो बिल लाई है। मैं तो चाहता हूं, इससे भी ज्यादा काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए जो इन खेलों को रेगुलेट कर सके, मोनोपोली नहीं हो किसी की भी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किये जा सकते हैं, उसकी उसमें व्यवस्था हो। आज जितने भी खिलाड़ी हैं, अभी इस बार भी नेशनल खेलों के अन्दर कोई एसोसिएशन, जो कि राजस्थान ओलम्पिक संघ एसोसिएशन के पक्ष में नहीं था, जो रीयल एसोसिएशन है, उनको भाग लेने नहीं दिया गया। उनको यह कह दिया गया कि जब तक हमसे एफिलेटेड नहीं होंगे, जब तक आपका वोट हमें देने का प्रोमिस नहीं करोगे, तब तक आपको नेशनल खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, उस समय हमने बड़ी मुश्किल से उनको भाग लेने दिया और आज यह स्थिति है कि वह जो राष्ट्रीय खेलों के अन्दर, नेशनल खेलों क अन्दर खिलाड़ी जाते है, उन खिलाडियों को टी.ए. डी.ए. मिलने की भी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, आपके पास क्या चारा है बिल लाने के अलावा क्या चारा रह जाता है ? इसलिए सरकार बिल लाई हैं, मै इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और सदन से आशा करता हूं कि इस बिल का तो पास करें ही और सरकार से मैं मांग करता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल हो जो राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन को रेगुलेट कर सके। आप दिल्ली बात करिये, आपके हाथ में नहीं

(डा. एन.एस. गुर्जर)

है इतना, आप दिल्ली में जब बात करेंगे, मुझे मालूम है सब कानून-कायदे इसलिए बोल रहा हूं कि आप दिल्ली में चर्चा करें और चर्चा करके इस बात की व्यवस्था करें कि इनकी मोनोपोली खतम हो सके और खेलों का विकास हो सके और राजस्थान भी खेलों के मामले में भी अग्रणी राज्यों के रूप मे जाना जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधयेक, 2005 के ऊपर सदन में चर्चा चल रही है। सरकार यह बिल लेकर आई है। राजस्थान में खेलों को कानूनी तरीके से रेगुलेट करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए कि बहुत समय हो गया और राजस्थान में जिस प्रकार से खेलो की स्थिति बनी हुई है, यह पिछले काफी समय से इन खेलों के प्रति जो अनदेखी रही, उसको सबसे बड़ा कारण खेलों का पिछड़ना रहा। राजस्थान में खेलों की कमी नहीं है तो खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का और देश का नाम रोशन किया है लेकिन हम केवल जब उसको पदक मिलता है खिलाड़ी को, तब तक तो उसका सम्मान और उसकी गाथा गाने की जरूर कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। इस बात के लिए कि इस प्रकार के और खिलाड़ी भी राजस्थान में पैदा हो सकते हैं या देश में पैदा हो सकते हैं। मेरे यहां, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एशियाड-82 का स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रहा है। लेकिन वह अकेला ही ऐसा खिलाड़ी था, पिछले 22 साल के बीच में उसके बाद उसके पदचिन्हों पर चलने के लिए दूसरा खिलाड़ी नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का जो तरीका सरकार का होना चाहिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का जो तरीका सरकार को होना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाया। आज हमारे ग्रामीण परिवेश में गरीबी, बेरोजगारी और कई तरह की समस्याओं से वह जूझता है और उसमें भी फिर कोई खिलाड़ी बाहर निकलकर राजस्थान का और देश का नाम रोशन करता है और फिर भी अगर कहीं सहयोग नहीं मिल पाता है, यह एक बड़ी विडम्बना है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

इस बिल के अन्दर सबसे पहले, जो बातें पहले कहीं गई हैं, उनको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक इकाई के बारे में इस बिल के अन्दर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है और इस प्राथमिक इकाई के स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण से सबसे बड़ी जो विडम्बना आएगी, वह आएगी कि जो एकल खेलों में है। जो खिलाड़ी एकल खेलों में अकेला ही है, उसके लिए तीन और सात सदस्यों वाली जो सीमा बांधी, प्राथमिक इकाई बनाने का जो तय किया है, वह किस प्रकार से पूरी हो पाएगी? इसका मतलब यह है कि जो एकल खेलों का खिलाड़ी है, वह इस प्रतिस्पर्द्धा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वह क्रीड़ा संगमों के साथ सूचीबद्ध नहीं हो पाएंगे और वह राजस्थान से पिछड़ते रहेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा इस बात का कि इस बात के ऊपर अगर विचार किया जाएगा तो ही मैं समझता हूं, वास्तव में खेलों को हम सम्यक रूप से और बराबरी के साथ आगे लाना चाहते हैं। जो वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार आपने दिया है, उसमें भी यह चीज दी है। उसमें क्लाज (4) में लिखा हुआ है कि "किसी भी व्यष्टि सदस्य को जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम या राज्य स्तरीय संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नही होगा।" अगर वह एकल खिलाड़ी और वह एकल प्राइमरी बोडी है तो वह किस प्रकार से तो जिला क्रीड़ा संगम में पदाधिकारी होगा या उसमें किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से वह राजस्थान लेवल से आगे बाहर निकलकर और अपना स्तर बना पायेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे राजस्थान में हैं। अकेले राज्यवर्द्धन सिंहजी को ही क्यों लें, ऐसे-ऐसे एकल खिलाड़ी हैं जो अपने आप में प्रदर्शन करना और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन साधनों और धन के अभाव में वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं।

एक लड़की है सुनीता चन्द्रावत, शूटिंग के अन्दर इसने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक प्राप्त किया है। जो भी कुछ उसने किया है, हमारी सरकार से कहना चाहता हूं इस बात के लिए कि उसने अखिल भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता पूणे (महाराष्ट्र) में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक प्राप्त किया। यूरोप में होने वाली विश्वस्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसका

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

चयन हो गया है। अन्तर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता में जयपुर में वह दूसरे स्थान पर रही और 48वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया इन्दौर में । चतुर्थ राज्य निशानेबाजी 10 मीटर राइफल्स में कांस्य पदक विजेता, अन्तर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता में जयपुर में फिर दूसरे स्थान पर रही दुबारा और अखिल भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता, ग्वालियर में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। यह तो वर्ष 2004 की उपलब्धियां हैं। वर्ष 2003 में, 2002 में और 2001 में अलग-अलग जगहों पर देश के अन्दर जा-जाकर खेलों का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो धन के अभाव में, नियमों के अभाव में, कानून के अभाव में जो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। माननीय राजयवर्द्धन सिंहजी को भी जो स्थान मिला, इस देश में सेना में जाने के बाद मिल पाया। सेना ने उनका सहयोग किया, सेना ने उनका खर्चा उठाया, सेना ने उनको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाया लेकिन राजस्थान में खेलों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, किसी भी सरकार का राज रहा हो, खेल मंत्री हैं, खेल विभाग है लेकिन शुरू से लेकर के, केवल प्राथमिक से लेकर के सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी एजुकेशन में आपसी कम्पीटीशन करवाने के अलावा और कोई काम नहीं हो पाया। यह सरकार यह बिल लेकर आई है, निश्चित रूप से इसमें यह विचार है इस बात के लिए कि खेलों को एक रेगुलेटरी के तहत लाया जाए और कानून का दर्जा दिया जाए और खिलाडियों को आगे आने का मौका दिया जाए। लेकिन इसमें जिस प्रकार से किसी के आधिपत्य को खतम करने की जो योजना थी, वह मकसद पूरा करने के बावजूद भी नया आधिपत्य नहीं हो, जो जिलों में और ग्रामीण स्तर पर जहां पर उनकी, चाहे वह रेजीडेंट हों, चाहे वह जमीन खरीद कर रहें, चाहे वह कारोबार के आने-जाने के ऊपर सदस्यता हो, कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी कोने से किसी भी जिले में जाकर के जमीन खरीद करके उसका सदस्य हो सकता है, इसके अलावा भी बाहर का सदस्य आकर के वहां पर जमीन खरीद कर उसका सदस्य बन सकता है। किसी भी प्रकार से व्यापार करने के नाम पर कोई भी आदमी कहीं भी जाकर के वह व्यापार करे और दुकान, व्यापार चलाकर के वहां का सदस्य बन सकता है। मेरा निवेदन इसमें यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि धनबल के आधार

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

पर संगठन और एसोसिएशन नहीं बनने चाहिए। यह जरूरी है कि धन के आधार पर खेल होंगे, बिना धन के खेल नहीं हो सकते लेकिन सरकार की जिम्मेदारी यह भी बनती है कि उसमें धन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे और किसी व्यक्ति विशेष को धन के आधार पर उसमें उसका आधिपत्य बनवा करके और इन खेलों के लिए उनकी एजेंसियां बनवा दी जाएं या उन संगमों में उनका आधिपत्य बनवा दिया जाए तो उन खिलाड़ियों के साथ वही शोषण होगा, वही हालात होंगे जो अब से पूर्व होते रहे हैं। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि खेलों में इस प्रकार का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। इस बिल में अगर कहीं पर सुझाव, संशोधन जो आये हैं, उनके ऊपर विचार अगर किया जाता है तो मैं समझता हूं, निश्चित रूप से एक नया खेल विधेयक अपन बना पाएंगे और वास्तव में खिलाड़ियों को न्याय दिलवा करके आगे बढ़ाने में अपन मदद कर पाएंगे, राजस्थान का नाम और देश का नाम यह हमारे खिलाड़ी रोशन कर पाएंगे। यह पत्रिका के अन्दर 25 जनवरी, 2005 को छपा है इस बात के लिए, शूटिंग के लिए, कि बढ़ना है सब से आगे, ऐसे-ऐसे खिलाड़ी, ऐसी-ऐसी बच्चियां, जो खिलाड़ी के रूप में हमारे देश के अन्दर आगे बढ़ सकती हैं, निश्चित रूप से इनको संरक्षण और सहयोग मिलेगा और राजस्थान सरकार की तरफ से अगर उनको पूरे साधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तो मैं समझता हूं राजस्थान का नाम नहीं, देश का नाम पूरे संसार के अन्दर हमारे राजस्थान के खिलाड़ी कर पाएंगे।

इन्हीं विचारों के साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान ओलम्पिक संघ के साथ जिस तरह से माननीय एन.एस. गुर्जर साहब जो बता रहे थे, हमारे खेल मंत्रीजी, केन्द्र सरकार में जब खेल मंत्री से बात होगी, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद को उसके साथ सम्बद्ध करते हुए, राजस्थान सरकार के पास ऐसे अधिकार आएंगे जिससे वह खेलों को पूर्ण रूप से गबर्न कर सके और पूर्ण रूप से गबर्न करके और इंडियन ओलिम्पक एसोसिएशन में अपना प्रतिनिधित्व रख सके और खिलाड़ियों को न्याय दिला सके, खिलाडियों को आगे बढ़ाने का मौका दे सके, उनको पूरे साधन-सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, उनके पास जो सामान और जो इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी है उनकी पूर्ति करके उनको पूरा बढावा मिल सके, उनको अच्छी तरह से, चाहे

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

वह आर्थिक सहयोग हो, चाहे उनके खेलने का सहयोग हो, चाहे कहीं आने-जाने के लिए उनको पास सुविधा और साधन की जरूरत हो, राजस्थान सरकार इसको गबर्न करके ग्रामीण स्तर में भी रहने वाले उन खिलाड़ियों को आगे लाएंगी तो मैं समझता हूं कि इस बिल का सार्थक मतलब सिद्ध हो पाएगा मैं अपना यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा है इस बात के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छा स्तर उनको दिया जाए, इसके लिए यह बिल लेकर आई है, मैं स्वागत करता हूं माननीय खेल मंत्रीजी का, क्रीड़ा मंत्री महोदय का और सरकार। एक छोटा सा निवेदन इसमें यह और मैं करना चाहूंगा, विवादों के निपटारे का, जो आर्बिट्रेशन का मामला इसमें आपने रखा है, यह तो बिलकुल ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को इतने अधिकार देकर कि आर्बिट्रेशन वह करवा दें, मैं समझता हूं कि वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा इस बात के लिए कि आप इस पर विचार करेंगे और निश्चित ही इस मामले को समाधान करके और इस बिल में और जो भी आवश्यक सुधार किये जाने हैं, उनको करने का आप कष्ट करेंगे।

इन्हीं विचारों के साथ, मैं अपनी भावना व्यक्त करते हुए और मैंने इसको परिचालित करने के लिए जो सदन में मेरा प्रस्ताव रखा था उसको वापिस लेता हूं, निवेदन करता हूं आपसे, आपकी अनुमति से और मैं निवेदन करूंगा सरकार को कि जो सुझाव आपके समक्ष रखे गये हैं उनको इसमें शामिल करते हुए बिल को लाएंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा :

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण (मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 माननीय खेल मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन आपके माध्यम से करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने अध्यादेश लाया या अब यह विधेयक लाया, इसके जरिये खेलों का उत्कर्ष तो हुआ है, होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हुई है कि देश का खेल जगत राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश और इस विधयेक को किस रूप

(श्री संयम लोढ़ा)

में लेता है। राजस्थान के मुख्य मंत्री की छवि देश के खेल जगत में एक अलोकतांत्रिक और खेलों की स्वायत्ता पर हमला करने वाली राजनेता के रूप में बनी हैं जो किसी भी रूप में राजस्थान के हित में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले वर्ष सदन की बैठक स्थगित होने के एक पखवाड़े के भीतर जिस ढंग से अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश के माध्यम से जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य को प्राप्त किया उससे राजस्थान के खेल जगत का क्या भला हुआ है, यह पूरा राजस्थान जानता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह शिकायत इस खेल अध्यादेश के सम्बन्ध में भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी को प्राप्त हुई तो उन्होंने राजस्थान की मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा। मैं आपको आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखा मुख्य मंत्रीजी को- "Dear Smt. Vasundhrara Raje Sindhia, The Indian Olympic Association in its General Assembly meeting on 1 November, 2004 took a serious not of the Ordinance, viz., Rajasthan Sports (Registration, Recognition & Regulation of Associations) Ordinance, 2004 issued by the Government of Rajasthan and had appointed a Committee headed by Shri R.K. Anand, Vice President, Indian Olympic Association and Senior Advocate, Supreme Court regarding enactment of Ordinance issued by the Government of Rajasthan to regulate the sporting activities. Mr. R.K. Anand Senior Advocate , Supreme Court has submitted his report, a copy of which is annexed in which he has specially opined that the Ordinance not only propagates the interference by the government and bureaucrats in the autonomy of State Sports Federations and State Olympic Associations affiliated to the Indian Olympic Association but also is contrary to the Olympic Charter framed by the International Olympic Committee and followed strictly by the Olympic Council of Asia. The Indian Olympic Association is of the view that such an attempt would not be accepted and if the Ordinance is not withdrawn, it will result in non-participation of the players of the State in the national games of games controlled by the Sporting Bodies. It will also bring disappointment of the International Committee. Under these circumstances, I request to kindly have the Ordinance withdrawn immediately."

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के कई साथी बड़ा-बड़ा भाषण दे रहे थे। यह भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष, मेम्बर आफ पार्लियामेंट सुरेश कलमाड़ी ने राजस्थान सरकार के इस कदम को किस रूप में लिया है, उनका पत्र मैंने आपके सम्मुख निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीति में जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है, निश्चित रूप से वह इस बात की कोशिश करता है कि उसके नजदीकी लोगों को आगे आने का

(श्री संयम लोढ़ा)

अवसर मिले और उसको इस बात का अधिकार भी है करने का लेकिन राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता ने जिस हुकूमत पर आपको लाकर बैठाया है उसमें आपको अधिकार के साथ यह दायित्व भी आपके जिम्मे रखा है कि आप जो भी फैसला करें, राजस्थान के खेलों के हित में करें। आपने यह जो एक्ट प्रस्तुत किया है जैसा कि मैंने निवेदन किया है ये ओलम्पिक चार्टर के खिलाफ है। खेलों की स्वायत्ता पर हमला है। खेलों खिलाड़ियों को जो आगे बढ़ने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण चाहिए और खेल संस्थाओं को काम करने के लिए एक स्वायत्तता चाहिए। अभी जो माननीय सदस्य अजमेर जिले से आ रहे हैं जो ओलम्पिक संघ में इन्वोल्व भी रहे हैं इन्होंने एक बात कही कि दुनिया भर के अन्दर खेल संघों का संचालन है वो-वो लोग करते हैं जो खिलाड़ी नहीं होते लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी आपसे जानना चाहता हूं कि दुनिया के कितने राष्ट्रों में इस तरह के आर्डिनेंस की व्यवस्था है और हिन्दुस्तान में कितने प्रदेशों में इस तरह के एक्ट की व्यवस्था है। एक उत्तर प्रदेश में अमर सिंहजी ने करवाया है वहां भी उसका कितना भारी विरोध हो रहा है आप जब इस बात का उत्तर दें तो इस बात की भी आप सदन को जानकारी देना कि देश के जितने भी राज्य हैं उनमें खेलों की क्या व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें इस एक्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार, को-ओपरटिव या उसका जूनियर आफिसर जिसको भी यह पावर डेलीगेट किया जाए, क्या अधिकार दे दिया आपने, इस एक्ट के माध्यम से सरकार को लोहे के हाथ दे दिये हैं और वो लोहे के हाथ राजस्थान में खेलों के प्रदर्शन, खेल संघों के कामकाज और पूरी खेलों की व्यवस्था पर कुठाराघात करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस एक्ट के चैप्टर सेकंड के पैरा-10 की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 जिलों की इकाई राज्य इकाई का गठन कर सकेगी। चैप्टर-6 के पैरा-23 की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह प्रावधान किया है कि 6 इकाई का 1/10 कोई भी कंप्लेंट कर सकेगा और रजिस्ट्रार उसकी जांच कर सकेगा। रजिस्ट्रार खुद भी जांच करा सकेगा सुओमोटो और तदर्थ समिति का गठन कर सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताओं और नौकरशाहों के दुरुपयोग की पूरी व्यवस्था हो गयी है। जैसा इस

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान के खेल आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए जो भी नेता करना चाहेगा और नौकरशाह करना चाहेगा वह करा देगा। राजस्थान के खेल संघों के अन्दर नौकरशाह पदाधिकारी बने हुए हैं हालांकि वे खेलना भी जानते हैं कि नहीं जानते वह आप भी जानती हैं और आप यह एक्ट लाए, अध्यादेश लाए क्या इन खेलों का भला हुआ। मंत्रीजी आपको मालूम है कि मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हूं और इसका नतीजा हुआ कि इस आर्डिनेंस के लाते ही एक होड आपने शुरू की सिरोही जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट डी.सी.ए. के दो टूर्नामेन्ट हुए। एक पवेलियन के मैदान पर चल रहा था दूसरा स्कूल के मैदान पर चल रहा था। एक टीम जो पहले टूर्नामेंट में हार कर क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गयी वह दूसरी जगह जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था वहां पर वह विनर हो गयी और जालौर में आपने क्या किया इस आर्डिनेंस के आने के बाद एक आदमी को मुम्बई से बुलवाया। मैं यह नहीं कहता कि ललित मोदीजी ने किया चाहे रूंगटाजी ने ही किया हो लेकिन आपके आर्डिनेंस का खेलों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जालौर में क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट हुए। एक भीनमाल में अलग से ट्राफी हुई दूसरी जालौर में अलग से ट्राफी हुई और वह माथुर जो पिछले 8 साल से सैक्रेट्री के रूप में काम कर रहा था उसको लात मार कर निकाल दिया और मुम्बई से एक आदमी को लाकर बैठा दिया ऐसे खेलों का भला करने के लिए आप यह आर्डिनेंस लेकर आये हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने भारतीय ओलम्पिक संघ के लिएं बहुत बडी लडाई लड़ी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : वह माथुर जिसकी बात कह रहे हैं आप कि मंत्रीजी ने बैठा दिया उन माथुर साहब का चरित्र तो आप पूरा जानते हैं माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा ले।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो कभी जालौर गये ही नहीं हो। आप तो कभी जालौर पधारे ही नहीं हो। आप जालौर गये हो क्या कभी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : जालौर जब वह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस आफिसर था...

श्री संयम लोढ़ा : मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस माथुर की बात कर रहा हूं जो जालौर क्रिकेट संघ के सचिव हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : नहीं ये ही पहले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स आफिसर थे।

श्री संयम लोढ़ा : मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, तदर्थ समिति भी कैसे बनवाई। आपके स्पोर्ट्स के अधिकारी बैठे हैं वहां उनसे ठप्पा लगवा कर ले आए। पता नहीं आदमी कहां है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, 5-6 लोगों की तदर्थ समिति बनाकर बैठा दी। यह सब करने से राजस्थान के खेलों का आपने भला नहीं किया है। आप अपनी मूंछ के ताव दे सकते हो मंत्रीजी कि आप जिसको चाहते थे आपने राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनवा दिया। हम भी कोई उनके खिलाफ नहीं है मेरे भी उनके व्यक्तित्व सम्बन्ध है लेकिन जिस तरीके से आपने किया है, वह तरीका राजस्थान में खेलों को भला करने के लिए नहीं है। अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान ओलम्पिक संघ की हमने लडाई लड़ी। इस एक्ट में क्या व्यवस्था है ओलम्पिक संघ के बारे? मैं आपने यह कहा कि ओलम्पिक संघ जेबी संस्था बना हुआ है आपकी सरकार पहले जाकर वहां गोद में बैठी हुई है मै यह कहना चाहता हूं और क्या इसमें प्रोविजन किया है आपने "12. Rajasthan Olympic Association and District Olympic Association-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Rajasthan Olympic Association shall be given affiliation by the Rajasthan State Sports Council, and shall be considered as a State Level Sports Association and shall give affiliation to the State Level Sports Associations Registered under this Act for the games or sports recognized for participation in the Olympic Games, Asian Games or Commonwealth Games, and for the purpose of representing the State of Rajasthan in the National Games or any other events conducted by the Indian Olympic Association." सारा अधिकार आपने उनको दिया। क्या आपने व्यवस्था सुधारने का काम किया इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन की और, क्या आप यह एक्ट लाए आपने ओलम्पिक संघ की क्या जानकारी ली इतने महीने में? आप पहले अध्यादेश लाए फिर एक्ट लाए क्या किया सिवाय क्रिकेट संघ, आप जब जवाब दो तो यह बताना कि किस

(श्री संयम लोढ़ा)

खेल में आपने क्या करवाया, आपके रजिस्ट्रार को-आपरेटिव ने क्या किया? इसकी भी जानकारी देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान में खेलों की व्यवस्था में परिवर्तन के सम्बन्ध में आप इतना बड़ा अध्यादेश लाए और इतना बड़ा फैसला किया आपने राजस्थान की जनता की कोई भागीदारी ली क्या? राजस्थान में एक भी जगह आपने चर्चा करवायी, आपने खिलाडियों को बुलाया, आपने खिलाडियों से डिस्कस किया, आपने खिलाड़ियों से चर्चा की, कोई गोष्ठी, कोई विचार-विमर्श किया, कोई बुद्धिजीवियों को बुलाया, वकीलों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया किससे आपने बात की? आप एक तानाशाह के तरीके से यह अध्यादेश लेकर राजस्थान में खेलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। यह किसी भी रूप में उचित नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया भर में आज निजी क्षेत्र खेलों के अन्दर बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभा रहे हैं और आपका यह जो एक्ट आप जो यह व्यवस्था लाए हैं यह व्यवस्था प्रतिगामी है। आप निजी क्षेत्र को भी हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की जितनी दखल आप खेलों में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उससे जो निजी क्षेत्र का लाभ राजस्थान की जनता को मिल सकता था वह अब नहीं मिल सकेगा और राजस्थान के खेलों को पीछे ले जाने का आपने काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं 33 में आपने यह प्रोविज़न किया है कि इस एक्ट के प्रावधान की पालना में जो अधिकारी रहेंगें, किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी तो आप यह क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? आप एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह से राजस्थान के खेलों की व्यवस्था दे रहे हो कि जिस पर आपने क्या समझ लिया कि यह जिन्दगी भर का आपको पट्टा मिल गया क्या? आप राज में आए हो तो पांच साल के लिए, आप यह सोच कर यह सब ला रहे हो कि जिन्दगी भर आपका ही राज रहेगा। आप दिमाग में रखो कि पांच साल बाद जनता सरकार बदलती है और बदलेगी तब आपको बड़ा अफसोस होगा कि आपने यह क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि तब आपको वही भुगतना पड़ेगा जो आज आप दूसरे लोगों को भुगतवा रहे हो। और, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में आपने जिला क्रीड़ा परिषद मंत्रीजी

(श्री संयम लोढ़ा)

बना रखी हैं राजस्थान के सब जिलों में और इस सरकार को खेलों की बड़ी भारी चिन्ता है इसलिए आनन-फानन में सरकार अध्यादेश लायी और अब एक्ट लायी है। आप बताना जब जवाब दो कि राजस्थान के 32 जिलों में जिला क्रीड़ा परिषद की 2004 और 2005 में कितनी बैठकें हुई हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जिला क्रीड़ा की, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अधिकांश जिलों के अन्दर इस सरकार के आने के बाद एक भी बैठक नहीं हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दुस्तान में पहला है यह राजस्थान का अनूठा है यह।

श्री संयम लोढ़ा : एक जिला क्रीड़ा परिषद की आपने बैठक नहीं की और आप राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने का दावा कर रहे हैं और जिनके गठन का आपने दावा किया था हम यूथ बोर्ड का गठन करेंगे, हम उसका गठन करेंगे। राजस्थान के एक जिले में आपने यूथ बोर्ड का और राजस्थान यूथ बोर्ड का गठन नहीं किया। क्या खेलों के प्रति आपका कमिटमेंट है और आज हालत क्या बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए। कनक्लूड करें अब आप।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दो मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खेलों की स्थिति यह है कि बहुत खुशी होती मुझे कि राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लेकर एक नेता सत्ता में आई है वह यह फैसला करती कि हम राजस्थान की स्कूलों में खेलों को एक सब्जैक्ट के रूप में लागू करेंगे और उसके माध्यम से सारी नई पीढ़ी का खेलों में एक इन्वाल्वमेंट करती और निचले स्तर से नई प्रतिभा को आगे आने का मौका देती तब तो यह बात होती कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के दिमाग में राजस्थान के खेलों को आगे बढ़ाने का कोई सोच है।

(श्री संयम लोढ़ा)

आज क्या स्थिति है स्कूल लेवल के टूर्नामेंट की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो दो से ज्यादा खेलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी टीम भेजता हो, और ज्यादातर स्कूलें पैसे के अभाव की वजह से ऐसे खेलों में भाग लेती है जैसे खो-खो, जैसे कबड्डी, जैसे बालीबॉल इस तरह के खेलों में अपनी टीम भेजती है और किसी भी टूर्नामेंट की अगर आपके पास खेल मंत्रीजी जानकारी है तो आप जानकारी देना कि सैकण्डरी स्कूल और सीनियर के जो टूर्नामेंट होते हैं एक भी इवेंट ऐसी हो जिसमें जिले के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा स्कूलों ने भाग लिया हो तो आप बताना। 8 स्कूलें भाग ले रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में, 12 स्कूलें भाग ले रही हैं और अध्यक्ष महोदय, जो टूर्नामेंट में बच्चे भाग लेने आते हैं उनका डंडा कैसा होता है, डंडा कैसा होता है। एक स्कूल लेकर आ रही है 8 फीट का डंडा, दूसरी स्कूल लेकर आ रही है 4 फीट का डंडा, एक स्कूल लेकर आ रही है ढाई फीट का डंडा, एक स्कूल लेकर आ रही है डेढ़ फीट का डंडा। पूरा सत्यानाश आपने राजस्थान के खेलों का कर रखा है और यह बचा खुचा दोस्ती निभाने के चक्कर में... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, संयमजी आपके काबू में आते हों या नहीं आते हों लेकिन तगारामजी के खड़े होते ही ढीले हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि आप बहुमत के घमण्ड में हो और जो बहुमत के दम पर आप करना चाहते हो वह करके छोड़ोगे मैं यह भी जानता हूं। लेकिन मैं इतना ही आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री सर्वे करवाने में बहुत माहिर हैं। वह इस बात का सर्वे करवाती है कि मंत्रियों का कामकाज कैसा है, विधायकों का कामकाज कैसा है, किस सैक्टर में कैसा काम हो रहा है, मंत्रियों की जासूसी भी करवा देती है। खेल मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात का भी एक गोपनीय सर्वे करवाना कि राजस्थान की मुख्य मंत्री के इस अलोकतांत्रिक और प्रतिगाम कदम से हिन्दुस्तान के खेल जगत में और दुनिया के खेल जगत में उनकी छवि को कितना धक्का पहुंचा है। अगर उनके मित्र हो, उनके शुभचिंतक हो तो ईमानदारी से इस बात की

(श्री संयम लोढ़ा)

जानकारी देना और यह एक्ट जो आप लाए हो कृपा कर के इसको तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी तथा खेल मंत्रीजी राजस्थान क्रीड़ा विधेयक, 2005 जो सदन में लाये हैं, राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों की गिरती हुई जो दशा है उसको सुधारने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्त्व है और समय-समय पर इसके लिए अलग-अलग प्रकार के नियमों की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन आज जिस प्रकार से इस विधेयक को लाया गया है और जिस प्रकार से इसकी आवश्यकता महसूस की गई है उसके कारण देश में यह अग्रणी राज्य भी हुआ जिसमें खेलों को इतना महत्त्व देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। खेल अपनी प्रतिभाओं को तो बढ़ाता ही है पर आज पर्यटन और उसके साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गये हैं और उसके नाते खेलों को रेगुलेट करने का और जितने भी खेल संघ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आज आवश्यकता महसूस की गई कि लगातार जिन खेल संघों ने अपना एक तरह से आधिपत्य जमा लिया था उसको किस प्रकार से नियमित किया जाए और उसके आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से समय-समय पर उनके चुनाव कराये जाएं और इस प्रकार से किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं उनको किस प्रकार से आगे लाया जाए और लाकर उसको सम्मानित करने का और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व राज्य सरकार का लोकतांत्रिक तरीके में होता है और हमारे संविधान में हमारे कर्तव्यों में जो दिया गया है उसकी पालना करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है और उसके तहत जिस प्रकार से इस विधेयक में व्यवस्था की गई है मैं चाहूंगा कि इसमें विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए यदि अलग से इसमें प्रावधान कर दिया जाए, उनके संघों के लिये तो उस कारण से ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको ज्यादा मौका मिल सकेगा। इसमें सब प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शंकाएं प्रकट की गई हैं कि इस कारण प्राथमिक

(श्री रामकिशोर मीणा)

इकाइयों में जहां पर खेल संघ होंगे उनके लिये 7 आदमियों की आवश्यकता होगी इस प्रकार की जो शंका व्यक्त की गई है वह एक तरह से बेमानी है। क्योंकि इस प्रकार की शंकाओं को शुरू से उनको कार्य रूप में परिणत करते रहे हैं इस कारण से उनकी शंकाएं स्वाभाविक तौर से आई हैं। यह जो विधेयक लाए हैं मैं इसका समर्थन करते हुए इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर जनमत जानने के लिये क्यों आपने अपना संकल्प दे दिया।

श्री रामकिशोर मीणा : इस प्रकार की जो शंकाएं आई थीं. उसके लिये दिया था उसको मैं विथड्रा करता हूं तथा जो मंत्री महोदय विधेयक लाये हैं उसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पारित पर सबको मौका मिलेगा तो प्रस्ताव पर देने की जरूरत नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : जो-जो भी लाइन में लगना चाहता है उसको जनमत संग्रह की बात करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ (अनुपस्थित) श्रीमती राजकुमारी शर्मा (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया गया है, इस सम्बन्ध में जो पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बात कही उसके अलावा कांस्टीट्यूशन आफ द एक्ट के सम्बन्ध में दो-तीन बाते बताना चाहूंगा जो मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बताना चाहूंगा वह इसमें एक प्रोविजन है अनहर्ड का। अपोरच्युनिटी आफ हियरिंग का राइट हर व्यक्ति को, संस्था को होता है परन्तु इसमें सैक्शन 21 में डिसएफिलिएशन का जो आर्डर होगा उसकी कोई रैमेडी इस एक्ट में नहीं बताई गई है और यह जो आर्डर होगा वह एक अनहर्ड रह जायेगा इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें।

दूसरा, इसमें रजिस्ट्रार को सैक्शन 2 (आर) में डिफाइन किया गया है और उसमें रजिस्ट्रार वह रजिस्ट्रार है जो कोआपरेटिव सोसाइटी में आइडेंटिफाई है और उसके असीसटेंस के लिये एनी अदर रजिस्ट्रार अपाइंट करने के प्रोविजन है। परन्तु चार प्रोविजन को अगर साथ देखा जाए सैक्शन 4, सैक्शन 21 और सैक्शन 35 तो ऐसा लगेगा कि एक साथ एट द सेम टाइम दो तीन रजिस्ट्रार होंगे उसमें से कौनसे रजिस्ट्रार का आर्डर फाइनल होगा यह कहीं भी इसमें स्पष्ट नहीं है। सैक्शन 4(1) ए रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी के तहत उसको रजिस्ट्रार को पावर है और उसके एसिसटेंट के लिए स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है सब क्लाज 2 में। सैक्शन 4 के सब क्लाज 2 में एनी टाइम गवर्नमेंट किसी अफसर से अपॉइंट कर सकती है और वह जो फंक्शंस करेगा वह रजिस्ट्रार के पावर फंक्शस करेगा। साथ ही साथ, सब-रजिस्ट्रार जो सैक्शन 2 (आर) में डिफाइन है वह सब क्लाज 3 के तहत अपने पावर किसी को इम्पोज कर सकेगा और डेलीगेट कर सकेगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि एक रजिस्ट्रार तो अकोर्डिंग टू दिस एक्ट है, एक रजिस्ट्रार को गवर्नमेंट ने अपाइंट कर दिया और एक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार खुद ने पावर डेलीगेट करके कर दिया। अगर तीनों रजिस्ट्रार ने एक ही साथ आर्डर कर दिये और कांफेलेटिंग आर्डर हो गया तो किस आर्डर को माना जाएगा, यह इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है।

ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि गवर्नमेन्ट अगर सब-रजिस्ट्रार को अपोइंट सब-क्लाज 2 में कर देती है तो वह फाइनल अथोरिटी होगी या ऐसा नहीं बताया गया है कि सब-क्लाज 3 में अगर सब रजिस्ट्रार डेलीगेट कर देता है तो वह सब-रजिस्ट्रार फाइनल है। ऐसी स्थिति में, यह जो तीन रजिस्ट्रार बताए गए हैं इन सभी तीन रजिस्ट्रार में से कौनसा रजिस्ट्रार फाइनल है, कौनसा सुपीरियर है और किसका आर्डर फाइनल होगा यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

साथ ही साथ, ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि जब सब-रजिस्ट्रार आलरेडी है तो सब-क्लाज 2 में सब-रजिस्ट्रार अपांइट हो रहा है उस वक्त क्या वह रजिस्ट्रार-रजिस्ट्रार नहीं रहेगा या रजिस्ट्रार खुद जब अपने पावर डेलीगेट कर रहा है तो क्या वह खुद रजिस्ट्रार नहीं रहेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वह रजिस्ट्रार अपने असिस्टेंट, एडिशनल रजिस्ट्रार और असिस्टें रजिस्टार

(श्री जोगाराम पटेल)

और सब रजिस्ट्रार अपाइंट कर रहा है लेकिन सारे पावर जो दिये जा रहे हैं वह एज ए रजिस्ट्रार दिये जा रहे हैं ऐसी स्थिति में यह कहीं भी कांपेलिटी करने की स्पष्ट सम्भावना है कि सपोज एक रजिस्ट्रार यह कहता है कि फलां-फलां संस्था है जिसको मैं एफिलियटेड करता हूं, डिसएफिलियेटेड करता हूं, रिकोग्नाइज करता हूं, रजिस्ट्रेशन करता हूं और दूसरा रजिस्ट्रार यह कहता है कि नो, मैं इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूं, रिफ्यूज करता हूं डिसएफिलिएशन के आर्डर को रिफ्यूज करता हूं.. तो एक ही साथ टू इन इन्कंसिस्टेंस आर्डर कोन्ट्राडेक्ट्री आर्डर पास होने की पूरी-पूरी पोसेबिलिटी अकार्डिंग टू सैक्शन फोर है, अफोर्डिंग टू सैक्शन थ्री है।

एक चीज मै और निवेदन करता चाहता हूं वह यह है कि सैक्शन 35 में राइट टू अपील है। सब-रजिस्ट्रार का कोई भी आर्डर है वह राइट टू अपील है और सैकण्ड अपील जो बताई गई है वह सेक्रेट्री को और थर्ड अपील जो बताई गई है वह विथइन थर्टी डेज डाई कोर्ट में रिविजन बतलाई गई है। अकोर्डिंग टू हाइकोर्ट रूल्स, हाईकोर्ट रूल्स में कोई भी रिविजन जाएगी उसकी लिमिटेशन 90 दिन है उसको यह एक्ट अपेक्ट करेगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है। वहां जब स्पष्ट 90 दिन की मियाद है तो उस हाईकोर्ट रूल्स को ओवरराइट नहीं कर सकते यह इसमें कहीं नहीं बताया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिए, बीच में नहीं टोंके।

श्री जोगाराम पटेल : मेरा लास्ट निवेदन है, इसमे तीन इंक्वायरी बताई गई हैं, पूरे एक्ट में आप देखेंगे, थ्री टाइप आफ इंक्वायरी है। एक इंक्वायरी... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें कानून कायदे सिखाते हैं, धर्म, वाणी और आचरण में तो समरूपता होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : पहली इंक्वायरी सैक्शन 21 की है। वह.. "A State Level Sports Association may after giving due hearing.."

श्री अध्यक्ष : उनको रश्क हो रहा है कि वह आपके पास क्यों बैठ गए।

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां तो हम भी बैठते हैं घनश्यामजी के पास।

श्री जोगाराम पटेल : यह फर्स्ट इंक्वायरी है, इस फर्स्ट इंक्वायरी का

(श्री जोगाराम पटेल)

आर्डर है, इस फर्स्ट इंक्वायरी के सैक्शन 21 सब-क्लाज । आप मुलायजा करेंगे माननीय मंत्री महोदय... "A State Level Sports Association may after giving due hearing, disaffiliate any District Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and..." Hear are important words.... "inform the Registrar, who may take appropriate action under section 24."

तो यह आर्डर जो है This order is final. This authority can inform the Sub-Registrar. पर इसके कांट्रेक्डेक्ट्री जो प्रोविजन बनाया गया है वह बनाया गया है सैक्शन 24, यहां आने के बाद सैक्शन 24 में सिर्फ इसको, 21 में इनफोरमेशन है सब रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं है कि वह इंक्वायरी करें, इनफोरमेशन के आधार पर उसको एक्शन लेना लेकिन सैक्शन 24 है... "After holding an inquiry..."

श्री अध्यक्ष : खण्डशः विचार पर देना चाहिए था आपको अपना अमेंडमेंट।

डा. सी.पी. जोशी : इनके ज्ञान का उपयोग नहीं लेना चाहते (व्यवधान) बाकी तो सब चीजें इनकोरपोरेट कर लेनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, ठीक है, बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल : यह जो... "After hoding an inquiry the Registrar, after giving an opportunity.." जब आलरेडी आर्डर ओबे करना है क्योंकि वहां तो सैक्शन 21 में यह कहा गया है कि आपको इनफार्म किया जाएगा, इनफोरमेशन को फुलफिल करना है तो यह जो इंक्वायरी 24 की होगी वह कौनसी इंक्वायरी होगी। इसमे कोई इंक्वायरी आइडेंटीफाई नहीं है कि फलां पार्ट की, फलां एक्शन की या फलां कंडीशन की कोई इंक्वायरी होगी, वह कोई इंक्वायरी नहीं है।

साथ ही, सैक्शन 23 में इंक्वायरी और बता दी, पर कौनसी इंक्वायरी होगी, किस बात की इंक्वायरी होगा, किसी एक्शन की इंक्वायरी होगी, किस गलती की इंक्वायरी होगी ऐसी इसमें कहीं नहीं बताया गया है। यह सैक्शन 21 और सैक्शन 24 का कोन्ट्राडिक्शन है, साथ ही साथ, इस इंक्वायरी, सैक्शन 23 की इंक्वायरी जो बताई गई है इसमें यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि सब रजिस्ट्रार का इस बात की इंक्वायरी करने का राइट होगा। आइदर चैप्टर

(श्री जोगाराम पटेल)

आठ की, चैप्टर आठ की जो इंक्वायरी हो रही है वह सैक्शन 21 में हो रही है। इसके अलावा, कोई ओब्लीगेशन है नहीं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस एक्ट में जो कुछ त्रुटियां हैं इसकी ओर ध्यान देंगे। साथ ही साथ, में निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल : मैं मेरा प्रस्ताव जो जनमत जानने के लिए लिया था वापस लेता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान क्रीडा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) यह एक्ट राजस्थान के खेल जगत में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : एक्ट तो तब बनेगा जब आप पास कर दोंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आर्डिनेंस जारी हो गया और मील का पत्थर तो साबित हो रहा है, इसका परिणाम तो आज आपने अखबारों में देख ही लिया, परिवर्तन आ गया। एक परिवर्तनीय विषय में कदम है। यह कन्ट्रोल का एक्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हो मुख्य सचेतक महोदय आप ? (व्यवधान) आप ध्यान नहीं रखते, बोलने वाले के और उसके बीच में आ रहो हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज तक तानाशाही और एकाधिकार के चलते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे खिलाड़ी अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अभाव में। इस एक्ट के माध्यम से नीचे के लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक प्रजातांत्रिक ढंग से खिलाड़ी, खेल से जुडे हुए लोग, खेल प्रेमी प्रजातांत्रिक ढंग से खेल संघो को चला सकेंगे, उनके चुनाव हो सकेंगे। खिलाड़ियों को चुनने की जो प्रक्रिया है, उनको सुविधा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें पूर्ण पारदर्शिता आएगी।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

आज तक तानाशाही, एकाधिकार चल रहा था उसको यह एक्ट खतम करेगा। खेलों को "गांवों की ओर से चलें" का सिद्धान्त जब ही साकार होगा जब पुराने खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी, खेल प्रेमी और विभिन्न संस्थाएं खेलों के प्रोत्साहन की ओर ध्यान दें। और इस एक्ट में यह प्रावधान है कि विभिन्न लोग नीचे के स्तर से जुड़कर ढाणी-ढाणी गांव-गाव में जाकर प्राइमरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाएं। 7-10-15 लोग मिलकर प्राइमरी लेवल पर इस प्रकार का एसोसिएशन बनाकर वहां से खिलाडियों का चयन करें। आखिर खिलाडियों का चयन कहां से होगा। स्टेट फेडरेशंस गांवों मे जाते नहीं हैं, ढाणियों में जाते नहीं हैं। हमारी जो प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, वास्तविक प्रतिभाएं, उनको उभरने का आज तक मौका नहीं मिला था। इस एक्ट के माध्यम से उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं कहना चाहूंगा अभी एक माननीय विद्वान सदस्य ने इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के उपाध्यक्षजी का एक पत्र पढ़कर सुनाया और उन्होंने इस एक्ट को और इसी धाराओं को ओलम्पिक एसोसिएशन के चार्टर के खिलाफ बताया। यह ओलम्पिक एसोसिएशन का चार्ट मेरे पास है। मैंने इसे पूरा पढ़ा है। यह इसके समर्थन में ही है। इसकी बहुत सारी चीजें इसके समर्थन में ही हैं, विरोध में नहीं है। मैं बता रहा हूं। It is recognised that the management and development of sports are the functions of Indian Olympic Association and National Sports Federations which are autonomous bodies and who in turn have affiliated State Level and District Level Associations." इस एक्ट में यही प्रावधान है कि प्राइमरी से डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, स्टेट लेबल एसोसिएशन होगा, फिर नेशनल लेवल होगा।

"The Government and other concerned agencies and the Federations have, therefore, to work together harmoniously and in a co-ordinated manner to fulfil the objectives of National Sports Policy, 2001. At the same time, the Indian Olympic Association and the various Sports Federation Associations will need to demonstrate orientation towards the achievement of re[illegible] and ensure tangible progress in the field of sports keeping in view the model bye-laws. Organisational structure may be formulated N.F.Ss. in consultation with them and with due regard to Olympic Charter so as to make the functioning of the Federation Associations transparent, professional and accountable." यह कहां से पत्र ले आये। वही पत्र मैं पढ़ रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : स्टेट ओलम्पिक एसोसिएशन तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी कहां बता कर रहे हो। यह जो बात कोट कर रहे हैं। (व्यवधान) नेशनल ओलम्पिक एसोसिएशन की राजस्थान ब्रांच है वही इनको फॉलो नहीं कर रहा है, आप कि सब्जी बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : आखिर यह नेशनल पॉलिसी में, यह मैं आपको, यह इन्होंने कहा... (व्यवधान) यह इन्होंने सुरेशजी कलमाड़ी का पत्र पढ़कर सुनाया। उसके अगेंस्ट में मैं नेशनल पॉलिसी और इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन, इसकी जो पॉलिसीज हैं उसके तहत ही यह डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाने हैं, स्टेट एसोसिएशन बनाने हैं, इनकी एसोसिएशन को ट्रांसपरेंट बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है। इनके इलेक्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से कराना है। यह मैं सिद्ध करना चाहता हूं और उसी भावना के अनुरूप यह एक्ट लाया गया है।

डा. सी.पी. जोशी : This is for Olympic Association, not for this. You are misquoting this. This is relevant for Olympic Association formation which Rajasthan Olympic Association is not following.

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह जो एक्ट लाया गया है वह भारतीय ओलम्पिक संघ और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, 2001 की भावनाओं के पूर्णतया अनुकूल है और अगर उस केन्द्रीय सरकार का भी ये विरोध करें तो वह आप अपनी जानें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नेशनल पॉलिसी 2001, मैं पढ़ रहा हूं धारा 13, "The acknowledge the importance of national championships for developing competitive spirit and talent scouting. It would be incumbent on the Federation Association to hold annual Championship in various disciplines in all categories, senior, junior, sub-junior, for both men and women at the district, State and National Level. Each National Federation would draw the annual national calendar of these events sufficiently in advance in every year which would be compiled and published by I.O.A." सुनिये, सुनिये, आप, एक मिनट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : ओलम्पिक एसोसिएशन इर्रेलेवेंट है। (व्यवधान) ओलम्पिक एसोसिएशन का इससे सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) उस ओलम्पिक एसोसिएशन का... को तो रिकोगनाइज नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : इसकी धारा 29 में भी यही बातें लिखी हुई हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह सब चीजें ओलम्पिक एसोसिएशन के लिये इर्रिलेवेंट हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : श्रीमान् मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओलम्पिक एसोसिएशन और नेशनल पॉलिसीज की भावनाओं के अनुरूप है सैक्शन 29 और 30 में जो ओब्लिगेशन दिये हैं...

डा. सी.पी. जोशी : आप राजस्थान ओलम्पिक संघ को ही ठीक कर लो, वही ठीक है। जो आप बता रहे हैं वह राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन को ठीक कर लें, वह तो नहीं कर रहे हैं आप, इसको कोट कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सैक्शन 29 और 30 में यही बात कही गयी है कि obligations of the State Level Sports Associations...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव तो दिया है कि उक्त संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए और यहां पर यह कह रहे हैं, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है। यह आप खुद ही इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं यहां पर। आप तो इसमें कमी बताओ, क्यों इसको परिचालित कराना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपकी बात पिटती दिख रही है, आपकी बात पिटती दिख रही है। उनका पत्र पिटता हुआ है, इसलिये आज यह बात कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : या तो आपने प्रस्ताव दूसरा दिया है और यहां बोल दूसरा रहे हो, यह बताइये आप। यह क्या बात हुई। आप प्रस्ताव दे रहे हो कुछ और यहां बोल रहे हो कुछ। यह आप टोटल हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह मैं वापस लूंगा, आपको मालूम है और ले रहा हूं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि आपकी बात पिट रही है, सुरेश कलमाड़ी का पत्र पिट रहा है। धारा 29 और 30, यह इस बात को कहते हैं कि यह संघ...

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी बात कहीं नहीं पिट रही है। आप ओलम्पिक संघ और ओलम्पिक एसोसिएशन में फर्क नहीं जानते हैं। (व्यवधान) What is the difference between the Olympic 'Sangh' and Olympic Association ? You don't know. You are wasting the time of the House.

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने यह सुरेशजी कलमाड़ी का पत्र आपको दिया है और मैने यह कहने का प्रयास किया है कि धारा 29 और 30 के तहत जो नेशनल पॉलिसी है और इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन की पॉलिसी है उसके तहत ये इलेक्शन होंगे और जो स्टेट लेबल की कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेबल की कमेटी को जो टूर्नामेन्ट करवाने के राइट दिये गये हैं, ओब्लिगेशन दिये गये हैं, वह इस एक्ट के माध्यम से पूरे होंगे।

डा. सी.पी. जोशी : अब समझ में आया मुख्य मंत्रीजी ने सही फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह तो सब होंगे तो फिर जनमत के लिए परिचालित करने की कहां आवश्यकता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यही कह रहा हूं। मैं जनमत के लिए परिचालित करने का अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा कहना तो यही था कि आप इतने विद्वान आदमी हो, महापौर जयपुर के नम्बर-एक व्यक्ति रहे हो, आप यह प्रस्ताव तो दे रहे हो कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए...

श्री मोहन लाल गुप्ता : आ रहा हूं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : और यहां आप उसकी मैरिटस बयान कर रहे हो आप उसकी...What are the demerits of this Bill, वह बात बताइये आप यहां।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं आ रहा हूं इस बात पर भी आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कमी बताइये कि यह कमी रह गयी है। इसलिये इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करना आवश्यक है। यह बतायें आप तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि मैंने जनमत....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य ने देखा था कि इसमें कुछ कमी होगी। लेकिन वह तो दे दिया फिर जब बिल को पढ़ा तो इसके गुण ही गुण सामने आए। इसलिये गुणों का बखान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो विदड़ा कर लें आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये क्या कह रहे हैं आप। इसका मतलब बिना पढ़े ही दस्तख्त कर दिये थे क्या ? बिना पढ़े ही दस्तख्त, यह तो आप गलत बात कह रहे हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैंने, इसके पहले जो लोढ़ा साहब आए थे उसका जवाब दिया है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने इसको जनमत जानने के लिए दिया था और मैं इसको वापस भी लूंगा, ले रहा हूं। लेकिन इस पर मैं सुझाव भी देना चाहूंगा। सुझाव मेरा यह है कि इस एक्ट में कहीं भी फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं रखा। फाइनेंशियल प्रोविजन कुछ भी नहीं रखा। आखिर खेलों के लिए हमे निश्चित रूप से कुछ वित्तीय प्रावधान रखने चाहिए थे सरकार को। और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी जी नेशनल पॉलिसी है उसमें मोबेलाइजेशन पॉलिसी फार स्पोर्ट्स इसकी बात भी इसमें आनी चाहिए थी। नेशनल मोबेलाइजेशन पॉलिसी फार स्पोटर्स आखिर इन खेलों के हमारे खिलाड़ियों को इन संघों को मदद कहां से मिलेगी। वह एडवरटाइजमेंट के थ्रू कैसे-पैसे इक्ट्ठे कर सकेंगे। इनको इन्कम टैक्स की धारा के तहत कोई यदि पैसा देगा तो इन्कम टैक्स की धारा के तहत किस तरह से छूट मिले 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है। केन्द्र सरकार ने ऐसी भी व्यवस्था की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने काफी इस मामले में 100 परसेंट इनकम टैक्स एग्जम्प्शन की बात कही है और मैं यह सुझाव देना चाहूंगा अपने इस वक्तव्य के माध्यम से कि हम कारपोरेट सैक्टर कारपोरेट हाउसेज और विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से जो लोग खेलों में पैसा देना चाहते हैं, विभिन्न व्यावसायिक संस्थान अपना एडवरटाइजमेंट करना चाहते हैं, खेलों को स्पोंसर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस एक्ट में निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खेल संघ

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

फाइनैंशियली साउंड हो सके और खिलाडियों को मदद मिल सके और इनको इनकम टैक्स का 100 परसेंट एग्जम्प्शन प्राप्त हो सके। मेरा एक सुझाव यह है।

दूसरा, इसमें सुझाव यह है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो बोर्ड-कास्टिंग और टेलीविजन राइटस और स्पोर्ट्स ईवेंट्स आर्गेनाइज करने के लिए जिस प्रकार से व्यापारिक संस्थान आ रहे हैं, उनके लिए और उनके फेडरेशन के बीच एक एग्रीमेंट को रिकोगनाइज करने के लिए भी प्रावधान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आजकल खेलों को बोर्ड-कास्टिंग करने से बहुत पैसा प्राप्त होता है। बहुत सारे इवेंटस आर्गेनाइज करते हैं, उससे व्यापारिक संस्थान बहुत सारा पैसा देते हैं। अगर खेल संघों को इनके माध्यम से जोड दिया जाए तो काफी पैसा इन खेल संघों को मिल सकता है अगर इसी तरह से म्युचुअल एग्रीमेंट का प्रावधान और उसको रिकोगनेशन करने का प्रावधान भी इस एक्ट में हो तो निश्चित रूप से खेल और खिलाडियों को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ओर खेल मंत्रीजी जिस भावना के अनुरूप इस एक्ट को लाए हैं, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करता हूं और जनमत जानने वाले प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, उत्तर दीजिए।

श्री युनूस खान (युवा एवं खेलकूद मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता ओर विनियमन) विधेयक, 2005 पर अभी सम्माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से सुझाव दिये और बात कहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की जो हमने बात कही है उसी की मंशा के अनुरूप हमने नागरिक, व्यक्तिगत, सामूहिक व्यक्तियों के एसोसिएशन बनाने का अधिकार के तहत ही यह हम बिल लेकर आए हैं।

राजस्थान में जो खेल संघ बने हुए हैं और आजादी के बाद से लेकर आज तक खेल संघों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव हुए और लगातार लोग वर्षों से इन खेल संघों पर काबिज रहे, किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए और खिलाडियों को जो कि खेल में रूचि रखते हैं या दक्षता रखते हैं उनको कइयों को भाई-भतीजावाद के कारण

(श्री युनूस खान)

मौका नहीं मिला खेलने का। राजस्थान सरकार ने यह महसूस किया कि राजस्थान में खेल संघों के ऊपर इसी तरीके से अध्यादेश और उसके बाद हम जो यह बिल लेकर आए हैं, जिससे यह खेल संघ जो कि खेलों मे एक तरीके से विकास करना चाहिए, बजाए विकास करने के रूकावट बने हुए हैं। उसको रोकने के लिए वह अध्यादेश जो हम 18 अगस्त, 2004 को लेकर आए हैं और उसी के तहत आज यह बिल हमने सदन में पेश किया। खेलों के विकास के उद्देश्य से राज्य जिला और निचले स्तर पर क्रीड़ा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करना और प्रोन्नत करना, यह राज्य सरकार का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और गांवों तक खेल का प्रचार-प्रसार हो क्योंकि देखा यह गया कि जो भी खेल संघ अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, वह राजधानी में बैठकर एक लेटर पेड का इस्तेमाल करके और अपना एक खेल संघ बना लेते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं करें बीच में आप, कालीचरणजी सर्राफ।

श्री युनूस खान : और जो हमारे 40 खेल संघ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में एफिलेशन लिये हुए थे या मान्यता प्राप्त थे उनका हमने जब रिकार्ड देखा, बहुत सारे तो खाली रिकार्ड के अन्दर ही थे। न तो किसी जिला स्तर पर और न राज्य स्तर पर ये खेल गतिविधियों को कर रहे थे इसलिए हमने यह देखा कि जब तक खेलों का विकास गांवों तक नहीं पहुंचेगा या अन्तिम इकाई तक नहीं पहुंचेगा, तब तक खेलों का विकास नहीं होगा। इसी उद्देश्य से और जो जड़ता खेलों के अन्दर आ गयी थी उसको दूर करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश और यह बिल आज हमने पेश किया है।

इसका जो हमारा मुख्य ध्येय है, वह यह है कि खेलों का विकास हो और राजस्थान वह वापस मुकाम पाये जो एक जमाने मे राजस्थान का खेल जगत में हुआ करता था। आज जिस तरीके से खेल संघों के अन्दर चुनाव होते हैं, उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें यह था कि बहुत सारे खेल संघों ने तो अपनी जो संरचना बना रखी थी, उसमें अपने नौकर, अपने कर्मचारी, अपने गार्ड. इन तक को सदस्य बनाकर चुनावों मे इस्तेमाल करते थे और उसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सही निर्वहन नहीं करते थे इसलिए यह महसूस किया गया कि राजस्थान के अन्दर खेलों का विकास हो। राजस्थान में जब

(श्री युनूस खान)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और माननीय वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में जब यह देखा गया कि सब क्षेत्रों मे विकास हो तो उन्होंने विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खेल को महत्व दिया और उसी कड़ी में सदन मे मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो शुरूआत की, अगर मैं यह बताऊं कि उन्होंने बजट जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपये का हमारा अधिकतम आज तक का बजट रहा है, उसको बढ़ाकर 7 करोड़ 69 लाख का बजट किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है।

खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो भत्ता दिया जाता था, राज्य स्तर पर भत्ता 60 रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 100 रुपये किया और जो राष्ट्रीय स्तर पर भत्ता 80 रुपये दिया जाता था उसको राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 150 रुपये का दिया। इसी तरीके से हमने खिलाडियों को आधुनिकतम सुविधाएं देने के लिए राजस्थान सरकार ने फैसला किया और उसी कड़ी के अन्दर राजस्थान सरकार ने पहली बार विश्व स्तर के आधुनिक खेल मैदानों के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये एस्टोटर्फ हॉकी मैदान जयपुर में, 3 करोड़ रुपये की लागत से एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान अजमेर में, तीन करोड़ रुपये की लागत से सिथेंटिक ट्रेक का मैदान जयपुर एस.एम.एस. स्टेडियम में, इसी कड़ी में अलग-अलग जिलो में खेल मैदान विकसित करने के लिए खेल परिषद विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने, मतलब हमारी सरकार ने फैसला किया। खेल के मैदानों का विकास करने के लिए और मैं यह कहना चाहूंगा कि एक सौभाग्य की बात है कि 105 करोड़ के इस देश में अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि वह तो हमारे राज्यवर्द्धनजी की चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जो यह मुद्दा आया कि वह तो आर्मी ने किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सौभाग्य है इस राजस्थान का, उसी धरती के ऊपर हमारा वह लाड़ला सपूत जन्मा, जिसने इस भारतवर्ष का पूरे का नाक एथेंस के अन्दर बचाया और भारत के लिए रजत पदक लेकर आए। जब वे रजत पदक लेकर आए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी समय एयरपोर्ट पर जब उनको पता चला तो उनको 11 लाख रुपये की नकद राशि के पुरस्कार की घोषणा की, जब उन्होंने यह.. (व्यवधान) उसके अलावा, हमने राजस्थान सरकार के 11 लाख रुपये का

(श्री युनूस खान)

जो उनको एक मकान और डेढ़ करोड़ रुपये आने वाले समय मे अगला ओलम्पिक आएगा जब तक राजस्थान सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए देगी, उसमें से 50 लाख रुपये की राशि हमने जारी भी कर दी।

दूसरा सौभाग्य राजस्थान को यह मिला इसी धरती के, चूरू जिले के जाये हुए देवेन्द्र झांझडिया ने पैरा-ओलम्पिक में एक मात्र भारत के लिए स्वर्ण पदक लाकर के इस राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में नाम किया और भारत के तिरंगे को लहराया। उनके सम्मान में भी हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसी दिन उनको 11 लाख रुपये का चैक भेंट किया। मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि कहीं पर कोई भी सेमीनार नहीं हुई। जिस दिन हमने उनका स्वागत किया उसी दिन 20.10.2004 को हमने ओ.टी.एस. के अन्दर राजस्थान के सभी खेल संघों को, राजस्थान के प्रतिष्ठित खिलाडियों को बुलाकर उसमें चर्चा और परिचर्चा की थी। उसमें राजस्थान ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री जनार्दन सिंहजी गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे इस अध्यादेश की भूरि-भूरि प्रशंसा उसके अन्दर की थी और उन सब खेल संघों ने उसका समर्थन किया था और राजस्थान सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इन खेलों के विकास के लिए और खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे लाडले सपूत ने हमारे देश का नाम किया, देवेन्द्र झांझडिया को, उनके एक हाथ नहीं है। वे एक हाथ से ही भाला फेंकते हैं और देखा यह गया है कि अगर उनके दोनों हाथ हो तो निश्चित रूप से वह ओलम्पिक में मेडल, जो मेन ओलम्पिक है उसमें मेडल ला सकते हैं इसलिए सरकार ने इस ओर अपना ध्यान देकर हमने यह तय किया है कि उनके दूसर हाथ जो इटली में लगेगा, जितनी उसमें लागत लगेगी, राजस्थान सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। उतना राजस्थान सरकार इस पर खर्चा वहन करेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि..

श्री रामनारायण चौधरी : जो स्वर्ण पदक जीता उसको तो 11 लाख और जो रजत पदक जीता उसको भी 11 लाख और मकान अलग दिया। घोड़ा और गधा सब बराबर कर दिया। घोड़े और गधे सब बराबर कर दिये आपने।

श्री युनुस खान : मैं बता दूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक कार्य सूची समाप्त न हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर अग्रेत्तर विचार

श्री रामनारायण चौधरी : आपने स्वर्ण पदक और रजत पदक बराबर कर दिये।

श्री अध्यक्ष : वह ओलम्पिक था, यह पैरा-ओलम्पिक है। वह ओलम्पिक और यह पैरा-ओलम्पिक।

श्री युनुस खान : ओलम्पिक और पैरा-ओलम्पिक में बहुत फर्क है।

श्री हेमाराम चौधरी : पैरा-ओलम्पिक में जीतेगा, वही ओलम्पिक में जाएगा न?

श्री अध्यक्ष : लेकिन पैरा-ओलम्पिक में स्वर्ण पदक लाया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कहां चांदी का, कहां स्वर्ण का?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, पैरा-ओलम्पिक में भारत को 10-20 स्वर्ण पदक मिल गये क्या? एक ही मिला न।

श्री युनुस खान : देखिए, राजस्थान सरकार ने यह पहली बार है कि तुरन्त...

श्री संयम लोढ़ा : आप तो घोषणा करो कि उसको भी एक मकान दोगे। घोषणा करो आप तो।...(व्यवधान)

श्री युनूस खान : अभी तो इसका जवाब दे दूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : वह स्वर्ण पदक लाया फिर भी आपने उसको 11 लाख और उसको 11 लाख और मकान अलग दिया। आपने इनके साथ भेदभाव किया।

श्री युनूस खान : नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह आपके गांव का लाड़ला है।

श्री हेमाराम चौधरी : वह आपको नहीं लगता, हमको तो लग रहा है भेदभाव। आपको नहीं लगे, वह बात अलग है।...(व्यवधान)

श्री युनूस खान : वह भी हमारा लाड़ला है और उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी मदद करेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बराबर का किया जाना चाहिये। बात तो सही है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय के निर्देश हैं, अब तो घोषणा करो आप। अध्यक्ष महोदय ने भी निर्देश दे दिये।

श्री हेमाराम चौधरी : ज्यादा नहीं तो राज्यवर्द्धन के बराबर रखो। आप रजत पदक के बराबर तो रखो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : एक हाथ का आदमी था उसको तो 11 लाख रुपये और उसको दिया 11 लाख और मकान। आप घोषणा कर दो न।

श्री संयम लोढ़ा : और वह भी विकलांग है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनको डाउन ग्रेड कर रहे हो तो आप कृपा करके यह बतायें कि फिर उसका नाम स्वर्ण क्यों रखा ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मनोबल डाउन मत करो खिलाडियों का। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मंत्रीजी, हिम्मत करो। (व्यवधान)

श्री युनूस खान : सदन के माननीय सदस्यों की भावना को माननीय

(श्री युनूस खान)

मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचायेंगे और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे उस लाडले को भी हम बराबर का हक देंगे। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसी कड़ी में अभी इस पर अलग-अलग तरीके की चिन्ताएं व्यक्त की जा रही थीं। मैं यह कह रहा था कि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने बजट बढ़ाया। हमने राजस्थान के अन्दर टेलेन्टेड स्कीम पहली बार लागू की। प्रतिभावान खिलाडियों की खोज के लिये स्कीम लागू की। पूरे राजस्थान में अलग-अलग जगह कैम्प लगाये गये और हमारे खेल अधिकारियों और जिलों के माध्यम से हमने इस तरह के खिलाडियों की छंटनी करके राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन खिलाडियों को रखा। उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी ट्रेनिंग का और उनकी कोचिंग का सारा खर्चा राजस्थान सरकार वहन कर रही है। इसी कड़ी में हमने जैसलमेर के अन्दर भी आज हमारे 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हम स्पोर्ट्स हॉस्टल में रखे हुए हैं और उनका पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार हर तरीके से वहन कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि खाली हम एक अध्यादेश ही नहीं लेकर आये, हमने खेलों के विकास के लिए यह पहली सरकार है, जिसने खेलों के विकास के लिए काम किया और चाहे वह बजट बनाने का काम हो, चाहे टी.ए.डी.ए. बढ़ाने का काम हो....

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मैं गत बजट भाषण के अन्दर अजमेर के लिए सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक की घोषणा की थी। नगर सुधार न्याय अजमेर ने जमीन दे दी। फाउण्डेशन पूरा कर दिया। उस सिंथेटिक ट्रेक का क्या हुआ ? जिस विकास की बात कर रहे थे तो अजमेर जिले की बात बताऊं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में तो न बोलें।

श्री युनूस खान : अभी मैंने खेलों के विकास की बात कही। कुछ चिन्ताएं भी इसके प्रति आयीं। अभी हमारे सम्मानीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने एक बात कही कि व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए या काबिज कराने के लिए यह अध्यादेश लेकर आये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने यह कहा कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चुनाव के बाद में यह अध्यादेश लेकर आये। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के

(श्री युनूस खान)

चुनाव 19 सितम्बर, 2004 को हुए और हमारा 18 अगस्त, 2004 में आया तो यह जो बात हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि न तो हम किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में हैं, न हम यह जो अध्यादेश लेकर... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप देखना, वहां आपके इस उम्मीदवार को वोट नहीं डालने दिया गया। (व्यवधान) क्या महावीरजी, पढ़कर आये हैं। ललित मोदीजी वहां सर्टिफिकेट लेकर गये। वोट नहीं डालने दिया डालमिया ने। इसलिए बातें खड़ी हुई हैं, बाकी कहां से खड़ी हुई बातें ?

श्री युनूस खान : यह आपने जो बात कही हैं... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप सदन में कम से कम सही बात तो बताइये कि क्रिकेट एसोसिएशन का सर्टिफिकेट लेकर उस सर्टिफिकेट को वेलिड नहीं माना, इसके कारण स्थिति बनी है। (व्यवधान)

श्री युनूस खान : सम्माननीय सदस्य, आपने जो बात कही कि यह अध्यादेश इसलिए लेकर आये हैं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अन्दर इनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। मैं आपकी नालेज के लिए बता रहा था कि यह अध्यादेश 18 अगस्त को आया और इसके चुनाव 29 सितम्बर, 2004 को हुए। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि न तो राजस्थान सरकार ने किसी संघ विशेष को या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लाये हैं। हमारे यहां से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, आप एक बात दीजिये। आप लाये सितम्बर में, सितम्बर से लेकर अभी तक इस एक्ट के आने के बाद खेल में क्या हो गया ? यह बता दीजिये आप। आप तो लाये खेल को प्रमोट करने के लिए, सितम्बर से लगाकर आज जनवरी तक इस एक्ट के आने के बाद खेल में क्या चीजें हो गयीं। राजयवर्द्धन सिंह, देवेन्द्र झांझडिया, यह सब अपने इस एक्ट के कारण आए? आप तो यह बताइये इस एक्ट के बाद क्या चीज हुई जिस पर आप गर्व कर रहे हैं ? झांझडिया इस एक्ट के कारण आया है, बात कर रहे हैं।

श्री युनूस खान : मैं आपसे यह कहना चाहूंगा... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : खाली एक मात्र ललित मोदी इस एक्ट के कारण आया। वह बहुत बड़ा खिलाडी है। इसका मुकाबला नहीं हो सकता। यह तो श्रेय आपको जाता है।

श्री युनूस खान : हम पूरे राजस्थान के अन्दर खेल अध्यादेश इसलिये लाये हैं कि खेलों का विकास हो और खेल संघों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, सी.पी. जोशी जी को बताता हूं कि जितनी जल्दी आप कर रहे हैं इतनी जल्दी तो मैडल बाजार में भी नहीं खरीदा जा सकता।

श्री युनूस खान : मैंने आपसे निवेदन किया कि जो खेलों में जड़ता आई थी उस को दूर करने के लिए और खेल संघों में जो अलोकतांत्रिक तरीके से लोग बैठे थे, प्रजातांत्रिक तरीके से उनका चुनाव हो, इसलिये हम खेल अध्यादेश लेकर आये हैं। आप बार बार सितम्बर का जिक्र कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि हमारा अध्यादेश 18अगस्त, 2004 को आया उसके बाद बोर्ड के चुनाव हुए। आपने बहुत सारी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। लेकिन आपने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने खेल के विषय में क्या, उसके जवाब में मैंने आपसे यह कहा कि जिस दिन से हमारी यह सरकार सत्ता में आई है उस दिन से हम चाह रहे हैं कि खेल का बजट बढ़ाना हो, चाहे टी.ए.डी.ए. बढ़ाना हो और चाहे खिलाडियों को सुविधाएं देनी हों, चाहे जिन्होंने मैडल लेकर आये हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आगे योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि बहुत सारे सम्मानीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की जिसमें नगर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने यह कहा कि आप इसको 18 अगस्त को क्यों लाये? 4 अगस्त तक जब कि सदन था। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस विषय में चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे उसी कड़ी के अन्दर हमने अलग-अलग सेमीनार की है और 4 अगस्त को हमने पूरे राजस्थान के खेल संघों को बुलाकर और जो हमारा ड्राफ्ट था, उसके विषय में हमने पूरी चर्चा की इसी हाउस के अंन्दर। जिनकी बार-बार चर्चा आ रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि सम्माननीय रूंगटाजी भी इस सभा में इस बैठक में थे और यह फैसले हुए। जो उनके सुझाव आये, उनको सम्मिलित करते हुए 18 अगस्त को हम यह लेकर आये तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं और हमारे बहुत सारे मित्रों ने यह बात कही कि सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है। पहले जहां तक नियंत्रण की बात है पहले जो सरकार और प्रशासन का काम होता था फैसिलिटेटर, रेगुलेटर, कंट्रोलर का होता था लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

रिफोर्म्स आये और अलग-अलग तरीके का शासन और प्रशासनिक रिफार्म आये कि सरकारें पहले व्यापार भी करती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह भी बंद कर दिया। अब आजकल जो सरकारें हैं, वह दो ही काम सरकारों के मुख्यतया रहे हैं। एक तो सुविधा प्रदाता के रूप। मैं और एक विनियामक के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य कतई यह नहीं है, हमने सबसे पहले राजस्थान के खिलाडियों को खेल की सुविधाएं प्रदान करने का काम शुरू किया है और चूंकि हमारी सरकार का पहला साल है। बहुत सारी सुविधायें हमने दी हैं और बहुत सारी योजना हमने बनायी है। इसके तहत हम राजस्थान के खिलाड़ियों को राजस्थान के खेल संघों को सुविधायें देंगे। उसी तरीके से उन खेल संघों का विनियामक, रेगुलेटर के रूप में काम करना चाहते हैं, न कि हम कंट्रोलर के रूप में और मैं जो आपने बार-बार शंका व्यक्त की हैं कि सरकार उसमें नियंत्रण करना चाहती है। मैं यह कहना चाता हूं कि इस विधेयक में कहीं पर भी इस तरीके का उल्लेख नहीं है कि सरकार किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से, या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना चाहती है। आपने जो आशंकायें व्यक्त की हैं, वह निराधार हैं और उन आशंकाओं में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कदम है जो कि सरकार ने भी रखा है। पहली बार कोई इस तरह का बिल आया है।

मैं दूसरी बात आपके यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी मैं 16 और 17 तारीख को हमारे जो माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी हैं उनके न्यौते पर दिल्ली गया। वहां पर बहुत सारी चर्चा हुई और उसमें हमारे खेल अध्यादेश की भी मंत्रियों और सचिवों की उस बैठक में चर्चा हुई। मुझे आपको, सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सारी वहां पर चर्चा की तो उसमें एक ही बात सामने आयी कि राजस्थान इस खेल जगत के अन्दर आज की तारीख में लीडर बन गया है। मुझे इस बात को कहते हुए फख्र होता है कि राजस्थान इस तरीके का अध्यादेश लेकर आया। माननीय सुनील दत्तजी ने मुझे व्यक्तिश: फोन कर के कहा और मीटिंग में यह कहा कि हम भी यह चाहते हैं कि खेल संघ है, जिस तरह से 25-25, 30-30 साल से लोग काबिज हुए बैठें हैं और ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं जो न तो खेल का विकास करते हैं न खिलाडियों को महत्व देते हैं, न उनके पास समय है लेकिन वह सिर्फ दिखाने के लिये या ओलम्पिक में जाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं इसलिए हम भी

चाहते हैं कि इस तरह का कोई बिल या इस तरीके का अध्यादेश हम लेकर आएं इसलिए उन्होंने हम से यह कहा कि आप कन्करेंट लिस्ट में आने की सहमति प्रदान कीजिए क्योंकि यह स्टेट, सब्जैक्ट है और सरकार को संविधान की अनुसूचित संख्या सात की सूची संख्या दो में क्रम संख्या 32 पर खेल विषय अंकित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है लेकिन केन्द्र सरकार जब ही बना सकती है जब कन्करेंट लिस्ट के अन्दर कह आये। उन्होंने यह कहा कि आप सहमति दीजिए जिससे हम भी इस तरह का कानून बना कर के और इन खेल संघों पर लगाम लगा सकें। उन्होने एप्रिशिएट किया।

सिरोही से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो हमारा ओलंपिक चार्टर पढ़ कर सुनाया, उनके बारे में भी मैं यह कहूंगा कि मैंने अभी जो अनुसूची की बात कही, राजस्थान सरकार को यह अधिकार है अध्यादेश बनाने का। उनका जो पत्र आया और वहां जो मैंने राजनीति देखी, माननीय खेल मंत्रीजी तो यह चाहते थे कि हमारी बैठक विज्ञान भवन में हो और हमारे सम्माननीय कलमाड़ी जी, जिनकी आपने चर्चा की उन्होंने हम लोगों के यहां पर सुबह दो-दो, तीन-तीन गाडियां भिजवायी, करोड़-करोड़ रुपये की गाडियां और तीन-तीन आदमी भिजवाये कि आप हमारे नाश्ते पर आइये और जो कन्करेंट लिस्ट की हमारे सुनील दत्तजी बात कर रहे हैं या इन खेल संघों पर लगाम लगाने की जो बात कर रहे हैं उसमें हमें नहीं जाना है, हमें तो इसकी सहमति नहीं देनी है। उन्होंने हमारे जी-हुजूरी की और बहुत सारे मंत्री और सचिव वहां नहीं गये, उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकारों के मंत्री भी शामिल थे। (व्यवधान) चर्चा आयी है, साहब चर्चा।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, अरूण जेटलीजी क्या कर रहे हैं, वह भी बता दीजिए, वह भी अच्छा रहेगा। आप यह सब बातें कर रहे हैं तो अरूण जेटलीजी क्या कर रहे हैं, वह भी बता दीजिए आप, ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री युनूस खान : यह आप में से कोई अरूण जेटलीजी कीबात कहते तो मैं बोलता, आपने कलमाडीजी बात कही है तो मैं कलमाड़ीजी के लिए बोलूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : आप यह भी बता दीजिए कि अरूण जेटलीजी किस के यहां वकील कर के कोर्ट में केस कर रहे हैं ? यह भी बता दीजिए, वह ठीक रहेगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपने चर्चा की तो इन्होंने कलमाड़ीजी की की, आप जेटली जी की करते तो जेटलीजी की बताते।

डा. सी.पी. जोशी : हां मैं जेटलीजी की कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं। यह कहना बहुत सरल है, खड़े होकर यहां बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अरूण जेटलीजी हैं वह इस तरह एक्ट के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में क्या पैरवी कर रहे हैं? यह मालूम है अपने को? अपन वह बातें ही करें जो बातें समझ में आती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : इसलिए अपने ही पक्ष की बात कहना जरूरी है लेकिन आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता अरूण जेटलीजी इसी आर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हमेशा ही बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं की हत्याओं में वकील आरोपियों के हुआ करते हैं, उनके बारे में क्या है आपकी?

डा. सी.पी. जोशी : हमारे होते हैं इसलिए बी.जे.पी. के भी होंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : यह जरूरी नहीं है, बी.जे.पी. नहीं करेगी। आप कह रहे थे, मैं जवाब दे रहा था।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को जवाब देने दें, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, अरूण जेटली भी इसी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे केस लड़ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : जेठमलानीजी क्या करते रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : वह बी.जे.पी. के साथ कर रहे थे जो कर रहे थे।

श्री युनूस खान : देखिये, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति कहीं भी वकील हो सकता है, उसमें कोई सरकार और पार्टी आड़े नहीं आती। अब वह किस के वकील हैं, उसकी फीस लेते हैं, वह प्रोफेशनल हैं, उनका पेशा है इसलिए वे जा सकते हैं। जहां तक कलमाड़ीजी की है, वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के

(श्री युनूस खान)

अध्यक्ष हैं जहां तक माननीय सुनील दत्तजी की बात है, वह केन्द्र सरकार के अन्दर मंत्री हैं।

श्री संयम लोढ़ा : श्री अरुण जेटली भी दिल्ली क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। यह आपकी जानकारी में होना चाहिए।

श्री युनूस खान : देखिये, वह क्रिकेट संघ के हैं... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : खिलाफ गये हैं तो वे अपने पेशे के हिसाब से गये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : जेटलीजी वह आदमी हैं जो डालमियाजी कहने से ललित मोदी को वोट डालने के लिए डिबार किया वहां पर, कलकत्ता में बैठे हुए थे। अन्तर यह है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी की आन्तरिक लड़ाई में राजस्थान के खेलों की क्यों दुर्दशा कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें, जवाब देने दें मंत्रीजी को। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी खड़े हैं, आप तो विराजिये, मंत्रीजी बोल लेंगे।

श्री विष्णु मोदी : मंत्रीजी, आप कितना ही भला काम करो इनको तो बुराई निकालनी ही निकालनी है। आप तो पास कराओ।

डा. सी.पी. जोशी : आपको अच्छाई के लिए बी.जे.पी. में भेजा है (व्यवधान) बी.जे.पी. की अच्छाई के लिए आपको बी.जे.पी. में भेजा है, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया, अब जवाब देने दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कम से कम इतनी अच्छी चीजों का समर्थन करना चाहिए। हर बात में बुराई का मतलब क्या है? हर बात में बुराई का मतलब नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : हमने समर्थन किया है। हमने कहा है, आप एक बुराई को खतम करने के लिए दूसरी कानूनी बुराई लाये हो, उसके लिए धन्यवाद। यह कह रहे हैं हम तो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, इसमें कोई बुराई है ही नहीं। इसमें कहां बुराई हैं ?

श्री विष्णु मोदी : पास कराओ, पास।

श्री अध्यक्ष : अब आप जनमत जानने वाली बात पर काफी कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : जोशीजी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि बुरी थी, बुराई थी वह।

श्री युनुस खान : अध्यक्ष महोदय, इन सब के बावजूद जो कोर्ट की बात आयी, कोर्ट का फैसला भी, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हमारे अध्यादेश के फेवर में आया। उन्होंने जो बात कही उसका मैं ज्यादा लम्बा हाउस का समय नहीं लेना चाहता, वह आ गया।

इसके अलावा, माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें उठायी उसमें आर्बिट्रेशन की बात थी वह भी आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत है, उसमें कोई रजिस्ट्रार को पावर नहीं किया गया है। दूसरी बात जो जांच की बात है, हमारे लूणी से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कही, रजिस्ट्रार धारा 22 में बतायी गयी बातों के बारे में जांच करेगा और आरोप सिद्ध होने पर ही धारा 24 के अधीन कार्यवाही करेगा। जहां तक अन्य धाराओं की बात कही और धारा 4 की बात..

श्री अध्यक्ष : तो आखिर में क्या उत्तर देंगे आप अभी सब बोल देंगे तो ? आखिर में भी तो कुछ जवाब देंगे आप।

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहूंगा कि जनमत जानने की जो बात कही है उसको निरस्त किया जाए और इसको पास करने की कार्यवाही करें। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता ओर विनियमन) विधयेक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 21 – कोई संशोधन नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पांइट आफ आर्डर। मंत्रीजी ने प्रस्ताव ही नहीं रखा, आप करते जा रहे हैं। पहले प्रस्ताव तो रखवाइये विचार के लिए। आप इतना हेस्ट में कर रहे हैं तो यह तो परम्परा ही ठीक नहीं होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : केवल जनमत जानने का था, उसको आपने अस्वीकार कर दिया। अब मंत्रीजी यहां पर इसको इंट्रोड्यूस तो करें। पहले इसको यहां पर पुरःस्थापित करेंगे उसके बाद ही पास करने का सवाल आएगा।

श्री अध्यक्ष : जब विचारार्थ का प्रस्ताव रखा है तभी तो बहस चालू हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : क्यों गलत, काम करवा रहे हो, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विचारार्थ के लिए प्रस्ताव रखेंगे, वह कहां रखा इन्होंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रख दिया।

डा. सी.पी. जोशी : कहां रखा ?

श्री अध्यक्ष : रख दिया था बहुत पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रख दिया। जो विचारार्थ प्रस्ताव आया उसके बाद वह प्रस्ताव आया है जनमत जानने का।

श्री अध्यक्ष : रख दिया था बहुत पहले। प्रहलाद गुंजल जब बोलना शुरू

(श्री अध्यक्ष)

किये हैं उससे पहले विचारार्थ रख दिया गया था तभी जनमत का आपने संशोधन किया है।

डा. सी.पी. जोशी : अब जनमत रिजेक्ट होने के बाद पास का प्रस्ताव रखेंगे न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका फिर अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न रख दिया।

डा. सी.पी. जोशी : कहां रखा पास का ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पारित का नहीं आएगा अभी, पारित का तो... (व्यवधान) खण्डशः के बाद आएगा पारित का।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ तो ले लिया गया। बाद में आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बाद मे आयेगा।

श्री अध्यक्ष : हां।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 21-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22, प्रभारी मंत्री संशोधन पेश करें।

श्री युनूस खान (खेल मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड संख्या 22 के उप खण्ड-2 में शब्द 'कोई' के पश्चात और शब्दों स्तरीय क्रीड़ा संगम के पूर्व आये विद्यमान शब्द 'जिला' के स्थान पर 'राज्य' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-22 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 23 से खण्ड 38 तक कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 38 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 38 स्वीकार किये गये।

अनुसूची

अनुसूची क, ख, ग एवं घ-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची क, ख, ग, एवं घ स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची क, ख, ग एवं घ स्वीकार की गयी।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

मंत्री महोदय पारित करने का प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने क्रीड़ा अध्यादेश जो 18 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया और आज जो एक्ट बनने जा रहा है उसके बारे में अपने विचार दिए, सबसे पहले तो मैं सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके बारे में खेल संघों से चर्चा की जाती, खिलाडियों से चर्चा की जाती। इसमें तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों से भी चर्चा नहीं की गयी। यह सर्कुलेशन से मंत्रिमण्डल ने पास किया है। यह मैं समझता हूं पहला मौका है जब इस प्रकार के बिल को अध्यादेश के रूप में मंत्रिमण्डल ने स्वीकृत किया। उस समय सर्कुलेशन के माध्यम से 38 खण्ड किसी ने पढ़े ही नहीं, दस्तखत कर दिए।

श्री अध्यक्ष : आपको कैसे पता चला? आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई इसकी?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे पता है। विपक्ष में रहते हैं तो सब पता है। नहीं तो खंडन कर दें, मंत्रीजी खंडन कर दें कि यह सर्कुलेशन से पास हुआ या मंत्रिमण्डल में चर्चा के बाद। मंत्रिमण्डल के सदस्यों को भी चर्चा करने का अधिकार नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : वह तो गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं इसलिए कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या ज्ञान दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा का सवाल नहीं है कैसे बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि गोपनीयता की शपथ ली हुई है और वह आपको कैसे पता चला कि यह सर्कुलेशन से पास हुआ। किस आधार पर कह रहे हैं? कोई तथ्य हो तो इनके पास, कोई जानकार सूत्र तो बताएं यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपने ही बताया था आपने अभी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है मैं बहुत अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि सर्कुलेशन के माध्यम से यह बिल जो है अध्यादेश के रूप में जब आया था तब यहां पर बिना चर्चा के दस्तखत करके और यह भी मैं कह सकता हूं कि इसमें पूरे मंत्रिमण्डल के दस्तखत भी नहीं है। इसलिए सबको मौका भी नहीं मिला और कुल मिलाकर यह अध्यादेश आ गया। अब अध्यादेश जब आ गया तो इसके बारे में पूरे देश में केवल यू.पी. और राजस्थान यह दो ऐसे प्रदेश हैं जहां इस प्रकार के आर्डिनेंस आए और जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कलमाडीजी का पत्र पढ़कर बताया। उन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि यदि आप इस प्रकार की गतिविधियां चलाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी, कोई भी खेल संघ ओलम्पिक संघ से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। उन्होंने इसके लिए आर.के. आनन्द जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे राय मांगी, उन्होंने जो राय दी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने ओलम्पिक चार्टर का जिक्र किया मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

The Olympic Charter specifically provides that the National Olympic Committee in the present case IOA shall preserve their autonomy and resist all pressures of any kind including government political, religious ot economic and in case if the activities of any National Olympic Committee is hampered by the act of legal provisions or regulations in force which 1as the effect of non -compliance of the Olympic Charter. The concerned National Olympic Committee namely IOA can also be suspended from being a Member of the IOC and its recognition can also be withdrawn. The following provisions of Olympic charter are self-explanatory and leaves no doubts that the autonomy of the IOA and its Member units cannot be comprised and has to be preserved at any cost so as to remain Member of the Olympic family. ओलम्पिक फेमेली में जिला संघ से लेकर राज्य संघ, राष्ट्रीय संघ, ओलम्पिक संघ और तमाम देशों के जितने भी संघ हैं वह इसके मैम्बर रहते हैं और उसमें मैं आपका ध्यान खास तौर से इन पाइन्ट्स पर दुबारा दिलाना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर चाहे वह गवर्नमेंट हो, पोलिटिकल हो, रिलिजियस हो, इकोनोमिक हो, किसी भी प्रकार के प्रेशर्स को आटोनोमी के विरूद्ध बताया गया है।

जितने भी खेल संघ बने हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पूरे विश्व में वह स्वच्छद हैं, स्वायत्तशासी हैं। उनके अलग चार्टर बने हुए हैं, उनके अलग नियम, कानून, कायदे बने हुए हैं। उसमें उस सरकार ने यह खेल अधिनियम लाकर केवल मात्र रजिस्ट्रेशन और उसका रेगुलेशन...

डा. एन.एस. गुर्जर : कल्ला साहब..

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को कृपया बोलने दें। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। आप मेरे बाद बोल लें।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप इतना ही बता दें। कि यह जो आनंद साहब ने दिया है, आनंद साहब का हवाला दिया है यह किस पार्टी से रिलेटेड हैं यह भी बता दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजो। किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं। ओलम्पिक के चार्टर को मैंने कोट किया है। यह पोलिटिकल इंटरफियरेंस, इकोनोमिक इंटरफियरेंस और यह सब...

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कलमाड़ीजी ने राजस्थान के बारे में जो विरोध किया है वह क्यों किया है आपको मालूम है कि नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजो। मेरे को सब मालूम है। आपको यह मालूम है कि यह खेल अध्यादेश ललित मोदी को फायदा देने के लिए लाया गया। यह मालूम है क्या आपको?

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे यह मालूम है कि उनको फायदा देने के लिए लाया गया कि नहीं लाया गया लेकिन जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल से बपौती बनाए बैठे थे उनको हटाने के लिए जरूर लाया गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 213 का दुरूपयोग किया जाए। मैं जानना चाहता हूं ऐसी क्या अरर्जेंसी थी जिसके कारण आप आर्डिनेंस लेकर आए और आपने क्या खेल का, खिलाड़ी का और खेल के मैदान का कौनसा विकास किया? मैं यह जानना चाहता हूं कि अगस्त से लेकर अब तक के महीनों में आपने इस आर्डिनेंस के माध्यम से क्या-क्या राजस्थान में कदम उठाए। केवल मात्र एक एसोसिएशन की एक एडहाक कमेटी बनाने के अलावा इस आर्डिनेंस का क्या यूज किया आपने और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इस अरजेंसी के साथ-साथ यह भी बताएं कि आर्डिनेंस लाने के पीछे कुछ सरकार के उद्देश्य होते हैं।

आपने कहा कि हमने लेख खेल से बात की। मैं तो समझता हूं कि क्रिकेट के अलावा आपने किसी भी खेल संघ से बात नहीं की और किसी भी खेल संघ के पदाधिकारियों को....

श्री विष्णु मोदी : पूरे व्यापक तौर पर चर्चा हुई सभी खेलों पर व्यापक तो पर खेल में जो रुचि रखते हैं उन सबसे राजस्थान सरकार ने व्यापक चर्चा की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह असत्य बयान कर रहे हैं। हम भी खेल संघों से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे मालूम है कि किसी भी खेल संघ को बुलाकर कान्फिडेंस में नहीं लिया गया और आनन फानन में यह अध्यादेश लाकर खेल जगत के इतिहास में यह खेल कानून बनाने जा रहे हैं जिसके लिए खेल से जुड़े हुए लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस खेल कानून के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

सुरेश कलमाड़ीजी ने तो साफ लिखा है जो अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कोट किया था। मैं लास्ट लाइनें बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोट कर दिया ना उन्होंने दुबारा कोट क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, तो मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान के खेल संघों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और कोई भी खिलाड़ी चाहे वह किसी भी खेल का खेलने वाला हो वह राष्ट्रीय स्तर के, एशिया स्तर के और कामनवैल्थ और ओलम्पिक स्तर के खेलों में खेल नहीं सकेगा।

इसके अलावा ओलम्पिक चार्टर के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बातें बताई थीं। आगे मैं बताना चाहूंगा-

Apart form the measure and sanctions provided in case of infringement of the Olympic Charter the IOC may after having heard and NOC suspended for withdrawal recognition from it.

आई.ओ.सी. के चार्टर का यदि कोई भी संघ उल्लंघन करता है तो उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार ओलम्पिक संघ को है जैसा अभी मेरे से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पूर्व किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस चार्टर में इसमें ओलम्पिक चार्टर में ऐसी व्यवस्था है।

If the activities of such NOC is hampered by the effect of legel provisions or regulations.. जो रेगुलेशन आप करने जा रहे हैं। ...in force in the country or by Acts or other entities within such country whether sporting or otherwise if the making or expression of the will of the National Federations of other entities belonging to such NOC or represented within, it is hampered by the effect of legal provisions or regulations in force in the country concerned or by the Acts of other entities within such country whether sporting or otherwise.

इसके अन्तर्गत किसी भी देश में या किसी भी देश के अन्तर्गत यदि कोई रेगुलेशंस लागू किये जाते हैं तो उसकी मान्यता रद्द करने का अधिकार ओलम्पिक एसोसिएशन है। यह केवल राज्य के खिलाड़ियों के लिये नहीं, हिन्दुस्तान का जो ओलम्पिक संघ बना हुआ है उसकी भी मान्यता रद्द करने का अधिकार ओलम्पिक एसोसिएशन को है इसलिये आप यह काला कानून जो बनाने जा रहे हैं मैं इसका विरोध तो करता ही हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट में खेल के विकास के लिये, खिलाडियों के विकास के लिये कोई बात की जाती है। एक लाइन आप पढकर बता दें कि इसमें खेल के लिये, खेल के विकास के लिये, खेल मैदानों के विकास के लिये आपने कुछ की हो तो बता दें। केवल मात्र नियमन और रजिस्ट्रेशन इसके लिये 38 खंड का आपने एक बहुत बड़ा बिल हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और इसमें भी अनेक प्रकार की, अध्यक्ष महोदय, कानून बनता है तो आपको ध्यान में रहना चाहिये कि यह करने जा रहे हैं। इन्होंने जो प्रोविजन किये हैं, सबसे पहले तो कोई भी छह जिला संघ मिल कर के राज्य संघ बना सकते हैं। उसमें उसका 1/10 हिस्सा यानि छह में से एक आदमी जिला संघ जाकर शिकायत कर दे कि यह चुनाव ठीक नहीं हुए या इसमें यह अनियमितता है तो रजिस्ट्रार उस शिकायत के आधार पर उसकी मान्यता रद्द कर देगा, या वहां पर कोई एक एडहाक कमेटी बना देगा। कोई भी कानून होता है इसमें 2/3 व्यक्ति कोई अविश्वास लाएं, 2/3 व्यक्ति कोई शिकायत करें, सिर्फ एक आदमी शिकायत कर दे उसके आधार पर एडहाक कमेटी का गठन और रजिस्ट्रार को इसमें स्वयंभू, तानाशाह और ऐसा फासिस्ट प्रवृत्ति का बना दिया है, जिस रजिस्ट्रार को कोपरेटिव से ही फुर्सत नहीं है उसका खेल से क्या लेना देना है। खेल उसके आसपास नहीं है। लेकिन उसको

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपने रजिस्ट्रार को स्वयंभू बना दिया। अब तो मैं यह समझता हूं कि रजिस्ट्रार जिसको चाहेगा उसको खेल संघ का एडहाक कमेटी बनाकर अध्यक्ष बना देगा। यह 40-40 संघ रजिस्ट्रार के नीचे आ जायेंगे। रजिस्ट्रार खेलों को चलायेगा और अब तक तो डिजायर चलती थी ट्रांसफर में, अब आप यह डिजायर चलायेंगे खेलों में। जो रजिस्ट्रार कह देगा वही खिलाड़ी क्रिकेट खेलेगा। जो रजिस्ट्रार चाहेगा वही खिलाड़ी फुटबाल, बास्केटबाल, वालीवाल खेलेगा। क्योंकि रजिस्ट्रार ही सर्वेसर्वा हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको अपहैल्ड किया है।

It was challenged in the Rajasthan High Court and the High Court has upheld this Canoon.

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बार-बार खड़े क्यों होते हैं। आप तो कानून बना रहे हो ना इसमें...

श्री विष्णु मोदी : अपहैल्ड हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट से। चेलेंज हुआ था। आर्डिनेंस चेलेंज हुआ और उसको अपहैल्ड किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं है। उसकी तो प्रक्रिया है आगे आगे हो जायेंगे...

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। करो आप। We have the right to reject it.

श्री विष्णु मोदी : Yes. This House has the right. Not only you but this House has the right also.

श्री रामनारायण चौधरी : We have. 'We' include the House. We have the right. We can reject it.

श्री विष्णु मोदी : Yes. The House has the right.

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्यों रेफरेंस दे रहे हो हाई कोर्ट का। जिता लोगे हाई कोर्ट से... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : रजिस्ट्रार को जो जांच के अधिकार दिये हैं उसमें भी उन्होंने किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ ने अनुरोध पर क्रीड़ा संगमों

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

के कुल सदस्यों के दसवें भाग के अनुरोध पर और स्वप्रेरणा से, उसके जंच गयी कि इसको तो खतम करना है। स्वप्रेरणा, सुआमोटो खतम कर देगा जांच शुरू करके। ऐसा कभी कहीं होता है? यह बिलकुल ग़लत कानून बन रहा है, विधि सम्मत् नहीं है, कानून सम्मत् नहीं है। आज तक जितने भी कानून बने हैं उन कानून की धाराओं के विपरीत कानून बन रहा है।

इसके अलावा इसमें राज्य क्रीड़ा परिषद को तो आपने बिलकुल पंगु बना दिया है। उसकी क्या पावर है। आज राज्य क्रीड़ा परिषद को अनुभव है पचास साल का और वह सबका एक तरीके से संरक्षण करती है, सबको साथ लेकर चलती है लेकिन राज्य क्रीड़ा संघ की इसमें कोई भूमिका आपने नहीं रखी।

इसके साथ-साथ आपने खेल संघों का नियमन जो किया है, जो पूर्णत: स्वायत्तशासी बाडी है, अब मान लीजिये फुटबाल संघ है तो वह राष्ट्रीय फुटबाल संघ से एफिलिएटेड है। जिला संघ जो है वह राज्य फुटबाल संघ से एफिलिएटेड है। आपने उसका रेगुलेशन का, विनियमन करके रजिस्ट्रार के कार्य का भार बढ़ाया है और केवल मात्र खेलों में खेलों का सरकारीकरण करने के लिये खेलों के ऊपर सरकार का शिकंजा कसने के लिये आप यह कानून लेकर आये हैं इसलिये इस कानून का सब लोगों ने विरोध किया है।

इसके अलावा आपने भी जिक्र किया और मेजर राजवर्धन सिंह जी और...

श्री अध्यक्ष : देवेन्द्र झांझड़िया...

डा. बुलाकीदास कल्ला : देवेन्द्र झांझडिया जिनको गोल्ड मैडल मिला। अच्छी बात है उनको मिला। यह ओलम्पिक ईयर है। ओलम्पिक ईयर में आप किस प्रकार से ओलम्पिक चार्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप पुनर्विचार करें कि जिस कानून के लाने से राज्य के खेलों का संवर्धन नहीं होगा, जिस कानून के लाने से राज्य में खेलों पर प्रतिबंध लगने वाला है, ऐसे कानून की राज्य को क्या आवश्यकता है।

इसके अलावा आपने इसमें जो खंड 25 का उल्लेख किया है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। राज्य का जिलों का प्रतिनिधित्व करने या नाम का उपयोग करने का प्रतिरोध। अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति, कोई खिलाड़ी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उसको क्या पता है कि जो खेल संघ है वह रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि वह खेल संघ के माध्यम से खेल खेल लेगा तो छह महीने की जेल, ऐसा कानून कभी होता है? जैसे पहले एक बार इस विधान सभा एक कानून आया था जिसको हम लोगों ने ही यहां पर विचार करके, यहां पर अपने विचार जब दिये तो उस समय की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बिदड्रा कर लिया था। उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में इंटरनल चेजेज यदि करता है तो इंअरनल चेजेज करने वाले व्यक्ति को एक साल की सजा, ऐसा प्रावधान करके एक एक्ट आया था और हमने विरोध किया तो उस समय सरकार ने उसको विदड्रा कर लिया। खिलाडी को जब क्या पता कि कौनसा खेल संघ है उसने मान्यता ले रखी है या नहीं। वह तो अपने खेल में रूचि रखता है। खेलों में विश्वास करता है। आपने उसको छह महीने की जेल का प्रावधान कर लिया। ऐसा कानून कभी भी नहीं बनना चाहिये जिसमें खिलाडियों के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबंध और विनियमन हो कि उसकी खेल भावना के साथ आप खिलवाड़ करें।

इसके अलावा आपने खण्ड 35 में जो अपील का अधिकार दिया है वह अपील का अधिकार रजिस्ट्रार के खिलाफ यदि कोई केस करता है तो उसका अधिकार आपने दिया है खेल सचिव को जो स्पोर्ट्स से सम्बन्धित है। युवा और स्पोर्ट्स के मामले देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अपील भी केवल मात्र सरकारी अधिकारी देखेंगे ताकि आप जैसा चाहें वैसा हो और यदि रजिस्ट्रार कोई फैसला क्षमता और विवेक से कर दे तो उसको भी आप वहां जाकर उलटवा सकें। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रावधान और कुछ लुणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वैधानिक बातें कहीं है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन उसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है।

अब जहां तक खेलों के विकास की बात है, मेरे से पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कुछ खा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता...

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरा गला खराब है इसलिये दवाई ले रखी है मैंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि इसमें अपने व्यवस्था यह है कोई भी माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां बता दो व्यवस्था क्या है। क्या है व्यवस्था।

डा. सी.पी. जोशी : आप इनके सामने खड़े हो गये...

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी माननीय सदस्य '269 (12) में है' सदन में धूम्रपान नहीं करेगा। पानी अथवा अन्य किसी पेय का उपयोग नहीं करेगा या कोई चीज नहीं खायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कुछ नहीं खा रहा हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप मुंह में कुछ खा रहे हैं इसलिए मैंने कहा है..

श्री अध्यक्ष : हां, दवाई भी नहीं खायेंगे। सही बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छा कोई बात नहीं..

श्री रामनारायण चौधरी : With the permission of the Chair he can do so.

श्री अध्यक्ष : आप अध्यक्ष की अनुमति से ही खा सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : With the permission of the Chair he can do so.

आप नहीं रोक सकते। आपको कोई अधिकार नहीं रोकने का। With the permission of the Chair he can do so.

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की कब अनुमति कहां ली इन्होंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां तो चेयर ने व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष : But he did not take the permission from the Chair.

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल रहा हूं कि यहां खा रहा हूं इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बोल रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने खुद ने ही कहा है मैंने खाया है। खुद ने ही स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, नियमों का पालन तो करना ही चाहिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं क्या नियमों का पालन नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या नियम का पालन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इनका तो काम व्यवधान पैदा करने का है। यह व्यवधान करेंगे। इन्होंने नियमों का पालन किया है। आपने परमीशन से बोला है कि खड़ा होकर के!

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, आज तो सही छक्का लगाया है। सही छक्का मारा है सचेतक महोदय ने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बोल रहे थे परमीशन लेकर, यह खड़े होकर के आपकी बिना परमीशन के बोल रहे थे। यह परमीशन से बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : सदन के नियमों के उल्लंघन होने पर कोई भी माननीय सदस्य इंगित कर सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी परमीशन से।

श्री अध्यक्ष : सदन के नियमों का उल्लंघन हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या उल्लंघन हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मानेंगे नहीं, क्या करें।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, बोलें.... (व्यवधान) आप इसको यूं क्यों लेते हो। यह तो ठीक है उन्होंने कह दिया, अच्छा है आपको थोड़ा विश्राम करने के लिए मिल गया, क्या बात है इसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको स्वीकार करना चाहिए कि हां, मैं नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : व्हाई यू टेक अदरवाइज?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ अपोजिशन ने खाया कुछ नहीं है। मुंह के अन्दर कोई चीज रखी है, जो रख सकते हैं। रखने में कोई आपत्ति नहीं है। पीने में आपत्ति है, पानी पीयें आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं आप।

श्री रामनारायण चौधरी : खा तो कुछ सकते ही नहीं, मुंह के अन्दर रख लिया, गला सूख रहा है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था देने का काम आसन का है। आसन पर बैठें तब दे सकते हैं अभी नहीं, बिराजें, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। मैं आसन का ही ध्यान खींच रहा हूं। आपको पूरा अधिकार है, मैंने पहले कह दिया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पान कोई खाये, सुपारी खाये, उसकी तो कोई बात हो, मान लीजिए लौंगादि वटी मुंह में पड़ी हो तो उसमें क्या दिक्कत है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नियम आपने ही बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है स्पष्ट करने की। चलें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नियम 35 में जो अपील का प्रावधान है उसमें शासन सचिव, युवा मामले और क्रीड़ा विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा। इसके तरफ मैंने आपका ध्यानाकर्षित किया कि यह भी एक तरह से बहुत ही गलत है, यह सरकारीकरण है। यह जो एक्ट आया है, यह पूरी तरह से सरकार को एक तरीके से नियंत्रण पूरा खेल संघों पर होगा। सरकार जैसे चाहे वैसे करने की नीयत से लायी है। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाये वह कम है।

अध्यक्ष महोदय, अब जहां तक खेलों की स्थिति है। आप यह बतायें कि जब आप सरकार में आये तो दो बातों की आपने घोषणा की थी एक तो एस्ट्रो टर्फ का मैदान हाकी का आप बनायेंगे अजमेर में, क्या आपने बना दिया? इसी तरीके से आपने जयपुर में एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक टर्फ...।

श्री अध्यक्ष : कहा ना उन्होंने, पैसा दे दिया। कहा था ना अपने भाषण में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पैसा देने से क्या हुआ? बनाने की बात कही थी, बनाया नहीं है दोनों जगह.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पैसा देने का मतलब ही बनाना है.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : दोनों जगह पर इन्होंने कोई खेल का मैदान नहीं बनाया और अब एक तरफ तो माननीय खेल मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि मैंने आने के बाद 50 लाख रुपये राज्यवर्द्धन सिंहजी को दे दिये, देवेन्द्रजी को 11 लाख रुपये दे दिये। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर सितम्बर से लेकर अब तक जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आये हैं, सीनियर आरै जूनियर चैम्पियनशिप में उन्हें टी.ए. और डी.ए. अभी तक नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल क्या कर रही है। स्पोर्ट्स कौंसिल में दो-दो महीने तक उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में खेलों का क्या भविष्य है राजस्थान में, जो खिलाड़ी एक-एक नहीं, दो-दो नहीं, चार-चार मैडल लेकर आये हैं उनको यहां पर यह सरकार और इसकी क्रीड़ा परिषद डी.ए. नहीं दे पा रही है ऐसी स्थिति में आप खेलों का विकास करना चाहते हैं। खेलों का विनियमन करके, रजिस्ट्रेशन करके खेलों का गला घोंटना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसी प्रकार का यह भी बताया है माननीय सदस्यों ने कि इस एक्ट के आने के बाद खेलों का विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के आने के बाद आपने कितने खेलों का विकास किया। खेलों का तो राजस्थान में निरन्तर स्तर गिर रहा है। आपको चाहिए कि एक अच्छी खेल नीति बनाते और उसके अनुसार राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके विकास के लिए काम करते। आप जिला संघों को मजबूत बनाते। क्लबों को मजबूत बनाते और इसके साथ-साथ स्टेट लेवल की एसोसिएशनों को मजबूत बनाते। जिला संघों को आप धेला देवें नहीं और एक रुपया नहीं देते जिला संघों को और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसका रेगुलेशन जरूरी है, क्यों जरूरी है क्योंकि आपको सिर्फ ललित मोदी को फायदा देना था क्रिकेट में, इसके कारण से यह पूरा का पूरा अध्यादेश को लेकर आप आये हैं इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको विदड्रा करेंगे और नहीं विदड्रा करेंगे तो हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे, ओलम्पिक एसोसिएशन मिलेंगे और इस काले कानून को आप पारित करा देंगे तो भी आपको वापिस लेने के लिए मजबूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड, वैरी गुड।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने यह बहुत ही असंवैधानिक बात कही है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने.. (व्यवधान) इसको पारित किया जाये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : खेल स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें हम यहां कानून बना सकते हैं। यह कोई नेशनल सब्जैक्ट नहीं है.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहा नहीं है... (व्यवधान)

श्री युनूस खान : आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोल सकते हैं, मैंने उनको टाइम दिया है.... (व्यवधान) आप उसके बाद बोल दीजिये... (व्यवधान) आप क्या बोलना चाह रहे हैं (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह कान्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, यह माननीय विपक्ष के नेता इस प्रकार की बात कह रहे हैं वह ठीक नहीं है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या बात.... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह कोई कान्करेंट लिस्ट नहीं है... (व्यवधान) ओलम्पिक एसोसिएशन की आपने बात की, ओलंपिक चार्टर मेरे पास में है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं कही गयी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने का अधिकार है उनको... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह कह रहे हैं ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह ओलंपिक चार्टर मेरे पास में है... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : किसी से भी मिल सकता है... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह आप गलत पढ़ रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आप रख दीजिये एक ओलंपिक चार्टर मेरे पास में है ओरिजनल और इसमें इसके खिलाफ कोई बात नहीं है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य की भाषा आपत्तिजनक है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। राव राजेन्द्र सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी भाषा आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप मे कहियेगा अपनी बात संक्षेप में।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री अमराराम (धोद) : आप सुनें।

श्री अध्यक्ष : सुनेंगे। वह खड़े हैं। नाम पुकार दिया ना।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने पाइंट आफ आर्डर .. (व्यवधान) बैठायें तो सही उनको।

श्री अध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर तो बोला नहीं था और नाम मैंने पुकार लिया इसलिए उनको बोल लेने दो उसके बाद पाइंट आफ आर्डर आप उठाना। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो ठीक उठा दिया, मैं उठा रहा हूं... (व्यवधान) मुझे अनुमति देते ही वह बैठेंगे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर तो बोला ही नहीं, वह यूं ही खड़े हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अनुमति दी है तो बैठेंगे। उनको बैठना पड़ेगा, पाइंट आफ आर्डर का मतलब है कि उनको बैठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आपने बोला नही है पाइंट आफ आर्डर, आप तो यूं ही खड़े हो गये।

श्री अमराराम : आप कह देंगे, फिर बोलेंगे... (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पारण प्रस्ताव की अनुमति इन आर्डर में नहीं

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे कैसे चलेगा... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि आपने मंत्री महोदय को जो प्रस्ताव की अनुमति दी है कि इसको पारित किया जाये यह इन आर्डर में नहीं है। यह आउट आफ आर्डर है और अगेंस्ट दी रूल्स है। Unless he complies the provisions, Rule 85(2). Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved. "Shall not be moved." It has undergone amendments and he has no right to put the proposal to pass it.

इस पर कम्पालाइंस नहीं की है, 85(2) की। पढ़ लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : पढ़ लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां कम्पलाइंस हुई है, No compliance has been made. 'here was no proposal and no motion from your side.

श्री अध्यक्ष : मैंने बोल दिया था ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने संशोधित रूप से प्रस्ताव को पारित किया जाये, यह बोला है।

श्री युनूस खान : मैंने बोला है (व्यवधान) संशोधन मैंने बोला है। बाकायदा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां मूव किया था, एज अमेंडेड... (व्यवधान) आपने सुना नहीं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां मूव किया है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : "...unless the Speaker allows the motion to be made." नहीं रखा है। इन्होंने परमीशन के लिए मोशन रखा ही नहीं, आपसे परमीशन लेने के लिए।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप, आप बिराजे।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे नहीं रख सकते हैं विदाउट परमीशन... (व्यवधान)

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से संशोधित विधेयक पारित किया जाये यह रखा है... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की बिना अनुमति के यहां कुछ होता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री युनूस खान : रिकार्ड देख लें, आप रिकार्ड देख लें... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की बिना अनुमति के यहां कुछ होता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाहीं लाओ, कार्यवाही लाओ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बिना आसन की अनुमति के यहां कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाता है.. (व्यवधान)

श्री युनूस खान : आप कार्यवाही देख लें उसमें है... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से ही लाया गया है... (व्यवधान) यह प्रस्ताव लाया गया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लाया गया है। आसन की ओर से मैं यह कह रही हूं लाया गया है (व्यंवधान) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अनुमति के तो कोई बोल नहीं सकता यहां... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके सामने कहां रखी है यह बात... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संशोधित रूप से पारित किया जाये, यह रखा है उन्होंने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रोसीडिंग में आया हुआ है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अनुमति के तो बोल ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने रखा है एज अमेंडेड? मैं कहता हूं कि बिना परमीशन के यहां रख नहीं सकते... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने हिन्दी में कहा है। संशोधित रूप में पारित किया जाये, यह कहा है... (व्यवधान) मैंने नाम पुकार दिया है... (व्यवधान) इन्होंने कहा है कि संशोधित रूप में पारित किया जाये, यह बोला है, मैं कह रही हूं... (व्यवधान)

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, बोला है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक आप परमीशन नहीं देंगे तब तक यह पास नहीं हो सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है कि यहां पर बिना आसन की अनुमति के कोई बोल ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना आसन की अनुमति के तो यहां बोला ही नहीं जा सकता, अध्यक्ष की अनुमति से ही बोला जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पास नहीं हो सकता।

श्री युनूस खान : आपने अनुमति दी है, मैंने रखा और हस्ताक्षर करके वहां रिकार्ड में भेजा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनुमति दी है तभी तो बोले हैं, अब वह बात बहुत पीछे चली गई है।

श्री अध्यक्ष : जब उन्होंने संशोधित रूप से अनुमति मांगी तो आपको झपकी आ गई थी।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आसन से पुकारा।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गई जी। राव राजेन्द्र सिंह।

विधेयक का पारण

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में इस बिल का टाइटल है, The Rajasthan Sports (Registration Recognition and Regulation of Associations) Bill, 2005 किसी भी बिल के पीछे जो स्पिरिट होती है कि

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहले या तो कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो रही थी या किसी बात पर या किसी विषय पर हमने ध्यान नहीं दिया हो उसको रेक्टिफिकेशन की बात होती है। इसकी लीगल रिमेडीज क्या है और क्या आब्जेक्शन आए हैं वह अलग है लेकिन इसके पीछे जो ध्येय है वह शायद यह था कि हमारी जो आज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के होते हुए हम हमारे जो स्पोर्ट्स मैन है उनको वह सारी फैसेलिटीज हम मुकर्रर नहीं करा पा रहे हैं जिससे इस दिशा में कोई प्रगति हो सके।

अध्यक्षजी, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हम सेट अप बनाकर दे दें, बहुत अच्छे स्कूल बना दें, बहुत अच्छे भवन बना दें, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफेसर और प्रिंसीपल्स बैठा दें लेकिन ह्यूमन रॉ मैटेरियल कहां से आएगा? जब हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, आज तो यह आ गया कि चार साल का बच्चा भी चला जाता है प्ले स्कूल में। अगर हम स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं तो हम यह विचार कर रहे हैं कि भगवान के घर से अगर वे गॉड गिफ्ट लकर आए हैं तो उसको हम तराश कर नेशनल या इन्टरनेशनल लेवल पर भेज देंगे।

आप पूरा बिल लेकर आए हैं इसलिए मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी कहां व्यवस्था की गई है कि किस उम्र के बाद आप बच्चे को किस फील्ड के लिए तराशेंगे ? अपोर्च्यूनिटी कहां है? चार साल का बच्चा प्ले स्कूल में चला जाता है, वहां जैसे-जैसे उसकी काबिलियत होती है वह आठवीं, दसवीं तक आते-आते अपनी-अपनी फैकल्टी और अपनी-अपनी लाइन में पारंगतता हासिल करता है। Where are you going to recruit these children from?

ह्यूमन रॉ मैटेरियल जो इसका ध्येय है, किसको देंगे आप? मैडल्स किसको दिलवाएंगे आप ? वह ह्यूमन रॉ मैटेरियल कहां रिक्रूट होगा ? वह इन एसोसिएशनों के माध्यम से होगा, इन पर रेगुलेशन के सारे-सारे आपने चैक्स और बैलेंसेज लगा दिए हैं। आप यह मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सैट अप में हम इस तरीके से आज की सबसे अच्छी व्यवस्था है, निष्पक्ष व्यवस्था है और यह डेमोक्रेटिक व्यवस्था आपने कर दी, कानून की किताब बना दी लेकिन कानून की किताब बनाने से स्पोर्ट्समैन तो नहीं पैदा हो जाएगा। वह स्पोर्ट्समैन को तो आप 10 साल की उम्र में जब उठाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करना चाहता हूं कि किसी भी प्रोफेशन के अन्दर सबसे शोर्टेस्ट प्रोडेक्टिव स्पेन है तो वह स्पोर्ट्समैन का है। 18-19 साल के आसपास आकर वह इस लायक बन जाता है कि नेशनल, इन्टरनेशनल के अन्दर अपनी काबिलियत रखता है कि नहीं और 30 साल की उम्र आते-आते वह अपने चरम पर आकर रिटायरमेंट की जो एज है उस पर आ जाता है। काम्पीटिटिवनैस जो आज की तारीख में इन्टरनेशनल पर यह है। अब अगर 10 साल की उम्र में आप बच्चे को ले रहे हैं तो आखिर उस बच्चे को आप क्या भविष्य दे रहे हो? सोर्स आफ लाइवलीहुड, 10 साल की उम्र में अगर वह एक परटीकूलर फील्ड और एक्टिविटी में आ जाता है, उसके बाद में वह आगे क्या करें? वह इन्टरनेशनल लेवल पर आता है, हरेक आदमी तो इन्टरनेशनल लेवल पर जा नहीं सकता है, यदि इन्टरनेशनल लेवल पर चला भी जाए तो भी रिटायरमेंट की एज पर आता है तब उसके पास, सस्टेनिंग लाइवलीहुड का उसके लिए क्या प्रोविजन है? How he is going to survive through out his life for the next many years because उसको आपने पिक अप कर लिया एक एज पर, उसके बाद उसके पास और कोई जीवनयापन का चारा नहीं रहता है। वह मैडल ले आएगा, कुछ दिन तक वाह-वाही हो जाएगी, हिस्ट्री में उसका नाम हो जाएगा, अर्जुन अवार्डी हो जाएगा तब यहां आपका खेल रत्न बन जाएगा लेकिन आखिर उसका होगा क्या ? अगर इसके पीछे स्प्रिट है तो शायद यह भी है कि आखिर एक स्पोर्ट्समैन क्यों आएगा? वह क्यों खिलाड़ी के रूप में आएगा, क्यों खिलाड़ी के रूप में उस प्रोफेशन को अख्तियार करेगा? जबकि उसे मालूम है कि जब मैं रिटायर होउंगा तो मेरा लाइवलीहुड कैसे सस्टेन होगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। अपने यहां के दो आर्चर्स रहे हैं, यह तो कानून आप अब ला रहे हैं, कौनसी स्पोर्ट्स कौंसिल थी, कौनसी क्या थी, दो व्यक्ति रहे हैं, लिम्बाराम और श्यामलाल। लिम्बाराम का यह रहा कि 1988, 82, 96 के ओलम्पिक चाहे सियोल में हो, चाहे बार्सिलोना में हो, चाहे अटलांटा में हो, उसने देश का प्रतिनिधित्व किया। एशियन गैम्स में 1990 में बीजिंग में, 1994 में जापान में और 1998 मे कोरिया में प्रतिनिधित्व किया। अर्जुन अवार्डी वह है। आज क्या कर रहा है? आज किसी पंजाब नैशनल बैंक में 6 हजार रुपए की नौकरी कर वह आदमी अपना जीवनयापन कर रहा है। मैं यह कहता हूं कि अगर आर्मी में मोर्टियर्स

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

न हो तो आर्मी का करेक्टर नहीं बदल सकता, अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में लीजेण्ड न हो तो आपको प्रेरणा नहीं मिल सकती। आप कल क्या करेंगे, आने वाले कल में बच्चा जिसको कि हम स्पोर्ट्समैन बनाएंगे, उसको आप प्रोग्रेसिव रिकार्ड देंगे, बहुत अच्छी बात है, जिस वक्त आएगा तब उसका क्या अंजाम होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होगा। आज ही जिसने पहले ही सारी बाधाओं को पार करते हुए आपके प्रदेश का नाम रोशन किया, साहब, यह तो फिर भी लिम्बाराम है जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहा है और 6 हजार रुपए कमा रहा है, इनके साथ में एक श्यामलाल और हुआ करते थे..

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, लिम्बाराम और श्यामलाल को दो टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है, यह हालत हो रही है जबकि देश का प्रतिनिधित्व किया है। यहां पर जिक्र हो रहा है इसलिए मैं यहां पर यह बात कह रहा हूं। बांसवाड़ा अंचल से निकले हुए दोनों प्रतिभाशालियों को आज दो टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है, यह हालत सरकार ने बनाई है।

श्री अध्यक्ष : वही तो वह कह रहे हैं, उसी बात पर ख्वाहमख्वाह में आप खड़े हो गए, बीच में, कह रहे हैं न वह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय, श्यामलालजी ने भी 1988 और 1992 के ओलम्पिक्स में इस देश का प्रतिनिधित्व किया। लिम्बारामजी तो फिर भी खुशनसीब हैं बैंक में नौकरी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से श्यामलालजी की तो यह हालत है कि पत्थर की क्वेरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सिर्फ यह आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कानून बना दीजिए, आप बिल लाइए, व्यवस्था कर दीजिए लेकिन इन्सपिरेशन कहां से लाएंगे ? ह्यूमन एलीमेंट्स को जब तक इन्सपिरेशन नहीं मिलेगी लिविंग लीजेण्ड्स से तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसको आप कितना ही कानूनी जामा पहना दीजिए वह क्यों स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आकर अपना पूरा जीवन बरबाद करेगा? बात यह है कि हमने यहां यह प्रोवाइड की हैं पूरी की पूरी व्यवस्था उसके अन्दर कि ऐसे बच्चे जिनको आपको 7-8 साल की उम्र में ट्रेण्ड करना पड़ेगा अगर आप इण्टरनेशनल लेवल पर भेजना चाहते हो तो, जिम्नास्टिक्स में तो आपको उनको 9 वर्ष में ले आना पड़ेगा तब उनकी बॉडी इतनी लचीली होगी कि वह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इन्टरनेशनल स्टेण्डर्डस को अचीव कर सके, अगर आपको एकल में खिलाना है तो।

मैं तो एक बात अर्ज करता हूं कि हो सकता है ओलम्पिक्स की श्रेणी में न आते हों, माउण्टनेरिंग अपने आप में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है आपके राजस्थान का लड़का सौरभ शेखावत, दो बार एवरेस्ट को क्लाइम्ब कर चुका है और तीसरी बार करने जा रहा है। हिन्दुस्तान की सरकार ने उसको शौर्य चक्र दिए है। आखिर यह लीजेण्ड्स हैं, इसमें किसी एसोसिएशन का हाथ नहीं है, चाहे वह किसी के आधिपत्य की एसोसिएशन हो, चाहे किसी की व्यक्तिगत हो, चाहे डेमोक्रेटिक सैट अप की हो, यह सब अपने-अपने या जहां-जहां वे थे, मिलिटरी में थे तो वहां माउण्टेनेरिंग में पहुंच गए, राठौड़ साहब आर्मी में थे तो आर्मी के माध्यम से वहां पहुंच गए। लिम्बाराम और श्यामलाल के पास आर्मी नहीं थी, उनके पास कोई एसोसिएशन नहीं थी। आए, जितना उनसे बन पड़ा और भगवान की दी हुई कोई चीज थी, गए, उन्होंने वह कीर्तिमान स्थापित किया और जब रिटायर हो गए तो वह आज 11 लाख किसी को देते हैं, एक करोड़ आने वाले को देंगे लेकिन जो कर गए और सारी बाधाओं को पार करके कर दिया, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्दर भी आपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया, उसकी व्यवस्था कहां है? यह जब रिटायर हो जाएंगे तब उसके बाद क्या व्यवस्था होगी? आज उस बात की आवश्यकता है, इस बिल के अन्दर, इस एसोसिएशन को आप बाध्य तो कर देंगे कि इलेक्शन कराइए, आडिट रिपोर्ट लेकर आइए लेकिन इसको आप बाध्य कर सकते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल पर मैडल लेकर आता है, इन्टरनेशनल लेवल पर मैडल लेकर आता है, स्टेट लेवल पर मैडल लेकर आता है तो उसके बाद रिटायर जब वह हो जाए तो उसकी व्यवस्था, उसके जीवन यापन की भरपाई भी एसोसिएशन ही करेगी। यह भी उसके अन्दर क्वालीफिकेशन की मर्यादा होनी चाहिए।

ये बच्चे पांच-पांच साल के लिए आपके पास आते हैं, आप रणजी ट्राफी का रिकार्ड उठा कर देख लीजिए। हर साल रणजी ट्राफी की टीम बदल जाती है। रणजी ट्राफी की टीम बदल जाए इसका मतलब कोई भी प्लेयर ही नहीं है जो कंसीस्टेंट हो और पूरा जीवन झोंकता है, कई वर्ष इसमें लगता है, पूरा समय देता है तब जाकर रणजी पर आता है। इसका मतलब कि वह सीरियस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं था जिसका पूरा जीवन यापन जिसने अपने पूरे कैरियर को जिस पर डिपेण्ड कर लिया, टीम बदल जाती है, इसलिए बदल जाती है कि आखिर सिक्योरिटी नहीं है उनको। मैन चीज इसके अन्दर यह है इस बिल में, where are you providing security to sportsmen who want to dedicate their entirelife for this nation? Yes, you will martyrs, you will have exceptional cases. There will be Rana Pratap here, there will be Rajendra Singh Rathore here, there will be Jhajharia here but what is the inspiration to convert them into martyrs?

इस इतिहास में शहीद हुए हैं, लेकिन शहीदों का ही लिखना है, अगर लीविंग लीजेण्ड्स नहीं होते तो इन्सपिरेशन कहीं से नहीं मिलती। मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि सरकार की इस बिल के पीछे स्प्रिट यह होनी चाहिए।... हम उन बच्चों को जिस वक्त लेकर आएं, जिस उम्र से तराशने की आवश्यकता है, क्योंकि नेशनल कैडर हमको बनाना है, हमको वोल्युम नहीं बनाना, क्वालिटी का वोल्यूम बनाना है तो हमको कम से कम वहां प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और नेता, प्रतिपक्ष व माननीय राव साहब ने जो बात कहीं उसमें मैं यह कहूंगा कि इनकी जो चिन्ताएं हैं और वो चिन्ता यह है कि खिलाड़ी जो खेलता है, खेलता है तब तक तो उसको पूछते हैं खेलने के बाद उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। रिटायरमेन्ट की लाइफ के बाद में या बुढापे में उसका भी कुछ न कुछ इस तरह का प्रोविजन करना चाहिए सरकारों को कि उनकी दिनचर्या चल सके, खाना, पीना, रहना आदि चल सके। आपने हमारे दो खिलाड़ियों के नाम गिनाये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा श्यामलाल और लिम्बाराम दोनों हमारे राजस्थान का गौरव हैं और हमने श्री श्यामलालजी को राजस्थान सरकार ने नौकरी देने का प्रस्ताव रखा है और अभी हमारे यहां सेवानियम कोई इस तरीके के बने हुए नहीं हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज तक खेल विभाग में इस तरीके के सेवानियम नहीं बने हुए थे जिसके तहत उनको हम नौकरी दे सकें। हमारे सेवा नियम अंतिम चरण में हैं और उनका परीक्षण हो रहा है। वो आने के बाद हमने उनको प्रस्ताव रखा है। अभी दोनों को हमने 4-

(श्री युनूस खान)

4 हजार रुपये प्रतिमाह के कांट्रेक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चूंकि लिम्बारामजी ने कहा कि मैं उस पद पर आना चाहता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ कम है मैं वो प्राप्त कर लूं उसके बाद में आउंगा। हमने श्यामलालजी को आफर दिया है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रतिभाओं को राजस्थान सरकार नौकरियों में भी और हमारे यहां भी जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है उसमें यह प्रस्तावित है कि खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत का आरक्षण राजस्थान की सरकार द्वारा रखा जाए खेलों में जो राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं।

कल्ला साहब ने जो बात कही कि खेल के अन्दर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम न तो किसी खिलाड़ी को जेल में भेजना चाहते हैं, न किसी खेल संघ पदाधिकारी को जेल में भेजना चाहते हैं। हम तो सिर्फ यदि कोई राजस्थान का नाम इस अधिनियम या इस विधेयक के बाहर जाकर कोई इस्तेमाल करेगा और राजस्थान का नाम लेगा, बिना रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 में रजिस्ट्रार के यहां बिना रजिस्ट्रेशन के कोई इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति को जेल की सजा का प्रावधान है जो कि राजस्थान के नाम का दुरूपयोग नहीं कर सके। राजस्थान का नाम वो ही ले सकता है जो इन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि यह एक पायनीयर है। जो हम विधेयक लेकर आये हैं यह हिन्दुस्तान के खेल के लिए है। मैं खाली राजस्थान की बात नहीं करता, हिन्दुस्तान के खेल के लिए पायनीयर है, लोगों में जागृति आई है कि इसमे काम हो और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी यह शुरूआत है इस तरीके की। जिस तरीके से एक कच्ची सड़क बनती है फिर उस पर पक्की बनती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं तो वह टू लेन होती है, फिर फोर लेन होती है। जब अलग-अलग लाइन बन जाती है तो उनकी अलग-अलग स्पीड भी बन जाती है और उस पर लिखा हुआ होता है प्रति घण्टा 60 किलोमीटर। उस पर यदि कोई 80 किलोमीटर चलता है तो उसका चालान होता है। जो 60 और 60 से नीचे चलता है उसका कोई चालान नहीं होता जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको जेल का प्रावधान है। कानून के दायरे में चलेगा उसको जेल भेजने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा आपने डी.ए. की बात उठायी। इस सरकार ने

(श्री युनूस खान)

आने के बाद पुराना जिला टी.ए. और डी.ए. था सभी का भुगतान कर दिया। लेकिन इस अध्यादेश के आने के बाद जो खेल संघ इस अध्यादेश के नियम के अनुसार जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया मात्र उनका हाथ हमने रोका है और उसी के तहत साइक्लिंग के तहत हमारे कुछ बच्चे जो गोल्ड मैडल लिये हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य बच्चों ने गोल्ड मैडल, सिल्वर और ब्रान्ज मैडल लिए हैं उनका टी.ए., डी.ए. उन खेल संघों के माध्यम से आये थे जो कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं थे इसलिए वो रोके हुए हैं बाकी हमने 47 लाख टी.ए., डी.ए. का भुगतान जो पंजीकृत हो गये थे। उनका भुगतान उनको कर दिया है। उन खिलाड़ियों को भी हम देंगे। मैं माननीय कल्ला साहब को भी बताना चाहूंगा, मैं स्वयं बीकानेर गया था उन बच्चों को मैंने खुद जाकर प्राइवेट स्कूल में जाकर किया। हम इस विधान सभा सत्र के बाद राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला है उन सबको बुलाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथों उन सबको पारितोषण और उनका सम्मान करने का हमारा यहां पर प्रपोजल है और इस सत्र और उस सत्र के बीच में हम इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे, किसी का भी टी.ए. और डी.ए. रोकने का सवाल नहीं है।

बार-बार यह बात आती है किसी व्यक्ति विशेष को यहां पर मोदी का नाम आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस आर्डिनेंस के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को चुनाव अधिकारी के रूप में बनाया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि कल जो चुनाव हुए उसमें पूरा लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया जिसके साथ बहुमत था वो बन गया, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जहां तक क्रिकेट संघ की बात है तो मैं यह कहूंगा कि यह सब विषय उठाया गया, आपने बातें कहीं, राजस्थान सरकार खाली यहां तक रुकने वाली नहीं है। हमारे पास जो 40 खेल संघ थे उसमें से 36 ने अप्लाई कर दिया, उसके अलावा भी चार और अप्लाई करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो हमारी 40 की सूची है जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं उनके अलावा भी दूसरे 3 खेल संघों ने नये तौर पर अप्लाई किया है और राजस्थान सरकार, वर्तमान में जिला स्तर पर भी पारम्परिक खेलों का कार्यक्रम हो रहा है, 21 से 30 मार्च

(श्री युनूस खान)

तक राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है उसमें भी हम राजस्थान के पारम्परिक खेलों को जैसे खो-खो, सितोलिया, रूमालझपट्टा है इस तरीके से खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी की रेटिंग गिरी हैं, मैं यह कह सकता हूं जो 16 और 17 तारीख की मीटिंग में मैं गया वहां पर सभी ने राजस्थान के इस अध्यादेश को एप्रिशिएट किया और लोगों ने कहा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री ने इस तरीके का कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और हम उसको एप्रिसिएट करते हैं और माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य को भी कहना चाहूंगा आप अपने स्तर पर करवा लें इससे हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की रेटिंग बढ़ी है कहीं भी नहीं घटी है और हम किसी भी पूरे तरीके से स्वायत्ता पर हमला नहीं कर रहे हैं, सभी स्वायत्त तरीके से काम कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक प्रश्न। बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सब बात हो गई, सारी बात आपने रख दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट है, आप खुद, सुनेंगे तो मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब क्या इम्पार्टेन्ट बात कह रहे हैं आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट सुन तो लें, आप कृपा करके सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मैं खेल मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यदि ओलम्पिक संघ राजस्थान के खिलाड़ियों पर, आप यह एक्ट पास कर देंगे, प्रतिबंध लगा देगा तो आप क्या करेंगे।

श्री युनूस खान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि भारत के संविधान ने राज्य को विधेयक बनाने का अधिकार दिया है। मैंने संविधान की अनुसूची 7 की संख्या 2 में क्रम संख्या 32 पर राजस्थान को विधेयक बनाने का अधिकार है और राजस्थान सरकार किसी भी तरीके से इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से बाध्य नहीं है। उनका अलग से चार्टर है और राजस्थान सरकार भारत के संविधान के अनुसार चलती है, उनका चार्टर

(श्री युनूस खान)

अलग है और उनका चार्टर हमें कतई बाध्य नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को संशोधित रूप से पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 संशोधित रूप से पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नहीं रखना।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

डा. सी.पी. जोशी : आप सुनें जब ना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 85(2) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो कर दिया था ना इन्होंने।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 में राज्यपाल की स्वीकृति नहीं

डा. सी.पी. जोशी : यहां कर दिया ? आप सुनिये। अध्यक्ष महोदय यह सर्कुलेट हुआ 22 तारीख को। आज सर्कुलेट हुआ। जो बिल रख रहे हैं इसमें आप पढ़िए-

"85(2) Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

Number one. Then I want to draw your attention to rule 61. Rule 61 says

"(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial

(डा. सी. पी. जोशी)

memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also given an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

यह जो हमें बिल दिया गया है उसमें जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वह दिया गया है 123.72 लाख। यह जो अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट के बाद में यह जो सिस्टम है वह बदल जाएगा इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फाइनेंशियल बिल जिस पर गवर्नर के साइन होने जरूरी हैं, इस अमेंडमेंट के बाद जो यह फीगर दिया गया है यह खर्चा 123.72 लाख रुपये का होगा, उसके यह पैसा बहुत बढ़ जाएगा इसलिए इस फाइनेंस बिल में जो यह अमेंडमेट किया गया है उससे यह रेपोक्रेशन हो रहा है, उस रेपोक्रेशन का रूल 61 से गर्वनर के साइन किए बगैर न तो आज आप इसको डिस्कस, न एक्जेक्ट फीगर लाये बगैर डिस्कस कर सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, इस बिल को डेफर किया जाए। कल एक्जेक्ट एक्सपेंडीचर लाकर यह जो 16 नवम्बर का अमेंडमेंट कर रहे हैं आप उस 16 नवम्बर के एक्सीपेंडीचर के बाद आपका एक्चुअल एक्सपेंडीचर रूल 61 को आप पढ़ लीजिए, रूल 61 में यह क्लियर लिखा हुआ है।

"...memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also given an estimate..." Shall, shall. "...shall also given an estimate of the recurring and non-recurring expenditure.." यह जो फीगर दिया है 123.72 यह उस क्लाज में एक एट वन प्रजेंस से दिया गया है, यह अमेंडमेंट किया, वह 16 नवम्बर से दिया गया है तो 16 नवम्बर के कारण से कांसीक्वेंशल सारे जो फाइनेंशियल फीगर हैं वह बदलेंगे। जब फाइनेंशियल फीगर बदलेंगे तो 61 रूल के अन्तर्गत आपको एक्जेक्ट फीगर लाकर अमेंडेड आपको यहां पर लाने की आवश्यकता है इसलिए मेरा निवेदन इसलिए है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस स्पिरिट से हमने यह बात कही उस स्पिरिट का यहां वायलेशन हो रहा है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप नियम और कानून के अन्तर्गत यदि यह बिल नहीं है तो आप सरकार को कल लाने के लिए जो नियम कानून कह रहे हैं, उसके सम्बन्ध में आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी, सदन को जानकारी देना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय की कंसेंट आ चुकी है, आप चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, जो कंसेंट आई है, वह बिल की अमेंडेड जो बिल दिया है, वह अमेंडेड आज दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमेंडेड के बाद आया है, कल ही कंसेंट ली हमने, कल ही कंसेंट ली है।

श्री अध्यक्ष : अमेंडेड के बाद आई है, आप सुनिएं तो सही, मैं पढ़कर सुनाऊं आपको।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी सुन ली मैंने, आप यह जो अमेंडेड है वह तो आज मूव किया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो कागज सर्कूलेट किया है, अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 2005 को हुआ है। यह तो आपके हाउस के रिकार्ड में है। रूल 85 कहता है कि आप आज के आज नहीं कर सकते It is very clear.

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले ही अमेंडमेंट करके कंसेंट ले ली और हाउस में आज ले आये तो इसमें क्या फर्क पड़ गया।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, आप यह जो सर्कूलेट हुआ है, क्या हुआ, विद्वान हैं आप पढ़िए आप, रूल 85 को पढ़िए।

डा. एन.एस. गुर्जर : कई बार हाउस के अन्दर एट द मोमेंट...

डा. सी.पी. जोशी : अब आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे दीजिए नहीं करना है तो।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा नहीं है, बिल आ गया, कंसेंट आ गई गवर्नर की।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यहां कंसेंट की बात ही नहीं है। Rule 85 (2) says very clearly. संशोधन अध्यक्ष महोदय, आपका संशोधन लिखा हुआ है, यह 22 फरवरी का आपका यह लिखा हुआ है। Rule 85(2) says it.

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी सुनिए। मिनिस्टर कंसर्न ने लिखकर भेजा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं पूरा विदड्रा ही कर देते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, फैसला आप लेकर करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : In The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2005 (Bill No. 1 of 2005) for the existing sub-clause (2) of clause 1, the following be substituted, namely,-

"It shall be deemed to have come into force on and from 16th November, 2004."

आगे सुनिए तो, अब आप यों क्या दिखा रहे हो मुझे, बात पूरी सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थोड़ी तसल्ली भी रखा करो, इतना क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : गवर्नर साहब की ओर से आया है कि मैं प्रतिभा पाटिल, राजस्थान राज्य की राज्यपाल राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभों और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 में प्रस्तावित संशोधन की सूचना की विषय वस्तु से अवगत होने के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3 के अधीन सिफारिश करती हूं कि इस संशोधन की सूचना को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिया जाए। क्या बाकी रह गया अब?

डा. सी.पी. जोशी : अब बाकी रह गया रूल 61 पढ़ लीजिए। This is the permission of the Governor. आप 61 पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ लीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : 61 क्लियर कहता है कि आपको फीगर देना पड़ेगा। गवर्नर साहब ने किया है उसके लिए धन्यवाद पर गवर्नर महोदय को फीगर देना पड़ेगा। (व्यवधान) आप सुनिए, (व्यवधान) यह बिल दिया है जिसमें आपने फीगर लिखा है 123.72 लाख रुपये यह अमेंडमेंट आज दिया है, अध्यक्ष महोदय, और रूल 61 यह कहता है, पढ़ लीजिए, 61 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो व्यवस्थाएं हैं।

डा. सी.पी. जोशी : काहे की व्यवस्था है? यह तो फिर आप हाउस ही मत चलाइये, व्यवस्था ऐसे ही कर दो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : फीगर से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय ज्ञापन जो दिया है उसमें 123.72 लाख रुपये की वार्षिक आवर्ति... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह अनुकूल है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नर की परमिशन के पहले का फीग़र है। आप जो कोट कर रहे हैं, गवर्नर ने अमेंडेड परमिशन उसके बाद 16 नवम्बर के बाद यह फीगर नहीं रहता है, आपका फीगर बढ़ जाएगा, आप दो बातें कैसे एक साथ कह रहे हो?

श्री विजय बंसल : कोई एकाध विषय तो चुप रह के पास कर दो।

डा. सी.पी. जोशी : काहे का पास कर दो लेकिन मानना ही नहीं चाहते उसको क्या पास कर दो। (व्यवधान) जिसमें स्पिरिट मानने की नहीं है उसको पास करना क्या मजबूरी है? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच आफ ट्रस्ट है, ब्रीच आफ फेथ है, यदि यही करना है तो फिर हम नियम और कानून की बात करेंगे। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यदि आपको फेथ नहीं रखना है, बात खतम करनी है तो नियम और कानून के अन्तर्गत लाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं टोटल बिल को विदड्रा कर रहा हूं, विराजो तो सही आप।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय से पूछो, अध्यक्ष महोदय जवाब देंगे तो बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एनुअल है, वित्तीय ज्ञापन में जिस राशि का उल्लेख किया गया है वह वार्षिक है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये बोलने ही नहीं दें, क्या बात हुई यह?

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री को सुन लें, मैंने आपको बता दिया, आसन ने व्यवस्था दे दी।

डा. सी.पी. जोशी : कोई बात नहीं, सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्री को सुन लीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : मैं सुन लूंगा मंत्री को, आप मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इसलिए है कल भी आपने रूलिंग दी की पहले क्यों नहीं उठाया, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, को जब भी कोई बात उठाता है उस समय रूलिंग देने की आवश्यकता है। आप यह सुन लें, मैं तो खाली यह बताना चाहता हूं कि जो यह हमें बिल दिया गया है, सर्कूलेट किया गया है उस बिल के पहले गर्वनर को असेंट थी 123.72 लाख की, यह जो अमेंडमेंट मूव आज किया है जिसमें डेट थी 16 नवम्बर की। इस क्लाज में अमेंडमेंट के बाद कारेस्पोंडिंग सारे फीगर हैं वह फीगर बदलेंगे। गवर्नर साहब ने परमिशन दी, मंत्रीजी ने दिया उसके लिए धन्यवाद लेकिन हमको वह फीगर बताइये। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह एनुअल है।

डा. सी.पी. जोशी : कि हम बिल प्रस्तुत कर रहे हैं यह फाइनेंशियल बिल बिना एक्जेक्ट फीगर के, रूल 61 में एक्जेक्ट फीगर आपको बतानी पड़ेगी, आप सुन लीजिए, बाद में बोल सकते हैं आप। (व्यवधान) यह वर्ड लिखा हुआ है सेल 61, सेल का मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो कारेस्पोंडिंग फीगर है उस फीगर को भी सामने लाने की आवश्यकता है इसलिए आप जो फैसला कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : फीगर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

डा. सी.पी. जोशी : कम से कम यह तो फैसला करें कि आप इस अमेंडमेंट के बाद एक्जेक्ट फीगर क्या है? (व्यवधान) यह तो बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : मेरा अमेंडमेंट क्या सर्कूलेट किया ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं विदड्रा ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा सी.पी. जोशी : कोई भी फाइनेंशियल बिल, अध्यक्ष महोदय, वह रूल 61 में (व्यवधान) आप बाद में बोल सकते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह वार्षिक है।

डा. सी.पी. जोशी : आप बाद में बोल सकते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : कितनी देर बोलोगे ?

डा. सी.पी. जोशी : जितनी देर में परमिशन देंगे उतनी देर तक (व्यवधान) फिर मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : वार्षिक लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य एक्सप्रेस गाड़ी चला देते हैं उसके बाद यह समझते हैं कि सदन के अन्दर इनसे ज्यादा कोई ज्ञानी आदमी नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : आप हैं ज्ञानी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह इनका विशेषाधिकार है।

डा. सी.पी. जोशी : आप ज्ञानी हो, संसदीय मंत्रीजी, ब्रीच आफ फेथ नहीं चलेगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे पांच मिनट बोलने का अवसर तो दें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कितनी बार रिपीट करेंगे एक ही एक चीज को ?

डा. सी.पी. जोशी : 50 बार, आपका राज है, जाइये आप करिये पर कानून और नियम के बिना करने का अधिकार नहीं हैं। (व्यवधान) आप फीगर बताइये कि गवर्नर साहब ने परमिशन के बाद यह जो अमेंडमेंट किया उसका एक्जेक्ट फीगर क्या है।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह बात आप वैसे भी कह चुके हो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ये दो बातें कैसे होंगी ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह 22 तारीख का है।

डा सी.पी. जोशी : 22 तारीख का यह बिल है पर जो डिस्कस कर रहे हैं यह 22 का नहीं है। यह फिर आप बातें कर रहे हो, यह जो बिल दिया है 22 तारीख का नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह वार्षिक है।

डा. सी.पी. जोशी : आप संशोधित यहां लाकर दीजिए बिल। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वार्षिक है, इस साल का। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : संशोधित बिल लाइये, 22 तारीख के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको पेश करना है संशोधित बिल लाकर, 22 तारीख के बिल का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके और गवर्नर साहब के बीच में कोरस्पोंडिंग हुई उससे कोई मतलब नहीं है, हाउस में जो बिल डिस्कस हो रहा है उस बिल में जो हमें प्रिंटेड करके दिया है उसमें यह फीगर सही नहीं है, आपको फीगर सही करना पड़ेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि 123.72 लाख रुपये की वार्षिक आवर्ति अनुमानित है। यह साफ है, अनुमानित है वार्षिक (व्यवधान) उसका खर्चा अनुमानित है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पास करते हैं उसके बाद में सप्लीमेंटरी आती रहती है । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सप्लीमेंटरी लेते हैं और उसके अन्दर रिवाइज एस्टीमेट आता है । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक्जेक्ट फीगर होती है । (व्यवधान) यह कोई नई बात नहीं है । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बजट पास करते हो मार्च तक का, एनुअल बजट पास नहीं करते हो। यह गलत काम करवा रहे हो आप। आप बजट पास करोगे मार्च तक का, आप मार्च से ज्यादा का बजट कैसे रखेंगे? यह एनुअल बात कैसे कर रहे हो अध्यक्ष महोदय। यह हाउस यह बजट मार्च तक का पास करता है और यह खर्चा नवम्बर से होगा। आप कह रहे हो एनुअल कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी बातें कर रहो आप ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह एक साल का आयेगा । टोटल एक साल का अनुमानित है, यह दिया है इसमें। वितीय ज्ञापन में अनुमान दिया है एक साल का । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : साल भर का बजट पास नहीं होता है मार्च तक का होता है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक साल का अनुमानित दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : विद्वान आदमी इससे लॉ मिनिस्टर नहीं बनोगे। मार्च तक का बजट पास होता है, मार्च तक का अमाउंट बताना पड़ेगा। एनुअल बजट बता रहे हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक सैकण्ड बैठिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक साल का अनुमानित दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : श्रीमान् ऐसी गलत बात करने से मंत्री नहीं बनोगे। यह कानून की बात है, कल वहां बैठोगे और फैसला करना पड़ेगा वहां पर । ऐसे नहीं होगा फैसला । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं कानून आपके जितना तो नहीं जानता। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूं लेकिन आपके जितना नहीं जानता । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ... यह काफी है, इससे ज्यादा मत जानना।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने फिलोसोफी पढ़ी है, मैंने लॉ पढ़ा है इतना ही अन्तर है आपमें और मेरे में ।(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नियम है, कानून में है, आप चैलेंज कर रहे हो इसको । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : .... अपने खुद के लिए गलत काम मत करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि वर्ष 1999 के बाद माननीय सदस्यों के वेतन भत्ते ..

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पहले आप पाइंट ऑफ आर्डर का फैसला करेंगे या डिबेट करवायेंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मैं बता रहा हूं पहले ।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं । (व्यवधान) ये तो जवाब दे रहे हैं। पाइंट ऑफ आर्डर का जवाब दिलवायेंगे क्या ? क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले बात सुनिये। मंत्रीजी, आप एक सैकण्ड बिराजें।

डा. सी.पी. जोशी : वो अलाऊ करें न।

डा. एन. एस. गुर्जर : अलाऊ कर रहे हैं। डिबेट नहीं, पाइंट आफ आर्डर पर कोई भी सदस्य बोल सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : डिबेट कर रहे हैं । (व्यवधान) यह 1999 कहां से आ गया पाइंट ऑफ आर्डर पर ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने उठाया उस पर ये भी भाग ले रहे हैं, बता रहे हैं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पाइंट ऑफ आर्डर पर नहीं बोल रहे हैं । (व्यवधान) नहीं बोल रहे हैं पाइंट आफ आर्डर पर। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : विथ द परमीशन ऑफ स्पीकर ही इज स्पीकिंग ।

डा. सी.पी. जोशी : बुलवाइये उनको पाइंट ऑफ आर्डर पर। (व्यवधान).

डा. एन.एस. गुर्जर : उसी पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया, मैंने उस पर व्यवस्था आपको बता दी। मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय की अनुमति ली जा चुकी है और यह मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह मैंने उठाया ही नहीं राज्यपाल की अनुमति का। अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल की अनुमति का प्रश्न नहीं उठाया, आप उस पर कह रहे हैं। मैंने राज्यपाल की अनुमति के सम्बन्ध में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाया है। आप पाइंट ऑफ आर्डर का क्या जवाब दे रहे हो ? मैंने

(श्री सी.पी. जोशी)

राज्यपाल की अनुमति के सम्बन्ध में नहीं उठाया है। आप राज्यपाल की अनुमति की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने उठाया है प्रश्न । (व्यवधान) आपने यह प्रश्न उठाया था, आपने उठाया था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : नहीं उठाया था राज्यपाल की अनुमति का मैंने। मैंने वित्तीय ज्ञापन का उठाया है, आप राज्यपाल की कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको खुद को ही पता नहीं है कि क्या कहा है । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अब जो फंस गये तो मुकर रहे हैं। रिकार्ड देख लीजिये । राज्यपाल की अनुमति का उठाया है या नहीं ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : काहे को फंस रहे हैं। यह वित्तीय ज्ञापन का है, राज्यपाल की परमिशन वाला नहीं है। (व्यवधान) वित्तीय ज्ञापन की बात कहिये, वित्तीय ज्ञापन की बात बतायें । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : राज्यपाल की अनुमति का उठाया है आपने। यह रिकार्ड पर है। (व्यवधान) अब जब फंस गये हैं तो बोल रहे हैं, मुकर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : राज्यपाल के भाषण, पहले वित्तीय बात बताइये आप। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अब आप फंस गये तो मुकर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : काहे को फंस गये । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : फंस गये न। आपने कहा राज्यपाल की अनुमति ही नहीं है, रिकार्ड में है कि राज्यपाल की अनुमति का आपने उठाया है। अब यहां फंस गये तो मुकर रहे हैं । (व्यवधान) ?

डा. सी.पी. जोशी : .... मैं कहीं नहीं फंसा। मैं बता रहा हूं राज्यपाल के इस सैंक्शन के बाद वित्तीय स्वीकृति कितनी है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अमेंडमेंट एक दिन पहले सर्कुलेट होना चाहिए, वह तो रूल्स में हीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आप पहले वरिष्ठ सदस्य को कहें कि 85 क्यों नहीं आता। जब हम उठायें तो नहीं आता, आपको पास करना है, पास कर दीजिये। सदन की मर्यादा तोड़कर सब पास करो, पास कर दीजिये, क्या तकलीफ है लेकिन यह नियम और कानून तो अब नहीं चलेंगे। यह बीजेपी की पार्टी की मीटिंग तो है नहीं। आपने 10 बजे मीटिंग कर ली, 10 बजे हो गई मीटिंग आपकी । आप फैसला करके आ गये। यह पार्टी की मीटिंग थोड़े ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन को आपको यह बताना पड़ेगा कि गवर्नर की इस सैंक्शन के बाद कितनी लाइबिलिटी बनी है, यह इश्यू है और इश्यू ही नहीं है, आपको यह बिल डिस्कस करने के लिए दिया है उस समय तक गवर्नर की डिस्कशन का पार्ट नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बैठो तो सही।

डा. सी.पी. जोशी : अब जब आपने अमेंडमेंट करके दिया, गवर्नर ने परमीशन दी तब एक्जैक्ट फीगर क्या है वो मांग रहे हैं हम। बाकी इश्यू ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिराजो तो सही, बताता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सदन में व्यवस्था देने के सम्बन्ध में मैंने राज्यपाल की सैंक्शन के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो अमेंडमेंट मूव किया जिस पर राज्यपाल की परमीशन मिली रूल 61 के तहत, उसके बाद राशि कितनी बनती है। राशि बननी चाहिए मार्च तक, एनुअल राशि नहीं दी जाती है। असेम्बली बजट पास करती है मार्च तक का तो मार्च तक आपके इस अमेंडमेंट के बाद जो माननीय मंत्रीजी ने किया गवर्नर ने साइन किया, हम जो यह बिल डिस्कस कर रहे हैं, इस बिल में जो फीगर है, फीगर सही नहीं है इसलिए रूल 61 यह कहता है कि आपको एक्जैक्ट फीगर बताना चाहिए। यह हमारा इश्यू है। (व्यवधान) आप व्यवस्था क्या दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो अभी मैंने विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव ही पेश नहीं किया है उससे पहले ही माननीय सदस्यों ने इस पर आपति उठाई है । (व्यवधान) आपत्ति इसके वितीय ज्ञापन को लेकर के उठाई है। अगर वितीय ज्ञापन का पूरा मुलाहिजा फरमा लें आप तो इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर जो 123.72 लाख की वार्षिक आवर्ति वृद्धि अनुमानित है, यह एनुअल है।

श्री अध्यक्ष : वार्षिक आवर्ति वृद्धि अनुमानित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अन्दर अगर 15 नवम्बर से, 16 नवम्बर से लागू कर देंगे तो भी राशि वो ही रहेगी साल की। इसमें हमने पहले साल का बताया है। एक साल के अन्दर अगर यह बढ़ोतरी करते हैं तो एक साल के अन्दर 123 लाख रुपये का बर्डन आयेगा। वह चाहे नवम्बर से मानें चाहे कहीं से मानें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मार्च तक का है और एनुअल बातें कर रहे हो आप। आप बजट पास करते हो मार्च तक का, यह क्या बातें कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : .... आज कानून पास होता है और आज लाइबिलिटीज होती है। एक्ट 16 नवम्बर से पास कर रहे हो और लाइबिलिटी...

डा. सी.पी. जोशी : .... फिर इसका मतलब क्या है बार-बार रिवाइज करने का। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : साल भर की लाइबिलिटी में अन्तर तो पड़ेगा। एक तो कानून आज बनावें ... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : काहे का अन्तर पड़ेगा । वितीय बात भी नहीं समझ रहे हो आप । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : 16 नवम्बर से आप इनफोर्स कर रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : यह आप मार्च तक की बात करो, आपको रिवाइज करने का अधिकार है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ..तो टी.ए., डी.ए. के बिल बने हैं वो सारे वापस

(श्री हेमाराम चौधरी)

बनेंगे आपका एरियर निकलेगा वो एरियर का पैसा लगेगा। वो लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्या ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह अक्टूबर से भी लिया जाएगा तो भी इसमें कवर हो जाएगा, सितम्बर से भी लिया जाएगा तो कवर हो जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : एनुअल नहीं लिख सकते आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अप्रैल में भी लागू हो तो भी यह रहेगा।

डा. सी.पी. जोशी : यह कोई दुकान नहीं है। मार्च तक का एस्टिमेट बताइये । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : ...... सप्लीमेंट्री बजट आता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट आते हैं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : .... एनुअल मत लिखिये आप । (व्यवधान) यह लिखिये कि रिवाइज्ड लेकर के आयेंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी तो आपसे नम्र प्रार्थना है, सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा, आप जिसका नाम पुकारें उसको अपनी बात कहने का मौका मिलता है...

श्री अध्यक्ष : आपको क्या दिक्कत आ रही है, मत करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा एक मिनट तो सुनें आप। पर यह पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सदन जिस तरह से लोग समझते हैं, किसी एक माननीय सदस्य की सम्पत्ति है। एक बार अपनी बात कह दें, निश्चित तौर पर उनको अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, अपनी बात कह दें, तसल्ली से दूसरा सुन ले पर उसके बाद सुनना ही नहीं चाहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में लोग कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं सबसे बड़ी समस्या यह भी तो है। बाहर कुछ कहते हैं, मेरे चैम्बर में कुछ कहते हैं, यहां आकर कुछ कहते हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं और आपसे संरक्षण चाहता हूं कि मेरी बात एक बार रिकार्ड पर भी आ जाए, मेरी बात सुन भी ली जाए। अध्यक्ष महोदय, 1999 से लेकर अब तक माननीय सदस्यों के पेंशन, परिलब्धियां और भत्तों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जो आज इस बात को उठा रहे हैं, मेरे साथ 4-5 बार माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले थे और कई और भी माननीय सदस्य, पक्ष के भी माननीय सदस्य चाह रहे थे कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, उस तेजी से अब उतनी तो नहीं हो पर उसके अनुपात में कुछ वृद्धि होना आवश्यक है ताकि माननीय सदस्य अपने सारे काम को सुगमता से कर सकें। आज यह पहली बार इतिहास में हुआ है कि इस चीज पर आपत्ति दर्ज की है। चूंकि मैंने प्रस्ताव नहीं रखा इसलिये अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दें कि मैं इस प्रस्ताव को आपके सम्मुख नहीं रख रहा हूं। चूंकि आपको आपत्ति है इसलिए मैं विदड्रा करता हूं इसे।

श्री अध्यक्ष : हां मत रखें।

डा. सी.पी. जोशी : फिर गवर्नर की परमीशन का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? आप विदड्रा अलाउ करें, विदड्रा कर लीजिये फिर गवर्नर की परमीशन का क्या हुआ? क्या सैंक्टिटी रख रहे हैं । (व्यवधान) अमेंडमेंट मूल गवर्नर की परमिशन लेकर के आये हैं और बिना गवर्नर के विदड्रा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ..... वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐतिहासिक मजाक हो जाएगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो मूव ही नहीं कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या बात कर रहे हो आप? आपने अमेंडमेंट में गवर्नर से परमिशन ली है, बिना गवर्नर की परमीशन के विदड्रा करवा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूव ही नहीं कर रहे हैं वो।

डा. सी.पी. जोशी : इससे बड़ा कानून का मजाक क्या होगा यह बताइये मुझे? इससे बड़ी तो कोई कानून की मजाक नहीं हो सकती कि गवर्नर से अमेंडमेंट मूव किया और मंत्रीजी यहां विदड्रा कर रहे हैं। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार-चार बार मेरे साथ मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं 25 बार आया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सबने यह मांग की है कि ये भत्ते ....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमने मांग नहीं की। हमने मांग की उसको पूरा नहीं कर रहे हो। हमने मांग की उसको पूरा नहीं कर रहे हो। (व्यवधान) यह ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आ रहे हो आप, फालतू बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह फिलोसोफी के जो भी प्रोफेसर होते हैं उनके साथ यही समस्या होती है। फिलोसोफी के जितने भी प्रोफेसर हैं उनके साथ यह समस्या होती है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आप बोलते रहें, एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, यह सी.पी. जोशी के साथ ही नहीं है, फिलोसोफी का जो भी प्रोफेसर है, राजस्थान में ही नहीं, दुनिया में भी कोई है। उनके साथ यह समस्या रहती है। ये खुद की बात, चिट भी मेरी पुट भी मेरी, यह हमेशा फिलोसोफी के साथ समस्या रहती है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैं फिलोसोफी में नहीं हू। (व्यवधान) आप होंगे फिलोसोफी में। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह इनका दोष नहीं है, यह फिलोसोफी का दोष है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह संक्षेप में कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपको संशोधन भी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अगर करना था तो उसी तारीख से करना था जो विश्वासपूर्वक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की है। आप तारीख क्यों बदल रहे हो? जो घोषणा हुई थी उससे करो और आज के बजाय कल कर लें और संशोधन तो उसी तारीख से करो न आप। (व्यवधान) जब पहले बैठकर तय किया....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ... आज चीफ व्हिप ने कहा था आकर मेरे पास कि अगर आप इस पर बोलोगे तो हम बिल वापस ले लेंगे। मैंने कहा था कि वापस ले लो...

श्री हरिमोहन शर्मा : तारीख की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने यहां की है तो संशोधन उसी तारीख से करें, विवाद तो इस बात का है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा :... इस बिल का हम पूरा विरोध करेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ विरोध करेंगे अगर आप लायें तो । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं लायेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : लाओ मत आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान रूल 89 की तरफ दिला रही हूं कि "विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रिया पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि (क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या (ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध में सारवान रूप से फेरबदल हो जायेगी, या (ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबन्ध सम्मिलित हो, और यदि ऐसे अनुमति दी जाय तो उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई अग्रेत्तर प्रस्ताव नहीं किया जावेगा।" यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसको रहने दीजिये।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर की परमिशन के बिना यह जो नया हथियार बना रहे हो कि मंत्रीजी यहां विदड्रा करें, ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप गवर्नर की

(श्री सी.पी. जोशी)

कन्सेंट को बिना उसके कहे विदड्रा नहीं कर सकते हैं। आप विदड्रा कर सकते हैं, आप गवर्नर से पूछकर विदड्रा करिये, कौन मना कर रहा है? जिसने, गवर्नर ने परमिशन दी, उसके बिना पूछे विदड्रा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मूव ही नहीं किया है।

डा. सी.पी. जोशी : आप करिये, आप पास करिये, आप चाहे पास करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूव ही नहीं किया है, देखिये, उन्होंने मूव ही नहीं किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने मूव ही नहीं किया, वह मूव ही नहीं करना चाहते। (व्यवधान) यह नहीं करना चाहते मूव।

डा. सी.पी. जोशी : क्या लिखा हुआ है। क्या मूव नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, यह सर्कुलेट कर रखा है। आप क्या बात कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, यह सर्कुलेट किया हुआ है विधान सभा सचिवालय से। आप ऐसी परम्पराएं डाल रहे हो, अध्यक्ष महोदय, सदन में यह परम्परा कि गवर्नर की कंसेंट के बिना विदड्रा करने की जो नई परम्परा डाली है, मैं समझता हूं, गवर्नर का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : ये मूव नहीं करते हैं तो फिर अमेंडमेंट का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने प्रस्ताव ही नहीं रखा है अभी, मैंने विचारार्थ लिये जाने के लिए प्रस्ताव ही नहीं रखा। (व्यवधान) पहली बार इस पर बहस करना चाहते हो। पिछले 20 वर्षों से भी इस सदन का सदस्य हूं, आज तक कभी इस तरह की बातों पर बहस नहीं होती।

डा. सी.पी. जोशी : यह आपने जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किया है, यह आपने केबिनेट में नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप बहस कराना चाहते हो, मैं विचारार्थ रखने का प्रस्ताव ही नहीं करता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : कभी भी किसी भी मंत्री ने मिडिटर्स को कभी ब्रीच नहीं किया, कभी आज दिन तक इस तरह से नहीं किया। आप इम्पोज करना चाहो तो हम इम्पोज नही होंगे। (व्यवधान) आपने कभी भावनाओं को ट्रेप नहीं किया है। आपको याद होना चाहिए कि क्या बात हुई थी। अकाल पढ़ा हुआ था, यह बात हुई थी, गवर्नर साहब यहां नहीं है। बिल नहीं ला सकते थे, आर्डिनेंस नहीं ले सकते इसलिए बिल लायेंगे, यह बात हुई थी और आप उलटी बात कर रहे हो। आप खुद सदन में माननीय मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं को उलटा करना चाहते हो। उस समय बिलकुल यह फैसला हुआ था कि जब अकाल पड़ा हुआ है, अध्यक्षजी के चैम्बर में इतनी बात हुई थी और बात होने के बाद में कि आज गवर्नर साहब नहीं है, आर्डिनेंस लाना चाहते हैं हम, बिल लायेंगे नवम्बर में और बात हुई थी कि हम उस दिन से करेंगे और आज मुकर रहे हैं खुद ही और आज फालतू बात कर रहे हैं अभी। यह कभी भी नहीं हुआ था। जो भावना चलती है, दोनों की भावना साथ चलती है। आप अपनी भावनाओं को इम्पोज करना चाहें तो ऐसा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : एक बिल और है आपका मंत्री वेतन वाला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक और है आपका । ये एक बिल और है। यह भी बिल पेश नहीं करना चाहते हो ना।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, उस हिसाब से करो ना संशोधन। आप बात से क्यों बदल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं करना है साहब । वह भी छोड़िये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार दिनांक 23 फरवरी, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.23 बजे, बुधवार दिनांक 23 फरवरी, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले के जनजाति वन क्षेत्र में नरभक्षी पेन्थर के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

112. **श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी एवं प्रतापगढ़ के जनजाति क्षेत्र व वन क्षेत्र में नरभक्षी पेंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र में नरभक्षी पेंथर द्वारा अब तक दस लोगों को शिकार बना कर मारा जा चुका है व अनेक घायल हो चुके हैं ?

(3) क्या सरकार नरभक्षी पेंथर से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या सरकार नरभक्षी पेंथर के हमलों से मृत व घायल लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उप खण्ड प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में पेंथर के आतंक की जानकारी प्राप्त हुई।

(2) उक्त वन क्षेत्र में पेंथर के हमले से अब तक आठ लोगों की मृत्यु हुई है तथा चार लोग घायल हुये हैं।

(3) जी हां। सर्व प्रथम नरभक्षी पेंथर को पिंजरे में पकड़ने के प्रयास किये गये थे। जीवित पकड़ में नहीं आने की स्थिति मे पेंथर को मारने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर लोगों से बातचीत कर जंगल में बच्चों को अकेले नहीं जाने देने हेतु समझाइश भी की जा रही है।

(4) मृत्यु, स्थाई अयोग्यता व अस्थाई अयोग्यता के मामलों में वर्तमान में दी जाने वाली राशि रुपये 15,000/- 10,000/।- एवं 2,000/- को बढ़ाकर क्रमशः रुपये 1,00000/- 50,000/-, 10,000/- करने के प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

118. श्री सुभा. चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि स्वजल धारा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की अन्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्य योजना सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। आवश्यकतानुसार अन्य योजनाएं बनाकर भी पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पाली जिले में औद्योगिक जल प्रदूषण से प्रभावित कृषि भूमि

119. श्री मदन राठौड़ (सुमरपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यही सही है कि पाली की टैक्सटाइल फैक्ट्रियों से निकलने वाले तेजाबी पानी को रंगहीन व शुद्ध करके ही नदी में छोड़ा जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार रंगीन व तेजाबी पानी के बहने से क्षेत्र के किसानों के कुओं व बंजर हो चुकी जमीन का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पाली स्थित टेक्सटाइल उद्योगों द्वारा जनित व्यावसायिक उच्छिष्ठ को वहां स्थापित तीन संयुक्त उपचार संयंत्रों द्वारा उपचारित कर नदी में निस्त्रावित किया जाता है किन्तु उद्योगों के सयुक्त व्यावसायिक उच्छिष्ठ को तकनीकी

(पर्यावरण मंत्री)

व्यवरोधों के कारण निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

पाली स्थित टैक्सटाइल उद्योगों द्वारा निस्त्रावित व्यावसायिक उच्छिष्ठ से पर्यावरण को हुई हानि एवं प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे से सम्बन्धित मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. (सिविलि) रिट याचिका क्रमांक 759/2002, महावीर नगर विकास समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य में विचाराधीन है।

देई ग्राम(बून्दी) के राजकीय विद्यालयों की भूमि पर निजी व्यक्तियों को भू-आबंटन

120. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम देई (तहसील नैनवां) जिला बून्दी में स्थित विभिन्न राजकीय विद्यालयों के लिए किस-किस खसरा नम्बरान की कितनी-कितनी भूमि आबंटित है और कब्जे शुदा है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में राजकीय विद्यालयों को आबंटित भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के राजकीय विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध पुलिस या अन्य विभागों में शिकायत/मुकदमा दर्ज करवाया गया है? यदि हां, तो कब ? किसके विरुद्ध किसके द्वारा तथा नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा निजी व्यक्तियों के पक्ष में भूमि के पट्टे भी जारी किए गए हैं? यदि हां, तो किस विद्यालय की कितनी भूमि के किस-किस व्यक्ति के पक्ष में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम देई (तहसील नैनवां) जिला बून्दी में स्थित राजकीय विद्यालयों को आबंटित/कब्जा शुदा भूमि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के अनुसार।

(4) प्रश्न के भाग संख्या 2 के अनुसार ।

परिशिष्ट 'क'

देई ग्राम पंचायत समिति नैनवां, जिला बून्दी में संचालित विद्यालयों को भूमि आबंटन/कब्जे का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	खसरा नम्बर	आबंटित भूमि	आबंटन अनुसार कब्जे शुदा भूमि	केवल कब्जे शुदा भूमि
1.	राउप्रावि ओल्ड, देई	2264	1 बीघा, 2 बिस्वा	1 बीघा, 2 बिस्वा	-
2.	राउप्रावि. देई नवीन	2493, 2500	-	-	6 बीघा 2 बिस्वा
3.	राबाप्रावि. देई	2493, 2500	-	-	1 बीघा 10 बिस्वा
4.	राउप्रावि. बैरवा बस्ती देई	ग्राम पंचायत द्वारा 180X90 आबंटित		180X90	-
5.	राउमावि. देई	2488	16 बीघा 19 बिस्वा	16 बीघा 19 बिस्वा	-
6.	राबाउमावि. देई	विद्यालय पुराने भवन में संचालित है, इस हेतु अलग से भूमि आबंटित नहीं है।			

सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

121. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सलूम्बर में उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय है तथा तीन तहसीलें इसके अन्तर्गत आती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सलूम्बर मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय है तथा इसके अन्तर्गत तीन तहसीलें है।

सलूम्बर मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वन्य जीव अवशेष के साथ गिरफ्तार व्यक्ति

122. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह अक्टूबर, 2004 में बघेरे के नाखून व पंजों के साथ पकड़े गये आरोपी श्री ई.पी. सिंह को जयपुर पुलिस द्वारा पकड़ने के दो दिन बाद गिरफ्तारी दिखाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा उक्त आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिये टीम गठित होना बताया गया ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिये कोई ठोस पहल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि माह अक्टूबर, 2004 में बघेरे के नाखून व पंजों के साथ पकड़े गये आरोपी ई.पी. सिंह को जयपुर पुलिस द्वारा पकड़ने के

(गृह मंत्री)

दो दिन बाद गिरफ्तारी दिखाई गई। दिनांक 17.10.2004 को थानाधिकारी माणक चौक ने मुखबीर की इत्तला पर क्षेत्रीय वन अधिकारी की मौजूदगी में सौथली वालों के रास्ते के नुक्कड़ (जौहरी बाजार) पर मय बघेरे के नाखून व पंजों के ई.पी. सिंह को पकड़ा था व मौके पर ही गिरफ्तार किया था।

(2) आरोपी ई.पी. सिंह को गिरफ्तार करने के लिये कोई टीम गठित नहीं की गई। ई.पी. सिंह को गिरफ्तारी के बाद उसकी सूचना के आधार पर संसारचन्द व अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

लूणकरणसर तहसील में भेड़ों की अकाल मृत्यु

123. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भेड़ों को रोगों से बचाये रखने की दृष्टि से सरकार द्वारा नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष में कितनी बार नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर के अनेक गांवो में गत 2-3 माह में हजारों भेड़ें अकाल मौत का शिकार हुई हैं? यदि हां, तो किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भेड़ों का टीकाकरण नहीं किये जाने के कारण मजबूरन भेड़ पालकों द्वारा बाजार से खरीदकर भेड़ों का टीकाकरण किया गया तथा उक्त टीका संक्रमित होने के कारण भेड़ों की मौत हुई ?

(4) क्या भेड़ों की मौत का कारण जानने तथा उस पर अंकुश लगाने हेतु कोई विशेषज्ञ जांच दल गठित किये गये हैं? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा भेड़ों में टीकाकरण का शुल्क निर्धारित है।

(2) जिला बीकानेर के तहसील लूणकरणसर के 9 गांवों में गत 2-3

(पशुपालन मंत्री)

माह में भेड़पालकों द्वारा दी गई सूचना अनुसार 1077 भेड़ों की मृत्यु भेड़पालकों द्वारा अपने स्तर पर वैक्सीन क्रय कर स्वयं के द्वारा भेड़ों में टीकाकरण करने के बाद हुई है।

(3) जी नहीं। वैक्सीन की जांच हेतु नमूने भिजवा दिये गये हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आना शेष है।

(4) जी हां। रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

CENTER FOR ANIMAL DISEASE RESEARCH AND DIAGNOSIS
INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE

Izatnagar-243122, Bareilly (UP)

No. F 3-1/2004/CADRAD Dated the 9th Feb. 2005

To,

The Director

Animal Husbandry

Govt. of Rajasthan

Jaipur (Rajasthan)

Subject :- Investigation of disease in sheep.

This is reference to your letter to Animal Husbandry Commissioner Govt. of Indian regarding investigation of disease in sheep in Bikaner, Churu and Shri Ganganagar area. The team of Scientists from CADRAD IVRI, Izatnagar has visited the area and investigated the disease problem in sheep. On spot report was also handed ever to Dy. Director, Animal Husbandry, Bikaner on 30.1.2005. However, the clinical materials collected were processed in laboratory and it was diagnosed as "Sheep Pox." You are therefore, requested to kindly take all necessary preventive and control measures to check the futher spread of disease.

R.S. Chauhan

Joint Director (CADRAD)

अन्त्योदय योजना में गेहूं वितरण पर्ची छपाई में व्याप्त अनियमितताएं

124. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजना में गेहूं देने के लिये काम आने वाली पर्चियों की छपाई का कार्य राजस्थान सहकारी मुद्रणालय को दिया गया था? यदि हां, तो कब तक किन शर्तो पर? कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी मुद्रणालय ने यह कार्य स्वयं न कर अन्य निजी फर्मों से करांया है? यदि हां, तो किन फर्मों से तथा उसके लिये किस सक्षम अधिकारी ने किस कारणों से आदेश दिये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन पर्चियों में घटिया स्तर का कागज काम में लिया गया ? जबकि भुगतान उच्च क्वालिटी की दरों के अनुसार किया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) अन्त्योदय योजना के 15 किलोग्राम की 8,05,200 पुस्तिकाएं सहकारी मुद्रणालय द्वारा मुद्रित की गई हैं। सहकारी मुद्रणालय की स्वयं की मशीनों पर राज्य निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर का अति संवेदनशील कार्य निष्पादित करने के कारण 20 किलोग्राम की 8,05,200 पुस्तिकाओं का मुद्रण नियमानुसार अनुमोदित फर्म मै. हरिहर प्रिन्टर्स से करवाया गया। कार्यादेश प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर के आदेश क्रमांक : 122 दिनांक 20.10.2004 के द्वारा जारी किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने पर विभाग ने पर्चियों के रैण्डम सेम्पल लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के 22 गोदाम जयपुर स्थित फील्ड टेस्टिंग स्टेशन को भेज कर जांच करायी गयी। फील्ड टेस्टिंग स्टेशन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने जो कागज सेम्पल अनुमोदित किया था उसके अनुरूप ही कागज का उपयोग किया गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) विभागीय आदेश क्रमांक : एफ. 23 ( ) खा.वि./भण्डार/2004 दिनांक 14.12.2004 के द्वारा विभाग से एक कमेटी का गठन कर पहले ही इस मामले की जांच करा ली गई है। अतः पुन जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट '1'

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 23 (7)खा.वि/स्टोर/2004 जयपुर, दिनांक : 9.9.2004

प्रबंधक

राज.राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

जयपुर।

विषय- राशन टिकिट योजना के कूपन छपवाने बाबत।

प्रसंग- आपका पत्रांक रारासमु/प्रशा/2004-05/2433

दिनांक 28.8.2004

महोदय,

उपरोक्त श्रेणी में लेख है कि विभाग को राशन टिकिट योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड धारकों में वितरण हेतु निम्नानुसार राशन टिकिट मुद्रित कराने है-

1. अन्नपूर्णा योजना	15,84,000
2. अन्त्योदय योजना	1,93,24,800
3. बी.पी.एल. योजना	4,94,20,800

कृपया संलग्न नमूने अनुसार एवं साइज में राशन टिकिट कलर पेपर 44 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित करावें। अन्त्योदय योजना और बी.पी.एल.

योजना के राशन टिकिट 15 किलो और 20 किलो खाद्यान्न के लिये मुद्रित होंगे। अन्त्योदय अन्न योजना के लिये राशन टिकिट पीले और हल्के पीले रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। बी.पी.एल. योजना के राशन टिकिट हरे और नीले रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। अन्नपूर्णा योजना के राशन टिकिट 10 किलो खाद्यान्न के लिये गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होंगे।

राशन टिकिट बुक की बाइण्डिग 12 की संख्या में करावें, बाइण्डिग कार्य में ऊपरी एवं नीचे के भाग पर क्राफ्ट पेपर लगाकर स्टेपल बाइण्डिंग कराई जायें। प्रत्येक योजना के राशन टिकिट पर क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ कर अंकित की जावे। राशन टिकिट आवश्यकतानुसार A........B.......C.......D....... इत्यादि सीरीज मे मुद्रित कराये जाये राशन टिकिट पर मुद्रित होने वाली उच्चतम क्रम संख्या के पश्चात नई सीरीज के प्रारम्भ की जाये।

राशन के टिकिटों की तादाद को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रारम्भ में अन्नपूर्णा योजना और अन्त्योदय योजना के लाभान्वितों को राशन टिकिट वितरण हेतु इन योजनाओं के राशन टिकिट सर्वोपरि प्राथमिकता देतु हुए 45 दिनों में आवश्यक रूप से मुद्रित कराकर विभाग को उपलब्ध करायें।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार कागज मूल्य का टैण्डर दरों से 10 प्रतिशत अधिक राशि लेने का प्रमाण पत्र बिल में अंकित कराना होगा एवं कागज का पूर्ण हिसाब देना होगा। आप द्वारा क्रय किए गए कागज का मूल बिल भी प्रेषित कराना होगा। मुद्रण बाइण्डिंग आदि का भुगतान सामान्य वित्तीय व लेखा नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार राशन टिकिट संदर्भित पत्र के अनुसार 12 कूपनों की एक पुस्तक की अनुमानित लागत रुपये 0.67/- की दर से मुद्रण करवाकर सप्लाई कराने का श्रम करें, बाद सप्लाई भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

शासन सचिव, एवं खाद्य आयुक्त

परिशिष्ट '2'

नहरों से पानी की चोरी रोकने हेतु कार्य योजना

125. डा. चन्द्रशेखर बैंद (तारानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 2004 में नहरों से पानी चोरी के कितने मामले पकड़े गये व इनमें कितने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पानी की चोरी रोकने के लिये सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्ष 2004 में नहरों से पानी चोरी के कुल 623 मामले पकड़े गये जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। इनमें एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) दो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस थाना चुनाबड़ (जिला गंगानगर) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तथा इन्हें निलंबित किया गया। दोनों कर्मचारियों को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है तथा एक सहायक अभियंता को सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा पानी की चोरी किये जाने वाले कृषकों के विरुद्ध राजस्थान सिंचाई विकास अधिनियम 1954 की धारा 36 के नियम 31 (2) के तहत एक वर्ष के लिए पानी की बारी से वंचित करने एवं नाजायज की गई आबपाशी पर 20 गुणा तावान लगाया जाने का सिंचाई नियमों में पूर्व से ही प्रावधान किया हुआ है।

पानी की चोरी रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.11.2004 से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में त्रिस्तरीय सतर्कता समितियों का गठन कर अनाधिकृत जल उपयोग पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये हैं। इसकी अनुपालना में सम्भागीय स्तर, जिला स्तर पर एवं उपखण्ड स्तर पर मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया है जो आवश्यकतानुसार दिन रात नहरी क्षेत्र में भ्रमण कर अनधिकृत साइफन या अन्य तरीकों से सिस्टम से पानी लेने वालों के विरुद्ध मौके पर ही सख्त कार्यवाही करेगी तथा एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज करवायेगी। इसके अतिरिक्त

(सिंचाई मंत्री)

जो कार्यवाही मौके पर उचित लगे नियमानुसार करेगी। जिसमें अनधिकृत रूप से पानी लेने वाले काश्तकार की बारी काटने की सिफारिश करना भी शामिल होगा। राज्य सरकार के आदेशो की प्रति परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

सिंचाई विभाग के नहरों से पानी चोरी के मामलों की सम्भागवार सूची

परिशिष्ट-'अ'

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	पानी चोरी के पकडे गये मामलो की सूची
1	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	260
2	मुख्य अभियन्ता सिंचाई उत्तर, हनुमानगढ़	240
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग, जयपुर	8
4	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग, कोटा	5
5	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग, उदयपुर	88
6	सीएडी, कोटा	22
	योग	623

परिशिष्ट- 'ब'

दोषी अधिकारियों के नाम व पद

1 श्री हरनेक सिंह, सहायक अभियन्ता

2 श्री दयाराम नैण कनिष्ठ अभियन्ता

3 श्री लालचन्द, गेजरीडर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक प.6(66) प्र.सं./अनु.-3/2004 जयपुर दिनांक 30.11.2004

आदेश

रावी व्यास एवं सतलज नदियों में इस वर्ष सामान्य अपेक्षित मात्रा से

बहुत कम मात्रा मे जल आने के कारण पोंग एवं भाखड़ा बांधों के जल स्तर में रिकार्ड कमी दर्ज की गई है। इससे पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को सामान्य वर्षों की अपेक्षा कम हिस्सा पानी प्राप्त होगा। राजस्थान को उपलब्ध जल में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) से राजस्थान का पूरा हिस्सा आबंटित किया जा रहा है, किन्तु उपलब्ध जल में जल के समायेाचित उपयोग हेतु सम्भाग, जिला तथा उपखण्ड स्तर पर जल वितरण सतर्कता समितियों का गठन किया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे आबंटित बारीयों के अनुसार जल के उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके तथा अनाधिकृत जल उपयोग पर आवश्यक अंकुश लगाते हुए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बनाई रखी जा सके, हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से त्रिस्तरीय सतर्कता समितियों का गठन एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

सम्भाग स्तरीय जल वितरण सतर्कता समिति :-

1. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर — अध्यक्ष
2. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर — सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता सिंचाई (उत्तर) हनुमानगढ़/इगानप बीकानेर/सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर — सदस्य सचिव

जिला स्तरीय जल वितरण सतर्कता समिति :-

1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर जैसलमेर — अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर — सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई (उत्तर) हनुमानगढ़/इगानप बीकानेर/सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर — सदस्य सचिव

उपखण्ड स्तरीय जल वितरण सतर्कता समिति :-

1. उपखण्ड अधिकारी (निम्न जिलों के समस्त) श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर/जैसलमेर — अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक (निम्न जिलों के समस्त) श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर। — सदस्य
3. निम्न जिलों के सम्बन्धित अधिशासी — सदस्य सचिव

अभियन्ता सिंचाई (उत्तर) हनुमानगढ़/इगानप बीकानेर/
सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर

1. सतर्कता समितियां कम से कम 15 दिन में एक आकस्मिक दौरा करेगी तथा सम्बन्धित अधिकारियों एवं मोबाइल पार्टियों के साथ एक बैठक करेगी और जल वितरण स्थिति की समीक्षा कर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सुंचारू रूप से जल वितरण हो तथा साइफन या अन्य साधनों से चोरी से लिये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे इसके लिए आवश्यक कदम उठायेगी।
2. मुख्य नहर, ब्रांच, वितरिका, माइनर एवं सब माइनर के हैड पर जो डिजाइन डिस्चार्ज निश्चित किया गया है वह प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा करेगी तथा इसमें आने वाली समस्याओं का यथा सम्भव समाधान करायेगी।

श्री गंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर जिलों में मोबाइल पार्टियों का गठन निम्न प्रकार होगा। उपखण्ड स्तरीय मोबाइल पार्टियां उनके अधीनस्थ सिंचित होने वाले क्षेत्र के अनुसार होगी।

1. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग	प्रभारी
2. पुलिस निरीक्षक/उप पुलिस निरीक्षक	सदस्य
3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार	सदस्य

मोबाइल पार्टी के दायत्वि :-

1. उपरोक्त मोबाइल पार्टी आवश्यकतानुसार दिन-रात नहरी क्षेत्र में भ्रमण कर निम्न कार्य सम्पादित करेगी :-
2. मुख्य नहर, ब्रांच, वितरिका, माइनर एवं सब माइनर के हैड पर जो डिजाइन डिस्चार्ज निश्चित किया गया है वह प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो पार्टी सम्बन्धित जल वितरण सतर्कता समिति/अधिकारी को तुरन्त दूरभाष, मोबाइल फोन अथवा वितन्त संदेश द्वारा इस बारे में सूचित करेगी।
3. अनाधिकृत साइफन या अन्य तरीकों से सिस्टम से पानी लेने वालों के खिलाफ मौके पर ही सख्त कार्यवाही करेगी। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

करवायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो कार्यवाही मौके पर उचित लगे नियमानुसार कार्य करेगी। विधिवत सम्बन्धित की बारी काटना की सिफारिश करना भी शामिल होगा।

4. सतर्कता समिति द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगी।

5. साधन (व्हीकल) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. मोबाइल पार्टियां 31 मार्च, 2005 तक कार्य करेंगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग होगा।

आर.सी. अग्रवाल)

शासन उप सचिव

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु आयोजित परीक्षा

126. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अध्ययन हेतु किसी प्रकार की पूर्व प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो यह परीक्षा किस कक्षा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु आयोजित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 को विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित करने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कक्षा वर्गों में किसी प्रकार का फेरबदल किया गया है, यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा पूर्व में यह परीक्षा कितने विद्यालयों तथा कितनी छात्रवृत्तियों के लिए आयोजित की गई तथा इस वर्ष कितने विद्यालयों की कटौती की गई है ? पूर्व में आयोजित परीक्षा तथा वर्तमान विज्ञप्ति के अनुसार आयोजित हो रही परीक्षा के सभी अन्तरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश मीणा)

(4) क्या यह सही है कि यह परीक्षा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए भी आयोजित की जा रही है ? यदि नहीं, तो पूर्व में चली आ रही स्थिति में परिवर्तन किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजनानान्तर्गत अनुसूचित जनजाति (टी.ए.डी.) के अन्तर्गत कक्षा 6 से 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) पूर्व में 38 विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को कक्षा 2 से 9 तक के लिए पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (टी.ए.डी.) केवल अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 9 तक छात्रों हेतु परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। वर्ष 2003-2004 से आदेशांक प. 19 (5) शिक्षा-6/2003 दिनांक 27.7.2003 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति योजना के अन्तर्गत नये प्रवेश हेतु स्थगन लगाये जाने के परिणामस्वरूप परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में केवल पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति (टी.ए.डी.) योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 9 तक के लिए केवल अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु परीक्षा आयोज्य हैं। इस योजना के तहत इस वर्ष केवल 32 विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जावेगा, इस प्रकार इस वर्ष 6 विद्यालयों में नवीन प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(4) आदेश क्रमांक पं. 19(5)शिक्षा-6/2002 दिनांक 24.7.2003 के अनुसार अधिकतम छात्र संख्या 1100 निर्धारित किए जाने के परिणामस्वरूप नये छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 1100 से अधिक है।

जयपुर शहर में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु गुप्तचर पुलिस की व्यवस्था

127. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

(1) क्या सरकार जयपुर में आये दिन अनेक प्रकार की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु मुम्बई व कोलकाता की तर्ज पर सी.आई.डी., पुलिस का जाल बिछाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिये जनता का सहयोग लेने के लिये उपाय कर रही है ? यदि हां, तो किस तरह से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा के अनुरूप सीआईडी (सीबी) में विशेष अपराध एवं आर्थिक अपराध अनुभाग का गठन किया गया है, जिससे वर्तमान में महानिरीक्षक पुलिस, उपमहानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक, तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ कार्यरत है जिनके द्वारा गंभीर एवं अंडरवर्ल्ड अपराधियों के बारे में सूचनाएँ एकत्रित कर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष/आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) अपराधियों को पकड़ने के लिये जनता का सहयोग लेने के लिए जनता एवं पुलिस के मध्य आपसी समझ, सहयोग एवं संवाद बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2002 से थाना स्तर तक सफलतापूर्वक चल रही कम्युनिटी लाइजन ग्रुप योजना का विस्तार मौहल्ला एवं पंचायत स्तर तक किया जा रहा है। दिनांक 8.12.2004 से 15.1.2005 तक समूचे प्रदेश में जन-सहभागिता अभियान सफलता पूर्वक चलाया गया। इसके अतिरिक्त शांति समितियां, पड़ोस निगरानी योजना, ग्राम सुरक्षा दल योजनाएँ भी राज्य भर में संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जनता के पुलिस से सम्बन्धित मसलों का निराकरण करना, सम्पर्क सूत्र स्थापित करना, जन सहयोग से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, आपसी समझाइश से सामान्य प्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण करना है।

कपासन के पशु चिकित्सालय

128. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बद्रीलाल जाट)

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ मे वित्तीय वर्ष 2004-05 में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पशु चिकित्सालय उप केन्द्र खोलने में क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं।

(3) क्या यह सही है कि निम्न केन्द्र पशु चिकित्सालय उप केन्द्र के मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं :-

1. कंवरपुरा, ग्राम पंचायत मुरला, पंचायत समिति भोपालसागर
2. गुंदली, गाम पंचायत गुदली, पंचायत समिति भोपालसागर
3. रेवलिया खुर्द, पंचायत समिति भदेसर
4. पिपलवास, पंचायत समिति भदेसर

यदि हां, तो उक्त स्थानों पर सरकार कब तक पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कितने पशु उप चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। सरकार उनको कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-2005 में पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(2) पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र खोलने के निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में 9 पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र क्रमश: दामाखेड़ा, लूणेरा, ऊचनारखुर्द, चौथपुरा, ताणा, निलोद, बानसेन, कूथना एवं नपानिया में संचालित हैं। इन उपकेन्द्रों में से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र दामाखेड़ा,

(पशुपालन मंत्री)

लूणेरा व चौथपुरा में सइस का पद रिक्त है। जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक: प.2(1)पपा/2002/ जयपुर दिनांक 5.9.2002

आज्ञा

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड एतद्द्वारा निर्धारित किये जाते है :-

(1) पशु चिकित्सालय खोलने हेतु मापदण्ड :-

(अ) ग्रामीण क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्या लगभग 5000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 3-4 कमरों का पक्का भवन एवं 200 वर्ग गज जमीन उपलब्ध होने पर दी जावे ।

(ब) शहरी क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उप केन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या 3000 लगभग हो।
3. 150 वर्ग गज जमीन तथा 4 कमरों का पक्का नि:शुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
4. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(2) पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने हेतु मापदण्ड

(अ) गामीण क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उप केन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्या 3000 लगभग हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. तीन-चार कमरों का पक्का नि:शुल्क भवन एवं 200 वर्ग गज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 3 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्या लगभग 2000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 100 वर्ग गज जमीन तथा 2 कमरों का पक्का नि:शुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

फतेहसिंह चाराण
प्रमुख शासन सचिव

नदबई में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

129. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग उप-खण्ड नदबई में कनिष्ठ अभियन्ता के दो पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों पदों के लम्बे समय से रिक्त रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों के कारण क्षेत्र की बाधित पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने हेतु रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

रखती है? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिये जायेंगे और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में कनिष्ठ अभियन्ताओं के भौतिक रूप से 360 रिक्त पदों के कारण।

(2) जी हां। रिक्त पदों को 2 माह में भर दिया जायेगा।

नागौर जिले के क्रमोन्नत विद्यालय

130. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक पाठशालायें क्रमोन्नत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाठशालाओं के क्रमोन्नत करने हेतु सरकार द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान शिक्षा सत्र 2004-05 के दौरान उक्त जिले में कुल कितनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में गत तीन वर्षों के दौरान 162 प्राथमिक, 21 उच्च प्राथमिक तथा 19 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
2001-2002	00	00	00
2002-2003	52	21	19
2003-2004	110	00	00

(2) पाठशालाओं के क्रमोन्नत करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'क', 'ख' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) वर्तमान शिक्षा सत्र 2004-05 में जिला नागौर में 118 प्राथमिक, 23 उच्च प्राथमिक तथा 12 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। सूची विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट 'ग' व 'घ' पर संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु व्यवस्था

131. **श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2003 एवं 2004 में राज्य में कितने क्षेत्र में सरसों की बिजाई की गई ?

(2) आगामी सीजन में सरसों की भरपूर फसल को देखते हुए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु अब तक क्या व्यवस्था की गई है?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष सरसों मण्डियों में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिकी है? यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

(4) राज्य में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार मण्डियों में सरसों आने से पूर्व सरकारी क्रय की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 में 20.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में एवं वर्ष 2004 में 26.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई होने का अनुमान है।

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा नेफेड को नोडल एज़ेन्सी के रूप में अधिकृत किया हुआ है। राज्य में राजफैड द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से नेफेड के एजेन्ट के रूप में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की जाती है। इस रबी सीजन के लिए राजफैड द्वारा राज्य में 146 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिन पर निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप समर्थन मूल्य पर ही खरीद की जावेगी। केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य में राजफैड द्वारा गत सीजन में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु 131 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों वाली 184923.95 क्विंटल सरसों की खरीद की गई। निर्धारित मापदंडों के अन्तर्गत जो सरसों समर्थन मूल्य क्रय केन्द्रों पर आई, उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है।

(3) राज्य के सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद राजफैड द्वारा नेफेड के एजेन्ट के रूप मे की जाती है।

(4) जी हां। राजफैड द्वारा नेफेड के एजेन्ट के रूप में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु 146 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं, जहां निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड की सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

वर्ष 2005-2006 सरसों समर्थन मूल्य खरीद हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	नाम क्रय केन्द्र	8	चाकसू
(अ)	नेफेड जयपुर क्षेत्र	2	जिला-दौसा
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड, जयपुर	9	दौसा
1.	जिला जयपुर	10	लालसोट
1	बस्सी (जयपुर समिति)	11	मण्डावर
2	कूकडखेड़ा	12	बांदीकुई
3	सांभर	3	जिला-टोंक
4	चोमूं	13	टोंक
5	शाहपुरा	14	देवली
6	पावटा	15	उनियारा
7	कोटपूतली	16	निवाई

17	मालपुरा	38	छीपाबड़ौद
18	टोडारायसिंह	8	**जिला-बून्दी**
4	**जिला-सीकर**	39	बून्दी
19	सीकर	40	कापरेन
20	श्रीमाधोपुर	41	सुमेरगंजमण्डी
21	नीम का थाना	42	नैनवां (देई)
22	दांता रामगढ़	43	केशवरायपाटन
5	**जिला-झुंझुनू**	9	**जिला-झालावाड़**
23	झुंझुनू	44	झालरापाटन
24	चिड़ावा	45	बकानी (झालरापाटन, समिति)
25	सूरजनगढ़	46	खानपुर
26	उदयपुर वाटी	47	भवानीमंडी
27	डूंडलोद मंडी	48	चौमेहेला
2.	**क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड, कोटा**	49	इकलेरा
6	**जिला कोटा**	3.	**क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड, भरतपुर**
28	कोटा	10	**जिला-भरतपुर**
29	सामोद	50	भरतपुर
30	इटावा	51	कामां
31	सुल्तानपुर	52	बयाना
32	रामगंजमण्डी	63	नगर
7	**जिला-बारां**	54	कुम्हेर
33	बांरां	55	डीग
34	कंलवाड़ा बारा (समिति)	56	नदबई
35	अन्ता	11	**जिला-अलवर**
36	अटरू	57	अलवर
37	छबडा	58	खैरथल

59	बहरोड़	79	रानी
60	खेरलीगंज	80	सोजत रोड़
61	राजगढ़	81	जैतारण
12	जिला-सवाईमाधोपुर	17	जिला-बाड़मेर
62	सवाईमाधोपुर	82	बालोतरा
63	भाडौंती (सवाईमाधोपुर समिति)	18	जिला-जैसलमेर
64	खण्डार (सवाईमाधोपुर समिति)	83	मोहनगढ़
65	गंगापुर सिटी	84	नाचना
66	चौथ का बरवाड़ा	85	रामगढ़ (जैसलमेर भण्डार)
13	जिला-करौली	19	जिला-जालौर
67	करौली	86	भीनमाल
68	हिण्डौन	87	सांचोर
69	टोडाभीम	88	जालौर
14	जिला-धौलपुर	89	सायला (जालौर)
70	धौलपुर	5.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड, अजमेर
71	बाड़ी	20	जिला-अजमेर
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड, जोधपुर	90	ब्यावर (अजमेर)
15	जिला-जोधपुर	91	किशनगढ़
72	जोधपुर	92	केकड़ी
73	बिलाड़ा	93	विजयनगर
74	पिपाडसिटी	21	जिला-नागौर
75	मथानिया	94	मेड़ता कृषक
76	फलौदी	95	नागौर
16	जिला-पाली	96	कुचामन सिटी
77	सुमेरपुर	22	जिला-भीलवाड़ा
78	पाली	97	भीलवाड़ा

98	गुलाबपुरा	117	छतरगढ़
99	शाहपुरा	118	दंतौर
100	माण्डलगढ़ (बिजौलिया क्र.वि.)	119	बज्जू
101	बिजौलिया	(ब)	नोफेड श्रीगंगानगर क्षेत्र
102	जहाजपुर	28	जिला-चूरू
23.	जिला-उदयपुर (क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड उदयपुर)	120	चुरू
		121	सादुलपुर
103	फतह नगर	122	सुजानगढ़
104	भिण्डर	8.	क्षेत्रीय का., राजफैड, श्रीगंगानगर
24	जिला-चित्तौड़गढ़	29	जिला-गंगानगर
105	चित्तौड़गढ़	123	श्रीगंगानगर
106	निम्बाहेड़ा	124	श्रीगंगानगर कमीशन सोप
107	बेगूं	125	रायसिंह नगर
108	बड़ी सादड़ी	126	श्रीकरणपुर
109	कपासन	127	गजसिंहपुर
110	प्रतापगढ़	128	पदमपुर
25	जिला-राजसमन्द	129	विजय नगर
111	कांकरौली	130	सूरतगढ़
26	जिला-डूंगरपुर	131	सादुल शहर
112	डूंगरपुर	132	केसरीसिंहपुर
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड, बीकानेर	133	रावला
27	जिला-बीकानेर	134	घड़साना
113	बीकानेर	135	रिडमलसर
114	खेरियावाली	136	रामसिंहपुर
115	नौखा	137	जैतसर
116	लूणकरणसर	138	अनूपगढ़

(कृषि मंत्री)

30	जिला-हनुमानगढ़	143	गोलूवाल
139	हनुमानगढ़ जंक्शन	144	नोहर
140	हनुमानगढ़ टाउन	145	भादरा
141	रावतसर	146	पीलीबंगा
142	सांगरिया		

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन

167. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की कोई औद्योगिक नीति है? यदि हां, तो प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य की बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने के प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या ? उक्त प्रयासों के फलस्वरूप कितनी औद्योगिक इकाइयां पुन: प्रारम्भ हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में औद्योगिक नीति जारी की गई। (प्रति संलग्न है)

(2) जी हां। राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहीत एवं बन्द इकाइयों को पुन: चालू कराने के लिये नये नियोजकों को विक्रय कर, ऋण का पुन: निर्धारिण कर पुन: प्रारम्भ कराने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य की बन्द एवं रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 31.8.2004 को पुनर्वास के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ट सहायता पुंज घोषित किया गया था, जिसकी प्रति सलंग्न है। इसके अन्तर्गत इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को अपने-अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.9.2004 निर्धारित की गई थी एवं प्राप्त आवेदनों पर विचार कर इकाइयां को रूग्ण चिन्हीकृत करने के लिए जिला स्तरीय समितियों एवं राज्य स्तरीय समिति के लिए अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2004 निर्धारित थी। निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण राज्य में कुल 679 रूग्ण इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए तथा 138 इकाइयों नये

(उद्योग मंत्री)

निवेशकों को राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा विक्रय की गई। इसके अतिरिक्त 32 औद्योगिक इकाइयों को राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल ऋणियों को लौटाकर नये सिरे से प्रारम्भ कराने का प्रयास किया गया। जांच-पड़ताल उपरान्त जिला स्तरीय समितियों एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक 375 औद्योगिक इकाइयां को रुग्ण घोषित किया गया। इस प्रकार कुल 545 (375+138+32) इकाइयों पुनर्वास कार्य हेतु प्रक्रियाधीन है। राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित एवं बन्द इकाइयों को पुनः चालू कराने के प्रयास भी जारी हैं। औद्योगिक इकाइयों को अपनी पुनर्वास प्रक्रिया दिनांक 1.4.2005 से पूर्व प्रारम्भ करना अनिवार्य है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सरना डूंगर (जयपुर) में मूर्तिकला जोन की स्थापना

168. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरना डूंगर, जयपुर में कोई मूर्तिकला जोन स्थापित किया गया है? यदि हां, तो इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जोन में आज तक कितने मूर्तिकारों ने आवेदन किया और कितनों को स्थान किन-किन दरों एवं शर्तों पर आबंटित किये गये? इस योजना में किस-किस साइज के प्लाट किस दर पर उपलब्ध हैं? आबंटन सम्बन्धी कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी? विवरण आवेदकों एवं आबंटियों की सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त योजना के आस-पास किस-किस प्रकार की और सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है? क्या सरकार की इस क्षेत्र के पास विद्यालय, खेल मैदान, आडीटोरियम/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या-क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा एक्सटेंशन (सरना डूंगर) जयपुर में 24.10 एकड़ क्षेत्रफल में एक मूर्तिकला जोन स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न आकार के 227 भूखण्ड नियोजित किए गए हैं। इस जोन को विकसित किए जाने का कार्य प्रगति पर है जिसके तहत रोड एवं सी.डी. वर्क्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पानी, बिजली एवं नालियों के कार्य सड़क निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद प्रारम्भ किए जावेंगे।

(2) जी हां। उक्त जोन मे आज तक कुल 187 मूर्तिकारों ने भूमि आबंटन हेतु मूर्तिकला लघु उद्योग मण्डल के माध्यम से आवेदन किया है तथा सभी को उनके द्वारा आवेदित साइज के भूखण्डों का आबंटन किया जा चुका है। इस योजना में 250, 500, 1000, 1500 एवं 2000 वर्गमीटर के भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। सभी नाम के भूखण्डों की आबंटन दर रुपये 500/ प्रति वर्गमीटर है एवं कोने के भूखण्ड की दर 550/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। भूखण्ड आबंटियों को बकाया 75 प्रतिशत विकास शुल्क की राशि एक वर्ष में तीन त्रैमासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। आबंटियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। रीको द्वारा मूर्तिकार जोन में उद्यमियों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सुविधाओं एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की गई हैं। मांग के अनुसार उक्त भूमि का नियोजन कर आवंटन की कार्यवाही का जा सकेगी।

परिशिष्ट–'अ'

मूर्तिकला जोन में आवंटियों की सूची

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल
1	एफ-356	प्रियंक	2000
2	एफ-357	शकुंतला देवी अग्र	2000
3	एफ-358	आरती मूर्ति भण्डार	2000
4	एफ-359	कान्ता देवी अग्रवाल	2000
5	एफ-360	अजय अग्रवाल	2000
6	एफ-361	भागीरथ शर्मा	2000
7	जी-222	घनश्याम अग्रवाल	1500
8	जी-223	विष्णु प्रकाश शर्मा	1500
9	जी-224	शंकर लाल पाण्डे	1500
10	जी-225	निर्मल कुमार शर्मा	1500
11	जी-226	पवन कुमार शर्मा	1500
12	जी-227	राधेश्याम शर्मा	1000
13	जी-228	अन्नू अग्रवाल	1000
14	जी-229	ललिता देवी अग्रवाल	1000
15	जी-230	गौतम मूर्ति कला केन्द्र	1000
16	जी-231	उषा अग्रवाल	1000
17	जी-232	पंकज कुमार लुहाडिया	1000
18	जी-233	संतोष कुमार	1000
19	जी-234	चम्पा लाल	1000
20	जी-235	दीपक अग्रवाल	1000
21	जी-299	बृजमोहन मिश्रा	1000

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
22	जी-300	पंकज कुमार लुहाडिया	1000
23	जी-301	श्रीमती कुन्तिका गुप्ता	1000
24	जी-302	पंकज कुमार लुहाडिया	1000
25	जी-303	सुनील केडिया	1000
26	एच-I-286	राधेश्याम अग्रवाल	250
27	एच-I-287	हेमन्त जैन	500
28	एच-I-288	चन्दीलाल वाजपेई	500
29	एच-I-289	अशोक कुमार शर्मा	500
30	एच-I-290	श्रीमती रीना गुप्ता	500
31	एच-I-291	मीना अग्रवाल	500
32	एच-I-292	रिधि सिद्धि एन्टरप्राइजेज	500
33	एच-I-293	चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	500
34	एच-I-294	ओमप्रकाश शर्मा	500
35	एच-I-295 ए	खोज एन्टरप्राइजेज	500
36	एच-I-295 बी	विश्म्भर दयाल	500
37	एच-I-296 ए	आशीष मूर्ति	500
38	एच-I-296 बी	गोपाल रसीवाल	500
39	एच-I-297	चन्द्रेश कुमार	500
40	एच-I-298	निर्मला देवी	500
41	जे-236	रमेश कुमार शर्मा	250
42	जे-237	अशोक कुमार शर्मा	250
43	जे-238 ए	कल्पना शर्मा	250
44	जे-238 बी	उमेश शर्मा	250
45	जे-239 ए	बाबूलाल शर्मा	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
46	जे-239 बी	पिस्ता देवी	250
47	जे-240	कृष्णा अमरीश जोशी	250
48	जे-241	अमरीश एन जोशी	250
49	जे-242 ए	रजनी शर्मा	500
50	जे-242 बी	इन्दु शर्मा	250
51	जे-242 सी	आशा शर्मा	250
52	जे-242 डी	मुकेश कुमार शर्मा	250
53	जे-243 ए	सुरेश कुमार शर्मा	250
54	जे-243 बी	माखनलाल शर्मा	250
55	जे-244 ए	राधेश्याम शर्मा	250
56	जे-244 बी	गुलाबचन्द शर्मा	250
57	जे-245	हरीराम शर्मा	250
58	जे-246	विनोद अग्रवाल	250
59	जे-247 ए	शालू देवी अग्रवाल	250
60	जे-247 बी	किशनलाल नाठा	250
61	जे-248 ए	कमल प्रसाद शर्मा	250
62	जे-248 बी	लोकेश शर्मा	250
63	जे-248 सी	रामदुलारी	250
64	जे-249 ए	हीरालाल	250
65	जे-249 बी	ईश्वरचन्द्र शर्मा	250
66	जे-250 ए	हेमकान्त शर्मा	250
67	जे-250 बी	शियाराम शर्मा	250
68	जे-252 ए	हरीश अग्रवाल	250
69	जे-252 बी	कैलाश चंद अग्रवाल	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
70	जे-253 ए	जीतेन्द्र अग्रवाल	250
71	जे-253 बी	पूर्वा अग्रवाल	250
72	जे-254 ए	चांद नारायण	250
73	जे-254 बी	सुरेन्द्र	250
74	जे-254 सी	संतोष शर्मा	250
75	जे-255	राम रिछपाल शर्मा	250
76	जे-256 ए	द्वारिका प्रसाद शर्मा	250
77	जे-257 बी	श्रीमती प्रीति वाजपेयी	250
78	जे-258 ए	राकेश शर्मा	250
79	जे-276	पुरूषोत्तम शर्मा	250
80	जे-277	श्यामलाल शर्मा	250
81	जे-278	नरेश जोशी	250
82	जे-279	चन्द्रशेखर जोशी	250
83	जे-280	महेशचन्द्र शर्मा	250
84	जे-281-84	रमेशचन्द बाजपेयी	1000
85	जे-320 ए	सत्येन्द्र अग्रवाल	250
86	जे-320 बी	कमल शर्मा	250
87	जे-321 ए	अशोक अग्रवाल	250
88	जे-321 बी	राजेश कुमार	250
89	जे-321 सी	श्रीमती ममता गुप्ता	250
90	जे-323 सी	राजकुमार शर्मा	250
91	जे-323 डी	आशा शर्मा	250
92	जे-324 ए	चांदकिरण मूर्ति भण्डार	250
93	जे-324 बी	चांदकिरण मूर्ति भण्डार	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
94	जे-324 सी	चांदकिरण मूर्ति भण्डार	250
95	जे-325 सी	श्रीमती चन्द्रकांता	250
96	जे-325 डी	भारतभूषण जैमनी	250
97	जे-326 ए	श्रीमती प्रेम देवी	250
98	जे-326 बी	मधुसूदन शर्मा	250
99	जे-327	गंगाप्रसाद रसीबाल	250
100	जे-328 ए	बाबूलाल शर्मा	250
101	जे-328 बी	श्रीमती कृष्णा अग्रवाल	250
102	जे-328 सी	श्रीमती मूली देवी	250
103	जे-330 ए	रामरतन शर्मा	250
104	जे-330 बी	शंकर शर्मा	250
105	जे-331 ए	राजेश कुमार शर्मा	250
106	जे-331 बी	दिलीप कुमार शर्मा	250
107	जे-331 सी	मुकेश शर्मा	250
108	जे-331 डी	श्रीमती रामा देवी	250
109	जे-332 ए	श्रीमती रेशम देवी	250
110	जे-332 बी	जमनालाल शर्मा	250
111	जे-333 ए	सत्यनारायण भारद्वाज	250
112	जे-333 बी	विनोद कुमार शर्मा	250
113	जे-334 ए	राधेश्याम शर्मा	250
114	जे-334 बी	मनीष शर्मा	250
115	जे-334 सी	देवेन्द्र शर्मा	250
116	जे-335 ए	जितेन्द्र शर्मा	250
117	जे-335 बी	प्रमोद शर्मा	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
118	जे-335 सी	महेश कुमार	250
119	जे-335 डी	हनुमान सहाय सैनी	250
120	जे-336 ए	मुकेश भारद्वाज	250
121	जे-336 बी	उमेश भारद्वाज	250
122	जे-336 सी	कैलाशचन्द भारद्वाज	250
123	जे-336 डी	मीना देवी	250
124	जे-337 ए	देवेन्द्र शेखर शर्मा	250
125	जे-337 बी	विनायक हैण्डीक्राफ्ट	250
126	जे-337 सी	श्रंगारी मूर्ति	250
127	जे-337 डी	मंजू झालानी	250
128	जे-338 ए	डिम्पल भारद्वाज	250
129	जे-338 बी	ममता भारद्वाज	250
130	जे-338 सी	पिंक सिटी	250
131	जे-338 डी	नरेश भारद्वाज	250
132	जे-339 ए	विश्व प्रकाशक मूर्तिशिल्प आर्ट	250
133	जे-339 बी	बनवारीलाल शर्मा	250
134	जे-339 सी	मुकुल मूर्ति आर्ट	250
135	जे-339 डी	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	250
136	जे-340 ए	राजेन्द्र गोयल	250
137	जे-340 बी	नरेश बंसल	250
138	जे-341 ए	रामावतार शर्मा	250
139	जे-341 बी	राज शर्मा	250
140	जे-341 सी	शिवलाल शर्मा	250
141	जे-341 डी	कौशल्या देवी घीया	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
142	जे-342 ए	विष्णु प्रकाश शर्मा	250
143	जे-342 बी	शेष मूर्ति कला केन्द्र	250
144	जे-342 सी	शेष मूर्ति कला केन्द्र	250
145	जे-342 डी	बाबूलाल शर्मा	250
146	जे-343 ए	मनीशा गोयल	250
147	जे-343 बी	सावित्री अग्रवाल	250
148	जे-343 सी	राजाराम मूर्ति भण्डार	250
149	जे-343 डी	हरीश कुमार	250
150	जे-344 ए	शकुन्तला देवी	250
151	जे-344 बी	श्रीराम भारद्वाज	250
152	जे-344 सी	पूरण कुमार शर्मा	250
153	जे-344 डी	राकेश मिश्र	250
154	जे-345 ए	लल्लूराम	250
155	जे-345 बी	अजित पाल जैन	250
156	जे-345 सी	हीरालाल	250
157	जे-345 डी	कविरथ मूर्ति एम्पोरियम	250
158	जे-346 ए	जयपुर मार्बल मूर्ति आर्ट	250
159	जे-346 बी	राज कपूर शर्मा	250
160	जे-346 सी	राकेश गुप्ता	250
161	जे-347 ए	कृष्ण गोपाल शर्मा	250
162	जे-347 बी	गौरीशंकर शर्मा	250
163	जे-347 सी	अँनिल	250
164	जे-348 ए	अशोक शर्मा	250
165	जे-348 बी	शिव नारायण	250

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल
166	जे-348 सी	शांति देवी	250
167	जे-349 ए	सुशीला देवी	250
168	जे-349 बी	ओमप्रकाश सत्यप्रकाश	250
169	जे-349 सी	मदनलाल शर्मा	250
170	जे-350 ए	कैलाशचन्द शर्मा	250
171	जे-350 बी	रामबाबू शर्मा	250
172	जे-350 सी	उमाशंकर	250
173	जे-350 डी	सुलोचना देवी	250
174	जे-351 ए	सुरेन्द्र कुमार गोयल	250
175	जे-351 बी	महेन्द्र कुमार गोयल	250
176	जे-351 सी	उषा अग्रवाल	250
177	जे-351 डी	अंगूरी देवी	250
178	जे-352 ए-बी	श्री महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	500
179	जे-352 सी एण्ड 353 ए	राधा कृष्ण इण्डस्ट्रीज	500
180	जे-353 सी	विमला देवी गौर	250
181	जे-354 बी	विजय लक्ष्मी	250
182	जे-355 ए	नन्दपाल एण्ड संस	250
183	जे-355 बी	मोहनलाल शर्मा	250
184	जे-261	मूर्ति लघु उद्योग मण्डल	250
185	जे-273	उमराव	250
186	जे-274	करणसिंह	250
187	जे-275	मनफूल	250

विश्वेसरिया नगर (जयपुर) को पेयजल आपूर्ति

169. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाइपास में पेयजल की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कार्य स्वीकृति के पश्चात् भी वितीय वर्ष 2003-04 तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी में पाइप लाइन डालकर पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विश्वेसरिया नगर में वर्तमान में विभागीय पेयजल व्यवस्था नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्णित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। विश्वेसरिया नगर एवं विश्वसरिया नगर-विस्तार को पेयजल व्यवस्था से क्रमशः सितम्बर, 2005 एवं अप्रैल, 2005 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में रैड आक्योर एवं चायना क्ले के खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

170. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रैड आक्योर व चाइना क्ले का अवैध खनन रोक दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पांच हैक्टेयर से बड़ी खानों को केन्द्र सरकार से पर्यावरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है ?

(3) राज्य में ऐसी कितनी खाने हैं जिनका वर्ष 1994 के बाद किसी वर्ष में उत्पादन बढ़ा हो और जिन्होंने अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त की हो? क्या

(श्री मदन राठौड़)

ऐसी भी कोई खान है, जिनका उत्पादन तो 1994 के बाद किसी वर्ष बढ़ा हो, लेकिन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो ?

उत्तर

(1) वर्तमान में खनिज रैड आकर व चायना क्ले के अवैध खनन की कोई जानकारी विभाग को नहीं है। वर्ष 2004 में चार प्रकरण खनिज चायना क्ले के अवैध खनन के पाये गये, जिसकी शास्ति वसूली की जा चुकी है व अवैध खनन रोक दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1994 के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादन बढ़ा हो एवं जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो उन खानों की संख्या 21 है तथा वर्ष 1994 के बाद किसी वर्ष में उत्पादन बढ़ा हो, लेकिन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है, उन खानों की संख्या 329 है।

अजमेर जिले में अनधिकृत खनन

171. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में कितनी खानें कौन-कौन सी जगह कितने समय से किस-किस के नाम से चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह सभी खानें अधिकृत हैं? यदि नहीं, तो अनधिकृत खानों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में प्रधान खनिज के 181 एवं अप्रधान खनिज के 166 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। चालू खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां । परिशिष्ट "अ" व "ब" मे दर्शाई गई सभी खानें अधिकृत हैं। अनधिकृत खनन के सम्बन्ध में जब कभी विभाग को जानकारी होती है अथवा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तुरन्त बंद करवाया जाता

(खनिज मंत्री)

है एवं अनधिकृत खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

172. श्री खुशवीर सिंह जोजावार (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में कार्यरत निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के विरुद्ध कब-कब, किन-किन धाराओं के तहत किस-किस आरोप के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमे दर्ज हुए। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मुकदमों का निस्तारण हो चुका है तथा अब कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमें चल रहे हों? यदि हां, तो कब तब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में कार्यरत निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 4 प्रकरण दर्ज किये गये थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 3 मुकदमों का निस्तारण हो चुका है तथा एक मुकदमा संख्या 193/2002 जो श्री शशिभूषण सक्सैना के स्थान पर त्रुटिवश श्री ए.के. सक्सैना के नाम से दर्ज हो गया जिसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उनके पत्रांक भ्रनिब/अ.सा/3/04/4864-66 दिनांक 5.10.2004 के द्वारा सुधार कर श्री एस.बी. सक्सैना के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। दर्ज मामलों का निस्तारण हो चुका है जिसमें श्री ए.के. सक्सैना, निदेशक (खान) को दोषी नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

श्री ए.के. सक्सैना (अरविन्द कुमार सक्सैना), खनि. अभियन्ता वर्तमान निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के विरूद्ध ब्यूरों में पंजीबद्ध प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या एवं पंजीकरण दिनांक	धारा	विरुद्ध	आरोप
1.	295/2000 10.7.2000	8, 10, 13(1) डी (2) पी.सी. एक्ट, 1988 467, 468, 471, 420 भदसं.	श्री अरविन्द कुमार सक्सैना, अधीक्षण खनि. अभियन्ता जयपुर	अपने पद का दुरूपयोग कर पट्टेधारी श्री गिरवर सिंह के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर उसे सदोष लाभ पहुंचाना
2.	523/2000 20.12.2000	13 (1) (डी) (2) पी. सी. एक्ट, 1988 420, 120 बी भादस.	श्री ए.के. सक्सैना, तत्कालीन खनि. अभियन्ता, जयपुर	अपने पद का दुरूपयोग कर राज्य सरकार को रायल्टी की लाखों रुपयों की अनुचित हानि एवं खनन पट्टाधारी को अनुचित लाभ पहुंचाना।
3.	168/2002 15.6.2000	5 (1)(डी) (2) पी सी एक्ट, 1947 13 (1)(डी) (2) पी सी एक्ट, 1988, 420, 467, 468, 471, 120 बी भदसं.	श्री अरविन्द कुमार सक्सैना, अधीक्षण खनि, अभियन्ता, जयपुर	अपने पद का दुरूपयोग कर मैसर्स राजस्थान खनिज एजेन्सी द्वारा आवेदित स्थान के बजाय दूसरे स्थान जो कि अन्य व्यक्ति को वर्क एण्ड हेल्ड एरिया था तथा जहां खनिज उपलब्ध था, को कब्जा दिलाकर करीब 60 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया।

4.	193/2002 3.7.2002	13 (1)(डी) (2) पीसी एक्ट. 1988 420, 120 बी भादसं.	श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, अधीक्षण खनि. अभियन्ता, कोटा	ठेकेदार से मिलीभगत कर उच्च दर के प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद षड़यंत्रपूर्वक कम दर पर बजरी का ठेका स्वीकृत किया।

राज्य में लिग्नाइट गैस के दोहन हेतु प्रयास

173. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में लिग्नाइट गैस कहां-कहां प्राप्त हुई? सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में लिग्नाइट गैस के दोहन हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में लिग्नाइट गैस (कोल बेड मिथेन) बाड़मेर-सांचौर बेसिन में प्राप्त हुई है।

विगत पांच वर्षों में बाड़मेर, जालौर व बीकानेर जिले में कोल बेड मिथेन के लिए अनुसंधान कार्य किया गया।

कोटा संभाग के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

174. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में दिसम्बर, 2003 से 31 दिसम्बर, 2004 तक किस-किस धारा में किस-किस थाने में कितने मुकदमें हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा इन्डियन पेनल कोड एवं दीगर अपराध अधिनियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज मुकदमों में से कितने मुकदमों में चालान पेश किये गये और कितनों में चालान पेश करना बाकी है?

उत्तर

(1) कोटा संभाग के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में दिसम्बर, 2003 से 31 दिसम्बर, 2004 तक थानेवार, जिलावार, शीर्षकवार दर्ज मुकदमों का निस्तारण सहित संख्या सूची परिशिष्ट "क" "ख" "ग" "घ" "ड" "च" व "छ" पर संलग्न है।

(2) उक्त कुल दर्ज मुकदमें 35558 है। जिनमें से 23649 चालान कितने किये गये हैं। इनमें से अदालत में कुल 23271 चालान पेश किये गये तथा शेष पैण्डिंग चालान कुल 378 हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर सलंग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

175. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक घूसखोरी, आय से अधिक सम्पत्ति और पद का दुरुपयोग करने के किस-किस मामले में किस-किस राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध किस किस दिनांक को कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध छापे की कार्यवाही करने पर किन किन अधिकारियों के पास आय से अधिक सम्पत्ति के मामले दर्ज किये गये एवं इन अधिकारियों के पास से कितनी सम्पत्ति किस-किस रूप में बरामद हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन अधिकारियों के ऊपर पद के दुरुपयोग के किस-किस प्रकार के मामले दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में घूसखोरी, आय से अधिक सम्पत्ति और पद के दुरुपयोग के पकड़े गये किन-किन मामलों में न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके हैं एवं कौन-कौनसा मामला अभी तफ्तीश में चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(5) क्या यह सही है कि राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध चालान पेश करने में अनावश्यक देरी की जा रही है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त सभी चालान सक्षम न्यायालयों में पेश कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसमबर, 2004 तक भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कुल 75 मामले (अपराध) दर्ज किये गये जिनका पूर्ण विवरण निम्नानुसार सलंग्न परिशिष्ट-"अ" में है-

		अपराध	परिशिष्ट
1	ट्रेप	38	अ
2	आय से अधिक सम्पत्ति	05	ब
3	पद के दुरुपयोग के	32	स

(2) 5 राजपत्रित अधिकारियों के पास आय से अधिक सम्पत्ति के मामले दर्ज किये गये। इन अधिकारियों के पास जितनी सम्पत्ति मिली उसका विवरण परिशिष्ट-ब में अंकित है।

(3) 32 अपराधों में अधिकारियों के ऊपर पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज किये गये। आरोपों का विवरण परिशिष्ट-स में सलंग्न है।

(4) उक्त अवधि में घूसखोरी, आय से अधिक सम्पत्ति और पद के दुरुपयोग के दिनांक 01.01.2005 से 31-12-2004 तक पंजीबद्ध अपराधों में किसी भी अपराध में चालान पेश नहीं किया गया है। सभी अपराध अन्वेषणाधीन है।

(5) जी नहीं, अपराध सभी अन्वेषणाधीन है। अपराधों का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यों का कानूनी रूप से विश्लेषणांपरान्त मामला चालान योग्य पाये जाने पर ही सक्षम न्यायलय में चालान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाना सक्षम होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

176. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 में जयपुर शहर में किस-किस श्रेणी के कितने अपराध दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 के मुकाबले कुल अपराधों में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि दिनदहाड़े लूट, चोरी, नकबजनी, महिलाओं पर अत्याचार, चैन चोरी जैसे अपराधों को रोकने में पुलिस नाकाम सिद्ध हो रही है? यदि हां, तो आम जनता में व्याप्त भय को दूर करने व अपराधों पर रोक के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 में जयपुर शहर में निम्न श्रेणी के अपराध दर्ज हुए है:-

(1) डकैती	(2) हत्या	(3) लूट	(4) नकबजनी	(5) चोरी	(6) बलवा
4	47	42	695	3370	644

(7) बलात्कार	(8) अन्य	योग	अन्य अधिनियम	कुल योग
56	8369	13224	2937	16164

(2) जयपुर शहर में वर्ष 2003 में कुल 14502 अपराध दर्ज हुए एवं वर्ष 2004 में कुल 16161 अपराध दर्ज हुए इस प्रकार वर्ष 2003 की तुलना में 2004 में 1659 अपराधों की बढ़ोतरी हुई।

(3) यह सही नहीं है कि अपराधों को रोकने में पुलिस नाकाम नही है। उक्त शीर्षकों में गिरफ्तार व चालान प्रकरणों की संख्या निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	शीर्षक अपराध	दर्ज प्रकरण	एफ.आर.	चालान	पैण्डिंग	गिरफ्तार
1.	लूट	42	16	25	1	76
2.	चोरी	3370	2794	540	36	896
3.	नकबजनी	695	541	144	10	271
4.	महिलाओं पर अत्याचार	788	298	435	55	774
5.	चैन तोड़ना	63	29	34	-	60

(गृह मंत्री)

इन अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु दिन-रात्रि को गश्त की जा रही है। नाकाबन्दी को और, सुदृढ बनाने के लिये नयें नाकाबन्दी पोस्ट निर्धारित किये गये हैं। होटल, धर्मशालाएं जहां पर अपराधियों की आमद रफत रहती है को नियमित रूप से चैक किया जा रहा है तथा अपराधियों की रोकथाम हेतु हर सम्भव प्रयास जारी है।

तारानगर के थानों में दर्ज प्रकरण

177. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 में किस-किस थाने में किस-किस धारा में कितने मुकदमें हत्या, बलात्कार, लूट, हत्या के प्रयास तथा इण्डियन पैनल कोड अधिनियम के तहत दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज मुकदमों में से कितने मुकदमों में चालान पेश किये गये और कितनों में चालान पेश नहीं किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 में निम्नलिखित थानों पर निम्न धाराओं में हत्या, बलात्कार, लूट, हत्या का प्रयास व इण्डियन पैनल कोड अधिनियम के तहत मुकदमें दर्ज हुए-

<u>हत्या :-</u>

1 मु.नं. 234/04 धारा 302, भा.द.स. दि. 21-11-04 थाना तारानगर।

2 मु.नं. 240/04 धारा 302, 201 भा.द.स. दि 2-12-04 थाना।

<u>बलात्कार :-</u>

1 मु.नं. 187/04 धारा 376,450,323 भादस दि 14-7-04 थाना तारानगर।

2 मु.नं. 24/04 धारा 376,450 भादस दि. 14-3-04 थाना सिद्धमुख।

3 मु.नं. 25/04 धारा 376.363,366 भादस दि. 16-3-04 थाना सिद्धमुख।

(गृह मंत्री)

<u>लूट :-</u> लूट का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

<u>हत्या का प्रयास :-</u>

1 मु.नं. 5/04 धारा 147,148,149,447,323,307 भादस दि. 14-1-04 थाना तारानगर।

2 मु.नं. 205/04 धारा 147,148,149,452,323,307 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 27 आर्म्स एक्ट थाना-तारानगर।

3 मु.नं. 206/04 धारा 307, 147,146,149 भादस दि. 3(1)(10)एससी/एसटी एक्ट थाना तारानगर। दि. 10-10-04

4 मु.नं. 6/04 धारा 307 भादस दि. 12-1-04 थाना सिद्धमुख।

5 मु.नं. 55/04 धारा 307 भादस दि. 16-6-04 थाना सिद्धमुख।

<u>अन्य मुकदमें जो इण्डियन पैनल कोड के तहत दर्ज हुए :-</u>

(अ) तारानगर थाने में	-	227
(ब) राजगढ़ थाने में	-	83
(स) सिद्धमुख थाने में	-	50
(द) भालेरी थाने में	-	29
कुल		389

(2) (i) हत्या के दो मुकदमों में से एक में चालान पेश किया जा चुका है तथा एक मुकदमें का अनुसंधान जारी है।

(ii) बलात्कार के तीन मुकदमें दर्ज हुए थे, तीनों का चालान पेश किया जा चुका है।

(iii) लूट का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

(iv) हत्या के प्रयास के 5 मुकदमें दर्ज हुये थे जिनमें 4 अभियोगों में चालान व एक में नतीजा एफआर (अदम वक्) झूंठ दिया गया है। जिन चार मुकदमों में चालान किया गया हैं उनमें से तीन के चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके है तथा एक मुकदमें का चालान पेश किया जाना शेष है।

(गृह मंत्री)

(v) इण्डियन पैनल कोड की अन्य धाराओं में कुल 389 मुकदमें दर्ज हुये जिनमें से 237 में नतीजा चालान दिया गया व 147 में नतीजा एफआर दिया गया। 5 मुकदमें जैर तफतीश हैं। 237 मुकदमों में नतीजा चालान किया गया है, में से 185 मुक्दमों के चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। शेष 52 के चालान न्यायालय में पेश किये जाना शेष है।

राज्य में कपास की खरीद हेतु कार्य योजना

178. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कपास एवं अमेरिकन कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में कपास का क्रय इस वितीय वर्ष 2004-05 में किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि अच्छी फसल की आवक के कारण कपास उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दर पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है?

(4) यदि हां, तो राज्य के किसानों को उनकी उत्पादित कपास का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कपास एवं अमेरिकन कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की कार्यवाही भारतीय कपास निगम के द्वारा की जाती है। भारतीय कपास निगम के द्वारा इस हेतु 23 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। देशी कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक विक्रय मंडी में हो रही है।

(2) जी हां। भारतीय कपास निगम द्वारा इस वितीय वर्ष 2004-05 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अमेरिकन कपास की खरीद की गई है। दिनांक 7.2.2005 तक कुल 10,16,645 क्विंटल अमेरिकन कपास की खरीद की जा चुकी है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी नहीं । निर्धारित मापदण्ड से कम गुणवत्ता का कपास का बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम है।

(4) निर्धारित मापदण्डों के कपास के समर्थन मूल्य पर क्रय करने की कार्यवाही भारतीय कपास निगम के द्वारा की जा रही है।

राशन डीलर नयागांव (बूंदी) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

179. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश/परिपत्र जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बूंदी जिले में उक्त अभियान के दौरान विभागीय अधिकारी प्रत्येक शिविर में उपस्थित हुए हैं? यदि हां, तो स्थान एवं तारीखवार उपस्थित हुए अधिकारी का नाम तथा राशन डीलर एवं विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के विवरण सहित शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त डीलरों के विरुद्ध प्राप्त अनियमितता की शिकायतों पर केस बनाकर कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? दर्ज केस की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को नया गांव (झरबालापुरा) तहसील बूंदी में आयोजित शिविर में राशन डीलर द्वारा गेहूं आदि का सही वितरण नहीं करने, राशनकार्डों में वितरण दर्शाकर डीलर के लिए निर्धारित "हस्ताक्षर मय तिथि" के कालम में हस्ताक्षर नहीं करने एवं बीपीएल कार्ड धारकों के गेहूं का फर्जी वितरण प्रदर्शित करके राशन वितरण रजिस्टर में गलत हस्ताक्षर करके कागजी खानापूर्ति की शिकायतें उपस्थित जन प्रतिनिधि एवं शिविर प्रभारी को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सहित उन पर की गई कार्यवाही तथा शिविर के विजिटर्स रजिस्टर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(5) क्या उक्त पंचायत क्षेत्र के राशन डीलर के विरुद्ध पूर्व में सरकार अथवा जिला प्रशासन को शिकायतें होने पर भी सरकार द्वारा जान-बूझकर राशन वितरण रजिस्टर में हो रहे इन्द्राज की वास्तविकता की जांच के लिए गेहूं आदि सामग्री प्राप्त करने वालों के हस्ताक्षरों की सत्यता तथा प्रत्येक राशन कार्डों में खाली पड़े कालम व डीलरों के द्वारा किए गए इन्द्राज की वास्तविकता की सही जांच नहीं कर डीलर के हित में तथा उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध कार्य किया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शिकायतों पर लिए गए निर्णय की प्रति सहित तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त डीलर के कार्यकाल सहित पिछले 5 वर्ष में किए गए गेहूं, शक्कर, केरोसिन आदि के वितरण बाबत संधारित रजिस्टर में दर्ज इन्द्राजों की राशन कार्डवार जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासन आपके द्वार अभियान, 2004 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देश परिशिष्ट "1" पर संलग्न है एवं जिला रसद अधिकारी, बूंदी द्वारा जारी निर्देश (परिशिष्ट "1ए") पर संलग्न है।

(2) बूंदी जिले में कुल 116 शिविर प्रशासन आपके द्वार अभियान, 2004 के अन्तर्गत आयोजित हुए जिनमें से 16 शिविरों में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। जिले में प्रवर्तन स्टाफ के अनेक पद रिक्त होने के कारण शेष शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हो सके। जिन शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं, उसकी सूचना परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। राशन डीलर एवं विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(3) जी हां। बूंदी जिले में 6 डीलरों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई। 2 डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिये गये हैं। शेष 4 डीलरों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है। बनाये गये केस की प्रति परिशिष्ट "4" एवं 4(क)" पर सलंग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) जी हां। राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है एवं शिकायत की विस्तृत जांच करायी जा रही है। शिकायत की प्रतियां परिशिष्ट "4(क)" पर सलंग्न है।

(5) राशन डीलर के विरुद्ध दिनांक 27.12.2004 को नया गांव (झरबालापुरा) में आयोजित शिविर से पूर्व दो शिकायतें दिनांक 4.12.2004 एवं 9.12.2004 को प्राप्त हुई हैं। इस डीलर के विरुद्ध प्राप्त समस्त शिकायतों की जांच की जा रही है। डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) राशन डीलर की नियुक्ति वर्ष, 2001 में की गयी थी, इसलिए डीलर के गत चार वर्षों में वितरण की गयी नियंत्रित सामग्री की जांच करवायी जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति

180. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर में कितने राशन डीलर केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राशन डीलर केन्द्र ओरवारिया को राशन की दो दुकानें आबंटित हैं? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील सलूम्बर में नये राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर में 60 राशन डीलरों के केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राशन डीलर लेम्प्स ओरवारिया है। यह आदिवासियों की सहकारी संस्था होने के कारण इसको ओरवारिया और कड़ूनी ग्राम में दो दुकानें आबंटित हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी हां। तहसील सलूम्बर में रिक्त राशन डीलर हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

तारानगर के विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापक

181. डा. चन्द्रशेखर बैंद (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (बालक/बालिका) विद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की पदवार संख्या कितनी-कितनी हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधानसभा क्षेत्र तारानगर में कार्यरत सभी श्रेणी के अध्यापक कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? उनके ठहराव सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को शहरी क्षेत्र में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र तारानगर में 12 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 20 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के पदवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) विधानसभा क्षेत्र तारानगर में कार्यरत अध्यापकों की ठहराव सहित सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(5) शहरी क्षेत्र में पद रिक्त होने तथा सम्बन्धित अध्यापक द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

साक्षर परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को नियुक्ति

182. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को अध्यापिका पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो सत्र 1998-99 से 2004-05 तक कितनी विधवा एवं परित्यक्ताओं को नियुक्तियां दी गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमों में उच्च माध्यमिक तक शिक्षित विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को ही नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनसे कम पढ़ी महिलाओं को भी उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्तियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प.5(13शिक्षा-2/94 दिनांक 10.9.1996 एवं क्रमांक प.16(11)शिक्षा-2/98 दिनांक 5.8.1998 के अनुसार प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के 10 प्रतिशत पदों पर विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सत्र 1998-99 से 2004-05 तक विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को दी गई नियुक्ति का विवरण इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	वर्ष	विधवा		परित्यक्ता	
		अध्या.	द्वि.श्रे. अध्या.	अध्या.	द्वि.श्रे. अध्या.
1.	1998-1999	02	01	—	—
2.	1999-2000	—	—	—	—
3.	2000-2001	—	15	—	03
4.	2001-2002	—	01	—	01
5.	2002-2003	—	—	—	—
6.	2003-2004	—	—	—	—
7.	2004-2005	—	—	—	—
	योग	02	17	—	04

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में सत्र 1998-99 से 2004-05 तक 61 विधवा तथा 39 परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्तियां प्रदान की गईं।

(2) राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में विधवा एवं परित्यक्ताओं को अध्यापक ग्रेड तृतीय एवं ग्रेड-द्वितीय के पदों पर ही नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान होने के कारण उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यताधारित महिलाओं को ही नियुक्ति देय है।

अनुदानित शिक्षण संस्थाएं अधिनियम, 1993 में संशोधन

183. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुदानित शिक्षण संस्थाएं अधिनियम 1993 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम, 1993 में कमी के कारण कोर्ट केसेज में बढ़ोतरी हो रही है?

(3) क्या सरकार शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित अधिनियम, 1993 में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । अपितु राज्य में अनुदानित शिक्षण संस्थाएं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के अन्तर्गत संचालित हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं । राज्य सरकार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 में संशोधन का विचार नहीं रखती है और इस सम्बन्ध में संशोधन के कोई विचार, आवश्यकता या प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य में विकलांग बच्चों हेतु संचालित विद्यालय

184. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मूक, बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिये विद्या अध्ययन हेतु सुविधाएं प्रदान करती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में राजकीय मूक, बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिये विद्यालय हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस स्तर के? प्रत्येक विद्यालय में किस-किस वर्ग में किस-किस श्रेणी के कितने बच्चे अध्ययनरत हैं और यह विद्यालय कब से चलाये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा भी मूक, बधिर एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिये विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो कहां कहां पर और किस स्तर पर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार के बच्चों के लिये संचालित निजी विद्यालयों को अनुदान देती है? यदि हां, तो कितना और कब से?

(5) क्या सरकार ने विकलांग बच्चों का सर्वे करवाया है? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस प्रकार के बच्चों का सर्वे कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार उक्त बच्चों के लिये चल रहे विद्यालयों की संख्या उपयुक्त मानती है? यदि नहीं, तो किस-किस स्तर के कितने विद्यालय खोले जावगे?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत सरकार मूक बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्या अध्ययन हेतु निम्न सुविधाएं प्रदान करती है।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ठीक-ठीक माईल्ड एवं माध्यम (माडरेट) श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिए समकित शिक्षा योजनान्तर्गत चुने हुए सामान्य राजकीय विद्यालयों (समेकित) में चलायी जाती है, जिसके तहत अध्ययनरत बच्चों को निम्नांकित सुविधा प्रदान की जाती हैं :-

   1-400 रूपये प्रतिवर्ष की दर से पुस्तकों और लेखन सामग्री पर हुआ वास्तविक व्यय

2. 200/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से वर्दियों पर हुआ वास्तविक व्यय
3. 50/- रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए परिवहन भत्ता
4. नेत्रहीन बच्चों के लिए कक्षा-5 के बाद 50 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए वाचक भत्ता
5. निम्न निचले भाग से अत्यधिक विकलांगता से ग्रस्त पृथक-पृथक विकलांगों के लिए 75 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए एस्कोर्ट भत्ता
6. 5 वर्ष की अवधि के लिए उपकरणों का वास्तविक मूल्य 2000 रुपये अधिकतम प्रति विद्यार्थी
7. डाक्टरी जांच हेतु अधिकतम 150 रुपये प्रतिमाह पूर्ण रूप से मूक बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिए

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत सरकार मूक बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्या अध्ययन हेतु छात्रों को छात्रावास, नि:शुल्क भोजन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें आदि उपलब्ध करवायी जाती हैं तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

डीपीईपी एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुख्य रूप से विकलांग बालिकाओं के लिए चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात् नि:शुल्क अंग एवं उपकरण की व्यवस्था, नि:शुल्क गणवेश, बस्ता, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि सामग्री का वितरण ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित हेतु शिक्षकों का आमुखीकरण, संदर्भ सामग्री की ब्लाक व सकुल स्तर पर व्यवस्था का प्रावधान है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां । बच्चों हेतु संचालित राजकीय विद्यालयों के विवरण का परिशिष्ट 'क' सदन की पटल पर रख दिया गया है। जोधपुर में एक नेत्रहीन विद्यालय बीकानेर में मूक बधिर विद्यालय तथा बांसवाड़ा में एक मूक बधिर विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित मूक, बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्तरवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी है। माध्यमिक शिक्षान्तर्गत निजी मूक, बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों की सूची का परिशिष्ट 'क' मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों का सूची का परिशिष्ट 'क' पर सदन के पटल पर रखी दी है।

(4) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को 2001-02 से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षान्तर्गत राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को निम्नानुसार अनुदान प्रदान करती है :-

1	मूक बधिर मा.वि. भीलवाड़ा	गैर अनुदानित
2	गांधी मूक बधिर मा.वि. जोधपुर	1994-95 से प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
3	मूक बधिर विद्यालय, उदयपुर	अक्टूबर-1982 से उ.प्रा. स्तर पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
4	नेत्रहीन उ.मा.वि. जोधपुर	प्राथमिक स्तर पर 1998 से 100 प्रतिशत पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
5	जगदम्बा अंध वि. श्रीगंगानगर	प्राथमिक स्तर पर 1985-88 से 100 प्रतिशत 1998-99 से उ.प्रा. स्तर पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(5) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रोजेक्ट कर्मियों से प्रतिवर्ष जिलेवार हैन्डीकेप बच्चों की सूचनाएं संकलित की जाती हैं। सत्र 2004 2005 में संकलित सूचनाओं के अनुसार 40583 विकलांग बच्चे चिन्हित किये गये।

(6) बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर क्षेत्र की मांग एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का स्तर	संस्था के संचालन का वर्ष	वर्ग श्रेणी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या				
				एससी	एसटी	ओबीसी	सा.	योग
1.	राज. सेठ आनंदीलाल पोदान मूक बधिर संस्थान, जयपुर।	माध्य. स्तर	1945	35	29	77	166	307
2.	राज. अंध विद्यालय अजमेर।	उ.माध्य. स्तर	1935	18	07	41	24	90
3.	राजकीय अंध विद्यालय, बीकानेर।	उ.प्राथ. स्तर	1962	01	-	07	05	13

प्रश्न के भाग संख्या-3 की सूची:-

1.	मूक बधिर मा.वि. भीलवाड़ा।	माध्य. स्तर	1993	12	03	23	75	113
2.	गांधी बधिर वि. जोधपुर।	माध्य. स्तर	1982	05	-	19	26	50
3.	मूक बधिर विद्यालय उदयपुर।	माध्य. स्तर	1982	15	33	37	43	130
4.	नेत्रहीन उमावि. जोधपुर।	उ.मा. स्तर	1977	13	06	32	10	84
5.	जगदम्बा अंध वि, श्रीगंगानगर	माध्य. स्तर	1985	33	-	26	20	79

परिशिष्ट 'ख'

निजी मान्यत प्राप्त अनुदानित मूकबधिर एवं नैत्रहीन विद्यालय एवं अध्ययनरत छात्रों का कक्षावार विवरण

जिला	विद्यालय का नाम	मकबधिर नैत्रह्निन	अध्ययनरत छात्रों का स्तरवार विवरण कक्षा 1	2	3	4	5	6	7	8	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अजमेर	मूकबधिर विद्यालय वैशलीनगर, अजमेर	मूक बधिर	8	14	15	15	8	12	12	9	95
भीलवाड़ा	मूकबधिर विद्यालय	मूक बधिर	15	18	14	9	8	7	12	6	89
	सूर लिनियम विद्यालय	नेत्रहीन	-	-	3	-	2	4	-	4	13
	सोममंदबुद्धि	मा. वि.	11	6	11	10	11	10	11	-	70
गंग नगर	श्री जगदम्बा मूकबधिर विशिष्ठ गंगानगर	मूक बधिर	152	35	24	33	29	25	18	21	337
	श्री जगदम्बा अंध, विशिष्ठ उप्रावि गंगानगर	नेत्रहीन	-	-	-	-	-	07	04	04	15
	श्री जगदम्बा अंध विशिष्ठ प्रा.वि., श्रीगंगानगर	नेत्रहीन	10	24	09	09	07	-	-	-	50
बीकानेर	मूकबधिर विद्यालय सागर रोड़ बीकानेर	मूक बधिर	45	10	08	9	08	03	15	13	116
कोटा	मधु मूक बधिर	मूक बधिर	03	16	13	17	05	05	-	02	61
	बाधित बाल विकास केन्द्र कोटा	मूक बधिर व नेत्रहीन	59	19	25	14	48	11	06	07	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जोधपुर	नेत्रहीन प्रावि, जोधपुर	नेत्रहीन	44	07	11	11	12	-	-	-	85
	नेत्रहीन उप्रावि, जोधपुर	नेत्रहीन	-	-	-	-	-	15	09	08	32
	गांधी बधिर वि, जोधपुर	बधिर	42	10	13	11	12	12	09	09	118
जैसलमेर	संवेदन नि:शक्तार्थ उप्रावि, जैसलमेर		06	07	07	-	02	13	01	-	41
उदयपुर	बधिर विद्यालय उदयपुर	मूक बधिर	46	11	12	10	10	12	06	08	115
चित्तौड़गढ़	सांवलिया बहुउद्देशीय विकलांग भाटों का मौहल्ला, चित्तौड़गढ़	मूक बधिर	12	16	05	04	05	03	03	02	50
डूंगरपुर	रायल शैक्षिक पुनर्वास केन्द्र नयी बस्ती, डूंगरपुर	नेत्रहीन	26	14	02	08	03	-	-	-	53
बांसवाड़ा	मूक बधिर एवं मंदबुद्धि उप्रावि., बांसवाड़ा	मूक बधिर	27	09	03	02	01	-	-	01	43
जयपुर	राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय, जयपुर	नेत्रहीन	18	12	08	02	04	02	02	-	48
भरतपुर	जीवन निर्माण संस्थान, गोल बाग रोड, भरतपुर	मूक बधिर	16	11	06	08	02	06	01	-	50
दौसा	स्वामी विवेकानन्द मूकबधिर विद्यालय कोलाना बांदीकुई, दौसा	मूक बधिर	23	05	07	02	02	07	02	-	52

निम्बाहेड़ा में नवीन बालिका विद्यालय

185. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में वर्तमान में कार्यरत बालिका प्राथमिक विद्यालयों, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों, बालिका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार पूर्व से ही प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवा रही है। परन्तु यदि ऐसे पंचायत मुख्यालयों, जिनके परिक्षेत्र में बालिकाओं के लिये पृथक से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है, में बालिकाओं की पर्याप्त संख्या होने की स्थिति में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत गुणाव-गुण के आधार पर पृथक बालिका उच्च प्राथिमक विद्यालय खोलने पर विचार किया जायेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में वर्तमान में निम्नानुसार बालिका विद्यालय कार्यरत हैं :-

1. राज. बा. प्राथमिक विद्यालय – 4
2. राज. बा. उच्च प्राथमिक विद्यालय – 9
3. राज. बा. माध्यमिक विद्यालय – 2
4. राज. बा. उच्च माध्यमिक विद्यालय – 2

विद्यालयवार, ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) बालिका विद्यालय खोलने हेतु गांव की जनसंख्या उपलब्ध छात्रा संख्या एवं जन प्रतिनिधियों की मांग आदि बातों पर गुणाव-गुण के आधार पर विचार कर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत बालिका विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में संचालित बालिका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की गामवार सूची

क्र.सं.	विद्यालय	क्र.सं.	विद्यालय
	पंचायत समिति, छोटी सादड़ी		पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा
1	रा.बा.प्रा.वि. करजू	1	रा.बा.प्रा.वि. गादोला
2	रा.बा.प्रा.वि. बा. रै. बस्ती	2	रा.बा.प्रा.वि. बागरेडा
3	रा.बा.उ.प्रा.वि. बम्बोरी	3	रा.बा.उ.प्रा.वि. बिजोता
4	रा.बा.उ.प्रा.वि. कारूण्डा	4	रा.बा.उ.प्रा.वि. असनोदा
5	रा.बा.उ.प्रा.वि. छोटी सादड़ी	5	रा.बा.उ.प्रा.वि. कनेरा
6	रा.बा.उ.प्रा.वि. स्वरूपगंज	6	रा.बा.उ.प्रा.वि. आदर्श कालोनी
7	रा.बा.उ.प्रा.वि. छोटी सादड़ी	7	रा.बा.उ.प्रा.वि. रिसाला
		8	रा.बा.मा.वि. नवीन निम्बाहेड़ा
		9	रा.बा.मा.वि. कनेरा
		10	रा.बा.उ.मा.वि. निम्बाहेड़ा

राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय गिनानी (नागौर) में उर्दू विषय का अध्यापन

186. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गिनानी (नागौर) में उर्दू भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाई जाती है ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यदि हां, तो चालू सत्र में अध्ययनरत छात्राओं की कक्षावार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किसी भी विद्यालय में कोई नया विषय खोलने के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय की विकास समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में कक्षा 11 व 12 में उर्दू विषय खोलने हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर के माध्यम से शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भिजवाये गये थे? यदि हां, तो कब एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उर्दू विषय खोलने के सम्बन्ध में कहां-कहां के किस-किस विद्यालय के प्रस्ताव लंबित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार इन्हें कब तक उक्त अनुमति प्रदान करेगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान शिक्षा सत्र 2004-05 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिनानी (नगौर) में उर्दू भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अपितु कक्षा 12 में 16 छात्रायें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के नियमानुसार स्वअध्ययन के आधार पर उर्दू विषय का अध्ययन कर रही हैं।

(2) जी हां। शिक्षा सत्र 2003-04 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नया विषय खोलने हेतु जारी आदेशों का परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां । विषय संकाय खोलने के लिए बजट प्रावधान नहीं था तब स्ववित्त पोषित योजना में विषय/संकाय खोले गये थे। वर्तमान सत्र 2004 05 में विषय/संकाय खोलने के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध है। सत्र 2004-05

(शिक्षा मंत्री)

में स्ववित्त पोषित योजना नहीं चल रही है। अतः प्राप्त प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) विषय संकाय खोलने के लिए बजट प्रावधान नहीं था तब स्ववित्त पोषित योजना में विषय/संकाय खोले गये थे। वर्तमान सत्र 2004-05 में विषय/संकाय खोलने के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध है। सत्र 2004-05 में स्ववित्त पोषित नहीं चल रही है। उक्त योजनान्तर्गत किसी भी संस्था के प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की गयी।

(आदेशों का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पाइवालापुरा बांध (नैनवां) की भराव क्षमता

187. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाइवालापुरा बांध (नैनवां जिला बूंदी) की ऊंचाई बढ़ाकर भराव क्षमता बढ़ाने की पुनर्गठित योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी राशि की? सरकार उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(2) उक्त योजना को पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) योजना अभी स्वीकृत ही नहीं हुई है, अतः पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारण किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

नागौर जिले के तालाबों की खुदाई पर व्यय

188. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) क्या सरकार तालाबों की खुदाई हेतु बजट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जिलेवार कितनी धनराशि व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जिला नागौर की विभिन्न तहसीलों में कहां-कहां कितने-कितने तालाबों की खुदाई का कार्य चालू है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, सिंचाई विभाग के कुछेक तालाबों की खुदाई के कार्य ग्यारहवें वित्त आयोग तथा अकाल राहत के मद से प्राप्त धनराशि के तहत करवाये गये थे जिनका कार्य मार्च, 2005 में पूरा हो रहा है।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जिला नागौर की विभिन्न तहसीलों में 13 तालाबों में ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से रूपये 16.952 लाख तथा 30 तालाब अकाल राहत मद के तहत रूपये 58.00 लाख से खुदाई कार्य चालू है जिनका कार्यवार, तहसीलवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट- "अ" तथा "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

ए.टी. डब्ल्यू.एस. में स्वीकृत कार्यों का विवरण जिला नागौर

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	तहसील	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जनवरी 2005 तक व्यय	कार्य की स्थिति
1	सार्वजनिक विष्णु सागर तालाब खुदाई मेड़तासिटी	मेड़ता	मेड़ता	1.356	1.30	पूर्ण
2	सार्वजनिक तालाब खुदाई पांडुखा	मेड़ता	मेड़ता	1.354	0.02	प्रगति पर

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	तहसील	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जनवरी 2005 तक व्यय	कार्य की स्थिति
3	सार्वजनिक बड़ा तालाब खुदाई दत्ताणी	मेड़ता	मेड़ता	1.354	0.88	पूर्ण
4	सार्वजनिक तालाब खुदाई टालनपुर	मेड़ता	मेड़ता	1.355	1.35	पूर्ण
5	सार्वजनिक तालाब खुदाई इन्द्रावड	मेड़ता	मेड़ता	1.352	1.35	पूर्ण
6	सार्वजनिक तालाब खुदाई कुरडाया	मेड़ता	मेड़ता	1.357	1.36	पूर्ण
7	सार्वजनिक तालाब खुदाई गगराना	मेड़ता	मेड़ता	1.344	1.32	पूर्ण
8	सार्वजनिक तालाब खुदाई फालकी मुगंदडा	रियाबड़ी	मेड़ता	1.360	1.31	पूर्ण
9	सार्वजनिक इन्दोकिया तालाब खुदाई लाम्पोलाई	रियाबड़ी	मेड़ता	1.360	1.28	पूर्ण
10	सार्वजनिक रामसागर तालाब खुदाई अखावारा	रियाबड़ी	मेड़ता	1.360	1.05	पूर्ण
11	सार्वजनिक सामी तालाब खुदाई जसवंताबाद	रियाबड़ी	मेड़ता	1.360	1.29	पूर्ण
12	सार्वजनिक तालाब खुदाई चाटूकला	रियाबड़ी	मेड़ता	1.360	1.33	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	तहसील	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जनवरी 2005 तक व्यय	कार्य की स्थिति
13	सार्वजनिक तालाब खुदाई गंवारडी	रियाबड़ी	मेड़ता	0.680	0.67	पूर्ण
			योग:-	16.952	14.51	

जिला नागौर परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	पंचायत समिति	तहसील	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जनवरी 2005 तक व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	गंवाई तालाब खुदाई सुरियास	सुरियास	रियाबड़ी	मेड़ता	2.00	1.90	पूर्ण
2	गंवाई तालाब खुदाई लुणियारा	लुणियारा	डेगाना	डेगाना	2.00	1.87	पूर्ण
3	गंवाई तालाब खुदाई बिखरनिया कलां	बिखरनिया कलां	डेगाना	डेगाना	2.00	1.91	पूर्ण
4	गंवाई तालाब खुदाई निम्बोला कलां	निम्बोला कलां	डेगाना	डेगाना	2.00	1.89	पूर्ण
5	गंवाई तालाब खुदाई भरनाई	भरनाई	मकराना	मकराना	2.00	1.85	पूर्ण
6	गंवाई तालाब खुदाई कुकडोद	कुकडोद	मकराना	मकराना	2.00	1.93	पूर्ण
7	गंवाई तालाब खुदाई बूड़सू	बूड़सू	मकराना	मकराना	2.00	1.93	पूर्ण
8	गंवाई तालाब खुदाई अरठ	अरठ	परबतसर	परबतसर	2.00	1.88	पूर्ण
9	गंवाई तालाब खुदाई धौकलिया	धौकलिया	परबतसर	परबतसर	2.00	1.93	पूर्ण
10	गंवाई तालाब खुदाई झालरा	झालरा	परबतसर	परबतसर	2.00	1.94	पूर्ण

1	2	3	4	4	6	7	8
11	गंवाई तालाब खुदाई दौलतपुरा	दौलतपुरा	डीडवाना	डीडवाना	2.00	1.59	पूर्ण
12	गंवाई तालाब खुदाई खाटू खुर्द	खाटू खुर्द	डीडवाना	डीडवाना	2.00	1.89	पूर्ण
13	गंवाई तालाब खुदाई केराय	केराय	डीडवाना	डीडवाना	2.00	1.92	पूर्ण
14	गंवाई तालाब खुदाई कोलिया	कोलिया	डीडवाना	डीडवाना	2.00	1.92	पूर्ण
15	गंवाई तालाब खुदाई मण्डूकरा	मण्डूकरा	डीडवाना	डीडवाना	2.00	1.91	पूर्ण
16	गंवाई तालाब खुदाई लैडी	लैडी	लाडनूं	लाडनूं	-	-	निरस्त
17	गंवाई तालाब खुदाई जसवन्तगढ़	जसवन्तगढ़	लाडनूं	लाडनूं	2.00	1.78	पूर्ण
18	गंवाई तालाब खुदाई ढीगसरी	ढीगसरी	लाडनूं	लाडनूं	2.00	1.80	पूर्ण
19	गंवाई तालाब खुदाई बाकलिया	बाकलिया	लाडनूं	लाडनूं	2.00	1.96	पूर्ण
20	गंवाई तालाब खुदाई बल्दू	बल्दू	लाडनूं	लाडनूं	2.00	1.82	पूर्ण
21	गंवाई तालाब खुदाई राजोद	राजोद	जायल	जायल	2.00	1.92	पूर्ण
22	गंवाई तालाब खुदाई सोनेली	सोनेली	जायल	जायल	2.00	1.80	पूर्ण
23	गंवाई तालाब खुदाई छापडा	छापडा	जायल	जायल	2.00	1.97	पूर्ण
24	गंवाई तालाब खुदाई चैनार	चैनार	नागौर	नागौर	2.00	1.81	पूर्ण

1	2	3	4	4	6	7	8
25	गंवाई तालाब खुदाई बालवा	बालवा	नागौर	नागौर	2.00	0.57	पूर्ण
26	गंवाई तालाब खुदाई सलेऊ	सलेउ	नागौर	नागौर	2.00	1.78	पूर्ण
27	गंवाई तालाब खुदाई गुढा भगवानदास	गुढा भगवानदास	नागौर	नागौर	2.00	1.90	पूर्ण
28	गंवाई तालाब खुदाई संखवास	संखवास	मूंडवा	नागौर	2.00	1.93	पूर्ण
29	गंवाई तालाब खुदाई दूडीवास	दूडीवास	मूंडवा	नागौर	2.00	1.23	पूर्ण
30	गंवाई तालाब खुदाई नेतडिया	नेतिडया	मूंडवा	मेड़ता	2.00	1.84	पूर्ण
				योग :-	58.00	52.37	

करांकला-डगार (सलूम्बर) सड़क की मरम्मत

189. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्राम करांकला से डगार तक सड़क का निर्माण सोम कमला आम्बा सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर द्वारा कराया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त सड़क की मरम्मत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

कोटड़ा (उदयपुर) पंचायत समिति में एनीकट निर्माण

190. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति, कोटड़ा की पंचायत क्यारी में वर्ष 1999 से 2004 तक कितने एनीकट या अन्य परियोजनाओं का निर्माण कराया गया ? इससे कितने काश्तकार लाभान्वित हो रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटड़ा में एनीकट या अन्य परियोजना के लिए सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटड़ा की पंचायत क्यारी में वर्ष 1999 से 2004 तक सिंचाई विभाग द्वारा किसी भी एनीकट का निर्माण नहीं कराया गया है। एक लघु सिंचाई परियोजना क्यारी का निर्माण कार्य वर्ष 2001-02 में प्रारम्भ किया गया था, जो प्रगति पर है। इस कार्य को 2005-06 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। चूंकि परियोजना निर्माणाधीन है। अतः कोई भी काश्तकार अभी लाभान्वित नहीं हो रहा है।

(2) जी हां। 55 एनीकटों एवं 4 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे एवं अनुसंधान कार्य करवाया गया विवरण प्रपत्र 'अ' पर सलंग्न है।

प्रपत्र "अ"

कोटड़ा तहसील में विभिन्न सर्वेसुदा कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत	वि.वि
	एनीकट		
1	कोटड़ा II (वनवासी कल्याण परिषद के पास)	कोटड़ा	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के प्रथम चरण में स्वीकृत है, जिनकी निविदाएं दि. 26.2.2005 को प्राप्त की जानी है।
2	कोटड़ा III हनुमान मंदिर के पास	कोटड़ा	..."...
3	उबापाना	लाम्बाहल्दु	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है।

1	2	3	4
4	कमदी का नाका	जोगिवाड	..."...
5	जुनापादर	जूड़ा	..."...
6	डूंगरियाफला	बडली	..."...
7	देवियावणिया	गोगरूद	..."...
8	मेरपुर	मेरपुर	..."...
9	सिम्की महुडी	पाथरपाडी	..."...
10	कोटडा I सिंचाई कालोनी के पास	पाथरपाडी	100 दिवसीय कार्य योजना में सर्वे कर तखमीने तैयार किया गया है।
11	धधमता	धधमता	..."...
12	कांलिया	डेडमारिया	..."...
13	डेरी का नाका	चीखली	..."...
14	उमरिया महाद	महाद	..."...
15	पादलवेरा	जोगिवाड	..."...
16	पाथरपाडी	डेडमारिया	..."...
17	ककराल का नाका	बूडीया	..."...
18	जम्बूडी का नाका	खोखरिया	..."...
19	महुडी का नाका	खोखरिया	..."...
20	पैना का नाका	महाद	..."...
21	उंटपाटिया का नाका	लम्बाहल्दु	..."...
22	उमरीया	मामेर	..."...
23	खाराफला वाला नाका	लम्बाहल्दु	..."...
24	सांडमारिया	धधमता	..."...
25	जूड़ा	जूड़ा	..."...

1	2	3	4
26	पोपटाल	खोखरिया	..."...
27	पीपलिया का नाका	सडा	..."...
28	लिमढी का नाका	सडा	..."...
29	पीपलीवाला का नाका	बीकरनी	..."...
30	महादेव का नाका	कूकावास	..."...
31	आंजना का नाका	बीकरनी	..."...
32	आमली घाटी	बीकरनी	..."...
33	गगवालियावाला खादरा	जेड	..."...
34	कालियावाला नाका	जेड	..."...
35	वास	वास	..."...
36	पदवेला		..."...
37	सामोली	सामोली	..."...
38	मेरपुर (चित्रामगरा)	मेरपुर	..."...
39	नयावास	नयावास	टीएडी. में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
40	अहावली	जोगिवड	जन प्रतिनिधियों की मांग एवं कार्य स्थल की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे कर तखमीना तैयार किया गया।
41	लम्बाल्दु	लम्बाल्दु	..."...
42	खिलूर का नाका	मामेर	..."...
43	भंवरिया का नाका	डेडमरिया	..."...
44	उपली सूबरी	कोटड़ा	..."...

1	2	3	4
45	अथरेटा	मेडी	..."...
46	तिलों का खेत	मालवा का चोरा	..."...
47	काना काबर	गोगरूद	..."...
48	हसरेटा		..."...
49	झुला का नाका	क्यारी	..."...
50	सईकलां	क्यारी	..."...
51	बुझ का नाका	क्यारी	..."...
52	कालियापानी	तेजा का वास	..."...
53	उबरी का नाका	तेजा का वास	..."...
54	खाल का नाका	मेरपुर	..."...
55	बानरिया बडला	गोगरूद	..."...
	लघु सिंचाई परियोजना		
1	गोटीकला (गोडीमार)	गोडीमार	यह योजना सर्वे एवं अनुसंधान, सिंचाई खण्ड, उदयपुर द्वारा तैयार की गई है, जिसकी विस्तृत सर्वे कर तखमीना तैयार किया जाना है।
2	साबरी (बोडी कला)	सडा	..."...
3	कागवास (छोपरा का खेत)	धधमता	..."...
4	पाडाबड़ला	जूड़ा	फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस खण्ड द्वारा तैयार कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।

सरदारशहर (बीकानेर) तहसील के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

191. श्री भंवर लाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरदारशहर तहसील के किन-किन गांवों में पशु स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पशु स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कहां-कहां पर किस-किस संवर्ग के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील के निम्नांकित गांवों में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं:-

पशु चिकित्सालय	उपकेन्द्र
1. सरदार शहर	1. हरदेसर
2. पूलासर	2. मालकसर
3. घड़सीसर	3. सोनपालसर
4. जैतसीसर	
5. शिमला	
6. अजीतसर	
7. बिल्यूबास रामपुरा	

(2) उपरोक्त पशु चिकित्सा संस्थाओं के संवर्गवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

सरदारशहर तहसील में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	रिक्त पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	पशु चिकि. सरदारशहर	सइस	1	अप्रैल 2004 से
		गडरिया	1	जुलाई 2004 से
2	पशु चिकि. पूलासर	वी.ए.	1	फरवरी 1992 से
		सइस	1	अप्रैल 2004 से
		स्वीपर	1	जुलाई 2004 से
3	पशु चिकि. घडलीसर	वी.ओ.	1	जुलाई 2002 से
		स्वीपर	1	दिसम्बर 2002 से
4	पशु चिकि. जैतसीसर	वी.ओ.	1	जुलाई 2004 से
		सइस	2	मार्च 2000 एवं सित. 04 से
		स्वीपर	1	मई 2002 से
5	पशु चिकि. शिमला	वी.ओ.	1	जून 2002 से
6	पशु चिकि. अजीतसर	वी.ओ.	1	जुलाई 2002 से
		जलधारी	1	अक्टूबर 2004 से
7	पशु चिकित्सालय,	वी.ओ.	1	अक्टूबर 1999 से नव सृजन
	बिल्यूबास, रामपुरा	स्वीपर	1	अक्टूबर 1999 से नव सजृन
8	मालकसर-उपकेन्द्र	एल.एस.ए.	1	जनवरी 2005 से
		सइस	1	अक्टूबर 1999 से नव सृजन
9	सोलपालसर-उपकेन्द्र	सइस	1	अक्टूबर 1999 से नव सृजन
10	हरदेसर-उपकेन्द्र	—	—	—

डेयरी उत्पादों के विक्रय से लाभ-हानि

192. श्री अमराराम (धोद) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में सरस डेयरी द्वारा कितने उत्पाद जारी किये गये तथा इनसे संस्थान को कितना लाभ अथवा हानि हुई?

(2) क्या यह सही है कि सरस डेयरी द्वारा मौजूदा मुख्य मंत्री की तस्वीर के साथ कट आउट लगाये गये? यदि हां, तो कट आउट पर कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों के माध्यम से निम्न दुग्ध उत्पाद जारी किये गये व्हाईट बटर, डेयरी व्हाइटनर, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, सॉफ्टी, आइसक्रीम, थिक मिल्क शेक, चाय एवं काफी तथा मिल्क केक।

इन उत्पादों से संस्था को गत पांव वर्षों में हुए लाभ-हानि का वर्षवार ब्यौरा निम्नप्रकार है:-

वर्ष	लाभ (लाख रूपये में)
1999-2000	2.32
2000-2001	3.51
2001-2002	5.66
2002-2003	13.51
2003-2004	28.17

इस प्रकार इन उत्पादों से संस्था को गत पांच वर्षों में कुल 53.17 लाख रुपये का लाभ रहा।

(2) जी नहीं। डेयरी फैडरेशन द्वारा मौजूदा मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर के कोई कट आउट नहीं लगाये गये हैं। सरस ब्राण्ड को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मौजूदा मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर के साथ डेयरी फैडरेशन द्वारा अब तक चार चरणों में जयपुर एवं अन्य शहरों में अलग

(डेयरी मंत्री)

अलग संदेश के साथ होर्डिंग्स लगाये गये हैं। इन पर डेयरी फैडरेशन एवं सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा कुल – 76.32 लाख रूपये व्यय किये गये।

कंवरसैन लिफ्ट नहर से बीकानेर शहर हेतु पेयजल आपूर्ति

193. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसैन लिफ्ट नहर में बीकानेर हेतु पेयजल के लिए कितना पानी आरक्षित है?

(2) कंवर सैन लिफ्ट नहर में वर्ष 2004 के दौरान कितने दिनों तक कितना-कितना पानी चलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में पेयजल की आपूर्ति हेतु इस नहर को वर्ष भर चलाना पड़ता है?

(4) इस लिफ्ट नहर में पानी चलाने हेतु पिछले 5 वर्षों में बिजली के बिल के भुगतान पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की अन्य नहरों अनूपगढ शाखा व सूरतगढ़ शाखा में वर्ष 2004 में कितने दिन तक पानी चलाया गया?

(6) क्या यह सही है कि कंवर सैन लिफ्ट नहर में सिंचाई हेतु अन्य नहरों की भांति एक समूह में पानी देने में तथा शेष तीन समूहों में केवल पेयजल हेतु पानी देने में कीमती सिंचाई जल की बचत हो सकेगी?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कंवर सैन लिफ्ट नहर के अन्तिम छोर पर बीकानेर हेतु पेयजल के लिए 40 क्यूसेक पानी एवं सेना, उद्योगों, कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि के लिए 15 क्यूसेक पानी आरक्षित है।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(2) कंवरसैन लिफ्ट नहर में वर्ष 2004 के दौरान चलाया गया पानी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(3) यह सही नहीं है कि बीकानेर शहर की आपूर्ति हेतु नहर को वर्ष भर चलाना पड़ता है। अपितु बीकानेर शहर एवं गंगानगर एवं बीकानेर जिले के 95 गांवों की जल प्रदाय योजनाएं सेना, कृषि विश्वविद्यालय औद्योगिक क्षेत्र एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु इस नहर को जल वितरण समिति द्वारा निर्धारित चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार वर्ष भर चलाया जाता है।

(4) कंवर सैन लिफ्ट नहर पर पिछले पांच वर्षों में बिजली के बिलों के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है। वर्ष 1999-2000 में 1649.73 लाख रुपये, 2000-2001 में 1787.07 लाख रुपये, 2001-2002 में 1768.24 लाख रुपये, 2002-2003 में 1749.42 लाख एवं 2003-2004 में 1913.19 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

(5) 1. दिनांक 1.1.2004 से दिनांक 31.12.2004 तक अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई हेतु पानी 114 दिन चलाया गया।

2. दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2004 तक सूरतगढ़ ब्रांच में सिंचाई हेतु पानी 94 दिन चलाया गया।

(6) जी नहीं। कंवर सैन लिफ्ट नहर की क्षमता कम होने के कारण इसे अन्य नहरों की भांति सिंचाई हेतु एक समूह में चलाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

कंवरसैन लिफ्ट नहर में वर्ष 2004 के दौरान चलाये गए पानी का विवरण

क्र.सं.	अवधि	चलाया गया पानी क्यूसेक में	दिवसों की संख्या
1	01.01.2004 to 12.01.2004	500	12
2	13.01.2004 to 20.01.2004	250	8
3	21.01.2004 to 29.01.2004	500	9
4	30.01.2004 to 7.02.2004	250	9
5	08.02.2004 to 24.02.2004	500	17
6	25.02.2004 to 02.03.2004	250	7
7	03.03.2004 to 18.03.2004	500	16
8	19.03.2004 to 04.04.2004	250	17
9	05.04.2004 to 04.05.2004	150	30
10	05.05.2004 to 12.05.2004	250	8
11	13.05.2004 to 02.06.2004	150	21
12	03.06.2004 to 08.06.2004	250	6
13	09.06.2004 to 24.06.2004	400	16
14	25.06.2004 to 15.07.2004	150	21
15	16.07.2004 to 21.07.2004	500	6
16	22.07.2004 to 03.08.2004	250	13
17	04.08.2004 to 09.08.2004	500	6
18	10.08.2004 to 19.08.2004	250	10
19	20.08.2004 to 28.08.2004	500	9
20	29.08.2004 to 06.09.2004	250	9
21	07.09.2004 to 17.09.2004	500	11
22	18.09.2004 to 30.09.2004	250	13
23	01.10.2004 to 13.10.2004	500	13
24	14.10.2004 to 29.10.2004	250	16
25	30.10.2004 to 15.11.2004	500	17
26	16.11.2004 to 02.12.2004	250	17
27	03.12.2004 to 19.12.2004	500	17
28	20.12.2004 to 31.12.2004	250	12
	Total No of Days		**366**

साहवा लिफ्ट योजना के पम्पिंग स्टेशन संख्या 5 से लाभान्वित ग्राम

194. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) साहवा लिफ्ट के पम्पिंग स्टेशन नम्बर पांच से कौन-कौन से गांव सिंचाई से लाभान्वित होने वाले हैं? लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची मय रकबा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पम्पिंग स्टेशन नम्बर पांच कब तक पूर्ण हो जाएगा और इस पर कितनी लागत आएगी?

(3) उक्त पम्पिंग स्टेशन नम्बर पांच से सुई ब्रांच के और सरदारशहर ब्रांच के कौन-कौन से गांव लाभान्वित होंगे? ग्रामवार सूची मय रकबा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) साहवा लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशन 5 के नीचे के 53 गांवोंमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका सिंचित क्षेत्र 4026 हैक्टेयर होगा। नहर क्षेत्र में माइक्रो केनालाइजेशन सर्वेक्षण नहीं होने के कारण ग्रामवार रकबा बताना सम्भव नहीं है। लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची प्रपत्र-अ पर सलंग्न है।

(2) उक्त पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष 2005-06 में पूर्ण होना सम्भावित है। इस पम्पिंग स्टेशन की अनुमानित लागत 3.60 करोड़ रूपये आयेगी।

(3) उपरोक्त पम्पिंग स्टेशन से सुई ब्रांच एवं सरदारशहर सब-ब्रांच नहीं निकलती है। अतः इन शहरों के गांव इस पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित किये जाने प्रस्तावित नहीं है।

प्रपत्र- 'अ'

साहवा लिफ्ट के पम्पिंग स्टेशन नं. 5 से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1	चंगोई	18	तारानगर
2	मिखाली	19	ओजडिया
3	जिगसाना ताला	20	कीलीपुरा
4	जिगसाना टिब्बा	21	जिगसाना
5	गोगटिया भगवतान	22	धोलिया
6	गोगटिया पट्टा चंगोई	23	महलाना दिखनादा
7	गोगटिया चारणान	24	महलाना उतरादा
8	करमपुरा	25	भागला
9	गोडास	26	जोधावास
10	गोगटिया कछावतान	27	चारवाला
11	बुचावास	28	नांगल छोटी
12	मादावास	29	नांगल बड़ी
13	तोगावास	30	हंसियावास
14	गाजुवास	31	कलाल कोटरा
15	गोदानावास	32	कांजन का बास
16	खरतवासिया	33	कांजन
17	गोडावास	34	लिलकी

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
35	धनाउ	45	दुमकी
36	कछसाना	46	कुसम्बी
37	ग्वालानीसर	47	चुबकियागढ़
38	ख्याली	48	डूंगर
39	भागेला	49	दवाड़
40	भाथोड	50	कैलास
41	नरवासी	51	लुणास
42	चनाना	52	रैंवासी
43	खुर्द	53	ढिंगारला
44	मिथडी		

अग्निकांड पीडितों हेतु प्रस्तावित सहायता मुआवजा राशि

195. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 1, जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि में प्रदेश में अग्निकांड की कितनी घटनाएं घटित हुई? इन अग्निकांडों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवार प्रभावित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में कितना अनुमानित नुकसान दर्शाया गया? घटनावार अनुमानित नुकसान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुमानित नुकसान के विरुद्ध पीड़ित पक्षों को कितनी सहायता राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई? घटना अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि उलपब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार के क्या मानदण्ड हैं? क्या पीड़ित पक्षों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई

(श्री सुरेश मीणा)

गई राशि पर्याप्त होती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अग्निकांड पीड़ितों को पर्याप्त सहायता राशि एवं राहत हेतु नवीन नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि में प्रदेश में अग्निकांड की घटित घटना में तथा इन घटनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबों की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रभावित कुल परिवारों की संख्या सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में घटनावार दर्शाये गये नुकसान की राशि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2)

(3) अनुमानित नुकसान की एवज में पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई राशि का घटनावार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2)

(4) अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। दिशा-निर्देशों (मापदण्डों की प्रति संलग्न है परिशिष्ट-3) यदि भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य सरकार परिवर्तित मापदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट –1

तारांकित प्रश्न संख्या 115 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

(1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक जहरीली शराब से मरे व्यक्तियों की सूची :-

जिला भीलवाड़ा :-

(ग्राम कंवलियावास, बलवन्तपुरा, बडला, पुलिस थाना गुलाबपुरा एवं रायला पुलिस थाना बनेड़ा)

1 – किशन सिंह नि. कंवलियावास थाना गुलाबपुरा।

2- श्री शंकर सिंह निवासी-कंवलियावास थाना गुलाबपुरा।

3- श्री दल्लानाथ नि. कंवलियावास थाना गुलाबपुरा।

4- श्री नरेन्द्र सिंह नि. कंवलियावास थाना गुलाबपुरा।

5- श्री बाबूलाल नि. बलवन्तपुरा थाना गुलाबपुरा।

6- श्री कालू दरोगा नि. बड़ला थाना गुलाबपुरा।

7- श्री लादू बागरिया नि. रायला थाना बनेड़ा।

जिला अलवर :-

(कस्बा भिवाड़ी पुलिस थाना भिवाड़ी)

1- श्री कन्हीराम पुत्र श्री जम्माराम जाटव उम्र 40 साल नि. बासथाना लक्ष्मणगढ़ हाल रामपुरा भिवाड़ी।

2- श्री परसाराम पुत्र श्री बहराम उम्र 40 साल नि. शाहडोद हाल रामपुरा भिवाड़ी।

3- श्री भगवान राम पुत्र श्री शिवलाल चमार उम्र 40 साल नि. बडसरा थाना कोटकासिम हाल रामपुरा।

4- श्री रामप्रसाद पुत्र श्री नेतराम जाटव उम्र 60 साल नि. रामपुरा।

5- श्री किशन पुत्र श्री प्रभुराम गुर्जर उम्र 35 साल नि. रामपुरा।

6- श्री शाहरुख उर्फ हारून पुत्र श्री रमजान उम्र 35 साल नि. देवरिया थाना सरकोगेना ।

7- श्री प्यारे लाल पुत्र श्री कमला हरिजन नि. इन्दौर अलवर।

8- श्री रामजीवण पुत्र श्री कन्हैयालाल सुनार उम्र 40 साल नि. खीरी लखीमपुरा (यूपी) हाल रामपुरा।

9- श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री दलवीर सिंह राय सिख उम्र 20 साल नि. भिंडसी।

10- श्री खेमाराम पुत्र बिल्ला गुर्जर उम्र 50 साल नि. शाहडोद।

11- श्री बरियाराम सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह राय सिख उम्र 45 साल नि. मुण्डाना।

12- श्री रामवतार पुत्र श्री राजाराम गुर्जर उम्र 26 साल नि. भूंड़ला हरियाणा।

13- श्री राधेश्याम पुत्र श्री मंगलराम जाटव उम्र 38 साल नि. खोह थाना डीग, भरतपुर। हाल रामपुरा।

14- श्री महेन्द्र पुत्र श्री जस्साराम गुर्जर उम्र 22 साल नि. रामपुरा, अलवर।

15- श्री मति फूला देवी (16) श्रीमति दाखी, (17) श्री विजय सिंह

<u>जयपुर शहर (दक्षिण)</u>

(रैगरों का बड़ा मोहल्ला पुलिस थाना सांगानेर)

1. श्री मूलचन्द रैगर, 2. रामनारायण, 3. हरिनारायण रैगर 4. पूरणमल रैगर

परिशिष्ट "ब"

राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक जहरीली शराब से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गई सहायता की राशि का विवरण

क्र.सं.	मृतक का नाम	आश्रित का नाम	सहायता राशि
जिला-भीलवाड़ा			
1	श्री बाबू पुत्र श्री देबी बैरवा नि. बलवन्तपुरा	श्रीमती गीता (पत्नी)	50,000/-
2	श्री लालू पुत्र श्री मागू बागरिया नि. रायला	श्रीमती लादी (पत्नी)	50,000/-
3	श्री किशनसिंह पुत्र श्री रामसिंह नि. कवलियास	श्रीमती रतन प्रभा (पत्नी)	50,000/-
4	श्री शंकरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह नि. कवलियास	श्रीमती टमाकंवर (पत्नी)	50,000/-
5	श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री छीतरसिंह नि. कवलियास	श्रीमती माया कंवर (पत्नी)	50,000/-
6	श्री दल्लानाथ पुत्र श्री नन्दानाथ नि. कवलियास	श्रीमती सोहनी (पत्नी)	50,000/-

1	2	3	4
7	श्री कालू पुत्र श्री नारायण दरोगा नि. कवलियास	श्रीमती इन्द्रा (पत्नि)	50,000/-
जिला-अलवर जिला-अलवर			
1	श्री रामजीवन पुत्र कन्हैयालाल तिजारा	के परिजन को	10,000/-
2	श्री ब्राह्मसिंह पुत्र सुरजनसिंह मुण्डानामेव	के परिजन को	10,000/-
3	श्री कन्ही जाटव पुत्र जुम्मा जाटव रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
4	श्री किशन पुत्र प्रभुदयाल गुर्जर रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
5	श्री सुन्दर पुत्र दलतीर सिंह भिण्डूसी	के परिजन को	10,000/-
6	श्री भगवान पुत्र शिवलाल, रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
7	श्री खेमराज पुत्र बिल्ला गुर्जर साहडोल	के परिजन को	10,000/-
8	श्री शाहरूख पुत्र रजमान, रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
9	श्री प्यारेलाल, पुत्र रमला चमार रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
10	श्री रामप्रसाद पुत्र नेतराम, रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
11	श्री परसाराम पुत्र भैराम जाटव रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
12	श्री महेन्द्र पुत्र श्री जसराम गुर्जर रामपुरा	के परिजन को	10,000/-
13	श्री राधेश्याम पुत्र मंगलसिंह हरचन्दपुरा	के परिजन को	10,000/-
जिला-जयपुर (सांगानेर)			10,000/-
1	श्री रामनारायण पुत्र डूंगाराम रैगर	मन्नी देवी	10,000/-
2	श्री मूलचन्द पुत्र देवाराम रैगर	हरि देवी	10,000/-

परिशिष्ट स

आबकारी विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना

1. शोधित प्रासव एवं विकृत प्रासव के टैंकरों की आवाजाही मुख्य रूप से राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर होती है। प्रतिमाह 5-7 बार अलग-अलग रूट पर टैंकरों की चैकिंग करवाया जाना।
2. इन टैंकरों के ड्राइवरों द्वारा मार्ग में ढाबों पर कुछ प्रासव की मात्रा छोड़ दिये जाने की सम्भावना के परिपेक्ष में प्रतिमाह 5-7 बार ढाबों की आकस्मिक चैकिंग करवाना।
3. स्प्रिट अवैध रूप से रखने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुखबिरी बढ़ाई जाकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना एवं उन पर निगरानी रखना।
4. स्थानीय पुलिस थाने के कर्मचारियों से सम्पर्क कर मदिरा का अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की जानकारी करना एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करना।
5. किसी अभियोग में स्प्रिट की बरामदगी होने पर उसके अनुसंधान में इस बात की जानकारी करवाना कि यह स्प्रिट कहां से आई थी तथा किसे बेचने के लिए ले जाई जा रही थी? इस आधार पर संदिग्ध लोगों के मकानों/कार्यस्थलों आदि की जांच करवाना।
6. स्प्रिट के अवैध परिवहन की जानकारी प्राप्त होने पर सम्बन्धित राज्य के आबकारी आयुक्त का इस ओर ध्यान आकर्षित करना।
7. अवैध रूप से पाउच पैकिंग मशीन एवं बोतल भराई मशीन लगाकर मदिरा के अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करना।
8. पुलिस एवं जिला प्रशासन के गांव के स्तर के कर्मचारियों के नियमित सम्पर्क में रहकर उनसे सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
9. अवैध रूप से निर्मित मदिरा का सेवन करने पर जनहानि की आशंका की ओर जनता का सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाना।
10. विकृत प्रासव का उपयोग करने वाली इकाइयों पर विभागीय नियंत्रण को और प्रभावी बनाना।

सदस्य-सूची

मंगलवार, 22 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

विधेयक का पारण

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 — 208

सूचना

-उड़ीसा विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री प्रहलादजी डोरा का राज्यपाल दीर्घा से कार्यवाही का अवलोकन — 26

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-डेयरी उत्पादों के विक्रय से लाभ-हानि — 305

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन — 14

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-सलूम्बर में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति — 280

सिंचाई

-करांकला-डगार (सलूम्बर) सड़क की मरम्मत — 298

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	232
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-निम्बाहेड़ा में नवीन बालिका विद्यालय	290
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-चित्तौड़गढ़ जिले के जनजाति वन क्षेत्र में नरभक्षी पेन्थर के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा	228
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	27
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	91
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	45
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने विषयक	75

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	133
श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पिड़ावा की पेयजल समस्या का समाधान करने विषयक	73
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-प्रतापगढ़ उपखण्ड की अभावग्रस्त पंचायतों में राहत कार्य	34
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जयपुर के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की मांग	104
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-नदबई में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद	248
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	26
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान के विरुद्ध लम्बित प्रकरण	269

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	
-कंवरसैन लिफ्ट नहर से बीकानेर शहर हेतु पेयजल आपूर्ति	306
कृषि	
-राज्य में कपास की खरीद हेतु कार्य योजना	277
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु व्यवस्था	250
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोतर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	19
श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	96
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-टोंक जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को रियायती ऋण	18
शिक्षा	
-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन	7

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	92
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-तारानगर के थानों में दर्ज प्रकरण	275
शिक्षा	
-तारानगर के विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापक	281
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-नहरों से पानी की चोरी रोकने हेतु कार्य योजना	238
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	40
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	20
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	156

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या	82
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	51
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अजमेर जिले में अनधिकृत खनन	268
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-इंदिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने विषयक	72
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-प्रतापगढ़-उपखण्ड की अभावग्रस्त पंचायतों में राहत कार्य	34
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	42
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-टोंक जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को रियायती ऋण	16

नाम	पृष्ठ संख्या
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का 43वां प्रतिवेदन वर्ष 2003-04	105
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	51
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	42
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम	274
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अन्त्योदय योजना में गेहूं वितरण पर्ची छपाई में व्याप्त अनियमितताएं	234
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-उदयपुर डिवीजन के बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवारों को हो रही परेशानी बाबत	74
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
मत्स्य पालन	
-मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु अभिकरण की स्थापना	30

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण	272
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज़मण्डी)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	107
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	94
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	50
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-कपासन के पशु चिकित्सालय	245
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जयपुर शहर में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु गुप्तचर पुलिस की व्यवस्था	244

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जयपुर के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की मांग	102
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	88
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-विश्वेसरिया नगर (जयपुर) को पेयजल आपूर्ति	267
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	23
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	87
विधेयक का पारण	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	183
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	48
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-अनुदानित शिक्षण संस्थाएं अधिनियम, 1993 में संशोधन	283

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	57
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-मकराना में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति	83
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	67
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	
-साहवा लिफ्ट योजना के पम्पिंग स्टेशन संख्या 5 से लाभान्वित ग्राम	309
डेयरी एवं पशुपालन	
-सरदारशहर (बीकानेर) तहसील के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद	303
श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	63
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	88

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-राज्य में रेड आक्योर एवं चायना क्ले के खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	267
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यावरण	
-पाली जिले में औद्योगिक जल प्रदूषण से प्रभावित कृषि भूमि	229
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	170
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-उदयपुर की कोटड़ा पंचायत समिति में एनीकट निर्माण	298
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-सरना डूंगर (जयपुर) में मूर्तिकला जोन की स्थापना	257
खनिज	
-राज्य में लिग्नाइट गैस के दोहन हेतु प्रयास	271
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-किशनपोल (जयपुर) की कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित करने विषयक	80

नाम	पृष्ठ संख्या

विधेयक पर विचार

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 160

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन 256

शिक्षा

-राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय गिनानी (नागौर) में उर्दू विषय का अध्यापन 291

तारांकित प्रश्नोत्तर

मत्स्य पालन

-मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु अभिकरण की स्थापना 30

विधेयक पर विचार

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 129

स्थगन प्रस्ताव

-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने के विषयक 38

श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री

विधेयक का पारण

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 204

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	105
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	166
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-प्रतापगढ़ उपखण्ड की अभावग्रस्त पंचायतों में राहत कार्य	35
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	41
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
व्यवस्था का प्रश्न	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 में राज्यपाल की स्वीकृति नहीं	222
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	42
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	155

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	18
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	27
व्यवस्था का प्रश्न	
-विधेयक पारण प्रस्ताव की अनुमति इन आर्डर में नहीं	197
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-नयागांव (बूंदी) के राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही	278
सिंचाई	
-नैनवां के पाइवालापुरा बांध की भराव क्षमता	293
तारांकित प्रश्नोतर	
शिक्षा	
-देई ग्राम (बूंदी) के राजकीय विद्यालयों की भूमि पर निजी व्यक्तियों को भू-आबंटन	230
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-आराजी घोषित भूमि पर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की मांग	100

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-वन्य जीव अवशेष के साथ गिरफ्तार व्यक्ति	232
विधेयक का पारण	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	199
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-नागौर जिले के तालाबों की खुदाई पर व्यय	293
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नागौर जिले के क्रमोन्नत विद्यालय	249
श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर)	
नियम 295 के तहत विशे . उल्लेख	
-रायसिंहनगर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति	70
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन	7
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-लूणकरणसर तहसील में भेड़ों की अकाल मृत्यु	233

नाम	पृष्ठ संख्या

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-लूणकरणसर के काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बहाल करने विषयक 79

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना 27

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

स्थगन प्रस्ताव

-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक 51

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-साक्षर परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को नियुक्ति 282

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जयपुर के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की मांग 103

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन 7

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक 85

नाम	पृष्ठ संख्या

विधेयक पर विचार

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 ... 147

श्री समर्थ लाल (राजगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना ... 20

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक ... 92

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत एनीकट ... 1

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्मिकों की कमी ... 68

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

विधेयक पर विचार

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 ... 113

नाम	पृष्ठ संख्या
व्यवस्था का प्रश्न	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 में राज्यपाल की स्वीकृति नहीं	208
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	46
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोतर	
गृह	
-जहरीली शराबजन्य हादसों की रोकथाम हेतु कार्य योजना	26
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना	229
शिक्षा	
-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन	15
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	143
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
अकाल एवं सहायता	
-अग्निकांड पीड़ितों हेतु प्रस्तावित सहायता मुआवजा राशि	311
तारांकित प्रश्नोतर	
शिक्षा	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु आयोजित परीक्षा	243
-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन	13

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने विषयक	51
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि करने बाबत	71
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-कोटा संभाग के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण	271
शिक्षा	
-राज्य में विकलांग बच्चों हेतु संचालित विद्यालय	284
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सांगोद (कोटा) पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन	6
सिंचाई	
-वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत एनीकट	1
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजकीय चिकित्सालय, नावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने विषयक	78
श्री हीरालाल (निवाई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-टोंक जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को रियायती ऋण	16

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-निवाई क्षेत्र में खुली बजरी परिवहन से जनता को परेशानी	82
पर्ची के माध्यंम से उठाये गये मुद्दे	
-पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने विषयक	95